विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 16, शुक्रवार, 30 अगस्त, 2013/8 भाद्रपद, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 300	2–78
अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450	79–518
प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य	520–524
देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	524–556
राज्य सभा से संदेश	556
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	557
कार्यवाही सारांश	
कृषि संबंधी स्थायी समिति	557
50वां प्रतिवेदन	
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	557–558
30वां और 31वां प्रतिवेदन	
ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	558
46वां प्रतिवेदन	
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति	558
तीसरा प्रतिवेदन	
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	559
112वां प्रतिवेदन	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	559
72वां प्रतिवेदन	
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	559–560
62वां प्रतिवेदन	

*सभा में निरंतर व्यवधान के कारण तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। इसलिए, इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	560-561
पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
डॉ. के. चिरंजीवी	560-561
तेल एवं प्राकृतिक गैस संसाधनों के स्वामित्व के बारे में दिनांक 10.03.2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	
श्रीमती पनबाका लक्ष्मी	561-562
सभा का कार्य	562-565
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 33वें से 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	566
नियम 193 के अधीन चर्चा	571-572
उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् भारत सरकार द्वारा राहत और पुनर्निर्माण हेतु किए गए उपाय	
श्रीमती सुषमा स्वराज	572
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	573-574
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	574-582
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	583-584
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	583-584

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार 30 अगस्त, 2013/8 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः प्रश्न काल। प्रश्न संख्या 181 श्री शिवराम गौडा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01$^{1/2}$ बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी, श्री के. नारायण राव, श्री एस. पी.वाई. रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयाः श्री शरद यादव।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः शरद यादव जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः कृपया बैठ जाइये। उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, इस स्थिति में बोलना मुश्किल है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शिशु मृत्यु दर

***281. श्री शिवराम गौडाः**
श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बच्चों संबंधी एक स्वतंत्र संगठन "सेव द चिल्ड्रन" की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष तीन लाख बच्चे अपने जन्म के 24 घंटे के भीतर मर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मुद्दों के समाधान हेतु देश में नवजात शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सस्ती औषधियां आसानी से उपलब्ध कराने सहित समय पर जीवन रक्षक उपचार सुनिश्चित करने के लिए साधारण और प्रभावी तकनीक के उपयोग हेतु अग्रणी कार्यकर्ताओं जैसे कि सहायक नर्स धात्री और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) "सेव द चिल्ड्रन" द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक बच्चों की मौत जन्म के दिन हो जाती हैं और इनमें से 80 प्रतिशत मौत समयपूर्व, रक्तविषणता (सेप्सिस) और जन्म के समय दम घुटने के कारण होती हैं।

भारत के महापंजीयक, नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस), 2011 के अनुसार, भारत में नवजात शिशु-मृत्यु दर 1990 में 1000 जीवित जन्में बच्चों में 47 से 2011 में घटकर प्रति 1000 जीवित जन्में बच्चों में 31 रह गई है तथा नवजात शिशु-मृत्यु दर में वार्षिक कमी दर में भी 2011 में 2.9 प्रतिशत से 2011में 6.1 प्रतिशत तक तेजी आई है।

(ग) देश में नवजात शिशु-मृत्यु का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाती हैं:-

1. मातृ एवं नवजात-शिशु-मृत्यु दर दोनों को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। जननी सुरक्षा योजना में गर्भवती महिलाओं की संस्थागत प्रसवों का विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है तथा नकद सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी गर्भवती महिलाएं तथा बीमार नवजात शिशु सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पूरी नि:शुल्क और शून्य व्यय उपचार के पात्र हैं तथा इसमें नि:शुल्क आने जाने के लिए वाहन, आहार, औषधियों और नैदानिकी का प्रावधान है।

2. सभी सेवा प्रदानगी स्थलों पर नवजात शिशु परिचर्या (एनबीसीसी), एफआरयू पर नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाइयाँ (एनबीएसयू) और जिला अस्पतालों पर विशेष नवजात शिशु परिचर्या एककों की स्थापना के माध्यम से सुविधा केन्द्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या को सुदृढ़ बनाना।

3. 'आशा' कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है तथा गृह आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एचबीएनसी) करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। समुदाय स्तर पर नवजात शिशु परिचर्चा पद्धतियों में सुधार और बीमार नवजात शिशुओं का शीघ्र पता लगाने और रेफरल करने का लक्ष्य है।

4. गर्भावस्था व प्रसव के दौरान मातृ परिचर्या और नवजात शिशुओं सहित बच्चों के सामान्य रोगों के शीघ्र निदान एन केस प्रबंधन के लिए उनकी योग्यता के उन्नयन हेतु स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं का क्षमता निर्माण। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं- एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल रोग प्रबंध न (आईएमएनसीआई), नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (एनएसएसके), कुशल जन्म परिचर प्रशिक्षण तथा आधारभूत एवं आपातकालीन प्रसूति प्रशिक्षण और जीवनरक्षक संज्ञाहरण कौशल प्रशिक्षण।

5. उत्तम मातृत्व और नवजात शिशु परिचर्या के लिए उच्च केस भार सुविधा केन्द्रों पर समर्पित मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य प्रकोष्ठों को स्वीकृति दी गई है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नौकरियों का बाह्यस्रोतन

***282. श्री गुरुदास दासगुप्त:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नियमित नौकरियों के बाह्यस्रोतन की अनुमति दी गई है/अनुमति दिए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में कतिपय बैंक कर्मचारी संघों ने नियमित नौकरियों के बाह्यस्रोतन के विरूद्ध धरने दिए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन धरनों/हड़तालों के परिणामस्वरूप बैंकों को अनुमानत: कितना घाटा हुआ और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में नियमित नौकरियों के बाह्यस्रोतन को समाप्त करने तथा बैंक कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली हड़तालों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के बाह्यस्रोतन में जोखिमों के प्रबंधन तथा आचरण नियमावली" के संबंध में वर्ष 2006 में दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि बैंकों को आंतरिक लेखापरीक्षा, अनुपालन कार्यकलाप जैसे मूल प्रबंधन कार्यकलापों तथा जमा खाता खोलने हेतु अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों का अनुपालन निर्धारित करने, ऋणों की स्वीकृति प्रदान करने तथा निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन जैसे निर्णय लेने संबंधी कार्य बाहरी स्रोतों से नहीं करना चाहिए। तदनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अपने मूलभूत कार्यकलापों से इतर कुछेक कार्य ही बाहरी स्रोतों से करा रहे हैं।

अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने बैंकिंग क्षेत्र में नियमित कार्यों को कथित रूप से बाहरी स्रोतों से कराने के विरोध में दिनांक 29.05.2013 को धरना दिया था। तथापि, धरने के कारण सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई स्पष्ट हानि नहीं हुई क्योंकि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों की शाखाओं/कार्यालयों में सामान्य रूप से कार्य हुआ।

पूर्व में भी बैंक कर्मचारी संघों द्वारा हड़ताल का आहवान किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यों को बाहरी स्रोतों से कराने का मामला उठाया गया है। इसमें बैंक संघों के संयुक्त फोरम (यूएफबीयू) द्वारा हाल ही में 22.08.2012, 23.08.2012, 20.02.2013 तथा 21.02.2013 को की गई हड़ताल शामिल हैं। कार्य आदि के निपटान में हुए विलंब विभिन्न बैंकों में अनुपस्थिति तथा सेवाओं में व्यवधान के कारण हुई क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता।

कोई सुधारात्मक कदम उठाया जाना अपेक्षित नहीं है क्योंकि मूलभूत कार्यों से इतर केवल कुछेक कार्यकलाप ही बाहरी स्रोतों से कराए जाते हैं। बैंक मूल कार्यकलापों के लिए नियमित रिक्तियों के लिए भर्ती करना जारी रखेंगे।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्

***283. श्री के. नारायण रावः**
श्री उदय सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कमी/रिक्त पदों के कारण इसके कार्यकरण और इसके द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की क्षमता के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए और इसके कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) आईसीएमआर स्वास्थ्य अनुसंधान प्रकोप/महामारी मुद्दों की जांच को बढ़ावा देने और परिणामी स्वास्थ्य मामलों का समाधान करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। परिषद ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित सुदूर दुर्गम अगम्य क्षेत्रों को विशेष फोकस करते हुए जनजातीय और अधिकारहीन समुदायों के स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आईसीएमआर ने लगभग 2502 नए बहिरंग तथा अंतरंग परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आईसीएमआर द्वारा ली गई प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं में संक्रमक रोगों के निदान, रोकथाम और प्रबंधन, गैर संक्रमक रोग, अनुवांशिक विज्ञान सहित बुनियादी चिकित्सा सेवाओं, स्वास्थ्य प्रणालियां तथा सामाजिक व्यवहार अनुसंधान, प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र शामिल हैं।

स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रयोगशालाओं/नैदानिक सुविधा केन्द्रों में बुनियादी सुविधाएं करने हेतु स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने वर्ष 2013-14 के दौरान तीन नई योजनाएं शुरू की हैं।

(ख) और (ग) रिक्त पदों को सतत आधार पर भरा जाता है और इससे आईएमसीआर की चल रही अनुसंधान परियोजनाएं अथवा इसकी प्रगति प्रभावित नहीं हुई है। तथापि, बजटीय बाध्यताओं तथा नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध के कारण नए क्षेत्रों में नए कार्यक्रमों, अवसंरचना/केन्द्रों को स्थापित करने की दृष्टि से विलंब हुआ है।

(घ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की क्षमता के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) स्कीमों और कार्यक्रम के लिए बजटीय सहायता;

(ii) भारत और विदेशों में प्रशिक्षण और सदस्यता तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों में भाग लेने के माध्यम से वैज्ञानिकों के क्षमता निर्माण और कौशल को बढ़ाना; तथा

(iii) अतिरिक्त पदों के सृजन और पर्याप्त बजटीय आबंटनों के लिए प्रयास करके आईसीएमआर की कार्य पद्धति को सुदृढ़ बनाना।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहन

***284. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के उपयोग और उन्नयन को बढ़ावा देने हेतु की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित और वितरित की गई;

(ग) उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु आवेदन किया है तथा संबंधित कंपनियों द्वारा राजसहायता की कितनी धनराशि का दावा किया गया है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान विशेष प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा चूककर्ता/फर्जी कंपनियों द्वारा राजसहायता का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सरकार द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के विभिन्न प्रकार के राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन जैसे - पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क के लाभ दिए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के उन्नयन के लिए किए जा रहे अन्य प्रयासाकों में प्रदर्शन परियोजनाओं की संस्थापना करना, गहन संसाधन आकलन, विद्युत निष्क्रमण परीक्षण सुविधाओं का विकास करना आदि शामिल है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न और अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 28,709 मेगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त की गई है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत 690 करोड़ रु. की कुल धनराशि आबंटित की गई है और विभिन्न कार्यकलापों के लिए 252.09 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई है।

(ग) अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वित करने वाली कंपनियों/परियोजना विकासकर्त्ताओं/ कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा योजनाओं की निबंधन और शर्तों के अनुसार समय-समय पर प्रोत्साहनों के लिए आवेदन किया जाता है। उनके द्वारा मांग की गई सब्सिडी की राशि परियोजना के आकार, इसकी अवस्थिति, प्रोद्योगिकी और परियोजना के कार्यान्वयन की अवस्था पर निर्भर करती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनियों को जारी किए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) मंत्रालय द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय को विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए 1521 करोड़ रु. का बजट प्रदान किया गया है और अभी तक 649 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का कंपनी-वार आबंटन नहीं किया जाता है। निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और व्यय के लेखा-परीक्षित विवरण प्राप्त किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ आवधिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं और परियोजना के कार्यान्वयन तथा लगाई गई प्रणालियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण दौरे भी किए जाते हैं। मंत्रालय द्वारा प्रभावों का आकलन करने तथा कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन भी कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा राज्यों में कार्यक्रम की निकट रूप से निगरानी करने के लिए केन्द्रीय बिन्दुओं (फोकल प्वाइंट) के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

विवरण

वर्ष 2013-14 के दौरान सौत तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए कंपनियों/चैनल भागीदारों/यूटीलिटीज को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	कंपनियों/चैनल भागीदारों के नाम	जारी की गई धनराशि (लाख रु. में)
1	2	3
I.	**सौर तापीय प्रणालियां**	
1.	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लि., पुणे	72.94
2.	एरियर नेचर प्रा.लि., बंगलौर	12.09
3.	अल्फा इनटीरियर्स प्रा.लि., दिल्ली	15.98
4.	ऑल इंडिया विमेन कांफ्रेंस नई दिल्ली	2.50
5.	अनु सोलर पावर प्रा.लि., बंगलौर	272.06
6.	बिपिन इंजीनियर्स प्रा.लि., पुणे	320.27
7.	दिव्या इंडस्ट्रीज, बंगलौर	96.88
8.	ईगल टैक्नोलोजीज, मैसूर	43.96

1	2	3
9.	इकोसन इनर्जी कंपनी, पुणे	24.09
10.	इलेक्ट्रो थर्म (इंडिया) लि., अहमदाबाद	338.43
11.	एमवी सोलर प्रा.लि., बंगलौर	456.67
12.	ग्रीन टेक इंडिया प्रा.लि., सिंकदराबाद	40.33
13.	गुरुदास श्री मानधनधान बाबा दीप सिंहजीशहीद, रोपड़	17.28
14.	इंटर सोलर सिस्टम्स प्रा.लि., चंडीगढ़	386.38
15.	आईटीसी लि., मुंगेर, बिहार	4.32
16.	जैन इरीगेशन सिस्टम्स लि., जलगांव, महाराष्ट्र	257.81
17.	जय रिन्यूएबल एनर्जी प्रा.लि., मिराज, महाराष्ट्र	57.93
18.	जिन्दल रिफाइनरी/उरेडा, उत्तराखंड	26.69
19.	जस्ट एक्यूरा, मुंबई	18.63
20.	कौशल सोलर इक्यूपमेंटस लि., पुणे	20.21
21.	कोशोल हीरामृत इनर्जीज प्रा.लि., राजकोट	270.68
22.	कोटक ऊर्जा प्रा.लि., बंगलौर	64.65
23.	क्राफ्ट वर्क सोलर प्रा.लि., कोच्चि	17.61
24.	लद्दाख अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, लेह	268.00
25.	लक्ष्मी एग्रो इनर्जी प्रा.लि., कोल्हापुर	35.52
26.	मैकिनोक्राफ्ट, पुणे	18.94
27.	ममता मशीनरी लि., गुजरात	8.91
28.	एमएम सोलर प्रा.लि., नागपुर	19.99
29.	न्यूटैक सोलर सिस्टम्स, प्रा.लि., बंगलौर	156.04
30.	ओम इनर्जी इक्यूपमेंट, राजकोट	45.27
31.	और्ब इनर्जी प्रा.लि., बंगलौर	224.47
32.	फोटोन इनर्जी सिस्टम प्रा.लि., हैदराबाद	40.00
33.	पावरट्रोनिक्स सोलर प्रा.लि., पुणे	44.18
34.	प्राची इंटरनेशनल लि., दिल्ली	18.16
35.	परपल क्रिएशन प्रा.लि., मेडा, पुणे	16.80
36.	रिड्रेन इनर्जी प्रा.लि., राजकोट	130.99

1	2	3
37.	रूपअरीना फैब्रीकेटरस प्रा.लि., गुडगांव	41.91
38.	सेवमैक्स सोलर सिस्टम्स प्रा.लि., पुणे	96.17
39.	सोलर हाइटैक गीजर्स, बंगलौर	70.51
40.	स्टार कोटिंग सर्विसेस, राजकोट	75.54
41.	सुदर्शन सौर शक्ति प्रा.लि., औरंगाबाद	970.54
42.	सन बेस्ट लि., थेणी	3.24
43.	सन जोन सोलर सिस्टम, बंगलौर	37.49
44.	सुप्रीम सोलर सिस्टम्स लि., बंगलौर	17.17
45.	एसवीएल ट्रेडिंग कारपोरेशन, बंगलौर	55.29
46.	रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी, पुणे	26.72
47.	स्टेंडर्ड प्रोड्क्ट्स मैनुफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, तलोजा	13.51
48.	वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, कोच्चि	80.98
II. सौर	**प्रकाशवोल्टीय**	
49.	एन्ड्रोमिडा, आंध्र प्रदेश	1.62
50.	प्रीमियर सोलर, आंध्र प्रदेश	42.00
51.	मौजरबेयर लि., दिल्ली	482.40
52.	सनसोर्स इनर्जी, दिल्ली	103.21
53.	जेजे पीवी सोलर गुजरात	41.63
54.	एमवी सोलर, कर्नाटक	114.14
55.	बोस्क लि., कर्नाटक	38.43
56.	और्ब इनर्जी, कर्नाटक	13.26
57.	दीपा सोलर, कर्नाटक	115.92
58.	विप्रो इको इनर्जी, कर्नाटक	20.08
59.	गौरव इलेक्ट्रोनिक, महाराष्ट्र	46.91
60.	आदित्य ग्रीन इनर्जी, महाराष्ट्र	46.26
61.	ऑटोनिक इनर्जी, महाराष्ट्र	97.80
62.	गमेसा विंड टरबाइन, तमिलनाडु	67.64
63.	एल एंड टी लि., तमिलनाडु	40.81

1	2	3
64.	इलेक्ट्रोना इनर्जी, तमिलनाडु	25.58
65.	रीतिका सिस्टम्स, उत्तर प्रदेश	34.65
III.	**एसपीवी रूफटॉप तथा अन्य लघु सौर विद्युत संयंत्र (आरपीएसएसजीपी) यूटीलिटीज**	
66.	बी एंड जी सोलर प्रा.लि., तमिलनाडु	340.31
67.	आर एल क्लीन पावर प्रा.लि., तमिलनाडु	351.45
68.	ग्रेटशाइन होल्डिंग्स प्रा.लि., तमिलनाडु	217.11
69.	हेरीसंस पावर प्रा.लि., तमिलनाडु	188.84
70.	एमसंस पावर प्रा.लि., तमिलनाडु	183.57
71.	प्राएप्स इंफ्रास्ट्रक्चर लि., उत्तर प्रदेश	67.98
72.	टैक्नीकल एसोसिएट्स लि., उत्तर प्रदेश	271.45
73.	आर वी आकाशगंगा इंफ्रास्ट्रक्चर लि., उत्तराखंड	385.35
74.	मेट्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रा.लि., उत्तराखंड	149.84
75.	जय एस टैक्नोलोजीज लि., उत्तराखंड	319.48
76.	इको इनर्जी आइएनसी, पंजाब	140.30
77.	सोवोक्स रिन्यूएबल्स प्रा.लि., पंजाब	118.06
78.	जी एस अटवाल एंड कंपनी इंजीनियर्स प्रा.लि., पंजाब	243.85
79.	कारलिल इनर्जी प्रा.लि., पंजाब	225.34
80.	सोमा इंटरप्राइज लि., पंजाब	139.46
81.	नवभारत बिल्डकॉन प्रा.लि., राजस्थान	163.49
82.	एशियन एरो एजु एविएशन प्रा.लि., राजस्थान	193.76
83.	लैनको सोलर प्रा.लि., राजस्थान	182.82
84.	एईडब्ल्यू इंफ्राटेक प्रा.लि., राजस्थान	189.77
85.	बसंत इंटरप्राइजेज, राजस्थान	185.98
86.	जमील इंफ्रा प्रा.लि. राजस्थान	146.02
87.	विवेक फर्माकेम (आई) प्रा.लि., राजस्थान	123.29
88.	सन एडीसन इनर्जी इंडिया प्रा.लि., राजस्थान	127.58
89.	सोवोक्स रिन्यूएबल्स प्रा.लि., राजस्थान	128.87

1	2	3
90.	कॉनफ्लक्स इंफ्राटेक प्रा.लि., राजस्थान	112.90
91.	रेज पावर प्रा.लि., राजस्थान	118.37
92.	पैनटाइम फाइनेंस कंपनी प्रा.लि., ओडिशा	92.95
93.	अबेक्स होल्डिंग्स प्रा.लि., ओडिशा	91.91
94.	मोलीसती विनिमय प्रा.लि., ओडिशा	61.23
95.	एम जी एम मिनिरल्स लि., ओडिशा	70.24
96.	एस एन मोहन्ती, ओडिशा	119.45
97.	राजरत्न इनर्जी होल्डिंग्स प्रा.लि., ओडिशा	206.13
98.	श्री महावीर फेरो एजायज प्रा.लि., ओडिशा	47.86
99.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर एसएसके लि., महाराष्ट्र	276.86
100.	सेपसेट कंस्ट्रक्शन लि., महाराष्ट्र	488.87
101.	सित्रा रियल इस्टेट लि., महाराष्ट्र	483.23
102.	जे एस आर डिवलपर्स प्रा.लि., मध्य प्रदेश	147.98
103.	एडोरा इनर्जी प्रा.लि., मध्य प्रदेश	209.40
104.	शिव-वाणी इनर्जी लि., मध्य प्रदेश	205.30
105.	किजाक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., झारखंड	355.72
106.	पी सी एस प्रीमियर इनर्जी प्रा.लि., झारखंड	334.93
107.	न्यूइरा इनवायरो वेंनचर्स प्रा.लि., झारखंड	297.13
108.	प्रीमियर सोलर सिस्टम्स प्रा.लि., झारखंड	289.25
109.	इनरटैक इंजीनियरिंग प्रा.लि., झारखंड	227.39
110.	केवीआर कंस्ट्रक्शंस लि., झारखंड	239.15
111.	एकेआर कंस्ट्रक्सन लि., झारखंड	230.41
112.	साइमेग इंफ्रास्ट्रक्शंस प्रा.लि., झारखंड	221.23
113.	सी एंड एस इलैक्ट्रिक लि., हरियाणा	293.42
114.	एसडीएस सोलर प्रा.लि., हरियाणा	245.76
115.	चंद्रलीला पावर इनर्जी प्रा.लि., हरियाणा	162.23
116.	जमील इंफ्रा प्रा.लि., हरियाणा	171.89
117.	सुखवीर सोलर इनर्जी प्रा.लि., हरियाणा	162.52

1	2	3
118.	टायल एंड कंपनी, हरियाणा	148.57
119.	वी के जी इनर्जी, हरियाणा	160.70
120.	एच आर मिनरल्स एंड एलाइज प्रा.लि., हरियाणा	152.41
121.	छत्तीसगढ़ इंवेस्टमेंट्स लि., छत्तीसगढ़	268.56
122.	सिंघल फॉरेस्ट्री प्रा.लि., छत्तीसगढ़	330.73
123.	रामाकृष्ण इंडस्ट्रीज, आंध्र प्रदेश	279.04
124.	एपीजीईएनसीओ लि., आंध्र प्रदेश	241.82
125.	श्री पावर जनरेशन (आई) प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	205.37
126.	अमृतजल वेंचर्स लि., आंध्र प्रदेश	196.77
127.	एंड्रोमिडा इनर्जी टैक्नोलोजीज प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	132.56
128.	किशोर इल्कट्रो इनफ्रा प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	168.16
129.	गजानन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि., आंध्र प्रदेश	224.20
130.	फाटोन इनर्जी सिस्टम्स लि., आंध्र प्रदेश	197.54
131.	भवानी इंजीनियरिंग, आंध्र प्रदेश	197.44
132.	एपीआईआईसी लि., आंध्र प्रदेश	178.87

खनन क्षेत्र में अनुसंधान

***285. श्री मानिक टैगोर:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नई मिश्रित धातुओं के विकास और कच्चे माल के अन्वेषण सहित खनन क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं, अथवा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो खनन क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अनुसंधान करने हेतु चुनिंदा शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय संस्थानों को धनराशि/अनुदान प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं तथा उन्हें अब तक कितनी धनराशि/अनुदान प्रदान किया गया है और ऐसे वित्तपोषण हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) इन मार्गनिर्देशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां। खान मंत्रालय ने खनन क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मई, 2013 में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(ख) खनन में अनुसंधान में सहायता के लिए महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्र निम्नवत हैं:

(i) सामरिक, दुर्लभ और दुर्लभ मृदा खनिजों के लिए पूर्वेक्षण/गवेषण;

(ii) नए खनिज संसाधनों का पता लगाने और उनके दोहन के लिए भूमि और गहरे समुद्र में खनिज गवेषण हेतु

नई प्रौद्योगिकी का विकास;

(iii) खनन विधियों पर अनुसंधान। इसके अंतर्गत शैल यांत्रिकी, खान डिजाइनिंग, खनन उपकरण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा तथा खान संरक्षा आते हैं;

(iv) उप-उत्पादों के प्रक्रमण, प्रचालन, पुनर्प्राप्ति हेतु क्षमता में सुधार तथा विनिर्दिष्टताओं और उपभोग मानदंडों में कमी;

(v) निम्न श्रेणी तथा महीन आकार के अयस्कों के उपयोग के लिए धातुकर्म और खनिज सज्जीकरण संबंधी अनुसंधान;

(vi) खान अपशिष्ट, प्लांट टेलिंग्स आदि से मूल्य वर्द्धित उत्पादों का निष्कर्षण;

(vii) नए मिश्र धातुओं और धातु संबंधी उत्पादों आदि का विकास;

(viii) अल्प पूंजी वाली और ऊर्जा बचत वाली प्रोसेंसिंग प्रणालियों का विकास;

(ix) उच्च परिशुद्धता वाली सामग्री का उत्पादन;

(x) खनिज क्षेत्र से संबंधित संगठनों में सहकारी अनुसंधान।

(ग) खनन अनुसंधान में सहायता के लिए 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' स्कीम के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय संस्थानों, प्रौद्यो-आर्थिक खनिज नीति विकल्प केंद्र (सी-टेम्पो) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को अनुदान सहायता दी जाती है।

(घ) परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति (पीईआरसी) की सिफारिशों और सचिव (खान) की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालयी स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह (एसएसएजी) के अनुमोदन के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम" स्कीम के अंतर्गत दी गई अनुदान सहायता निम्नवत है:

(लाख रु. में)

वर्ष	प्रावधान	जारी निधियां		
		आर एंड डी	आईईसी	कुल
2010-11	300.00	265.23	34.76	300.00
2011-12	300.00	254.72	12.50	267.22
2012-13	300.00	390.00	10.00	400.00

उपर्युक्त अवधि के लिए अनुदानों सहित संस्थानों और विश्वविद्यालयों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) दिशा-निर्देश मई, 2013 में जारी किए गए।

विवरण

संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के नाम और जारी निधि

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई निधि
1	2	3
1.	एनएमएल, जमशेदपुर	9.85 लाख रु.
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलोर	10 लाख रु.

1	2	3
3.	जेएनएआरडीसी, नागपुर	15 लाख रु.
4.	एनएफटीडीसी, हैदराबाद	38.25 लाख रु.
5.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	23.85 लाख रु.
6.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	30 लाख रु.
7.	एनआईआरएम, कर्नाटक	68.60 लाख रु.
8.	सीआईएमएफआर, धनबाद तथा एमिटी यूनिवर्सिटी	15.528 लाख और रु.
	नोएडा (उ.प्र.) द्वारा संयुक्त रूप से	11.052 लाख
9.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	3 लाख रु.
10.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	15 लाख रु.
11.	जेएनआरडीडीसी, नागपुर	4 लाख रु.
12.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	8 लाख रु.
13.	भारतीय उद्योग परिसंघ 23 इंस्टीट्यशनल एरिया,	5 लाख रु.
	लोधी रोड, नई दिल्ली (आईसी)	
14.	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी, उदयपुर	13.20 लाख रु.
15.	प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो 98वां इंडियन साइंस कांग्रेस दिल्ली (आईईसी)	18,33,738/-रु.
16.	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज	5 लाख रु.
	(एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	
17.	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज	5 लाख रु.
	(एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	
18.	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडिस्ट्रीज	1.43 लाख रु.
	(एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	
	कुल योग	300.00 लाख रु.

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई निधि
1	2	3
1.	एनआईएमएच, नागपुर	5.11 लाख रु.
2.	सीआईएमएफआर, धनबाद	6.71 लाख रु.
3.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	49,31,160/- रु.
4.	एनआईएमएच, नागपुर	31.73 लाख रु.
5.	एनएफटीडीसी, हैदराबाद	56.16 लाख रु.
6.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर	3.5 लाख रु.
7.	सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता	14.222 लाख रु.
8.	इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फयूल रिसर्च, नागपुर	6.5 लाख रु.
9.	एनआईएमएच, नागपुर	7 लाख रु.
10.	जेएनआरडीडीसी, नागपुर	5 लाख रु.
11.	जेएनआरडीडीसी, नागपुर	15 लाख रु.
12.	नार्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एनईआईएसटी), जोरहाट, असम	3.65 लाख रु.
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	9 लाख रु.
14.	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	10 लाख रु.
15.	कांफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई), नई दिल्ली (आईईसी)	2.5 लाख रु.
16.	डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजी. कॉलिज ऑफ टेक्नोलोजी एंड इंजीनियरिंग, उदयपुर	2.2 लाख रु.
17.	एनएफटीडीसी, हैदराबाद	22.18 लाख रु.
18.	जेएनआरडीडीसी, नागपुर	17.45 लाख रु.
	कुल योग	267.22 लाख रु.

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2012-13 के दौरान जारी की गई निधि
1.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	8.1 लाख रु.
2.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर	9.01 लाख रु.
3.	थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पटियाला	3.68 लाख रु.
4.	फेडरेशन ऑफ इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई), नई दिल्ली (आईईसी)	10 लाख रु.

1	2	3
5.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	4.91 लाख रु.
6.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	30.20 लाख रु.
7.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	14.84 लाख रु.
8.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	26.40 लाख रु.
9.	एनआईआरएम, कर्नाटक	59.50 लाख रु.
10.	एनआईआरएम, कर्नाटक	56.71 लाख रु.
11.	एनआईएमएच, नागपुर	58.37 लाख रु.
12.	एनआईएमएच, नागपुर	59.70 लाख रु.
13.	जेएनएआरडीडीसी, नागपुर	6.25 लाख रु.
14.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद	21.86 लाख रु.
15.	एनआईएमएच, नागपुर	9.47 लाख रु.
16.	इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद	20.80 लाख रु.
	कुल योग	400 लाख रु.

तम्बाकू नियंत्रण

***286. श्री राजय्या सिरिसिल्ला:**
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'डब्ल्यूएचओ-फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल' के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों की मांग और आपूर्ति को कम करने हेतु निर्धारित मार्गनिर्देशों और अनुशंसित रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा 'डब्ल्यूएचओ-फ्रेमवर्क' कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल' के अनुसरण में देश में तम्बाकू उत्पादों की मांग और आपूर्ति को कम करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा देश में विशेष रूप से बच्चों पर उनके प्रतिकूल प्रभाव के दृष्टिगत, तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापनों को विनियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने देश में विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के सेवन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मार्ग में आ रही विभिन्न बाधाओं की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में तम्बाकू उत्पादों पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) के तहत किए समझौते द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबेको कंट्रोल (एफ. सी. टी.सी) में तंबाकू उत्पादों की मांग एवं आपूर्ति में कमी लाने की मुख्य कार्यनीतियां सूचीबद्ध हैं। मांग में कमी संबंधी मुख्य कार्य-नीतियां अनुच्छेद 6 से 14 में निहित हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

अनुच्छेद: 6-तंबाकू की मांग कम करने के मूल्य एवं कर संबंधी उपाय।

अनुच्छेद: 7-तंबाकू की मांग कम करने के लिए मूल्येतर उपाय।

अनुच्छेद: 8-अप्रत्यक्ष धूम्रपान के प्रभावन (एक्सपोजर) से सुरक्षा।

अनुच्छेद: 9 एवं 10-तंबाकू युक्त वस्तु एवं उत्पाद विनियम।

अनुच्छेद: 11-तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग एवं लेबनिंग।

अनुच्छेद: 12-शिक्षा, संप्रेषण, प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता।

अनुच्छेद: 13-तंबाकू संबंधी विज्ञापन, बढ़ावा एवं प्रयोजन।

अनुच्छेद: 14-मांग में कमी के लिए तंबाकू की लत और नशा मुक्ति उपाय।

आपूर्ति में कमी संबंधी मुख्य कार्यनीतियां अनुच्छेद 15 से 17 में निहित हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

अनुच्छेद: 15-तंबाकू उत्पादों का अवैध व्यापार।

अनुच्छेद: 16-नाबालिक बच्चों को और उनके द्वारा बिक्री।

अनुच्छेद: 17-आर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक क्रिया-कलापों के लिए सहयोग का प्रावधान।

कंवेशन के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में देशों को सहयोग एवं सुविधा प्रदान करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन एफ सी टी सी द्वारा कॉनफ्रेंस ऑफ पार्टीज द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। इस समय एफ. सी. टी. सी. द्वारा सात दिशा-निर्देश तैयार करके अनुमोदित किए गए हैं: तंबाकू नियंत्रण के संबंध में तंबाकू उद्योग के वाणिज्यिक एवं अन्य निहित स्वार्थों से जन-स्वास्थ्य नीतियों की सुरक्षा (अनुच्छेद 5.3); धूम्र-पान के प्रभावन (एक्सपोजर) से सुरक्षा (अनुच्छेद 8); तंबाकू उत्पादों की अंतर्वस्तुओं तथा तंबाकू उत्पाद का प्रकटीकरण (अनुच्छेद 9 एवं 10); तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग एवं लेबलिंग (अनुच्छेद 11); शिक्षा, संप्रेषण, प्रशिक्षण व जन जागरूकता (अनुच्छेद 12); तंबाकू संबंधी विज्ञापन, बढ़ावा एवं प्रयोजन (अनुच्छेद 13); और मांग में कमी के लिए तंबाकू की लत एवं नशा-मुक्ति उपाय (अनुच्छेद 14)।

(ख) संसद ने वर्ष 2003 में "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम" (सी ओ टी पी ए) अधिनियमित किया, जिसका उद्देश्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, बढ़ावा तथा स्पॉन्सरशिप पर प्रतिबंध लगाकर; शिक्षण-संस्थानों से 100 गज के दायरे के भीतर बिक्री के निषेध तथा तंबाकू उत्पादों के सभी पैकों पर चित्र सहित स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के अनिवार्य चित्रण के जरिए तंबाकू उत्पादाकें के उपभोग, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण को विनियमित करना है। सी ओ टी पी ए 2003 में उल्लिखित सभी उपबंधों में डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी का अनुपालन किया गया है और उससे भी आगे बढ़कर व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी जिसके तहत 21 राज्यों के 32 जिलों को कवर किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में देश के सभी स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा और विस्तारित किया जा रहा है।

डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी के अनुच्छेद 17 (आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्पों के लिए सहयोग का प्रावधान) में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्यों के कृषि विभागों के साथ संपर्क स्थापित किया है।

(ग) "सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003" (सी ओ टी पी ए) की धारा-5 में अन्य बातों के साथ-साथ सभी प्रकार के संचार माध्यमों (मीडिया) में तंबाकू उत्पादों के सभी प्रकार के विज्ञापनों (प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष), बढ़ावा तथा स्पॉन्सरशिप को निषेध किया गया है। अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित सभी तंबाकू उत्पादों को इस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सी ओटीपीए तथा उसके तहत बना गए नियमों में नाबालिगों को और उनके द्वारा तथा शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे के भीतर बिक्री का निषेध किया गया है तथा तंबाकू उत्पाद के पैकों पर चित्र सहित स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का चित्रण और बिक्री केन्द्रों पर बोर्डों पर स्वास्थ्य चेतावनियां प्रदर्शित करना अनिवार्य बताया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने बच्चों के मस्तिष्क पर तंबाकू उत्पादों के पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करते हुए तंबाकू उत्पादों के चित्रण अथवा फिल्मों तथा टी.वी. कार्यक्रमों में उनके प्रयोग को विनियमित करने हेतु नियम अधिसूचित किए हैं।

(घ) और (ङ) सीओटीपीए की धारा 4 के तहत निजी कार्य-स्थलों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध किया गया है। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत दिनांक 1 अगस्त, 2011 अधिसूचित किया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू तथा निकोटिन का उपयोग आवश्यक तत्वों के रूप में नहीं किया जाएगा।

अब तक 33 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा विनियम को लागू करने के आदेश जारी किए हैं जिनके तहत तंबाकू अथवा निकोटिन वाले गुटका एवं पान मसाला जैसे खाद्य उत्पादों के विनिर्माण, बिक्री तथा भण्डारण को प्रतिबंधित किया गया है।

[हिन्दी]

कर्ज सततता

***287. श्री अर्जुन राय:**
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सकल बाजार उधार की राशि वर्ष 2011-12 के 1,58,600 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 1,77,300 करोड़ रुपए हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था पर उक्त वृद्धि के संभावित प्रभाव का कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए फार्मूले के अनुसार राज्यों को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में निर्धारित वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक राज्य के लिए निर्धारित ऋण सीमा के अंदर प्रत्येक वर्ष ऋण लेने की अनुमति दी जाती है। प्रत्येक राज्य की ऋण सीमा के अंदर बाजार ऋण, योजना व्यय के लिए वित्त प्रबंधन का एक अनुज्ञेय स्रोत है और योजना आयोग द्वारा राज्यों की वार्षिक योजनाओं की वित्तपोषण स्कीमों में इसका उल्लेख है। तेरहवें वित्त आयोग ने अपनी अधिनिर्णय अवधि (2010-15) के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लक्ष्य की तुलना में वार्षिक ऋण का भी निर्धारण किया है। कुल मिलाकर, राज्यों ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 में अपनी उपलब्ध ऋण सीमा के अंदर ही ऋण लिए हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त लेखाओं और बजट अनुमानों से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्यों द्वारा कुल मिलाकर, वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए, तेरहवें वित्त आयोग के ऋण/सकल घरेलू उत्पाद के क्रमशः 26.1 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत के अनुमानों और इन्हीं वर्षों के लिए राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में इन वर्षों में क्रमशः 23.59 प्रतिशत और 22.78 प्रतिशत का ऋण/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और 2.12 प्रतिशत और 2.39 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा/सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा लिए गए बाजार ऋण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2011-12	2012-13
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15500	20000
2.	अरुणाचल प्रदेश	33	170
3.	असम	–	300
4.	बिहार	4000	7100
5.	छत्तीसगढ़	–	1500
6.	गोवा	550	850
7.	गुजरात	16500	15546
8.	हरियाणा	6357	9330
9.	हिमाचल प्रदेश	1325	2360
10.	जम्मू और कश्मीर	2975	2150
11.	झारखंड	1254	3600
12.	कर्नाटक	7500	10760
13.	केरल	8880	11583
14.	मध्य प्रदेश	4000	4500
15.	महाराष्ट्र	21000	17500
16.	मणिपुर	150	275
17.	मेघालय	310	385
18.	मिजोरम	300	186
19.	नागालैंड	505	655
20.	ओडिशा	–	–
21.	पंजाब	8200	9700
22.	राजस्थान	4500	8041
23.	सिक्किम	40	94
24.	तमिलनाडु	14500	17997
25.	त्रिपुरा	300	645
26.	उत्तर प्रदेश	15830	9500
27.	उत्तराखंड	1400	1750
28.	पश्चिम बंगाल	22191	20500
29.	पुदुचेरी	533	302
	जोड़	158632	177279

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

***288. डॉ. संजीव गणेश नाईक:**
श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक सहित देश में कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने होस्टल हैं;

(ख) कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिए और अधिक होस्टलों का निर्माण करने हेतु कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत, जारी की गई तथा कितनी उनके द्वारा उपयोग में लाई गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) 1972 में इस स्कीम की शुरुआत से अब तक देश में 905 कामकाजी महिला छात्रावास (डब्ल्यूडब्ल्यूएच) संस्वीकृत किए गए हैं जिसमें किराए के परिसर में चलने वाला छात्रावास भी शामिल है। इनमें से 51 कामकाजी महिला छात्रावास कर्नाटक में संस्वीकृत किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्वीकृत छात्रावासों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इस स्कीम के मानदंडों के अनुसार, सरकारी जमीन पर कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की एजेंसियां, शहरी नगर निकाय, छावनी बोर्ड, सभ्य समाज के संगठन, पंचायती राज संस्थाएं, स्वयं सहायता समूह, मान्यता प्राप्त कॉलेज/विश्वविद्यालय तथा कॉरपोरेट या संघ जैसे कि सीआईआई, एसोचैम, फिक्की आदि कामकाजी महिला छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। किराए के परिसरों में छात्रावास चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावाधान है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों से 46 नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा 15 नए छात्रावास संस्वीकृत किए गए हैं, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) उक्त अवधि के दौरान संस्वीकृत, जारी तथा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

देश में संस्वीकृत कामकाजी महिला होस्टल की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	होस्टल की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	56
2.	अरुणाचल प्रदेश	12
3.	असम	14
4.	बिहार	06
5.	छत्तीसगढ़	10
6.	चंडीगढ़	07
7.	गोवा	02
8.	गुजरात	26
9.	हरियाणा	20
10.	हिमाचल प्रदेश	13
11.	जम्मू और कश्मीर	05
12.	झारखंड	02
13.	कर्नाटक	51
14.	केरल	150
15.	मध्य प्रदेश	62
16.	महाराष्ट्र	136
17.	मणिपुर	18
18.	मेघालय	03
19.	मिजोरम	04
20.	नागालैंड	16
21.	ओडिसा	29
22.	पुदुचेरी	04
23.	पंजाब	14
24.	राजस्थान	40 (इसमें किराए के परिसर में चलने वाला 1 हॉस्टल शामिल है)
25.	सिक्किम	02
26.	तमिलनाडु	96
27.	त्रिपुरा	01
28.	उत्तर प्रदेश	41
29.	उत्तराखंड	07
30.	पश्चिम बंगाल	38
31.	दिल्ली	20
	कुल	905

विवरण II

गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान कामकाजी महिला होंस्टल की स्कीम के तहत प्राप्त एवं संस्वीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रस्तावों

वर्ष		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (26 अगस्त, 2013 तक)	
क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत	प्राप्त	संस्वीकृत
01	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–	09	07	–	–
02.	असम	01	–	–	–	–	–	–	–
03.	अरूणाचल प्रदेश	01	–	–	–	–	–	–	–
04.	हरियाणा	01	–	–	–	02	–	–	–
05.	कर्नाटक	01	–	–	–	–	–	–	
06.	केरल	04	02	01	01	02	–	03	–
07.	महाराष्ट्र	01	01	02	01	–	01	–	
08.	मणिपुर	01	–	–	–	–	–	05	–
09.	मिजोरम	01	–	–	–	–	–	–	–
10.	नागालैंड	01	–	–	–	–	–	01	–
11.	राजस्थान	–	–	–	–	06	01	–	–
12.	तमिलनाडु	01	01	01	–	–	–	–	–
13.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	01	–	–	–	
14.	मेघालय	01	01	–	–	–	–	–	–
15.	छत्तीसगढ़	01	01	–	–	–	–	–	–
	कुल	15	06	04	01	21	08	10	–

विवरण III

स्वीकृत जारी और उपयोग में लायी गयी निधियां

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009ए10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (अगस्त, 2013 तक)	*26 अगस्त, 2013 तक प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार 2009-10 से 2012-13 की अवधि में जारी की गई निधियों का उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10,78,268	36,77,760	–	5,20,51,233	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–	–	1,10,59,875	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
3.	असम	–	2,25,000	–	–	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	–	–	–	–	–	लागू नहीं
5.	छत्तीसगढ़	–	27,28,125	–	–	–	27,28,125
6.	चंड़ीगढ़	51,62,359	–	–	–	–	51,62,359
7.	गोवा	–	–	–	–	–	लागू नहीं
8.	गुजरात	–	–	–	–	–	लागू नहीं
9.	हरियाणा	84,450	3,53,337	–	–	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
10.	हिमाचल प्रदेश	83,383	4,40,475	–	–	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	लागू नहीं
12.	झारखण्ड	–	–	–	–	–	लागू नहीं
13.	कर्नाटक	27,31,681	23,23,795	–	–	–	45,85,592
14.	केरल	4,92,439	3,24,68,884	–	1,54,69,937	2,19,51,682	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
15.	मध्य प्रदेश	–	15,28,418	–	–	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
16.	महाराष्ट्र	26,22,306	1,25,82,461	36,88,280	–	–	1,27,55,084
17.	मणिपुर	15,95,868	52,81,057	9,52,446	46,94,762	–	25,48,314
18.	मेघालय	–	27,60,020	–	–	–	27,60,020
19.	मिजोरम	–	3,40,650	–	–	–	3,40,650
20.	नागालैंड	47,62,766	19,97,154	–	–	–	26,09,100
21.	ओडिशा	–	–	–	–	–	लागू नहीं
22.	पुदुचेरी	–	– –	–	–	–	लागू नहीं
23.	पंजाब	–	–	–	–	–	लागू नहीं
24.	राजस्थान	–	–	–	2,43,208	–	उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नही
25.	सिक्किम	–	–	–	–	–	लागू नहीं
26.	तमिलनाडु	36,00,000	2,53,49,826	3,02,625	–	–	2,84,02,326
27.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	लागू नहीं
28.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–	–	9,93,510
29.	उत्तराखंड	–	–	–	–	–	लागू नहीं
30.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	लागू नहीं
31.	दिल्ली	6,99,99,518	4,94,22,635		3,25,330	–	5,33,10,420
	कुल	9,16,98,388	14,14,79,597	49,43,351	7,27,84,470	3,30,11,557	11,61,95,500

*उपयोग प्रमाणपत्र सभी स्थनों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

[हिन्दी]

दवाओं का नि:शुल्क वितरण

289. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च लागत से देश में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाएं प्रदान करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्वास्थ्य देखभाल पर पहुंच से बाहर खर्च को कम करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं के नि:शुल्क वितरण की परिकल्पना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ वित्तीय और संचालनात्मक कार्यविधियां तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसे देश में कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) भारत में सरकारी क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और उप-केन्द्रों (एससी) के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या नि:शुल्क प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत 8,00,000 से अधिक महिला अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ('आशा' कर्मी) को काम पर रखा गया है जो समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच अंतराफलक के रूप में कार्य करते हैं। तथापि, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या में खर्च पहुंच से अधिक होता है। निजी स्वास्थ्य व्यय का लगभग 70% हिस्सा दवाओं से संबंधित होता है।

परिवार कल्याण सेवाओं, एचआईवी/एड्स, प्रमुख संचार और चुनिंदा गैर-संचारी रोगों के लिए निदान और उपचार सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ''जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके)'' एक नई पहल से सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सीजेरियन सेक्शन सहित पूर्णत: नि:शुल्क और शून्य व्यय प्रसव की पात्रता का लाभ मिलता है। इस पहल में निशुल्क दवाएं, नैदानिक रक्त और आहार के साथ घर से संस्थान तक, रेफरल के मामले में सुविधा केन्द्रों के बीच तथा वापस घर छोड़ने के लिए नि:शुल्क वाहन का प्रावधान है। जन्म के पश्चात् 1 वर्ष तक उपचार हेतु सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर आने वाले सभी बीमार नवजात शिशुओं के लिए समान पात्रताएं उपलब्ध हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में यह कल्पना की गई है कि यदि अधिकांश आबादी को सस्ती स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करानी है तो सरकारी क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आवश्यक दवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराना आवश्यक है।

जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है; निशुल्क आवश्यक दवाओं सहित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का होता है। तथापि, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में नि:शुल्क आवश्यक दवाओं के प्रावधान के लिए सहायता सहित व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुमानित मांगों के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता इस शर्त पर प्रदान की जाती है कि राज्य सुविधा वार आवश्यक दवा सूचियों (ईडीएल) सहित मजबूत खरीद व सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तार्किक प्रणालियों, उत्तम, आश्वासन प्रणालियां मानक उपचार दिशानिर्देशों और नूस्खा ऑडिट स्थापित करें।

राज्यों को कुल संसाधन परिव्यय के 5% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध है बशर्ते कि राज्य ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आवश्यक दवाओं के नि:शुल्क वितरण हेतु स्पष्ट नीति तैयार की है। वर्ष 2012-13 में एनआरएचएम के तहत दवाओं हेतु 1500 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। 2013-14 के दौरान आज तक 1380 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।

[अनुवाद]

रोटा वायरस संक्रमण

***290. श्री आर. ध्रुवनारायण:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रोटा वायरस संक्रमण/अतिसार और निमोनिया के कारण बच्चों की मृत्यु के मामलों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार ने यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू की गई निमोनिया और अतिसार की रोकथाम और नियंत्रण हेतु एकीकृत विश्वव्यापी कार्य योजना की ओर ध्यान दिया है ताकि वर्ष 2025 तक इन बीमारियों से होनेवाली मौतों को रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा भारत में उपरोक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन तथा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत इन बीमारियों से बचाव हेतु टीके शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजे गए रोटावैक टीके की वर्तमान स्थिति क्या है और इसका कब तक वाणिज्यिकरण किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) देश में रोटावायरस संक्रमण/अतिसार और न्यूमोनिया के कारण बच्चों की मौतों की संख्या से संबंधित सूचना केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है। तथापि, इण्डिया रिपोर्ट ऑफ चाइल्ड हैल्थ एपिडी मियोलॉजी रेफरेंस ग्रुप (सी एच ई आर जी) 2012 के अनुसार, पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मौत के लिए अतिसार और न्यूमोनिया क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत कारण हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए अतिसार तथा न्यूमोनिया के उपचार हेतु राज्यों एवं राज्य क्षेत्रों को आबंटित धनराशि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बाल स्वास्थ्य घटक के तहत आवंटित बजट का एक अभिन्न अंग हैं और उसके लिए अलग से किसी योजना के रूप से निधि जारी नहीं की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में एनआरएचएम के तहत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के लिए राज्य-वार बजट आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। यूनिसेफ तथा डब्ल्यूवचओ द्वारा न्यूमोनिया और अतिसार की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए शुरू की गई एकीकृत वैश्विक कार्य-योजना के ब्यौरे में उत्तम स्वास्थ्य व्यवहारों की स्थापना एवं उन्हें बढ़ावा देकर; व्यापक प्रतिरक्षण कवरेज, एच आई वी की रोकथाम एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करके न्यूमोनिया एवं अतिसार के कारण बच्चों को बीमार होने से रोककर तथा जो बच्चे न्यूमोनिया एवं अतिसार से पीड़ित हैं उनका उपयुक्त उपचार द्वारा इलाज करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत, बच्चों में न्यूमोनिया तथा अतिसार से सुरक्षा, उसकी रोकथाम एवं उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

* व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसके तहत भारत में प्रतिवर्ष 2.7 करोड़ बच्चों को कवर किया जाता है, में वे टीके शामिल हैं जिनसे बाल्यावस्था में न्यूमोनिया की रोकथाम होती हैं। ये टीके हैं- डी पी टी, खसरा और बी सी जी, डिप्थेरिया, टेटनस, खसरा और तपेदिक से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हीमोफाइलम इनफ्लुएंजा टाईप बी (एचआईबी) संक्रमण से सुरक्षा के लिए पेन्टावैलेंट टीके रूप में टीका शुरू किया गया है। सभी राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में खसरे के दूसरे खुराक को भी शामिल किया गया है।
* जन्म के बाद शीघ्र और सिर्फ स्तनपान को बढ़ावा देने से अतिसार और न्यूमोनिया सहित बाल्यावस्था की सामान्य बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से शिशु एवं बाल आहार व्यवहारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
* जन-स्वास्थ्य प्रणाली के जरिए न्यूमोनिया और पेचिश के उपचार के लिए एण्टीबायोटिक्स उपलब्ध कराए जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सुविधा केंद्र आधारित स्वास्थ्यसेवा प्रदाताओं को देशभर में आई एम एन सी आई (एकीकृत नवजात शिशु एवं बाल रोग उपचार) के जरिए अतिसार और न्यूमोनिया का शुरू में पता लगाने तथा उनका उपचार करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।
* घुलनशील जिंक गोलियों तथा ओ आर एस के प्रयोग को बढ़ावा देना बाल उततरजीविता के लिए प्राथमिक क्रियाकलापों में से एक है। ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट (ओ आर एस) के पैकेट। और जिंक की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, तथा माताओं को उनके प्रयोग के बारे में बताया जाता है।
* विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कवर किया जाता है और इससे प्रतिरक्षा में सुधार द्वारा अतिसार और न्यूमोनिया से बचाव होता है तथा उसका उपयोग रोकथाम के एक उपाय के रूप में किया जाता है।
* ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए माताओं को सफाई और स्वच्छता के बारे में तथा समुदायों को अतिसार के कारणों एवं उपचार के विषय में जागरूकता पैदा की जा रही है।

(ङ) भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत बायोटेक के सहायोग से इण्डियन स्ट्रेन का रोटावैक टीका तैयार किया है और तीसरे चरण का प्रभावकारिता अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

विवरण

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए आर सी एच फ्लेक्सिबल पूल के तहत आवंटन, जारी की गई निधि, व्यय और अव्ययित शेष

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14	
		आवंटन	जारी की गई निधि	व्यय	आवंटन	जारी की गई निधि	व्यय	आवंटन	जारी की गई निधि	व्यय	आवंटन	जारी की गई निधि	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.00	0.94	0.47	1.18	1.18	6.03	1.16	0.87	6.80	1.26	0.00	
2.	आंध्र प्रदेश	212.55	209.19	77.37	235.74	183.56	171.65	258.76	258.76	325.51	280.40	62.57	
3.	अरुणाचल प्रदेश	12.14	19.73	15.67	12.93	14.41	17.99	17.30	12.98	16.47	18.53	13.90	
4.	असम	295.64	148.00	223.39	316.76	331.90	404.34	390.06	310.46	446.70	417.68	289.60	
5.	बिहार	302.41	327.41	431.69	333.91	333.91	470.36	412.43	309.32	614.78	446.91	301.66	
6.	चंडीगढ़	2.53	2.10	1.73	2.76	2.76	3.39	3.22	2.42	4.79	3.49	2.62	
7.	छत्तीसगढ़	87.56	97.56	90.64	96.58	121.58	138.90	117.09	87.82	167.00	126.88	95.16	
8.	दादरा और नगर हवेली	0.62	2.42	1.55	0.79	1.21	2.45	1.05	1.92	3.08	1.14	0.85	
9.	दमन और दीव	0.44	0.25	0.32	0.40	0.55	1.56	0.74	0.56	2.86	0.80	0.60	
10.	दिल्ली	38.69	29.02	22.46	42.18	31.64	47.79	51.20	37.39	56.31	55.48	41.61	
11.	गोवा	3.77	2.00	1.83	4.34	3.33	5.01	4.46	4.46	4.79	4.83	3.62	
12.	गुजरात	142.02	162.02	149.35	156.90	176.59	164.55	184.55	184.55	221.49	199.98	58.98	
13.	हरियाणा	59.18	59.18	67.91	65.44	85.44	86.99	77.49	77.49	116.19	83.96	62.97	
14.	हिमाचल प्रदेश	25.59	19.19	19.66	28.38	22.85	20.16	31.43	23.55	38.27	34.06	25.55	
15.	जम्मू और कश्मीर	42.40	42.40	39.08	46.91	61.91	84.29	57.53	57.53	112.89	62.34	46.76	
16.	झारखंड	113.29	110.35	114.72	124.97	159.44	150.12	151.13	108.57	166.32	163.77	122.83	
17.	कर्नाटक	148.01	183.01	159.25	163.60	191.26	182.56	186.83	186.83	205.41	202.45	151.84	
18.	केरल	89.36	78.62	80.25	98.56	86.39	71.21	102.04	102.04	160.43	110.57	82.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
19.	लक्षद्वीप	0.17	0.87	0.48	0.40	0.40	2.20	0.23	1.23	2.36	0.21	0.16	
20.	मध्य प्रदेश	220.34	271.34	396.10	242.84	329.40	369.36	288.44	216.33	466.07	312.56	234.42	
21.	महाराष्ट्र	271.56	234.61	214.58	299.61	299.61	338.73	343.44	341.87	384.10	372.16	279.10	
22.	मणिपुर	26.44	0.00	15.86	25.86	12.00	16.12	34.06	0.00	15.01	36.47	27.35	
23.	मेघालय	25.58	0.00	11.12	27.71	0.00	16.83	37.09	33.84	20.50	39.72	23.59	
24.	मिजोरम	9.97	16.04	12.48	10.62	9.23	14.86	13.65	13.65	22.37	14.62	10.97	
25.	नागालैंड	22.11	0.00	17.17	23.55	22.03	22.19	24.79	24.79	33.54	26.54	19.91	
26.	ओडिशा	133.94	153.94	193.08	147.83	177.83	215.87	166.66	166.66	260.03	180.60	135.45	
27.	पुदुचेरी	2.73	3.73	3.88	3.15	4.15	6.05	3.80	2.85	6.42	4.12	0.00	
28.	पंजाब	68.18	68.18	69.28	75.30	68.72	78.00	84.67	84.67	93.21	91.75	58.96	
29.	राजस्थान	206.06	231.06	284.73	227.07	299.07	369.45	272.64	204.48	441.66	295.44	221.57	
30.	सिक्किम	6.07	3.65	3.97	6.46	5.16	7.14	7.61	3.12	9.04	8.14	0.00	
31.	तमिलनाडु	174.33	163.08	149.77	193.17	156.66	187.68	220.48	220.48	228.56	238.91	139.58	
32.	त्रिपुरा	35.55	23.73	15.79	37.86	0.00	21.25	45.94	15.07	21.23	49.19	20.69	
33.	उत्तर प्रदेश	605.90	605.90	655.09	668.60	501.45	563.79	792.97	452.79	674.71	859.27	0.00	
34.	उत्तराखंड	35.70	40.70	39.82	39.42	59.17	53.69	46.38	46.38	71.20	50.26	37.70	
35.	पश्चिम बंगाल	225.17	133.58	125.02	247.97	247.97	260.28	279.19	209.39	337.70	302.53	0.00	
	कुल योग	3647.00	3443.80	3705.56	4009.75	4002.76	4572.84	4710.51	3805.11	5757.76	5097.01	2573.50	0.00
36.	अन्य			0.00	3.00	0.03	0.03		0.00			0.00	
	कुल योग	3647.00	3443.80	3705.56	4012.75	4002.79	4572.87	4710.51	3805.11	5757.76	5097.01	2573.50	0.00

दवाओं पर उत्पाद शुल्क अपवंचन

***291. डॉ. बलीरामः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में भेषज कंपनियों द्वारा उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अपवंचन के दृष्टांत/मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज की तारीख तक ऐसे शुल्कों की कंपनी-वार कितनी धनराशि वसूल की गई/संगृहीत की गई हैं. और

(घ) सरकार द्वारा इन कंपनियों से पूरी देयराशि की वसूली हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भेषज कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर के अपवंचन का कम्पनी वार ब्यौरा केन्द्र स्तर पर नहीं रखा जाता है। फिर भी, पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वर्ष में जिन कम्पनियों के बारे में 5 करोड़ रुपये से अधिक के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर का अपवंचन किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। उनके बारे में जानकारी, वसूल की गई राशि के साथ, संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (डीजीसीईआई) के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय भी कर अपवंचन का नियमित तौर से पता लगाते रहते हैं, इसकी रोकथाम करते हैं और बकाया राशि की वसूली भी करते हैं। निर्धारितियों को ब्याज और शास्ति जिनमें अनिवार्य शास्ति भी शामिल है, समेत शुल्क/कर की मांग के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं। गंभीर मामलों में, उल्लंघनकर्त्ताओं पर अभियोजन भी चलाया जाता है। यह विभाग करों की गैर-वसूली/अल्प-वसूली का पता लगाने के लिए निर्धारितियों की समय-समय पर लेखा परीक्षा भी करता है। मांग की अभिपुष्टि हो जाने पर और अपील की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर विधक प्रावधानों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है।

विवरण

ऐसी कंपनियां, जिनके विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद और सेवा शुल्क, अपवंचन का मामला नोटिस में आया है

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कंपनी का नाम	कर अपवंचित राशि	प्राप्त राशि
2010-11	मैडन फार्मास्युकिल्स लि., कुंडली	5.56	1.21
	डाबर इंडिया लि.	6.82	1.56
	सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रियल लि.	5.05	0.29
2011-12	स्ट्राइडस आर्कोलेब लि.	31.12	3.36
	रेमिडेक्स फार्मा प्रा. लि.	5.91	शून्य
	सूर्या फार्मास्युटिकल्स लि., तहसील राजपुरा, ग्राम बनूर	12.11	शून्य
	डाबर इंडिया, गजियाबाद	54.19	16.00
	अल्बर्ट डेविड, गाजियाबाद	22.89	शून्य
	कर्नाटक एंटी बायोटिक एंड फार्मास्युटिल्स लि., बेंगलुरु	5.18	शून्य
	पंचवटी प्रयोगशाला प्रा. लि. मेरठ	6.96	1.03
	वरखाट लि. (100 प्रतिशत ई ओ यू), वडोदरा	6.16	शून्य
2012-13	फ्रेसनियस काबी ऑनकॉलजी लि., पं. बंगाल	5.59	शून्य
	नेक्टर लाइफ साइंसेज लि. (इकाई-II) ग्राम सैदपुर, डेराबसी	21.20	शून्य
2013-14	सिपला लि.	5.51	1.59
(जुलाई,	फ्रसनियस काबी ऑनकालॉजी लि., पं. बंगाल	5.15	शून्य
2013 से)	आर्क फार्मालैब्स	9.73	शून्य
	सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीयल लि.	5.22	5.22

सेवा कर

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सेवाकर अपवंचित राशि	प्राप्त राशि
2010-11	द हिमालया ड्रग कं.	11.68	शून्य
	मैटरिक्स लैब लि.	37.5	शून्य
	न्यूलैंड लैब	5.10	0.59
	मैसर्स रेकिट बैकांइजर (आई) लि.	38.00	शून्य
	अलकेम लेबोरेट्रीज	5.23*	5.23
2011-12	मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., मोहाली	34.95	शून्य
	अरविंदो फार्मा लि.	7.86	0.39
	डा. रेड्डी लेबोरेट्रीज	13.24	शून्य
	जी वी के बायो साइंसेज	51.00	शून्य
	जे बी केमीकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.	15.26	18.30
2012-13	मैसर्स रैनबैक्सी लेबोरेट्रीज लि., मोहाली	90.24	शून्य
	नाटको फार्मा	6.22	शून्य
	अरविंदो फार्मा लि.	8.06	0.92
	डॉ. रेड्डी लेबोरेट्रीज	5.07	शून्य
	ग्लैनमार्क फार्मास्युटिकल्स लि.	14.91	14.91
	नेक्टार थेराप्युटिक्स (इंडिया) प्रा. लि., हैदराबाद	17.75	17.75
	कैडिला फार्मास्युटिकल्स	8.77	4.22
	टौरेंट फार्मास्युटिकल्स	18.1	10.22
2013-14 (जुलाई 13 से)	साई लाइफ साइंस	6.33	शून्य

* जांच कार्य प्रगति पर है।

गैस आबंटन नीति

***292. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:**
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उर्वरक और विद्युत संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की गैस आपूर्ति में और कमी लाने करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-प्राथमिकता वाले उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस समय गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) वर्ष 2012-13 के दौरान देश में गैस के उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार गैस आबंटन नीति में परिवर्तन

करने तथा उन विद्युत संयंत्रों को गैस आबंटित करने का है, जिनकी आगामी दो-तीन वर्षों में स्थापना होने की संभावना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने गैस आबंटन नीति के पहलुओं की जांच करने हेतु अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह का गठन किया है और यदि हां, तो अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्रवाई की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र जो पाइप लाइन ग्रिड पर हैं को आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्षेत्र	कुल घरेलू आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)
स्टील/स्पंज आयरन	1.10
रिफाइनरियां	1.13
पेट्रोरसायन	2.84
अन्य	0.47
रि-सेलर (सीजीडी को छोड़कर)	0.62
योग	6.16

(ग) देश में गैस के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण केजी-डी6 क्षेत्रों में गैस के उत्पादन में भारी गिरावट है। केजी-डी6 ब्लाक में गैस उत्पादन में गिरावट निम्नलिखित कारणों से हैं:-

(i) डी1 और डी3 क्षेत्रों में कुल 18 गैस उत्पादक कूपों में से 6 कूपों के कूप छिद्रों में पानी/बालू आ जाने के कारण गैस उत्पादन कर दिया गया है।

(ii) एमए क्षेत्र में 6 तेल/गैस उत्पादक कूपों में से 2 तेल/गैस उत्पादक कूपों के कूप छिद्रों में पानी आ जाने के कारण गैस उत्पादन बंद कर दिया गया।

(iii) प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित प्रारंभिक विकास योजना (एआईडीपी) के अनुशेष के अनुरूप संविदाकार द्वारा डी1 और डी3 क्षेत्रों में अपेक्षित संख्या में गैस उत्पादक कूपों का वेधन नहीं किया जाना।

इसके अलावा, संविदाकार ने डी1 और3 क्षेत्रों की एआईडीपी की तुलना में हुए गैस के कम उत्पादन के निम्नलिखित कारण बताए हैं:-

(i) पूर्वानुमानों की तुलना में रिजर्वायर की प्रकृति और विशेषता में भारी अंतर पाया गया है और इससे गैस उत्पादन दरों में प्राप्ति, रिजर्वायर संबंधी बाधाएं प्रतीत होती हैं।

(ii) मूल रूप से परिकल्पित दाब की तुलना में दाब का कई गुना कम होना।

(iii) कुछ कूपों में जल्दी पानी आ जाने का पूर्वानुमान प्रारंभिक रिजर्वायर उद्दीपनों में नहीं लगाया गया था, हालांकि कुल मिलाकर क्षेत्र में कम पानी आया है।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एनईएलपी गैस के मूल्य निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग के लिए अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के विचारार्थ एनईएलपी गैस के आबंटन के लिए प्रमुख क्षेत्र में पारस्परिक प्राथमिकता में बदलाव के लिए विकल्प से संबंधित एक नोट परिचालित किया है। अधिकार प्राप्त मंत्री समूह के निर्णय की प्रतीक्षा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल का आबंटन

*293. **श्रीमती प्रतिभा सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल का मासिक आबंटन मौजूदा मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिट्टी के तेल के मासिक आवंटन का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (घ) भारत सरकार मौजूदा मानकों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटीज) को तिमाही आधार पर पीडीएस मिट्टी तेल का आबंटन करती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल के तिमाही आबंटन के राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान एसकेओ का राज्य/संघ शासित प्रदेशवार तिमाही आबंटन (किलो लीटर में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	योग
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1800	1812	1812	1812	7236
आंध्र प्रदेश	116496	116496	116496	116508	465996
अरुणाचल प्रदेश	2892	2892	2892	2880	11556
असम	82032	82032	82032	82056	328152
बिहार	204300	204300	204300	204312	817212
चंडीगढ़	1104	948	948	960	3960
छत्तीसगढ़	46560	46560	46560	46560	186240
दादरा और नगर हवेली	564	564	564	588	2280
दमन और दीव	252	216	216	228	912
दिल्ली	13488	13488	13488	13440	53904
गोवा	1524	1308	1308	1320	5460
गुजरात	168396	168396	168396	168396	673584
हरियाणा	26616	22818	22818	22824	95076
हिमाचल प्रदेश	6624	6168	6168	6180	25140
जम्मू और कश्मीर*	22638	18024	27012	27024	94698
झारखंड	67500	67500	67500	67488	269988
कर्नाटक	130716	130716	130716	130740	522888
केरल	35052	30048	30048	30048	125196
लक्षद्वीप	1008	0	0	0	1008
मध्य प्रदेश	156492	156492	156492	156504	625980
महाराष्ट्र	264804	226968	226968	226980	945720
मणिपुर	6336	6336	6336	6336	25344
मेघालय	6480	6480	6480	6504	25944
मिजोरम	1956	1956	1956	1968	7836
नगालैंड	4272	4272	4272	4284	17100
ओडिशा	99936	99936	99936	99960	399768
पुदुचेरी	1308	1116	1116	1128	4668

1	2	3	4	5	6
पंजाब	29088	24936	24936	24924	103884
राजस्थान	127740	127740	127740	127740	510960
सिक्किम	1584	1584	1584	1596	6348
तमिलनाडु	127380	118287	118287	118290	482244
त्रिपुरा	9792	9792	9792	9804	39180
उत्तर प्रदेश	398040	398040	398040	398028	1592148
उत्तराखंड	10620	9108	9108	9096	37932
पश्चिम बंगाल	241116	241116	241116	241116	964464
योग	2416506	2348445	2357433	2357622	9480006

*इसमें 2012-13 की पहली तिमाही में लद्दाख क्षेत्र के लिए आबंटित 4626 किलो लीटर का पृथक कोटा शामिल है।

पारिस्थितिकीय पर्यटन

***294. श्रीमती मेनका संजय गांधी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारिस्थितिकीय पर्यटन के विकास की अपार क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो देश में इसकी क्षमता का दोहन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने स्थानों को पारिस्थितिकीय पर्यटन स्थल के रूप में चिह्नित, विकसित और घोषित किया गया;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) इको पर्यटन भारत में यात्रा के उभरते घटकों में से एक है। इको-पर्यटन सहित पर्यटन का विकास एवं सवंर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनसे प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर और पारस्परिक प्राथमिकता एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर इको-पर्यटन सहित पर्यटन परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय में कार्यान्वयन चरण पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश हैं अज़ैर साथ ही विभिन्न श्रेणियों के तहत कार्य कर रहे होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देश हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना चरण पर ही होटलों द्वारा मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी) वर्षा, जल संरक्षण प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली प्रदूषण नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग के लिए नॉन-क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) उपकरणों के प्रयोग को शुरू करना, ऊर्जा एवं जल संरक्षण हेतु उपाय आदि जैसे विभिन्न पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाना अपेक्षित है। परियोजना चरण और कार्य कर रहे होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि पर्वतीय एवं पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में होटल भवनों को स्थापत्य मजबूत तथा बिजली की कम खपत वाला होना चाहिए और जहां तक संभव हो, वह स्थानीय लोकाचार के अनुरूप होना चाहिए तथा उनमें स्थानीय डिजाइनों एवं सामग्री का उपयोग होना चाहिए।

पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा उद्योग के दो प्रमुख घटकों, मुख्य रूप से आवास सेक्टर और टूर ऑपरेटर सेक्टर के लिए भारत हेतु सतत पर्यटन मापदंड (एसटीसीआई) बनाया है। पर्यटन मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ अपने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से इको-पर्यटन का संवर्धन करता रहा है। पर्यटन मंत्रालय इको-पर्यटन के विकास पर फोकस करके सेमिनारों एवं कार्यक्रमों को समय-समय पर सहायता प्रदान करता है।

(ग) से (ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशसनों द्वारा इको-पर्यटन परियोजनाओं को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

इको-पर्यटन पर फोकस करने वाली परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (30 जून, 2013 तक) के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र-वार केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	2010-11	अनंतगिरि रंगा रेड्डी जिले में इको-पर्यटन केन्द्र का विकास	404.51	323.61
2.	2011-12	आंध्र प्रदेश में ओरवाकल्लू, कुन्नूल जिले में इको-पर्यटन केन्द्र का विकास	486.35	389.06
अरुणाचल प्रदेश				
3.	2010-11	टेगो गेमलिन ग्राम, पश्चिमी सियांग जिले में इको-पर्यटन का निर्माण	370.65	296.52
4.	2011-12	देवमाली उप-डिवीजन के अंतर्गत हुकानजुरी में इको-पर्यटन का निर्माण	487.93	390.34
5.	2012-13	लोअर दिबांग वैली जिले के दामबुक सब-डिवीजन के तहत कोनी गीपोंग क्षेत्र में इको-पर्यटन	468.43	374.74
चंडीगढ़				
6.	2010-11	इको-पर्यटन पार्क-सह-बॉटनीकल गॉर्डन में उन्नयन और पर्यटन अवसंरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण	313.32	250.65
जम्मू और कश्मीर				
7.	2010-11	जम्मू एवं कश्मीर में सोनमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा नीलग्रथ और सारबल ग्राम के बीच पारिस्थितिकी अनुकूल रिजॉर्ट का विकास	242.13	193.63
8.	2011-12	भादेरवाह देव प्राधिकरण द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के भादेरवाह के तीर्थ गंतव्यों पर और पार्क गाथा, खानीटोप, सेओज, पाडरी में डे कैम्पिंग, इको पर्यटन और तीर्थ पर्यटन के लिए पर्यटन अवसंरचना का सृजन	466.57	93.31
9.	2012-13	सोनमर्ग विकास प्राधिकरण द्वारा शुतकाडी (बेस कैम्प) से विशनसत (हाई एल्टीट्यूड हिमालयन लेक) का ईको फ्रेंडली विकास	406.37	81.270
कर्नाटक				
10.	2010-11	खानापुर फोरेस्ट, बेलगम जिले में इको-पर्यटन रिजॉर्ट का विकास	440.32	352.28
11.	2010-11	पीलीकुला निसर्गधाम इको-पर्यटन रिजॉर्ट	419.65	352.28

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र				
12.	2013-14	जिला नागपुर में धापेवाडा में इको-पर्यटन एवं तीर्थ केन्द्र के रूप में धापेवाडा/पराडसिंगा का विकास	780.17	156.03
मणिपुर				
13.	2010-11	थंगल, सेनापति जिले में इको-पर्यटन काम्प्लेक्स	310.85	248.68
नागालैंड				
14.	2010-11	चांगटोंगया मिंगकांग-नोकसेन-टोबू-शातुया में एकीकृत पर्यटक इको-एडवेंचर एवं सांस्कृतिक परिपथ	784.70	627.76
15.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्य: अकितो में इको-एडवेंचर एवं सांस्कृतिक हब	434.70	347.76
16.	2010-11	एकीकृत पर्यटक गंतव्य: इको-एडवेंचर कल्चर हब चिजामी	500.00	400.00
राजस्थान				
17.	2010-11	पर्यटक गंतव्य एवं विकास परिपथ के रूप में कुम्भलगढ़-टोडगढ़-रावोली-रनकपुर में इको-पर्यटन गंतव्य का अवसंरचना विकास	594.55	475.64
तमिलनाडु				
18.	2011-12	सलेम जिले में येरकोड में बॉटनीकल गार्डन का विकास	365.00	292.00
उत्तर प्रदेश				
19.	2011-12	शाहपुर, सुल्तानपुर में शिव धाम और इको-पर्यटन का विकास एवं सौन्दर्यीकरण	226.65	181.32
20.	2011-12	गोवर्धन में इको-पर्यटन का विकास (मेगा पर्यटक परिपथ के रूप में मथुरा-वृन्दावन के विकास के भाग के रूप में)	91.95* (3178.66) *गोवर्धन में इको पर्यटन से संबंधित घटक	1589.33
उत्तराखंड				
21.	2010-11	औली, चमोली जिले में इको-पर्यटन हट्स का विकास	461.62	369.29
22.	2010-11	टिहरी झील के बैकवॉटर्स में इको-पर्यटन का विकास	496.74	397.30
23.	2010-11	पुरोला-नेतवार-हरकीदुन परिपथ पर इको-पर्यटन का विकास	700.85	560.68
24.	2011-12	अलमोड़ा में इको-पर्यटन का विकास	490.80	392.64
25.	2011-12	उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्मल गंगोत्री इको-पर्यटन मेगा परिपथ का विकास	5,000.00	2,50000

1	2	3	4	5
26.	2011-12	सात ताल, उत्तराखंड में इको-पर्यटन का विकास	494.79	395.83
27.	2011-12	लैंसडाउन, उत्तराखंड में इको-पर्यटन का विकास	495.95	396.76
28.	2012-13	जिला बागेश्वर में एकीकृत इको-पर्यटन परिपथ (बागेश्वर-बैजनाथ-लोहारखेट) का विकास	800.00	640.00
29.	2013-14	हरिद्वार के समीप हजरत अलाउद्दीन अली अहमद अल सबीर (सबीर कलीयार) की पवित्र दरगाह के आस-पास इको-पर्यटन का विकास	798.920	159.780
30.	2013-14	जिला चमोली में विरासत एवं इको-पर्यटन परिपथ, इको एवं रोमांचकारी पर्यटन के लिए एकीकृत परिपथ विकास	800.00	160.00
31.	2013-14	नौटी-कानसावा-चांदपुर-गारही-सेम विरासत का विकास एवं इको-पर्यटन परिपथ	800.00	160.00
पश्चिम बंगाल				
32.	2010-11	बक्सद्वार (इको-पर्यटन परियोजना) का गंतव्य पर्यटन	394.00	315.20
33.	2011-12	सुन्दरवन, 24 परगना (दक्षिण) में गंतव्य पर्यटन परियोजना	488.53	390.82

[हिन्दी]

टीकों का उत्पादन

***295. राजकुमारी रत्ना सिंह:**
श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नियंत्रित कितने एकक टीकों का उत्पादन कर रहे हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक एकक का टीके और एकक-वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत कतिपय टीकों की सामान्य आवश्यकता की तुलना में कमी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव रहा है;

(घ) विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों हेतु आयातित और निजी कंपनियों से कितनी मात्रा में और कितने प्रकार के टीके खरीदे गए तथा इस अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ टीका-वार कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम हेतु सभी प्रकार के टीकों की पर्याप्त उपलब्धता और देश में वहनीय मूल्यों पर उनकी बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तीन यूनिटें/संस्थाएं अर्थात भारतीय प्राश्वर संस्थान (पीआईआई), कुन्नूर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला (बीसीजीवीएल) गिंडी ऐसी हैं जो वैक्सीन के उत्पादन में रत हैं। पीआईआई, कुन्नूर, सीआरआई, कसौली और बीसीजीवीएल, गिंडी द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा मौजूदा वर्ष के दौरान उत्पादित वैक्सीनों को वैक्सीनवार और यूनिटवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) और पल्स पोलियो कार्यक्रम के अंतर्गत निजी कंपनियों द्वारा खरीदी गई वैक्सीनों की मात्रा और उनके आकार-प्रकार का ब्यौरा तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ व्यय की गई धनराशि का वैक्सीनवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। दक्षिण अमेरीकी और अफ्रीकी

महाद्वीपों के पीत ज्वर स्थानिकमारी वाले देशों की यात्रा पर जाने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के टीकाकरण के लिए डब्ल्यूएचओ के जरिए पीत ज्वर वैक्सीनेशन का प्रापण किया जाता है। खरीदी गई पीत ज्वर वैक्सीनों की मात्रा के वर्षवार ब्यौरे और इसमें सम्मिलित लागत संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) वैक्सीनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र की इकाइयों से अग्रिम रूप से ही प्रापण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। उत्पादकों द्वारा सीधे राज्यों को गहन मॉनीटरिंग के अधीन आपूर्तियां की जाती है तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति में विलंब/राज्यों से अतिरिक्ति मांग की दशा में इसकी पूर्ति विभिन्न सरकारी चिकित्सा भंडारगृह डिपो (जीएमएसडी) में रखे बफर स्टॉक से की जाती है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की वैक्सीन उत्पादक यूनिटों के पुनरूज्जीवन संबंधी मामला भी सरकार द्वारा उठाया गया है ताकि यूआईपी के अंतर्गत डीपीटी वैक्सीनों और बीसीजी वैक्सीनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त सरकार ने दिनांक 26.04.2012 को 594 करोड़ रुपए की लागत से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड के सहायक के रूप में एकीकृत वैक्सीन कॉप्लैक्स (आईवीसी) अनुमोदित किया है। सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यूआईपी) के अंतर्गत सभी सैक्सीनें नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष के दौरान पाश्चर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (पीआईआई), कुन्नूर, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई), कसौली और बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला (बीसीजीवीएल), गिंडी में टीका-वार और इकाई-वार टीके के उत्पादन का ब्यौरा

संस्थान का नाम और उत्पादित टीका	उत्पादित टीकों की वर्षवार मात्रा			
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
पीआईआई, कुन्नूर				
डीपीटी टीका	शून्य	शन्यू	199.41 लाख खुराक	153.00 लाख खुराक
बीसीजीवीएल, गिंडी				
बीसीजी टीका	35.70 लाख खुराक	14.17 लाख खुराक	73.33 लाख खुराक	40.60 लाख खुराक#
सीआरआई, कसौली				
डिपीटी टीका	64.05 लाख खुराक	100.99 लाख खुराक	100.22 लाख खुराक	28.99 लाख खुराक
टीकी टीका	59.40 लाख खुराक	124.32 लाख खुराक	149.15 लाख खुराक	11.86 लाख खुराक
डीटी टीके	0.006 लाख खुराक	शून्य	शून्य	शून्य
पीत ज्वर के टीके (स्वदेशी)	शून्य	0.223 लाख खुराक	शून्य	शून्य
पीत ज्वर के टीके (आयातित)	शून्य	1.0 लाख खुराक	0.65 लाख खुराक	1.28 लाख खुराक**

*असंगति के कारण केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल), कसौली द्वारा बीसीजी वैक्सीन की 35.7 लाख उत्पादित खुराकें की पारित (पास) नहीं किया गया।

#बीसीजी वैक्सीन की 40.60 लाख खुराकें परीक्षणाधीन हैं।

**2.57 लाख खुराकों में से अगस्त, 2013 के पहले सप्ताह में प्राप्त पीत ज्वर टीके की पहली खेप।

विवरण II

2010-11

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विनिर्माताओं से खरीदे गए टीके

क्र.सं.	वैक्सीन्स	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	आर्डर की गई मात्रा की लागत (करोड़ रुपए)
1.	(टीटी)	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	621.62	10.63
2.	डीपीटी	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	138.45	
		बायोलो जीकल ई. लिमिटेड, हैदराबाद	900	24.73
		योग	1,038.45	
3.	टीओपीवी	भारत बायोटेक, हैदराबाद	1,146.11	41.77
4.	खसरा (मीज़ल्ज़)	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	299.4825	27.72
	खसरा टीकाकरण के दूसरे दौर के लिए मीज़ल्ज़	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	203	15.04
5.	बीसीजी	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	311.3	9.34
		ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा	13.7	0.4
6.	हेप.बी	भारत बायोटेक, हैदराबाद	231	8.43
7.	जेई वैक्सीन्स	मैसर्स एचएलएल	240.12	28.74

2011-12

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विनिर्माताओं से खरीदे गए टीके

क्र.सं.	वैक्सीन्स	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	आर्डर की गई मात्रा की लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	डीपीटी	पेनेसिया बायोटेक, दिल्ली	21.88	
		बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	495.41	28.63
		भारतीय रोग प्रतिरक्षण लिमिटेड, हैदराबाद	729.19	

1	2	3	4	5
2.	खसरा	सिरम संस्थान, पूणे	860.00	87.95
3.	(टीटी)	बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	735.00	11.93
4.	हेप. बी	बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	400.00	36.82
		भारत बायोटेक, हैदराबाद	662.12	
		योग	1,062.12	
5.	टीओपीवी	बिबकॉल, बुलंद शहर	350.00	
		बायोमेड, गाजियाबाद	350.00	
		हैफकाईन बायोफार्मासेउटिकल, मुंबई	40000	
6.	बीसीजी	ग्रीन सिग्नल बायोफार्मा	368.13	5.92
7.	जेई वैक्सीन्स	मैसर्स एचएलएल	90.88	10.78

2012-13

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विनिर्माताओं से खरीदे गए टीके

क्र.सं.	वैक्सीन्स	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	आर्डर की गई मात्रा की लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	डीपीटी	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	428.61	
		मैसर्स बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	750.00	
		योग	1,178.61	40.24
2.	खसरा (मीजल्ज)	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	1,667.98	170.58
3.	(टीटी)	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	900	
		मैसर्स बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	240	17.88
		योग	1490	
4.	हेप. बी	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण, हैदराबाद	500.00	
		एम/एस बायोलॉजिकल ई हैदराबाद	422.00	
		मैसर्स शांता बायोटेक्निक्स, हैदराबाद	200.00	
		मैसर्स भारत बायोटेक	550.00	58.29
		योग	1672	

1	2	3	4	5
5.	टीओपीवी	मैसर्स बिककॉल, बुलंदशहर	2,387.19	98.45
6.	बीसीजी	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	313.66	
		एम/एस ग्रीन सिग्नल जैव फार्मा	313.66	18.82
		योग	627.32	
7.	जेई टीका	मैसर्स एचएलएल	591.639	100.31

2013-14

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विनिर्माताओं से खरीदे गए टीके

क्र.सं.	वैक्सीन्स	कंपनी का नाम दिया गया आर्डर	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	आर्डर की गई मात्रा की लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3	4	5
1.	खसरा (मीजल्ज)	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	600.85	61.44
2.	टीओपीवी	मैसर्स बिबकॉल, बुलंदशहर	1,117,24	54.24
		मैसर्स बायोमेड, गाजियाबाद	279.31	13.56
3.	बीसीजी	मैसर्स भारतीय सीरम संस्थान	426.513	9.7
4.	डीपीटी	मैसर्स भारतीय रोग प्रतिरक्षण लिमिटेड हैदराबाद	1000	37.8%
5.	(टीटी)	मैसर्स बायोलॉजिकल ई लिमिटेड, हैदराबाद	625	12.34

2010-11

पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए बीओपीवी/टीओपीवी टीके के आर्डरों का विवरण

क्र.सं.	वैक्सीन्स (टीके)	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	कुल लागत (करोड़ रुपय)
1	2	3	4	5
1.	पल्स पोलियो के लिए बीओपीवी अप्रैल-मई 2010	भारत बायोटेक	598.00	27.7
2.	बीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए जुलाई 2010)	भारत बायोटेक	180.00	8.33

1	2	3	4	5	
3.	बीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए नवम्बर 2010)	भारत बायोटेक	224.00	10.37	
4.	टीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए फरवरी 2011)	भारत बायोटेक	1900.00	88.03	
5.	बीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए फरवरी 2011)	भारत बायोटेक	150.00	6.94	
6.	बीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए मार्च 2011)	हैफ्फकाईन	82.00	3.65	
7.	बीओपीवी (पल्स पोलियो के लिए अप्रैल-मई-जून 2011)	हैफ्फकाईन	1,045.00		46.55

2011-2012

पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए टीओपीवी/बीओपीवी टीके के लिए दिए गए आर्डरों का विवरण

क्र.सं.	वैक्सीन्स (टीके)	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	कुल लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	पल्स पोलियो के लिए बीओपीवी	भारत बायोटेक, हैदराबाद	526.00	23.65
2.	बीओपीवी 310.00 (सहिष्णुता खंड के अधीन)	भारत बायोटेक, हैदराबाद	48.75	2.19
		हैफ्फकाईन बोयोफार्मासेउटिकल	261.25	10.71
3.	बफर स्टॉक के लिए पल्स पोलियो के लिए बीओपीवी	भारत बायोटेक, हैदराबाद	190.00	8.84
4.	पल्स पोलियो के लिए टीओपीवी फरवरी 2012	भारत बायोटेक, हैदराबाद	1250.00	62.34
5.	पल्स पोलियो के	बायो मेड	150.00	7.87
	लिए टीओपीवी	हैफ्फकाईन बायोफार्मासेउटिकल	511.80	27.63
	फरवरी 2012 मार्च 12(215 मिलियन खूराक)	भारत बायोटेक, हैदराबाद	850.00	51.31
		बिबकॉल	638.2	39.88

2012-13

पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए टीओपीवी/बीओपीवी टीके के लिए दिए गए आर्डरों का विवरण

क्र.सं.	वैक्सीन्स (टीके)	कंपनी का नाम	आर्डर की गई मात्रा (लाख खुराकों में)	कुल लागत (करोड़ रुपये)
1.	बीओपीवी	मैसर्स भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद	2393.1	133.17
2.	बीओपीवी	मैसर्स हैफ्फकाईन, मुंबई	1000	5.5
3.	टीओपीवी	मैसर्स बिबकोंल, बुलंदशहर	1000+1000	115.5
		मैसर्स पैनेसिया बायोटेक	1250 700	112.61
		मैसर्स भारत बायोटेक	550	31.76
4.	बीओपीवी	मैसर्स भारत बायोटेक	1000	50
		मैसर्स पैनेसिया बायोटेक	1500	75

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान शामिल लागत सहित खरीदे गए पीत ज्वर के टीके की मात्रा

वर्ष	खुराक में मात्र	लागत रुपए में
2010-11	शून्य	शून्य
2011-12	100000	9000000/-
2012-13	65000	7620000/-
2013-14	128530*	3013350/-

*पहली खेप 3 अगस्त, 2013 को प्राप्त हुई। पीत ज्वर के टीके की 128,470 खुराक की दूसरी खेप चालू वित वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही तक निर्धारित है। मंत्रालय ने भी वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान सीआरआई, कसौली से 0.223 लाख खुराकों की खरीद की।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

***296. श्री सुदर्शन भगतः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा चलाई जा रही जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी योजना के अंतर्गत निःशुल्क पात्रता सहित इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था संसाधन केन्द्र ने अपनी हाल की रिपोर्ट में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनेक खामियां इंगित की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लक्षित लाभार्थियों में निःशुल्क पात्रताओं के बारे में जागरूकता अभी भी कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अब तक जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारत सरकार ने एनआरएचएम के संरक्षण में 01 जून, 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) शुरू

किया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव करवाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सैक्शन सहित पूर्णतया नि:शुल्क और व्यय रहित प्रसव हेतु पात्र बनाता है।

इन पात्रताओं में नि:शुल्क औषधें और उपभोज्य, सामान्य प्रसव के लिए तीन दिनों तक और सिजेरियन सैक्शन के लिए सात दिनों तक नि:शुल्क आहार, नि:शुल्क निदान और यथा-अपेक्षित नि:शुल्क रक्त शामिल है। इस पहल में घर से संस्थान तक, रेफरल की दशा में दो सुविधा-केन्द्रों के बीच और वापस घर छोड़ने के लिए नि:शुल्क परिवहन का भी प्रावधान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के लिए आने वाले रुग्ण नवजात शिशुओं के लिए ऐसी ही पात्रताएं निर्धारित की गई हैं।

इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले लाभों का अब प्रसव पूर्व और गर्भावस्था के दौरान प्रसवोत्तर जटिलताओं तथा रुग्ण नवजात शिशुओं हेतु विस्तार किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केन्द्र (एनएचएसआरसी) ने सात पूर्वोत्तर राज्यों सहित 21 राज्यों के, 24 जिलों में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र का चयन करने हेतु फील्ड दौरों के आधार पर अपनी नवीनतम तिमाही रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

* अधिकतर राज्यों में गर्भवती महिलाओं और रुग्ण नवजात शिशुओं से ओपीडी और आईपीडी के लिए कोई भी प्रयोक्ता शुल्क नहीं वसूला जा रहा है।
* स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में औषधों की सुविधाओं में अत्यंत सुधार हुआ है। तथापि, सामान सूची संबंधी प्रबंधन और अनिवार्य औषधों के प्रदर्शन संबंधी लिस्ट में सुधार की आवश्यकता है।
* नेमी जांचों के लिए नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर बेहतर है तथा वहां ये नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।
* प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों मुख्यत: उच्च फोकस वाले राज्यों में नेमी निदान की उपलब्धता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
* अस्पतालों में भर्ती कराई गई गर्भवती महिलाओं के लिए लगभग सभी राज्यों में जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर आहार संबंधी प्रावधान मौजूद हैं।
* जिला स्तर से नीचे आपातकालिक नैदानिक सुविधाओं और जिला स्तर से नीचे फर्स्ट रेफरल यूनिटों में अल्ट्रासोनोग्राफी सुविधाओं की उपलब्धता में कुछ कमियां हैं।
* रेफरल परिवहन, मुख्यत: ड्रोप बैक की उपलब्धता में कतिपय कमियां विद्यमान हैं।
* कुछ राज्यों में शिकायत निवारण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) एनएचएसआरसी की इसी रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों में जागरूकता के विभिन्न स्तरों की सूचना दी गई है।

इन पात्रताओं में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले रुग्ण नवजात शिशुओं सहित अन्य रुग्ण नवजात शिशुओं को शामिल (कवर) किया जाता है।

(घ) जेएसएसके के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

* नियमित क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय समीक्षा बैठकें।
* राज्य सरकारों के साथ पत्रों, वीडियो कांफ्रेंसिंग इत्यादि सहित विभिन्न माध्यमों के जरिए संप्रेषण।
* क्रियान्वयन की प्रगति के मॉनीटरन के लिए केन्द्रीय स्तरीय दलों द्वारा फील्ड दौरे।
* पूरे देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मॉस मीडिया उदाहरणार्थ सेटेलाइट चैनल, एफएम चैनल और डिजिटल सिनेमा थियेटरों सहित सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण (आईसी) एवं व्यावहारिक परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) के जरिए इस स्कीम को लोकप्रिय बनाना।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

***297. श्री अशोक तंवर:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पंचायती राज संस्थाओं हेतु कार्यान्वित की जा रही मौजूदा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान नामक एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत समाहित की जानेवाली पूर्व योजनाओं की संख्या कितनी है तथा इसके परिणामस्वरूप पंचायतों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई हैं?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज) के लिए इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक मात्र केन्द्रीय प्रायोजित योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) है, जिसे मार्च, 2013 में अनुमोदित किया गया। यह योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से कार्यान्वयन के अंतर्गत है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन करता है जो कि एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्कीम (एसीए) है। इसके साथ ही यह मंत्रालय मीडिया एवं प्रचार तथा कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की स्कीमें भी कार्यान्वित करता है, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं।

(ग) आरजीपीएसए का लक्ष्य देशभर की पंचायतों को सुदृढ़ बनाना है। यह योजना ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, पंचायतों की ई-सक्षमता, ग्राम पंचायत भवन, पंचायत प्रक्रियाएं इत्यादि समेत राज्यों की आवश्यकता आधारित गतिविधियों का समर्थन करती है। मंत्रालय की पहले की योजनाएं, जिन्हें वर्ष 2013-14 से आरजीपीएसए स्कीम में समाहित कर दिया गया है, वे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान (पीएमईवाईएसए), पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस), राज्यों को संसाधन समर्थन (आरएसएस) एवं ई-पंचायत। आरजीपीएसए स्कीम का विषय-क्षेत्र मंत्रालय की पिछली स्कीमों की तुलना में ज्यादा व्यापक है एवं यह पंचायतों का समग्र एवं संदर्भ विशिष्ट परिचालन को समर्थ बनाता है।

(घ) योजना आयोग ने बारहवीं योजना अवधि हेतु 11,547 करोड़ रु. का सकल बजटीय समर्थन उपलब्ध कराया है, जो कि मुख्यत: आरजीपीएसए पर व्यय किया जाना है।

[हिन्दी]

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय करार

***298. श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान समझौते किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2020 तक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न देशों के साथ आपसी सहयोग हेतु समझौते करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति की गई है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यटन में सहयोग के साथ-साथ गंतव्य विकास, प्रबंधन, संवर्धन, विपणन और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से 47 देशों के साथ द्विपक्षीय करार/समझौता-ज्ञापन (एमओयू), भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) के मध्य एक त्रिपक्षीय करार और भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के सदस्य देशों के मध्य एक बहुपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष में पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित करारों/समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

मलेशिया (एमओयू)	27.10.2010
आसियान (एमओयू)	12.01.2012
मॉरीशस (एमओयू)	21.03.2013

(ग) और (घ) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करारों/समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक सतत् प्रक्रिया है। पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण स्रोत बाजारों के साथ करारों और समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के मामले को नियमित रूप से उठाता है।

[अनुवाद]

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता

***299. श्री नामा नागेश्वर राव:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वर्तमान में क्या विनियामक ढांचा है;

(ख) क्या सरकार का विचार हमारी चिकित्सा शिक्षा की

गिरती गुणवत्ता को देखते हुए इसके लिए मानक विकसित करने में सहायक के रूप में विश्वसनीय विनियामक और संस्थागत तंत्र बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के माध्यम से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है और उनका अनुरक्षण करता है। एक सांविधिक निकाय के रूप में, एमसीआई देश में चिकित्सा शिक्षा के मानकों और चिकित्सा योग्यता की मान्यता को स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार, मौजूदा आईएमसी अधिनियम, 1956 में, इसकी कुछ कमियों को दूर करने के लिए तथा परिषद को और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के साथ-साथ जिम्मेवार बनाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करती है। अधिनियम में संशोधन 21.05.2013 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के प्रख्यापन के साथ लागू हो गया है।

आनुवांशिक विकृतियां

***300. श्री हरिन पाठक:**
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सिकल सैल अनीमिया, थैलेसीमिया, हिमोफिलिया और लाइजोमल स्टोरेज डिसआर्डर जैसी आनुवांशिक विकृतियों से ग्रस्त बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी हैं;

(ख) देश में ऐसे रोगियों को वहनीय उपचार हेतु सरकार द्वारा स्थापित की गई नैदानिक और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सुविधाओं का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त आनुवांशिक विकृतियों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा विभिन्न आनुवांशिक विकृतियों से पीड़ित बच्चों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु कोई मार्ग निर्देश और कार्ययोजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जेनेटिक विकारों से पीड़ित बच्चों से संबंधित डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) से (ङ) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते इस बीमारी का निदान और प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है।

तथापि, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) में जेनेटिक विकारों से ग्रस्त बच्चों की शीघ्र पहचान और उपचार का प्रावधान है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बाल स्वास्थ्य जांच और शीघ्र उपचारी सेवाओं के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 18 वर्ष की आयु तक बाल स्वास्थ्य जांच के अंतर्गत छात्र कोशिका रक्ताल्पता, बीटा, थैलेसीमिया जैसे रोगों और स्वास्थ्य संबंधी अन्य स्थितियां कवर होती हैं। राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधन के भीतर एनआरएचएम के अंतर्गत सहायता पर विचार करने के लिए अपनी संबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि हिमोफीलिया अथवा दात्र कोशिका (सिकल सेल) रक्ताल्पता से पीड़ित रोगियों को नि:शुल्क रक्त प्रदान किया जाए।

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली और जवाहर लाल स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुदुच्चेरी जैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों में इन रोगों के लिए निदान और उपचारात्मक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) और स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों में जीवनघातक रोगों के उपचार के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। आरएएन से प्रदान किए जाने वाले उपचार की श्रेणियों में एटी-हिमोफिलिक ग्लुब्युलिन, रक्त और रक्त उत्पाद शामिल हैं।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

3221. श्री वीरेन्द्र कश्यप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफीम की खेती और उत्पादन की अनुमति कब से दी गई है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान पोस्त की खेती तथा अफीम के उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान दवाओं/औषधियों के निर्माण के लिए अफीम की कितनी मात्रा का आयात किया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा अफीम के उत्पादन के लिए रसायनों के विस्तृत मिश्रण विनिर्दिष्ट किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पोस्त की खेती तथा अफीम के उत्पादन हेतु अनुमति देने संबंधी अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) भारत में अफीम की खेती तथा इसके उत्पादन की स्वतंत्रता के पहले से ही अनुमति दी जाती आ रही है। वर्ष 1857 का अफीम अधिनियम, जो देश में अफीम की खेती से सम्बद्ध पूर्व के कानून को समेकित करता है, के दायरे में अफीम की कानूनी खेती और उत्पादन के पहलू आते हैं पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	अनुज्ञप्ति प्राप्त कृषकों की सं.	अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र हैक्टेयर में	अफीम का उत्पादन मीट्रिक टन में*
2009-10	60787	23425	761
2010-11	53775	24541	1045
2011-12	48863	23591	794
2012-13	46821	5859	371

*70 डिग्री गाढ़ता पर

(ख) शून्य

(ग) जी हां। अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिए जाने की सामान्य शर्तों में यह विनिर्दिष्ट है कि ऐसे कृषक जो घटिया स्तर की अफीम तथा जिस अफीम की गाढ़ता 55 डिग्री से कम होती है, का उत्पादन करते हैं, अगले वर्ष लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र नहीं है। वर्ष 2012-13 फसल वर्ष के लिए अधिसूचित सामान्य शर्तों के पूर्व चेतावनी खंड के अनुसार, किसानों द्वारा उत्पादित अफीम को राजकीय अफीम एवं क्षारोद कार्यशाला, नीमच अथवा गाजीपुर द्वारा निम्नलिखित तीन आधार में से किसी एक आधार पर घटिया स्तर का घोषित किया जा सकता है:-

(i) यदि अफीम की मार्फीन की सघनता शुष्क आधार पर 9 प्रतिशत से कम हो,

(ii) यदि अफीम में राख की मात्रा 4.5 प्रतिशत से अधिक हो,

(iii) यदि अफीम में स्टार्च, चीनी, गोंद, टेनिन, मिल्क पाऊडर आदि मौजूद हो।

(घ) पोस्त की खेती करने और अफीम का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंसो प्राप्त करने की सामान्य शर्तों के अनुसार कृषकों को, केवल अधिसूचित क्षेत्रों में, वार्षिक आधार पर जारी किए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कृषकों को जारी लाइसेंसों का ब्यौरा उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

[अनुवाद]

ओडिशा में स्पोंज आयरन कारखाना

3222. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्पोंज आयरन कारखाने की स्थापना करने में मध्यस्थ के रूप में काम किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) स्पंज आयरन सहित इस्पात उद्योग विनियंत्रित क्षेत्र में होने के कारण स्पंज आयरन फैक्टरी की स्थापना के संबंध में निर्णय अलग-अलग निवेशकों द्वारा स्वयं ही लिया जाता है तथा सरकार की भूमिका सुविधा प्रदाता की होती है।

(ख) घरेलू इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जुलाई, 2007 में सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन किया है जो देश में अवसंरचना, कच्चे माल की आपूर्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य संसाधन अवरोधी से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगा, सुगम बनायेगा और समन्वय करेगा। आईएमजी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पास इस्पात क्षेत्र के लंबित मुद्दों पर चर्चा करने और उसका समाधान ढूँढने के लिए नियमित अंतराल पर बैठकें करता है।

(ग) आईएमजी की बैठकों से संबंधित उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, ओडिसा के मयूरगंज जिले में स्पंज आयरन फैक्टरी की स्थापना करने संबंधी मामला आईएमजी के समक्ष नहीं उठाया गया है।

पराचिकित्सा विज्ञान संबंधी विधान

3223. श्री नवीन जिन्दल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पराचिकित्सा विज्ञान, फिजियोथैरेपी तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वर्तमान विनियामक तथा संस्थागत रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पराचिकित्सा फिजियोथैरेपी तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी स्टेन्डर्ड प्रैक्टिस तथा शिक्षा के विकास के लिए पृथक केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में संसद में नया विधान पुर:स्थापित करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) वर्तमान में, देश में पराचिकित्सा विज्ञान, फिजियोथैरेपी तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कोई केन्द्रीय विनियामक और संस्थागत रूपरेखा नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। पराचिकित्सा, फिजियोथैरेपी तथा ओक्यूपेशनल थैरेपी में स्टेन्डर्ड प्रैक्टिस तथा शिक्षा के विकास के लिए पृथक केन्द्रीय परिषद स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रिफ्यूलिंग स्टेशन

3224. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगाती द्वीप समूह में रिफ्यूलिंग स्टेशन का प्रशासनिक प्रभार भारतीय तेल निगम (आईओसी) को सौंपा गया है तथा ये लम्बे समय से काम नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस द्वीप समूह में सामान्य विमान सेवा सुनिश्चित करने के लिए अगाती रिफ्यूलिंग स्टेशन पर शीघ्र काम शुरू कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जापान बैंक इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा वित्तपोषित वनरोपण योजनाएं

3225. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान बैंक इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तपोषित वनरोपण परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या योजना को बंद करने के कारण उनके पेड़ों को काटने तथा भांग उगाने जैसे अपने पुराने व्यवसाय की तरफ लौटने की आशंका है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, 12 जेआईसीए (जापान इंटर नेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी) जिसे पहले जेबीआईसी (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन) के नाम से जाता था कि सहायता वाली परियोजनाएं वानकी क्षेत्र में वर्तमान में चल रही हैं। इन परियोजनाओं के मुख्य घटकों में वानकीकरण जैव विविधता संरक्षण, जीविका के अवसरों में सुधार और वाटरशेड विकास आदि शामिल हैं। 12 जेआईसीए की सहायता वाली परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई बाह्य सहायता प्राप्त चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	कार्यान्वित करने वाली एजेंसी/राज्य	लागत (करोड़ रुपये में)	वित्तपोषण एजेंसी	परियोजना लक्ष्य	घटक	दर्शायी गई अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	पश्चिम बंगाल वानकी एवं विविधता संरक्षण परियोजना	18 अक्टूबर, 2011	पश्चिम बंगाल	406	जेआईसीए	संयुक्त वन प्रबंधन प्रयास के माध्यम से वृक्षारोपण पुनः उत्पादन व वन्य जीवन प्रबंधन गतिविधियों के द्वारा पारिस्थिति, एवं जैव विविधता संरक्षण में सुधार करना जिसमें संस्थागत सक्षमता विकास शामिल हैं। इस प्रकार पश्चिम बंगाल के पर्यावरण संरक्षण संयोग करना और सामाजिक आर्थिक विकास को संतुलित करना है।	(1) वनीकरण (2) जैव विविधता (3) सामुदयिक विकास (4) संस्थागत क्षमता विकास	2011-12 से 2019-20 (प्रारंभिक चरण)
2.	राजस्थान वानकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना	22 दिसंबर, 2010	राजस्थान	1152	जेआईसीए	जेएफएन पहुंच के तरीके द्वारा वानकीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण उपाय करके वनों पर निर्भर लोगों के वन क्षेत्र और जीविका अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना।	(1) वानकीरण (2) कृषि वानकी (3) जल संरक्षण ढांचे (4) जैव विविधता संरक्षण (5) समुदायों को प्रेरित करना (6) गरीबी दूर करना और जीविका में सुधार (7) क्षमता निर्माण प्रशिक्षण व अनुसंधान (8) निगरनी एवं मूल्यांकन (9) परामर्शदात्री सेवाएं	2011-12 से 2018-19 (प्रारंभिक चरण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	तमिलनाडु जैव विविधता संरक्षण व हरित परियोजना	20 सितंबर, 2010	तमिलनाडु	686	जेआईसीए	दर्ज वन क्षेत्र से बाहर पेड़ लगाकर और प्रबंधन क्षमता व पारिस्थितिक प्रणाली में सुधार लाकर जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना और इस प्रकार तमिलनाडु के पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना और सामाजिक आर्थिक विकास को संतुलित करना	(1) जैव विविधता संरक्षण (2) प्राकृतिक संसाधन आधार का बढ़ाना (3) संस्थागत क्षमता विकास (4) परामर्शदात्री सेवाएं	2011-12 से 2018-19 (प्रारंभिक चरण)
4.	सिक्किम जैव विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना	22 जनवरी, 2010	सिक्किम	330	जेआईसीए	सामुदायिक विकास के लिए परिस्थितिक पर्यटन सहित आय सृजनकारी गतिविधियों जैसे जैव विविधता संरक्षण और वानकीरण की निरंतरता को प्रोत्साहित करके वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों के लिए जीविका में सुधार लाना व वन प्रबंधन क्षमता जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों को मजबूत करना और इस प्रकार सिक्किम के पर्यावरण संरक्षण में योगदान करना व सामाजिक आर्थिक विकास को संतुलित करना।	(1) वन एवं जैव विविधता संरक्षण (2) पारिस्थितिक पर्यटन (3) संयुक्त वन प्रबंधन (4) सहयोगी गतिविधियां (5) परामर्शदात्री सेवाएं	2010-11 से 2019-20 (कार्यान्वयन चरण)
5.	उत्तर प्रदेश प्रतिभागिता वन प्रबंधन व गरीबी उन्मूलन परियोजना	6 नवंबर, 2007	उत्तर प्रदेश	575	जेआईसीए	जेएफएम वृक्षारोपण एवं सामुदायिक विकास सहित पर्याप्त वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना और उनकी जीविका में सुधार लाना व वन संसाधनों को बढ़ावा देना, क्षतिग्रस्त वनों को पुनः बहाल करना। इस प्रकार पर्यावरण को बढ़ाना और गरीबी दूर करना।	(1) वृक्षारोपण वनों को बढ़ाना आदि (2) पीएमयू/ डीएमयू/एफएमयू का संस्थागत सुदृढ़ीकरण (3) लखनऊ स्थित वन संरक्षण संस्थान का पुनर्वास करना (4) संप्रेक्षण एवं प्रकाश (5) निगरानी और मूल्यांकन (6) फिजिकल आकस्मिकता (7) परामर्शदात्री सेवाएं	2008-09 से 2015-16 (कार्यान्वयन चरण
6.	गुजरात वानकी विकास	16 नवम्बर, 2006	गुजरात	830	जेआईसीए	जेएफएम वृक्षारोपण एवं सामुदायिक विकास सहित पर्याप्त वन प्रबंधन को	(1) प्रारंभिक कार्य (2) विभागीय वन विकास और प्रबंधन	2007-08 से 2014-015 (कार्यान्वयन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	परियोजना					बढ़ावा देकर वनों पर निर्भर स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना और उनकी जीविका में सुधार लाना व वन संसाधनों को बढ़ावा, क्षतिग्रस्त वनों को पुन: बहाल करना। इस प्रकार पर्यावरण को बढ़ाना और गरीबीदूर करना।	(3) जेएफएम वन विकास एवं प्रबंधन (4) सामाजिक वानकी विकास एवं प्रबंधन (5) वन अनुसंधान (6) संप्रेषण व प्रकाशन (7) वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन (8) निगरानी व मूल्यांकन (9) चरणबद्ध कार्य (10) परामर्शदात्री सेवाएं (मूल्य एवं वास्तविकता आकस्मिकता सहित)	चरण
7.	त्रिपुरा वन पर्यावरण सुधार व गरीबी उन्मूलन परियोजना	5 दिसंबर, 2006	त्रिपुरा	460	जेआईसीए	जेएफएम के माध्यम से निरंतर वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर और पारंपरिक बदलाव वाली खेली में लगे जनजातीय परिवारों सहित ग्रामीणों के जीविका परिप्रेक्ष्य को सुधारना और नष्ट हुए वनों का सुधारना।	(1) प्रारंभिक कार्य (2) कार्यान्वयन संगठन को सुदृढ़ (3) कार्यान्वयन संगठनों के लिए प्रशिक्षण (4) झूम कृषकों के 16 समूहीकृत गांव के लिए विशेष पैकेज (5) जेएफएम सामुदायिक विकास (6) वन पुनर्वास जेएफएम के द्वारा (7) फार्म वानी विकास (8) उत्कृष्टता के लिए एनटीएफ केन्द्र (9) जैव विविधता संरक्षण (10) निगरानी एवं मूल्यांकन (11) परामर्शदात्री सेवाएं	2007-08 से 2014-15 तक (कार्यान्वयन चरण)
8.	सवान नदी एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन परियोजना	2 दिसंबर, 2005	हिमाचल	162	जेआईसीए	मिट्टी और नदी प्रबंधन, मिट्टी संरक्षण व भू रिक्लेमेशन और जीविका सुधार गतिविधियों के लिए वानकीकरण, सिविल कार्यों	(1) वानकीकरण (2) भू एवं नदी प्रबंधन के लिए सिविल कार्य (3) भू संरक्षण	2006-07 से 2013-14 (अंतिम चरण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						सहित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन गतिविधियां चलाकर हिमाचल प्रदेश राज्य की सवान नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में कृषि और वन उत्पादन को बढ़ाना व कृषि भूमि की सुरक्षा करना, वनों को पुन: जीवित करना और इस प्रकार जल ग्रहण क्षेत्र में गरीबों सहित लोगों के जीवन की स्तर को सुधारना।	एवं रिक्लेमेशन (4) जीविका में सुधार लाना (5) संस्थागत विकास	
9.	उड़ीसा वानकी क्षेत्र विकास परियोजना	26 नवंबर, 2006	उड़ीसा	660	जेआईसीए	जेएफएम वृक्षारोपण और सामुदायिक जनजातीय विकास सहित पर्याप्त वन प्रबंधन को बढ़ावा देकर क्षतिग्रस्त वनों को पुन: बढ़ाना और ग्रामीणों को आय के स्तर को सुधारना	(1) वनों की जैव विविधता का संरक्षण एवं संवर्द्धन (2) प्राकृतिक वनों की उत्पादकता को बढ़ाना (3) इन लोगों के लिए जीविका विकल्प उपलब्ध करना (वीएसएस को सहायता देना) (4) पारिस्थिति विकास एवं परिस्थिति पर्यावरण गतिविधियां (5) वाणिज्य एवं औद्योगिक मांगों को पूरा करना (6) वन विभाग की क्षमता को बढ़ाना	2006-07 से 2012-13 (अंतिम चरण)
10.	कर्नाटक संपोषित वन प्रबंधन एवं जैव विविधता संवर्द्धन परियोजना	5 नवंबर, 2004	कर्नाटक	745	जेआईसीए	कर्नाटक राज्य में संयुक्त वन योजना एवं प्रबंधन के माध्यम से वानकीकरण द्वारा परियोजना गांव के निवासियों की जीविका सुधार को सुगम करने के लिए और पारिस्थितिक पुन:स्थापन लाने के लिए वनों को पुन: बढ़ाना जो आगे क्षेत्र की गरीबी को कम करने और जैव विविधता को संरक्षण को बचाने में मदद करेंगे।	(1) वानकीकरण (2) गरीबी हटाने के लिए आय जनित क्रियाकलाप (3) जैव विविधता संरक्षण (4) क्षेत्री कार्य के लिए मूल ढांचागत सहायता का प्रावधान (5) वन प्रबंधन (भौगोलिक सूचना प्रणाली को बढ़ाना और अनुसंधान और प्रशिक्षण और परामर्श) और प्रबंधन सूचना प्रणाली	2005-06 से 2012-13 (अंतिम चरण)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	तमिलनाडु	5 अक्टूबर, 2004	तमिलनाडु	567	जेआईसीए	तमिलनाडु राज्य में संयुक्त वन योजना एवं प्रबंधन के माध्यम से वानकीकरण द्वारा परियोजना गांव के निवासियों की जीविका सुधार को सुगम करने के लिए और पारिस्थितिक पुन:स्थापना लाने के लिए वनों को पुन: बढ़ाना जो आगे क्षेत्र की गरीबी को कम करना।	(1) एकीकृत वाटरशेड विकास (2) एकीकृत जनजातीय विकास (3) वानकी विस्तार (4) शहरी वानकीरण (5) क्षमता निर्माण अनुसंधान सहायता (6) मानव संसाधन विकास (7) नई नर्सरियों की स्थापना (8) ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाना (9) प्रशासन (10) निगरानी और मूल्यांकन	2005-06 से 2012-13 (अंतिम चरण)
12.	हरियाणा में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं गरीबी घटाने की परियोजना	7 नवम्बर, 2003	हरियाणा	286	जेआईसीए	(क) पारिस्थितिक संपोषित तरीके से वन भूमि का पुनर्वास (ख) ग्रामीणों के जीवन और गांव से जुड़े वनों में गुणात्मक सुधार	(1) भू एवं जल संरक्षण (2) वृक्षारोपण मॉडल एवं नर्सरी विकास (3) गरीबी घटाना और संस्थान बनाना (4) तकनीकी सहायता (5) सहायक गतिविधियां (6) प्रशासनिक सहायता	2004-05 से 2010-11 तक परियोजना ग्रेस अवधि के अंतर्गत है (अंतिम चरण)

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजातियों के लिए निधि उपयोगिता संबंधी निगरानी तंत्र

3226. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग की निगरानी करने का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ग) जी, नहीं। विभिन्न अन्य प्रशासनिक मंत्रालयों की तरह जनजातीय कार्य मंत्रालय को योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए निधियों की उपयोगिता की निगरानी करने की आवश्यकता है जो भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली 1961 के तहत आबंटित विषयों से आती है। इन नियमों के तहत अनुसूचित जनजातियों के वित्तीय कार्य निष्पादन की निगरानी सहित उनके कल्याण के लिए क्षेत्रीय योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभाग की जिम्मेदारी है।

खानों का बंद होना

3227. श्री नारेनभाई काछादिया: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणीय स्वीकृति न मिलने के कारण भारतीय

इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड, उड़ीसा खनिज विकास कंपनी, बिसरा स्टोन एंड लाइम क्वेरी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अनेक खानें बंद पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या खानों के संबंध में स्वीकृति लेने के बारे में कोई समय-सीमा तय की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण बंद की गई सार्वजनिक क्षेत्र की खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (घ) खनिजों के खनन सहित, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006, की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए अधिसूचना के अंतर्गत सांवधिक प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है, जिसमें प्रक्रिया के लिए समय-सीमा भी निर्धारित है।

विवरण

पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने के कारण, सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की निष्क्रिय खानों की सूची

राज्य	जिला	खानों के नाम	मालिक का नाम
झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	गुआ आयरन और मैग्गनीज (झीलिंगबुरू-I)	सेल
झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	गुआ आयरन और मैग्गनीज (झीलिंगबुरू-I)	सेल
झारखंड	गढ़वा	गारगा लाइमस्टोन	सेल
झारखंड	गढ़वा	गोरेगांव	सेल
झारखंड	गढ़वा	सरईयां	सेल
ओडिशा	क्योंझर	डलकी मैगनीज	बीपीएमई
ओडिशा	क्योंझर	ताकुरानी आयरन एंड मैग्गनीज	बीपीएमई
ओडिशा	क्योंझर	बेलकुंडी आयरन एंड मैग्गनीज	ओएमडीसी
ओडिशा	क्योंझर	बागीयाबुरू एम ब्लॉक	ओएमडीसी
ओडिशा	क्योंझर	बद्रासाई आयरन एंड मैग्गनीज	ओएमडीसी

स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो
भारत प्रोसिस एंड मैकेनीकल इंजीनियर्स (ओएमडीसी का उपक्रम)
ओएमडीसी-ओडिशा मिनरल डवलेपमेंट कंपनी
सेल-स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व

3228. श्री सी.एम. चांग: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागालैंड राज्य सरकार के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 371क के अंतर्गत नागालैंड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधनों के संबंध में अपने स्वयं के नियम बनाने की शक्ति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागालैंड में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण से संबंधित मामला गृह मंत्रालय में उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित खनिजों के संबंध में नागालैंड भूमि और इसके संसाधनों के स्वामित्व तथा अंतरण के बारे में भारत के संविधान के अनुच्छेद 371क के तहत एक संकल्प नागालैंड विधान सभा में जुलाई 2010 में पारित किया गया था।

संकल्प के अनुसार खनिज तेल सहित भूमि और इसके संसाधनों के स्वामित्व और अंतरण के संबंध में नागालैंड सरकार नागालैंड राज्य के भीतर लागू करने के लिए उपयुक्त नियम बनाएगी।

संकल्प में आगे कहा गया है कि उपयोग के लिहाज से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस संसाधनों सहित खनिजों के विनियमन और विकास राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार होगा और उसका राज्य में अन्वेषण और उत्पादन के मामले पर नियंत्रण होगा।

जैसे ही यह मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जानकारी में आया, इसके संबंध में गृह मंत्रालय से बातचीत की गई थी। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि अनुच्छेद 371क नागालैंड की विधान सभा को खनिज तेल के विनियमन और विकास के लिए विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है। सूची-1 के तहत आने वाले विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। अत: नागालैंड सरकार द्वारा अधिसूचित नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम और साथ ही जुलाई 2010 में नागालैंड विधान सभा द्वारा पारित संकल्प की संवैधानिक वैधता नहीं है।

तदनुसार, मुख्यमंत्री नागालैंड से अधिसूचना को वापस लेने और नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संकल्प 2012 और साथ ही संबद्ध संकल्पों को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उनसे बातचीत की गई है।

इस्राइल से प्राकृतिक गैस का आयात

3229. श्री एस. पक्कीरप्पा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए देश के वर्तमान विदेशी स्रोत क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस्राइल से प्राकृतिक गैस का आयात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात समय-समय पर कतर, नाईजीरिया, अल्जीरिया, स्पेन, इजिप्ट, फ्रांस, यमन, ब्रुनेई, आबूधाबी, ओमान, इक्वेटोरियल गुआना, नार्वे, त्रिनिदाद, और टोबैगो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया से आवधिक अनुबंधों और तत्स्थल/अल्पकालिक आवधिक आधार पर किया जा रहा है। इसके अलावा गेल और जीएसपीसी द्वारा किए गए अनुबंधों/करारों के आधार पर यूके, रूस और तुर्कमेनिस्तान से भी एलएनजी प्राप्त की जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्राहकों को नाबार्ड का ऋण

3230. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्राहकों को सीधे ऋण देने के साथ जीवन बीमा व्यापार शुरू करने के लिए कोई योजना तैयार की है या तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ सम्बद्ध की जाने वाली एजेंसी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने का संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ग्राहक बैंकों को कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए उनके द्वारा उधार दिए जाने के प्रति पुनर्वित्त सहायता; ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण; नाबार्ड अवसंरचना विकास सहायता (एनआईडीए) के अंतर्गत प्रत्यक्ष ऋण; और संघों को ऋण सुविधा (सीएफएफ) आदि उपलब्ध कराता है।

तथापि, नाबार्ड ने जीवन बीमा कारोबार में विविधता लाने के लिए न तो कोई योजना तैयार की है और न ही इस प्रकार की योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है।

चैक बाउंस के मामले

3231. श्री पी. विश्वनाथन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चैक बाउंस से संबंधित मामलों की संख्या बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न न्यायालयों में बैंक-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चैक बाउंस के मामले में बैंकों द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में घसीटने से रोकने के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े चैक बाउंस से संबंधित मामलों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त बैंक-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। बैंक और उनके ग्राहक अदालतों में जाने के लिए कानून के अनुसार अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग करते हैं।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े चैक बाउंस के मामलों की बैंक-वार संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	247	333	417
2.	आन्ध्रा बैंक	48	129	139
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	14	13	25
4.	बैंक ऑफ इंडिया	17	23	43
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	86	79	34
6.	केनरा बैंक	54	60	32
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	161	138	215
8.	कारपोरेशन बैंक	2	9	12
9.	देना बैंक	35	69	111
10	इंडियन बैंक	20	12	10
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	46	13	34
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	181	145	148
13.	पंजाब नैशनल बैंक	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	492	476	531

1	2	3	4	5
15.	सिंडिकेट बैंक	16	18	14
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	184	247	394
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	28	142	135
18.	यूको बैंक	563	453	764
19.	विजया बैंक	92	112	127
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2363	3820	4205

एन.ए.-उपलब्ध नहीं।
स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक।

एलआईसी अभिकर्ताओं के लिए पेंशन

3232. श्री जोस के. मणि: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलआईसी का अपने अभिकर्ताओं के लिए विशेष पेंशन योजना शुरू की है/शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या पालिसीधारक लगातार अभिकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने और इसके परिणामस्वरूप अभिकर्ता के कमीशन के बराबर की राशि उनके प्रीमियम से घटाने की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि अपने एजेन्टों को उनकी उत्पादक अवधि के दौरान आधारभूत निधि के संग्रहण में सहायता देने के लिए 01 फरवरी, 2011 को एनआईसी ने निर्धारित अंशदान समूह सेवानिवृत्ति योजना (समवर्धन) आरंभ की है जिसका प्रयोग संग्रहण अवधि के पश्चात् संरचनाबद्ध तरीके से पेंशन उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। इस योजना की सदस्यता स्वैच्छिक है।

(ख) 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के वे सभी सक्रिय एजेन्ट जिनका एजेन्सी कार्यकाल कम से कम 01 वर्ष का हो और वार्षिक कमीशन 01 लाख रुपए हो, इस योजना में शामिल हो सकते हैं। एजेन्ट द्वारा न्यूनतम अंशदान 500/रुपए है और इसके बाद 500/-रुपए के गुणक के रूप में है। सदस्य एजेन्ट पेंशन के पात्र होंगे जो जमा किए जाने के समय पर आयु, अपने खाते में अंशदान केक संगहण और जमा किए जाने के समय वार्षिकी की दरों पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) इसके अलावा एलआईसी ने यह भी सूचित किया है कि उन्हें पालिसीधारकों से एजेन्टों की सेवाएं प्रदान करने और इस प्रकार एजेन्टों के लिए अलग रखे गए कमीशन की सीमा तक प्रीमियम में कटौती जैसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय निवेशक

3233. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व आर्थिक मंच की बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) विश्व आर्थिक मंच एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक उद्देश्यों को कार्यरूप देने के लिए व्यावसायिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तथा समाज के अन्य नेताओं के साथ मिलकर विश्व की स्थिति सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्लाभ फाउंडेशन के रूप में 1971 में निगमित किया गया था औरे जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। यह मंच किसी राजनीतिक, दलगत या राष्ट्रीय हितों से नहीं बंधा

है। विश्व आर्थिक मंच बैठकें आयोजित करता है और ऐसी बैठकों में प्रतिनिधियों को सीधे आमंत्रित करता है।

नालको में नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश

3234. श्री जयराम पांगी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 'नालको' को उन लोगों को जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है तथा जो विस्थापित हुए हैं उनको भू-प्रकृति के हिसाब से रोजगार देने और नियुक्ति के अपने मानदंडों में संशोधन करने का प्राधिकार देते हुए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओडिशा में नालको द्वारा विभिन्न प्रचालन स्थलों पर विस्थापित लोगों की संख्या, अर्जित भूमि इत्यादि की तुलना में ओडिशा में नालको के विभिन्न संयंत्रों/कार्यालयों में दी गई नियुक्तियों और उनके आधार का ब्यौरा क्या है;

(घ) कोरापुट और रायगढ़ जिलों के संबंध में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें नियुक्ति दी गई है, नियुक्ति लम्बित है तथा जहां पुन: सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कितनी शाखाओं में भुगतान या गैर-भुगतान के आधार पर पृथक-पृथक (नालको के परिचालन क्षेत्र में) स्थानीय लोगों की मांग पर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं। सरकार ने ऐसा कोई संशोधित दिशानिर्देश जारी नहीं किया है जिसके अनुसार उन लोगों जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई, विस्थापित लोगों की नियुक्ति तथा भू-प्रकृति के उसके मापदंडों में संशोधन करने के लिए नालको को अधिकृत किया गया हो।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना निम्नवत है:

खान एवं शोधनशाला परियोजना, दामनजोड़ी - खानों एवं शोधनशाला परियोजना के लिए 4532.83 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था। वर्ष 1984 की अनुमोदित नीति के अनुसार कोरापुट के जिला प्रशासन तथा नालको द्वारा भूमि विस्थापित व्यक्ति (एलडीपीएस) और जिन्होंने होम्सटैड सहित अपनी कोई भी भूमि गंवाई थी, के रूप में संयुक्त रूप से 600 परिवारों की पहचान की गई है। कंपनी में 598 परिवारों को नियमित रोजगार प्रदान किया गया है। कोरापुट के जिला प्रशासन को दो मामलों में नामिति उपलब्ध कराने हैं। तथापि, रिक्ति की उपलब्ध ता और व्यक्ति की उपयुक्तता के आधार पर रोजगार दिया जाता है।

प्रगालक एवं ऊर्जा परिसर, अंगुल – प्रगालक एवं ऊर्जा परिसर के लिए, 3496.23 एकड़ निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(i) अनुमोदित नीति के अनुसार, अंगुल के जिला प्रशासन और नालको द्वारा भूमि विस्थापित लोगों (एलडीपीएस) के रूप में 35 परिवारों की पहचान की गई। उनमें से 34 लोगों कको नियमित रोजगार प्रदान किया गया और एक व्यक्ति ने रोजगार के बदले में एक बार का एकमुश्त नकद मुआवजा प्राप्त किया।

(ii) प्रगालक एवं ऊर्जा परिसर, अंगुल के संबंध में, जहां एलडीपीएस की संख्या बहुत कम है वहां सुविधा का विस्तार वस्तुत: पर्याप्त रूप से प्रभावित लोगों तक किया गया, जिनके पास कंपनी द्वारा अधिग्रहण के पश्चात उनकी भूमि का दो-तिहाई भाग ही शेष रह गया। तदनुसार, 1493 की पहचान वस्तुत: पर्याप्त रूप से प्रभावित लोगों (एसएपी) के रूप में की गई, जिनके पास अधिग्रहण के पश्चात उनकी भूमि का दो-तिहाई हिस्सा अथवा दो-तिहाई से कम ही शेष था।

पहचाने गए 1493 वस्तुत: प्रभावित व्यक्तियों में से 1273 व्यक्तियों को नियमित रोजगार दिया गया है और 67 व्यक्तियों ने रोजगार के बदले में एक बार का एकमुश्त नकद मुआवजा प्राप्त किया। तथापि, रिक्ति की उपलब्धता तथा व्यक्ति की उपयुक्तता के आधार पर रोजगार दिया जाता है।

पहचान का आधार

अंगुल क्षेत्र में पुनर्वास नीति : वर्ष 1984 से उक्त नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत थीं:

(i) स्थानीय विस्थापित व्यक्ति (एलडीपी): इससे तात्पर्य किसी परिवार के किसी व्यक्ति अथवा नामिति व्यक्ति से है जिसकी कुल भूमि (होम्सटेड सहित) का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा जिसे देय नकद मुआवजे का

भुगतान कर दिया गया है और जिनकी भूमि का रिक्त कब्जा सरकार अथवा कंपनी ने अपने उद्देश्य के लिए ले लिया है।

(ii) वस्तुतः प्रभावित व्यक्तिः इससे तात्पर्य वास्तविक रूप से प्रभावित व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है जिसके पास कंपनी द्वारा अधिग्रहण के बाद 2/3 अथवा 2/3 से कम भूमि शेष बची है।

दामनजोड़ी सेक्टर में पुनर्वास नीतिः वर्ष 1984 की नीति में यह उल्लेख है कि विस्थापित व्यक्तियों को नालकों द्वारा विशेष रूप से पुनर्स्थापन हेतु बने घरों में शिफ्ट किया जाए और इस शिफ्टिंग के बाद प्रत्येक विस्थापित परिवार के शारीरिक रूप से सक्षम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखें। इसके अलावा अधिग्रहीत भूमि को पुनः सर्वेक्षण दिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रायगढ़ जिले में नालको का कोई प्रचालन नहीं चल रहा है अतः उस जिले में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हुआ।

(ङ) नालको के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं दोनों इकाइयों में उपलब्ध हैं। मांग भुगतान अथवा गैर भुगतान आधार पर प्रशिक्षण देने संबंधी कोई विशिष्ट दिशा/निर्देश/नियम उपलब्ध नहीं हैं।

तेल और गैस संपत्तियां

3235. श्री कालीकेश नारायण सिंह देवः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता को कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस के आयात में पूरा किया जाता है?

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान तेल का विपणन करने वाली विभिन्न कंपनियों द्वारा अन्य देशों में तेल और गैस की संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कुल कितना निवेश किया है;

(ग) क्या हाल ही में विदेशों में तेल और प्राकृतिक गैस की किसी बोली में सफलता मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी और अधिक संपत्तियां अधिग्रहीत करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(मिलियन मीट्रिकटन में)

वर्ष	कच्चा तेल	प्राकृतिक गैस
2010-11	163.5	9.77
2011-12	171.7	13.47
2012-13 (अनंतिम)	184.8	13.14

स्रोतः तेल कंपनियां और वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महा निदेशालय (डीजीसीआईएस) और पीपीएसी द्वारा संकलित।

(ख) से (घ) ओआईएल-आईसोसीएल, परिसंघ ने अमरीका के कोलोराडो में वेल्ड, मोरगन और एडम देशों में स्थित कारीजो ऑयल एण्ड गैस इंक, यूएसए (कारीजो)के नाइओबरारा शेल ऑयल/कंडन्सेट एस्सेट में 30% कार्य हित (ओआईएल-20% तथा आईओसीएल-10%) अर्जित किए हैं। इस अर्जन पर आईओसीएल द्वारा किया गया कुल निवेश 27.5 मिलियन अमरीकी डालर था, जिसमें 13.75 मिलियन अमरीकी डालर का अपफ्रंट भुगतान तथा 13.75 मिलियन अमरीकी डालर का कैरी ऑफ (31.03.2014 तक) शामिल है।

(ङ) देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में आईओसीएल सक्रिय रूप से विदेश में अन्वेषण और उत्पादन परिसंपत्तियों का अर्जन कर रहा है, विशेष रूप से अल्प-विकसित या तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र शामिल हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड/प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड सक्रिय रूप से विदेशों में गैर पारंपरिक परिसंपत्तियों के साथ-साथ विकास और उत्पादन परिसंपत्तियों में फार्म-इन कर रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक 100% सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिर्सोसिज लिमिटेड का पांच विदेशी मुल्कों के 14 ब्लॉकों में भागीदारी हित हैं।

चीनी मिलों से बिजली

3236. श्री राजू शेट्टीः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऐसी चीनी मिलों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिनसे इस समय खोई सह उत्पादन से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) इससे कितनी बिजली का उत्पादन किया गया तथा गत तीन वर्षों के दौरान चीनी मिलों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी आय हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) खोई से वाष्प और विद्युत का उत्पादन करने के लिए देश की सभी चीनी मिलों में कैप्टिव उपयोग के लिए सह-उत्पादन संयंत्र उपलब्ध हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) चीनी मिलों द्वारा अधिकतम सह-उत्पादन करके उत्पादित की गई अतिरिक्त विद्युत के लिए राजकोषीय और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। बायोमास विद्युत/खोई सह-उत्पादन पर योजना के अंतर्गत अभी तक 213 चीनी मिलों द्वारा विद्युत का उत्पादन और इसकी बिक्री के लिए लगभग 2332 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता के साथ खोई सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त योजना के अंतर्गत विगत 3 वर्षों के दौरान 73 चीनी मिलों द्वारा विद्युत की लगभग 1000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता संस्थापित की गई है। ऐसा अनुमान है कि सह-उत्पादन संयंत्र की प्रति मेगावाट क्षमता से प्रति वर्ष चार मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। बिजली का विक्रय मूल्य प्रति यूनिट 3.50 रुपए से लेकर 5.50 रुपए तक है, जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क-दर पर निर्भर करता है। चीनी मिलों द्वारा बिजली की बिक्री से अर्जित की गई आय के ब्यौरे एमएनआरई के द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार संस्थापित की गई खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या (खोई)	खोई सह-उत्पादन (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	22	163.05
2.	बिहार	4	43.30
3.	हरियाणा	4	31.80
4.	कर्नाटक	32	403.88
5.	महाराष्ट्र	65	580.90
6.	पंजाब	6	62.00
7.	तमिलनाडु	26	327.00
8.	उत्तर प्रदेश	53	710.50
9.	उत्तराखंड	1	10.00
	कुल	213	2332.43

[अनुवाद]

डीलरशिप नीति

3237. श्री उदय सिंह:
श्री विश्व मोहन कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के पुनर्गठन, पुनरुद्धार एवं पुनरुर्थलीकरण के संबंध में विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की नीतियां भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर एवं परिचालित की गई नीतियों के बिल्कुल अनुरूप हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ पेट्रोलियम डीलर संगठनों ने भारत सरकार द्वारा पारित उक्त नीति एवं ओएमसी द्वारा अपनायी जा रही नीतियों के बीच काफी विचलन होने का कथन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ओएमसी को अपनी नीतियों में व्याप्त विचलन को सुधारने तथा उक्त नीति में समय-समय पर किए गए सरकारी संशोधनों को शामिल करने का नोटिस जारी किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार/ओएमसी द्वारा या अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं या करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने दिनांक 17.11.2005 के पत्र संख्या पी-19011/2005-आईओसी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप और तरलीकृत पेट्रालियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप का पुनर्गठन/चालू करने/पुन: स्थल निर्धारण किया जाना शामिल है, और यह पत्र को जारी करने की तारीख से ही प्रभावी था और पत्र में निहित सभी मुद्दों पर यह पहले जारी अन्य सभी दिशा/निर्देशों/अनुदेशों का अधिक्रमण करता है। पुनर्गठन तथा पुन:स्थल निर्धारण में बाद में किए गए संशोधनों का भी पालन किया जा रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा समान रूप से इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से पुनर्गठन नीति में कथित विपथन/अनियमितताओं और उनका मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के अनुसार न होने के संबंध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथापि, ओएमसीज ने बताया है कि उनके द्वारा उक्त नीति की कोई गलत व्याख्या नहीं की गई है।

मिस्र में तेल और गैस का अन्वेषण

3238. श्री सी. शिवासामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय तेल कंपनियों के भारतीय कंसोर्टियम ने मिस्र में कुछ अपतटीय तेल अन्वेषण ब्लाकों के लिए उत्पादन भागीदारी करार (पीएससी) पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। गानोब ईआई वाडी पेट्रोलियम कंपनी (जीएएनओपीई) द्वारा नवम्बर, 2008 में लाल सागर और स्वेज की खाड़ी में स्थित दक्षिण कूसियर (ब्लॉक 3) और दक्षिण सिनाई (ब्लॉक 4)को जीएसपीसी, ओआईएल तथा एचपीसी परिसंघ को उनके द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने के बाद प्रदान किया गया था।

हालांकि लाल सागर के हिस्से, जिनमें प्रदत्त ब्लॉकों के हिस्से भी शामिल हैं, पर मिस्र और सऊदी अरब के बीच समुद्रीय सीमा विवाद के कारण रियायत करारों के हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ था। मिस्र और सऊदी अरब के बीच पुन: एक मध्यस्थ लाइन बनाकर इस मुद्दे का वर्ष 2010 में पुन: हल निकाल लिया गया था, जिसके परिणामत: दक्षिण कूसियर ब्लॉक के क्षेत्र में 1562 वर्ग कि.मी. तक की कमी करनी पड़ी।

भारतीय परिसंघ ने दक्षिण कूसियर (ब्लॉक 3) तथा दक्षिण सिनाई (ब्लॉक4) परियोजनाओं की व्यवहार्यता का पुन: आकलन किया, और सेवाओं की उच्च लागत तथा संभाव्य लागत की अत्यधिकता तथा अधिक समय लगने के कारण आर्थिक गैर-व्यवहार्यता के चलते रियायत करारों पर हस्ताक्षर न करने का निर्णय लिया है।

(ग) विदेशों में ईएण्डपी कार्यकलापों में निवेश करने का निर्णय कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है। उन मामलों को जो केवल पीएसयूज को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर होते हैं, तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के बाद सरकार को भेज दिया जाता है।

समेकित बाल संरक्षण योजना

3239. श्री अंजनकुमार एम. यादव:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर देश में किशोरों के कल्याण के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए कोई निगरानी तंत्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) कानूनी लड़ाई में उलझे तथा साथ ही साथ देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए सुरक्षित तथा विश्वसनीय पर्यावरण बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2009-10 में पूरे देश में कार्यान्वयन के लिए समेकित बाल संरक्षण स्कीम आरम्भ की। आईसीपीएस के अन्तर्गत मुख्य उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) स्कीम के कार्यान्वयन के मानीटरन के लिए आईसीपीएस ने राज्य, जिला, ब्लॉक तथा ग्रामीण स्तर पर समितियां स्थापित की हैं। इसके साथ ही स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिए मंत्रालय द्वारा आईसीपीएस के अंतर्गत गठित अंतर्मंत्रालयी परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठकों में राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों में आईसीपीएस के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है। इसके साथ ही कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा स्कीम के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्यों की जानकारी को आपस में प्रोन्नत करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न हित धारकों के साथ प्रान्तीय परामर्श आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)कार्यान्वयन स्तर–घटक और उपलब्धियां

यह स्कीम राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित की जा रही है। जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

स्कीम के अंतर्गत 26 अगस्त, 2013 तक घटक-वार मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

घटक	26 अगस्त, 2013 तक संचयी उपलब्धियां
किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी)	608 जिलों में स्थापित
बाल कल्याण समितियाँ (सीडब्ल्यूसी) की स्थापना	619 जिलों में स्थापित
राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी (एससीपीएस) की स्थापना	33 राज्यों में स्थापित
राज्य परियोजना सहायक एकल (एसपीएसयू) की स्थापना	24 राज्यों में स्थापित
राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना (एसएआरए)	26 राज्यों में स्थापित
जिला बाल संरक्षण एकक (डीसीपीयू) की स्थापना	589 जिलों में स्थापित
चाइल्ड लाइन सेवा का विस्तार	278 शहरों/जिलों में कार्यरत
खुले आश्रय गृहों की स्थापना और रख-रखाव	172 खुले आश्रय गृहों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना और रख-रखाव	1210 विभिन्न प्रकार के गृहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेन्सियों (एसएस) की स्थापना और रख-रखाव	234 एसएए को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

गहरे जल वाले गैस ब्लाकों में निवेश

3240. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने ऊर्जा क्षेत्र में विश्व की एक प्रमुख कंपनी रायल डच शैल का विचार पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी बेसिन में गहरे जल वाले गैस ब्लाकों में निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मैसर्स शैल एक्सप्लोरेशन कंपनी बी.वी. नीदरलैंड ने पूर्वी तट में आने वाले 19 गहरे समुद्री ब्लाकों के आंकड़ों की समीक्षा हेतु आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) के साथ दिनांक 8.10.2012 को एक गोपनीयता करार पर हस्ताक्षर किए थे। अब दल ने आंकड़ों की तकनीकी जांच की है और मैसर्स शैल एक्सप्लोरेशन कंपनी से आगे की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

[हिन्दी]

बैंक की धारित कंपनी की स्थापना

3241. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के लिए

वित्तीय धारित कंपनी स्थापित की है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की दीर्घकालिक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से परामर्श करते हुए वित्तीय धारिता कंपनी के गठन पर विचार कर रही है। यह मामला विधिक कार्य विभाग और विधायी विभाग के पास विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बालू का निष्कर्षण

3242. श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बालू के निष्कर्षण की मात्रा कितनी है;

(ख) बालू के निष्कर्षण में सरकारी/निजी क्षेत्र की कंपनियों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या देश में बालू का आयात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान आयात की गई बालू की मात्रा कितनी है और उन देशों और पत्तनों के नाम क्या हैं जहां से इसका आयात किया गया है; और

(ङ) देश में बालू की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है और बालू की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) रेत, निर्धारित उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त से भिन्न, चूंकि एक गौण खनिज है जिसके लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार विनियमन के समस्त अधिकार राज्य सरकारों के पास हैं। राज्य सरकारों को गौण खनिजों के खनन के लिए राज्य में रेत सहित गौण खनिजों के विनियमन के लिए गौण खनिज रियायत नियम बनाने अपेक्षित है। केंद्र सरकार इस विषय में केंद्रित रूप से कोई सूचना नहीं रखती है।

वाणिज्य विभाग के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कामर्शियल इंटेलिजेंश एंड स्टेटिस्टिक्स, कोलकाता द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान आयातित प्राकृतिक रेत की कुल मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1. प्राकृतिक रेत का आयात (देश-वार)

(टन में)

आयातित प्राकृतिक रेत							
2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल-मई)	
देश	मात्रा (टन)	देश	मात्रा (टन)	देश	मात्रा (टन)	देश	मात्रा (टन)
1	2	3	4	5	6	7	8
इजिप्ट	50178.00	इजिप्ट	98783.00	इजिप्ट	23071.34	चीन	1168.00
नेपाल	20065.26	नेपाल	21475.29	सउदी अरब	16081.67	नार्वे	554.46
यूएई	18223.20	चीन	5985.54	नेपाल	11608.30	सउदी अरब	530.21
जोर्डन	6789.30	सउदी अरब	5443.53	इटली	4413.25	जर्मनी	427.62

1	2	3	4	5	6	7	8
भूटान	3728.91	इटली	5100.40	चीन	2521.77	भूटान	320.00
इटली	3120.00	भूटान	3548.39	जर्मनी	1766.88	इजिप्ट	299.47
सउदी अरब	2937.60	थाईलैंड	3207.70	बेलजियम	1522.18	बेलजियम	245.69
चीन	2483.51	जोर्डन	1920.30	जोर्डन	1175.00	कोरिया	220.21
नार्वे	2123.92	बेलजियम	1423.49	यूएसए	1075.05	पोलैंड	210.86
पाकिस्तान	2003.00	जर्मनी	827.02	भूटान	842.00	यूएसए	171.06
बेलजियम	1052.35	यूएसए	774.75	थाईलैंड	757.00	थाईलैंड	165.74
जर्मनी	520.83	नार्वे	566.72	यूके	477.96	ताईवान	77.20
यूएसए	506.41	यूके	530.50	ताईवान	443.12	इटली	68.40
यूके	349.40	स्टोनिया	514.80	कोरिया आरपी	272.00	यूके	46.20
थाईलैंड	336.03	साउथ अफ्रीका	327.98	यूएई	212.89	यूके	46.20
आईसलैंड	290.40	नाइजीरिया	208.00	वियतनाम	155.00	सिंगापुर	22.10
स्पेन	276.60	ओमान	193.70	इंडोनेशिया	120.00	साउथ अफ्रीका	21.00
वियतनाम	251.00	यूएई	192.09	अविनिर्दिष्ट	117.35	कंबोडिया	20.00
जापान	150.22	कोरिया	154.00	हंगरी	113.00	हंगरी	12.00
रूस	125.00	सिंगापुर	132.15	नार्वे	113.00	आस्ट्रेलिया	3.48
ताईवान	115.60	पाकिस्तान	125.00	जापान	53.07	ग्रीस	1.00
सिंगापुर	102.76	स्पेन	116.78	सिंगापुर	50.20	चाह	0.45
आस्ट्रेलिया	70.50	यूक्रेन	106.27	फ्रांस	49.99	डेनमार्क	0.30
कोरिया	58.30	म्यांमार	100.00	आस्ट्रेलिया	44.54	मालवी	0.30
साउथ अफ्रीका	50.20	फ्रांस	95.51	स्पेन	34.13	यूएई	0.25
श्रीलंका	50.00	ताईवान	90.50	तुर्की	25.78	स्लोवाक	0.20
हंगरी	47.20	फिलीपींस	62.00	यूक्रेन	25.76	इंडोनेशिया	0.15
स्विट्जरलैंड	35.33	हंगरी	60.45	पाकिस्तान	21.00	स्विट्जरलैंड	0.10
ऑस्ट्रिया	21.00	नीदरलैंड	43.15	स्विट्जरलैंड	15.43	ईरान	0.05
कनाडा	21.00	कोलंबिया	35.71	इजरायल	8.72	कुल योग	4629.44
तुर्की	18.00	स्विट्जरलैंड	28.30	ब्राजील	5.25		
फ्रांस	12.20	चैक रिपब्लिक	25.00	श्रीलंका	4.01		

1	2	3	4	5	6	7	8
नीदरलैंड	5.60	बहरीन	24.00	इथोपिया	2.00		
मैक्सिको	1.50	अविनिर्दिष्ट	23.00	नीदरलैंड	1.30		
वालिस एफ इस	0.40	मोजांबिक	21.00	ओमान	1.08		
कांगो	0.20	आयरलैंड	20.00	मलेशिया	0.44		
बहरीन	0.06	जापान	9.17	पुर्तगाल	0.11		
कुल योग	116120.78	मलेशिया	4.30	कांगो	0.09		
		फ्रैंच गोयना	1.80	साइप्रस	0.08		
		आस्ट्रेलिया	1.10	कुल योग	67164.69		
		डेनमार्क	0.52				
		बहमास	0.40				
		मॉरिशस	0.23				
		कांगो	0.19				
		इजरायल	0.07				
		कुल योग	152303.79				

2. प्राकृतिक रेत का आयात (पत्तन-वार)

(टन में)

	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14 (अप्रैल-मई)
पत्तन	मात्रा	पत्तन	मात्रा	पत्तन	मात्रा	पत्तन	मात्रा
देहेज	49908.00	देहेज समुद्र	98165.00	देहेज समुद्र	21120.00	नावा शावा समुद्र	1948.50
कोलकाता समुद्र	20587.39	एलसीएस खुनवा	21475.29	एलसीएस खुनवा	11608.30	चेन्नई समुद्र	1265.23
नावा शावा समुद्र	12912.44	नावा शावा समुद्र	11796.73	कोचीन समुद्र	9336.45	आईसीडी साबरमती	356.91
एलसीएस खुनवा	10374.10	आईसीडी गढ़ीहरसरु	5156.00	चेन्नई समुद्र	5437.31	जयगांव	320.00
बरहनी	7078.16	चेन्नई समुद्र	3931.07	आईसीडी गढ़ीहरसरू	4912.50	चेय्यार सेज चेय्यार तमिलनाडु	171.85
जयगांव	3728.91	जयगांव	3548.39	कोलकाता समुद्र	3876.63	आईसीडी गढ़ीहरसरू	150.00

1	2	3	4	5	6	7	8
आईसीडी गढ़ीहरसरू	2730.00	कोचीन समुद्र	1993.20	नावा शावा समुद्र	3626.01	फाल्टा ईपीजेड	107.02
चेन्नई समुद्र	2426.11	कोलकाता समुद्र	1233.72	मुन्द्रा	1965.12	दिल्ली (आईसीडी)	76.00
बैरगनिया	1901.00	आईसीडी साबरमती	853.99	आईसीडी अंकलेश्वर	1071.67	मुन्द्रा	50.00
आईसीडी साबरमती	1523.91	दिल्ली (आईसीडी)	727.24	जयगांव	959.35	आईसीडी बैंगलौर	29.55
दिल्ली (आईसीडी)	833.83	चेय्यार सेज चेय्यार तमिलनाडु	701.37	आईसीडी साबरमती	898.00	आईसीडी कनकपुरा	25.00
भीमनगर	712.00	तूतीकोरन समुद्र	590.94	चेय्यार सेज चेय्यार तमिलनाडु	821.25	कोलकाता समुद्र	24.00
सुजलोंन एपी इन्फ्रा सेज कोयम्बतूर	300.00	सुजलॉन एपी इन्फ्रा सेज कोयम्बटूर	394.00	फाल्टा ईपीजेड	444.59	विशाखापट्नम समुद्र	22.00
मुन्द्रा	257.00	मुन्द्रा	393.00	दिल्ली (आईसीडी)	239.10	सीपज	22.00
चेन्नई एयर	239.94	एपीक मल्टी प्रोड सीज विभाग डीसी	392.00	एपीक मल्टी प्रोड. सेज विभाग डीसी	232.00	कोचीन समुद्र	20.00
एपीक सेज विशाखापट्नम	194.87	फाल्टा ईपीजेड	302.55	विशाखापट्नम समुद्र	182.00	सीएफएस अलबट्रोस/ आईसी दादरी	20.00
आईसीडी बैंगलोर	82.06	एपीक सेज विशाखापट्नम	196.00	आईसीडी बैंगलोर	89.35	सीएफएस प्रतापगंज	10.95
विशाखापट्नम समुद्र	73.37	सीपज	128.63	मुम्बई एयर	70.59	सीएफएस मुलुंड	3.15
सीपज	51.00	विशाखापटनम समुद्र	94.00	न्यू मैंगलौर समुद्र	49.20	बैंगलोर एयरपोर्ट	2.64
तूतीकोरन समुद्र	50.00	कांडला समुद्र	67.50	सीएफएस प्रतापगंज	48.71	एपीक मल्टी प्रोड. सेज विभाग डीसी	2.20
मुम्बई समुद्र	28.00	आईसीडी बैंगलोर	61.90	सीएफएस अलबट्रोस/आईसी डी दादरी	40.00	हैदराबाद एयरपोर्ट	0.80
आईसीडी नागपुर	25.20	चेन्नई एयर	39.57	सीपज	34.40	मुम्बई एयर	0.65

1	2	3	4	5	6	7	8
अर्शियशया इंटल, एफटीडब्ल्यूजेड सेज रायगढ़	23.00	मुम्बई एयर	23.38	तूतीकोरन समुद्र	28.00	चेन्नई एयर	0.55
मुम्बई एयर	19.25	मुम्बई एयर	20.74	मुम्बई समुद्र	26.35	दिल्ली एयर	0.45
सेज नोएडा	16.00	आईसीडी लुधियाना	4.40	दिल्ली एयर	20.72	कुल	4629.44
आईसीडी लुधियाना	14.00	पीपायाब (विक्योर)	4.00	आईसीडी कनकपुरा	10.50		
दिल्ली एयर	10.04	दिल्ली एयर	3.22	चेन्नई एयर	7.08		
कोचीन समुद्र	10.00	बैंगलोर एयरपोर्ट	2.46	सेज कोचीन	5.00		
अहमदाबाद एयर कार्गो काम्पलेक्स	4.75	सीएफएस प्रतापगंज	2.04	बैंगलोर एयरपोर्ट	3.03		
बैंगलोर एयरपोर्ट	3.65	सेज कांडला	1.00	हैदराबाद एयरपोर्ट	1.28		
हैदराबाद एयरपोर्ट	1.44	हैदराबाद एयरपोर्ट	0.27	कोलकाता एयर	0.21		
सीएफएस प्रतापगंज	1.38	अहमदाबाद एयर कार्गो काम्पलेक्स	0.20	कुल	67164.69		
कुल	116120.78	आईसीडी जयपुर	0.01				
		जयपुर ए.सी.	0.01				
		कुल	152303.79				

स्रोत: डीसीजीआई एवं एस, कोलकाता

ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पवन ऊर्जा उत्पादन

3243. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड का विचार विदेश में पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनायें शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) आयल इंडिया लि. (ओआईएल) की विदेशों में पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं का विस्तार करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पंचायतों का वर्गीकरण

3244. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायतों की आवश्यकताओं का कतिपय श्रेणियों में वर्गीकरण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त वर्गीकरण किस सीमा तक पंचायतों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सहायक है?

जनजातीय कार्यमंत्री तथा पंचायत राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जी नहीं। इस मंत्रालय ने पंचायतों की आवश्यकताओं का वर्गीकरण नहीं किया है। तथापि, राजीव गांधी

सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) जिसका लक्ष्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ग्रामीण पंचायत स्तर पर प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता, चयनित, प्रतिनिधियों एवं पंचायत कर्मियों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, ग्राम पंचायत भवनों का निर्माणा, प्रशिक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, पंचायतों की ई-सक्षमता तथा पंचायत प्रक्रिया हेतु सहायता जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता है।

[हिन्दी]

विदेशी कंपनियों द्वारा कर अपवंचन

3245. श्री ए.टी. नाना पाटील:
श्री गोपीनाथ मुंडे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों ने कथित रूप से कई बिलियन डॉलर विदेश भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे उल्लंघित हुए कानूनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कंपनियों के विरुद्ध सरकार ने अभी तक क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) और (ख) भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों द्वारा विदेश भेजे गए डालरों के संबंध में ऐसे आकड़ों का सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, भारत से बाहर लाभों को शिफ्ट करने और भारतीय कर आधार के परिणामी क्षरण को रोकने के मद्देनजर, किए गए चुनिंदा अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहारों का प्रत्येक वर्ष आय-कर अधिनियम 1961 के अध्याय X में समाहित अन्तरण मूल्य निर्धारण उपबन्धों के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। विगत तीन वर्षों में किए गए अन्तरण मूल्य निर्धारिण समायोजनों की कुल प्रमात्रा निम्नलिखित है।

वित्त वर्ष	समायोजन राशि (करोड़ रुपए में)
2010-11	23,237
2011-12	44,531
2012-13	70,016

(ग) और (घ) कर परिहार संबंधी विशेष उपबन्ध को समाहित करने वाले अध्याय X को आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम 2001 के तहत शामिल किया गया था। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92(1) में विहित है कि अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहार से आय को आर्म्सलेन्थ सिद्धान्त के आधार पर संगणित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों की आय पर आय कर अधिनियम 1961 के वर्तमान उपलबन्धों और विभिन्न दोहरे कराधान परिहार करारों के अनुसार कर लगाया जाता है। इस संबंध में आयकर अधिनियम की कुछ संगत धाराएं धारा 9,44 बीबी, 44 बीबीए 44 बीबीबी, 44 डीए 115 ए इत्यादि हैं।

[अनुवाद]

पर्यटन क्षेत्र में आनेवाले अवरोध

3246. श्री रवनीत सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना, पंजाब की तुलना में देश में पर्यटन संबंधी क्षमता अवरोधी और अपर्याप्त नीतियों से संबंधित मुद्दों का समाधान कर पाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे किस प्रकार से किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) से (ग) जी, हां। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और पर्यटन उद्योग के स्टेकहोल्डरों के परामर्श से पंजाब सहित देश में पर्यटन के विकास और संवर्धन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान केक लिए तैयार है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के हिस्से को वर्तमान 0.64% से बढ़ार कम से कम 1% करने और पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 2.5 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है।

पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, देश में पर्यटन के विकास से संबंधित अंतर-मंत्रालयी मामलों के समाधान के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसीटीएस) का गठन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

[हिन्दी]

बीमा कंपनियों की शाखाएं

3247. श्री महेश्वर हजारी:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री हर्ष वर्धन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक कार्यरत सरकारी/निजी बीमा कंपनियों का शाखा-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा अर्जित किए गए प्रीमियम का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी बीमा कंपनियों के एजेंटों और उनको भुगतान किए गए कमीशन का ब्यौरा क्या हैं;

(घ) क्या हाल ही में कम कारोबार के कारण कुछ बीमा कंपनियों द्वारा शाखाओं को बंद किए जाने की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य के वित्त पर विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे का प्रभाव

3248. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को विद्युत वितरण कंपनियों को हुए घाटों से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ने की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या उपाय किए गए अथवा किए जाने प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के लिए राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स)/राज्यों के विद्युत विभागों के व्यावसायिक लाभ/हानि का, जैसा कि संलग्न विवरण-I पर है, उस सीमा तक राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, जिस सीमा तक राज्य सरकारों द्वारा जिम्मेदारी ली गई है। वित्त लेखाओं और बजट प्राक्कलनों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार राज्यों ने वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में प्रमुख राजकोषीय संकेतकों में कुल मिलाकर सुधार दर्शाया है और राज्यों से यह अपेक्षा है कि वे, इन तीन वर्षों के लिए तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) के क्रमश: 0.2 प्रतिशत, 0.2 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत के राजस्व घाटे (आरडी) के अनुमानों से आगे 2011-12 में 0.30 प्रतिशत, 2012-13 में 0.26 प्रतिशत और 2013-14 में 0.49 प्रतिशत का राजस्व अधिशेष बनाम जीएसडीपी अनुपात प्राप्त कर लेंगे। इसके साथ-साथ, समग्र आधार पर, राज्यों का ऋण बनाम जीडीपी अनुपात भी इन तीन वर्षों के लिए क्रमश: 26.1 प्रतिशत, 25.5 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 2011-12 में 23.6 प्रतिशत, 2012-13 में 22.8 प्रतिशत और 2013-14 में 20.9 प्रतिशत पर है और इस प्रकार तेरहवें वित्त आयोग के अनुमानों से आगे है। राजस्व घाटा/राजस्व अधिशेष और ऋण एवं जीएसडीपी के बीच अनुपात क्रमश: संलग्न विवरण II और III पर हैं। राज्यों के पास 31.03.2012, 31.03.2013 और 24.08.2013 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 119630 करोड़ रुपए, 145735 करोड़ रुपए और 122575 करोड़ रुपए की कुल नकद धनराशि के रूप में अच्छा अर्थशेष भी विद्यमान है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 2012 में राज्यों के स्वामित्व वाली विद्युत विवरण कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन हेतु एक स्कीम अधिसूचित की गई है, ताकि स्कीम की रूपरेखा के अनुसार प्रतिभागी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक निष्पादन और दीर्घकालिक साध्यता में सुधार लाते हुए उनका कायापलट किया जा सके।

विवरण I

राज्य विद्युत डिसकॉम्स का व्यावसायिक लाभ/हानि

(करोड़ रुपए)

	राज्य	2011-12 (अनंतिम)	2012-13 (संशोधित प्राक्कलन)	2013-14 (वार्षिक योजना)
	1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	−8090.99	−8352.70	−843.03
2.	असम	−573.38	−586.85	−621.42
3.	बिहार	−3521.14	−2763.61	−2630.61
4.	छत्तीसगढ़	−1621.42	−1062.60	−1598.97
5.	गुजरात	−927.65	−1051.68	−1038.51
6.	हरियाणा	−13564.39	−8524.86	−9548.99
7.	हिमाचल प्रदेश	−656.35	−731.60	−488.90
8.	जम्मू और कश्मीर	−3037.47	−2293.08	−2125.80
9.	झारखंड	−1612.86	−1851.71	−3792.60
11.	कर्नाटक	−1971.69	−720.11	−222.19
12.	केरल	−1693.45	−3323.68	−2517.95
13.	मध्य प्रदेश	−6143.65	−6163.95	−5113.90
14.	महाराष्ट्र	−15.70	1043.05	1147.00
15.	मेघालय	185.00	185.08	157.34
17.	पंजाब	−4775.93	−6005.63	−7532.60
18.	राजस्थान	−13264.28	−14763.80	−11663.09
19.	तमिलनाडु	−16389.70	−13770.72	−9603−54
20.	उत्तर प्रदेश	−16066.30	−14193.94	−12436.88
21.	उत्तराखंड	−573.88	−730.47	−973.58
22.	पश्चिम बंगाल	102.62	104.75	177.74
	जोड़ एसपीयू	−94212.61	−85558.12	−71270.47

1	2	3	4
II. विद्युत विभाग (ईडी)			
1.	अरुणाचल प्रदेश	−263.79	−234.70	−244.77
2.	गोवा	−143.09	−59.84	72.57
3.	मणिपुर	−307.50	−308.54	−360.62
4.	मिजोरम	−125.93	−118.42	−116.63
5.	नागालैंड	−201.33	−220.56	−223.24
6.	पुदुचेरी	−164.26	−161.16	−88.77
7.	सिक्किम	−8.89	−11.58	−11.46
8.	त्रिपुरा	−196.75	−191.98	−53.00
	जोड़ ईडी	−1411.55	−1306.78	−1025.93
	जोड़−अखिल भारत	−95624.15	−86864.90	−72296.40

विवरण II

राजस्व घाटे और जीएसडीपी के बीच अनुपात

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	राज्य	13 वें वित्त आयोग के लक्ष्य			राज्यों के वित्त लेखों और बजट प्राक्कलनों के अनुसार		
		2011−12	2012−13	2013−14	2011−12	2012−13 संशोधित प्राक्कलन	2013−14 बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	6	7	8
सामान्य श्रेणी के राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	−0.53	−0.23	−0.12
2.	बिहार	0	0	0	−2.28	−0.29	−2.17
3.	छत्तीसगढ़	0	0	0	−2.53	−1.32	−1.42
4.	गोवा	0	0	0	0.37	0.83	0.42
5.	गुजरात	0	0	0	−0.59	−0.58	−0.59
6.	हरियाणा	0	0	0	0.54	0.94	0.60

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	झारखंड	0	0	0	−1.03	−3.02	−1.85
8.	कर्नाटक	0	0	0	−1.08	−0.18	−0.10
9.	केरल	1.4	0.9	0.5	2.70	0.94	0.55
10.	मध्य प्रदेश	0	0	0	−3.72	−1.91	−1.33
11.	महाराष्ट्र	0	0	0	0.19	−0.002	−0.011
12.	ओडिशा	0	0	0	−2.75	−1.25	−0.73
13.	पंजाब	1.8	1.2	0.6	2.67	1.74	0.57
14.	राजस्थान	0	0	0	−1.06	−0.20	−.0.22
15.	तमिलनाडु	0	0	0	−0.23	−0.07	−0.08
16.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	−1.10	−0.76	−1.15
17.	पश्चिम बंगाल	1.6	1.1	0.5	3.39	2.22	0.49
	जोड़ (सामान्य श्रेणी)	0.3	0.2	0.1	−0.18	−0.06	−0.30
विशेष श्रेणी के राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	−11.97	−20.38	−28.68
2.	असम	0	0	0	−0.81	−0.68	−2.16
3.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	−1.17	−1.08	−0.07
4.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	−3.32	−7.20	−6.68
5.	मणिपुर	0	0	0	−6.07	−16.81	−14.68
6.	मेघालय	0	0	0	1.16	−5.36	−6.33
7.	मिजोरम	0	0	0	−1.88	−7.97	−4.49
8.	नागालैण्ड	0	0	0	−5.85	−5.46	−8.06
9.	सिक्किम	0	0	0	−10.49	−17.21	−9.74
10.	त्रिपुरा	0	0	0	−9.84	−8.61	−5.88
11.	उत्तराखंड	0	0	0	−0.92	−1.25	−0.75
	जोड़ (विशेष श्रेणी)	0	0	0	−2.30	−3.69	−3.79
	जोड़ (जीएसडीपी पर सभी राज्य)	0.2	0.2	0.1	−0.30	−0.26	−0.49

टिप्पणी: ''−'' (ऋण) चिह्न राजस्व अधिशेष दर्शाता है।

विवरण III

जीएसडीपी और बकाया देयताओं के बीच अनूपात (प्रतिशत में)

(प्द च्मतबमदज)

क्र.सं.	राज्य	13 वें वित्त आयोग के लक्ष्य			राज्यों के वित्त लेखों और बजट प्राक्कलनों के अनुसार		
		2011-12	2012-13	2013-14	2011-12	2012-13 संशोधित प्राक्कलन	2013-14 बजट प्राक्कलन
1	2	3	4	5	7	8	9
	सामान्य श्रेणी के राज्य						
1.	आंध्र प्रदेश	29.6	28.9	28.2	25.2	23.1	22.3
2.	बिहार	46.4	44.4	43.0	32.1	28.6	24.4
3.	छत्तीसगढ़	22.5	23.0	23.5	13.4	12.3	12.9
4.	गोवा	31.9	30.8	29.9	28.7	22.7	23.8
5.	गुजरात	28.8	28.1	27.6	27.7	25.1	24.6
6.	हरियाणा	22.6	22.7	22.8	20.0	18.6	17.8
7.	झारखंड	28.5	27.8	27.3	22.2	25.0	23.1
8.	कर्नाटक	26	25.7	25.4	23.7	21.9	21.8
9.	केरल	32.3	31.7	30.7	31.3	29.1	28.6
10.	मध्य प्रदेश	37.6	36.8	36	30.7	26.7	23.9
11.	महाराष्ट्र	26.1	25.8	25.5	20.9	18.2	16.4
12.	ओडिशा	30.6	30.2	29.8	20.9	18.9	17.4
13.	पंजाब	41.8	41	39.8	32.6	33.9	33.1
14.	राजस्थान	39.3	38.3	37.3	33.7	31.3	28.7
15.	तमिलनाडु	24.5	24.8	25	21.9	21.2	21.0
16.	उत्तर प्रदेश	46.9	45.1	43.4	38.1	35.5	31.6
28.	पश्चिम बंगाल	39.1	37.7	35.9	40.9	37.7	34.8
	जोड़ (सामान्य श्रेणी)	31.9	31.2	30.3	27.5	25.3	23.7

1	2	3	4	5	7	8	9
विशेष श्रेणी के राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	58.2	55.2	52.5	44.7	42.3	36.4
2.	असम	28.3	28.4	28.4	27.4	27.6	27.9
3.	हिमाचल प्रदेश	47	44.4	42.1	51.4	43.6	36.8
4.	जम्मू और कश्मीर	55.1	53.6	51.6	57.2	66.7	53.6
5.	मणिपुर	62.9	60.1	57	59.9	58.3	52.1
6	मेघालय	32.7	32.3	32	32.8	31.3	32.1
7.	मिजोरम	85.7	82.9	79.2	66.9	68.7	63.4
8.	नागालैंड	55.8	54.9	53.5	55.6	55.6	51.1
9.	सिक्किम	65.2	62.1	58.8	60.5	40.1	29.9
10.	त्रिपुरा	44.9	44.6	44.2	40.5	36.6	31.2
11.	उत्तराखंड	41.1	40.0	38.5	30.2	27.3	22.2
	जोड़ (विशेष श्रेणी)	41.7	40.7	39.3	40.3	38.6	34.2
	जोड़ (जीएसडीपी पर सभी राज्य)	32.5	31.7	31	28.2	26.1	24.3
	जीडीपी पर सभी राज्य	26.1	25.5	24.8	23.6	22.8	20.9

[हिन्दी]

ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट

3249. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि कंपनियों में लैंगिक समानता संबंधी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2012 के अनुसार हमारा देश 105वें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिला कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं की उनके कार्यस्थल पर रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। वर्ल्ड एकोनामिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2012 के अनुसार वैश्विक लैंगिक अन्तर सूची में कुल 135 देशों में से भारत 105वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता तथा राजनैतिक सशक्तीकरण को संकेतक माना गया है।

(ग) से (ङ) घरेलू कामगार संगठित और गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए आन्तरिक और स्थानीय शिकायत समिति के रूप में समाधान तंत्र कार्य करता है तथा यह नियोक्ताओं पर नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम करने तथा इस मुद्दे पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व भी डालता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि

3250. श्री के. सुगुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विद्यमान बीमा प्रीमियमों विशेषकर स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि किए जाने के लिए बीमा कंपनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) इरडा को उत्पाद दर्ज करते समय बीमा कंपनियों को प्रीमियम चार्ट दर्ज करना अपेक्षित होता है। तदनन्तर बीमा कंपनियों द्वारा प्रीमियम में कोई बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी प्रस्तावित करते समय भी यह दर्ज करना आवश्यक होता है। किसी उत्पाद की प्रीमियम दर में बढ़ोत्तरी की आवश्यकता, मुख्यतया दावों के अनुभव के आलोक में, पड़ती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमाकर्ता दावों के भुगतान हेतु सक्षम हो तथा व्यवहार्य हो प्रीमियम बढ़ोत्तरी आवश्यक हो जाती है। बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियमन, 2013 के विनियमन 7(ग), जो यह विनिर्धारित करता है कि "फाइल एण्ड यूज प्रक्रिया (इरडा की) के अंतर्गत मंजूर (क्लीयर) किए गए उत्पाद के बाद तीन वर्षों की अवधि तक दर्ज प्रीमियम सामान्यतया परिवर्तित नहीं की जाएगी। तदुपरान्त अनुभव के आधार पर बीमाकर्ता प्रीमियम दरों को बदल सकता है, ऐसी दर प्राधिकरण की मंजूरी (क्लीयरेंस) की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि तक नहीं बदली जाएगी, के अंतर्गत मूल्य में परिवर्तन अनुमत है।

[हिन्दी]

बाल विकास सेवाएं

3251. श्रीमती कमला देवी पटले: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से बाल विकास सेवाओं के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान कई जिलों को शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे जिलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन जिलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र और नक्सलवाद प्रभावित जिले भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त राज्य के सभी जिलों में ऐसी योजनाओं के एक समान कार्यान्वयन के संबंध में कोई आकलन किया है अथवा कोई सर्वेक्षण करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा पूरे राज्य में बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (च) केन्द्र सरकार को वर्ष 2013-14 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों में सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

परिपोषणात्मक, संरक्षणात्मक एवं बालोनुकूल वातावरण में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का समग्र विकास यानी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए आईसीडीएस स्कीम में बदलाव की दृष्टि से, सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम को मिशनमोड में रखा गया है। सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम सभी जिलों में तीन वर्षों में निम्नानुसार शुरू की जाएगी:

(क) पहले वर्ष (2012-13) में अत्यधिक कुपोषण वाले 200 जिलों में;

(ख) दूसरे वर्ष (2013-14) (अर्थात् 1.4.2013 से) विशेष श्रेणी के राज्यों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के जिलों सहित अतिरिक्त 200 जिलों में;

(ग) तीसरे वर्ष (2014-15) में (अर्थात् 1.4.2014 से) शेष जिलों में।

पुनर्गठित एवं सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस स्कीम के पहले चरण अर्थात् वर्ष 2012-13 में शुभारंभ के लिए नौ जिलों अर्थात्, बस्तर, दांतेवाड़ा, दुर्ग, जशपुर, कांकेर, कावरधा, कोरबा, महासमुन्द एवं रायपुर को शामिल किया गया है।

[अनुवाद]

जनजातीय विकास हेतु निधियां

3252. श्री रामसिहं राठवा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उपयोजना तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए निधि आवंटन को इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग या उपयोग नहीं किए जाने को ध्यान में रखते हुए कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमों के समन्वय हेतु नोडल मंत्रालय है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत मंत्रालय का परिव्यय 22,457 करोड़ रु. हैं जो 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंतर्गत 13,975.72 करोड़ रु. के आबंटन (बीई) की अपेक्षा उच्चतर हैं। तथापि, वार्षिक योजना 2012-13 के लिए जब मंत्रालय ने व्यय मानदंडों को पूरा किया था तो 4,090 करोड़ रु. के बजट अनुमान को संशोधित अनुमान (आरई)स्तर पर घटाकर 3,010 करोड़ रु. कर दिया गया था क्योंकि अव्ययित शेष कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के पास थे।

(ग) कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से इस मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त की गई निधियों के संबंध में समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

पंचायती राज संबंधी विशेषज्ञ समिति

3253. ई.जी. सुगावनम: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संबंधी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने के संबंध में दक्षता में सुधार लाने और विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) जी हां,

(ख) पंचायती राज की विशेषज्ञ समिति ने केन्द्रीय मंत्रालयों से संबंधित, मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं को उपयुक्त भूमिका एवं जिम्मेवारी सौंपने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के दिशानिर्देशों की समीक्षा के संबंध में सिफारिशें की है। इस समिति ने राज्य, सरकारों के लिए मुख्य रूप से, अधिकारों के अंतरण यथा पंचायती राज संस्थाओं की निधियों, कार्य तथा कार्मिकों (3एफज), सामाजिक अंकेक्षण और ग्राम सभा बैठकों का नियमित रूप से आयोजन आदि की भी सिफारिश की है।

(ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को केन्द्रीय मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है एवं इस पर चर्चा की गई है।

सी.जी.एच.एस. स्वास्थ्य केंद्र

3254. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सभी केंद्रीय स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) स्वास्थ्य केंद्र एक्स-रे मशीनों से लैस हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि तक कार्य कर रही ऐसी मशीनों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में कार्य कर रहे रेडियोग्राफर्स के बीच ग्रेड वेतन की विषमता के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रेडियोग्राफर्स के बीच ऐसी विषमता को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) एक्स-रे मशीन निम्नलिखित शहरों में कुछ औषधालयों/पॉलीक्लीनिकों/प्राथमिक उपचार केन्द्रों में स्थापित किए गए हैं:-

शहर का नाम	मशीनों की कुल संख्या	कार्य कर रही मशीनों की संख्या
बैंगलुरू	1	1
चैन्नई	2	1
जयपुर	1	0
हैदराबाद	1	1
मुंबई	1	1
कोलकाता	1	0
दिल्ली	4	2
कुल	11	6

(घ) से (च) हाल ही में एच.एस., दिल्ली में कार्य कर रहे रेडियोग्राफस के बीच ग्रेड बेतन का विषमता के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है तथा पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। चूंकि मामले में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श की आवश्यकता है, इसलिए मामले के निपटान हेतु कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

पेट्रोल पंपों के स्थलों को बदलना

3255. श्री विश्व मोहन कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निगम/सरकार की 2002 की तत्कालीन विद्यमान नीति के अनुसार पेट्रोल पम्प के पुन:स्थल चयन हेतु भारतीय रेल निगम (आई.ओ.सी.) द्वारा स्थल के आवंटन के किसी मामले को निपटाया गया था और इस पर निर्णय लिया गया था तथा किसी सरकार/हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के स्थल पर खुदरा बिक्री केन्द्र प्रतिष्ठापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल निगमों के पास लंबित पेट्रोल पम्पों के पुन: स्थल चयन/आंशिक स्थल चयन के पहले से अनुमोदित मामलों हेतु उपयुक्त स्थल के आवंटन के मामलों के नाम तथा स्टेशन-वार संख्या कितनी है;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में तेल निगमों को हुडा/हरियाणा सरकार की एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित किए पेट्रोल पम्प स्थलों का शहर और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे लंबित मामलों को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। मंत्रालय की सलाह के अनुसरण में कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार उचित कार्रवाई कर सकती है, मैसर्स कृषि केन्द्र, दादूपुर, जिला यमुना नगर (हरियाणा) के पुन:स्थल निर्धारण का कार्य आईओसीएल द्वारा किया गया था।

(ग) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बताया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)द्वारा दिनांक 28.05.2013 को गुडगांव के सैक्टर-23 के सामने सैक्टर-1 में उपयुक्त भूमि का आबंटन करने के बाद मौजूदा एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप राजमार्ग (मथुरा-भरतपुर रोड) पर स्थित रसूलपुर को राष्ट्रीय राधानी क्षेत्र (एनसीआर) स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने बताया है कि खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप के पुन: स्थल परिवर्तन का कोई मामला लंबित नहीं है।

(घ) हुडा/हरियाणा सरकार की एजेंसियों द्वारा एनसीआर में आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल को निम्नलिखित स्थल प्रस्तावित/आबंटित किए गए हैं:

आईओसीएल

शहर	स्थल
1	2
गुड़गांव	सैक्टर-52ए, सैक्टर-33, सैक्टर-44, सैक्टर-16, सैक्टर-39, सैक्टर-54, सैक्टर-23 के सामने सैक्टर-1
पानीपत	सैक्टर-18
पानीपत	सैक्टर-40
फरीदाबाद	सैक्टर-44-47

1	2
सोनीपत	सैक्टर-3
बीपीसीएल	
गुड़गांव	सैक्टर-22, सैक्टर-30, सैक्टर-34, सैक्टर-38, सैक्टर-44, सैक्टर-47, सैक्टर-26ए, सैक्टर-53
फरीदाबाद	सैक्टर-14, सैक्टर-58, सैक्टर-3 और 4, वल्लभगढ़
रोहतक	पुरानी दिल्ली बस अड्डा, गोहाना बस अड्डा, साम्पला सैक्टर-2
सोनीपत	सैक्टर-14, सैक्टर-7 और 8
करनाल	सैक्टर-9
पानीपत	सैक्टर-25
एचपीसीएल	
पंचकूला	पंचकूला
कुरूक्षेत्र	पीपली

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने डीलरशिपों के पुनर्गठन/पुनः स्थल परिवर्तन/पुनः चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राष्ट्रीय जनजातीय नीति

3256. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाणः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों का समाधान करने वाली प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातियों से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए क्या अन्य उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और जनजातियों के उत्थान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, नहीं। प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निहित जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए नीति निरूपण के लिए समय-सीमा निर्धारित करना कठिन है।

(घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। ऐसी योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

इन समुदायों के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के संबंध में नीति, आयोजना, निगरानी, मूल्यांकन इत्यादि तथा उनका समन्वय भी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने संबंधित क्षेत्र में नोडल मंत्रालय या विभाग है।

विवरण

जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/कार्यक्रम

(1) रोजगार-सह-आय सृजनकारी गतिविधियों के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहाता।

(2) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने तथा प्रशासन के स्तर के उत्थान के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान 1 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के एक भाग का उपयोग कक्षा 6 से 12 तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों (लड़कियों तथा लड़कों दोनों) को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु "एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों" को स्थापित करने के लिए किया जाता है।

(3) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति (एसटी)की लड़कियों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की योजना।

(4) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना।

(5) जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना।

(6) जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण। जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजनाएं स्व-रोजगार या रोजगारोन्मुखी योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों को समान रूप से लाभान्वित करना है।

(7) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति।

(8) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति।

(9) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा का उन्नयन।

(10) अनुसूचित जनजातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति।

(11) अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना।

(12) अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा।

(13) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (जिसके तहत अस्पतालों, सचल औषधालयों इत्यादि के अलावा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एनजीओ द्वारा आवासीय, गैर-आवासीय विद्यालयों, कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कताई, बुनाई और हथकरघा केन्द्रों को चलाया जाता है।

यह मंत्रालय अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को भी कार्यान्वित कर रहा है जिसमें वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों में वन भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता तथा इन्हें प्रदान करने का प्रावधान है।

खनिज क्षेत्र की क्षमता

3257. श्री एंटो एंटोनी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'भारतीय खनिज क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना' शीर्षक से एक रणनीति पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी विषय-वस्तु क्या है;

(ग) क्या इस पत्र में रोजगार सृजन और खननक्षेत्र के माध्यम से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाने के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने "भारतीय खनन क्षेत्र की संभावना का पता लगाया जाना" नामक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक योजना दस्तावेज तैयार किया है। कार्यनीति पेपर को राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 के मद्देनजर तैयार किया गया है। खनिज विकास का प्रमुख संसाधन होने के कारण उसके निष्कर्षण तथा प्रबंधन को देश के आर्थिक विकास की संपूर्ण कार्यनीति में एकीकृत किया जाना है। खनिजों का दोहन दूरगामी राष्ट्रीय लक्ष्य तथा परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होगा।

(ग) से (ङ) कार्यनीति पेपर में यह उल्लेख है कि खनन क्षेत्र में, जीडीपी में 945 से 1125 हजार करोड़ रु. योगदान देने की क्षमता है तथा यह क्षेत्र 2025 तक प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष योगदान द्वारा 13 से 15 मिलियन रोजगार प्रदान करेगा। इसको हासिल करने हेतु कार्यनीति पेपर ने छः मुख्य प्राथमिकताओं की पहचान की है जिसमें गवेषण तथा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण द्वारा संसाधन तथा आरक्षित भंडार में इजाफा करना; परमिट देने में होनेवाली देरी को घटाना; मुख्य अनुकूलनों (अवसंरचना, मानव पूंजी, प्रोद्यौगिकी) की व्यवस्था करना; सतत खनन तथा खनन के आस-पास सतत विकास सुनिश्चित करना; सूचना, शिक्षा तथा संचार योजना तैयार करना; तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय करना; शामिल है। इस संबंध में सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार कार्य की पहल की गई है।

शोधन क्षमता में वृद्धि

3258. श्री सुरेश कुमार शेटकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) का विचार अपनी शोधन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि हाल ही में 3 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता की एक नई अतिरिक्त क्रूड/वैक्यूम डिस्टीलेशन इकाई की स्थापना करके रिफाइनरी की क्षमता को बढ़ाया गया है और अब कुल शोधन क्षमता 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गई है। शोधन क्षमता में और अधिक वृद्धि करना बढ़ाई गई क्षमता के प्रचालन की स्थिरता पर निर्भर करता है।

हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन

3259. श्री आधि शंकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन को अवसंरचना का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दर्जे से अपस्ट्रीम तेल कंपनियों को वित्त तक आसान पहुंच और परियोजनाओं के लिए बेहतर ऋण अवधि प्राप्त

करने तथा कर-मुक्त बांड जारी करने की पात्रता हासिल करने में भी मदद मिलेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) 'तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन' को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुआ है। उस मंत्रालय से कुछ अतिरिक्त ब्यौरा मांगा गया है।

(ग) और (घ) उप-क्षेत्रों को अवसंरचना का दर्जा दिया दिया जाता है और इसके अंतर्गत पात्र कंपनियों को उनकी वित्तीय स्थिति के आधार पर लाभ उपलब्ध हैं।

चुनिंदा पीएसयू को उनकी वित्तीय स्थिति के आकलन, अवसंरचना निवेश के लिए उनकी जरूरतों और उनके ऋण चुकाने की योग्यता के आधार पर मुक्त बांड की अनुमति प्रदान की गई है। अवसंरचना का दर्जा देने के परिणामस्वरूप वे स्वचालित रूप से कर मुक्त बांड के पात्र नहीं होंगे।

सीजीएचएस में डाटा एंट्री ऑपरेटर

3260. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) औषधालयों में सुचारू कार्यकरण हेतु चिकित्सकों तथा रोगियों की सहायता करने के लिए अनियत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्त किया गया/काम पर लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जोनल कार्यालयों को छोड़कर सभी सीजीएचएस औषधालयों से इन डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं वापस ले ली हैं या बंद कर दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सीजीएचएस औषधालयों में अनियत डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं बंद करने के कारण लाभार्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा हटाये गये अनियत डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पुनर्वास/कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) फिलहाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो सी जीएचएस औषधालयों में अवर श्रेणी लिपिक (एलडीसी) के रिक्त पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी सेवाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा समावेशन के माध्यम से आडटसोर्स की जाती हैं।

नाबार्ड द्वारा डेयरी उद्यमशीलता

3261. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के द्वारा डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना शुरू की है/करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों सहित कमजोर वर्गों को संवितरित ऋण की राशि महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी हां। 2013-14 के दौरान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। नाबार्ड द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (30.06.2013 तक) के लिए डीईडीएस के तहत एससी/एसटी को सम्मिलित करते हुए सब्सिडी के निर्गमन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों को सब्सिडी संबंधी सूचना नाबार्ड द्वारा नहीं रखी जाती है।

विवरण

वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (30.06.2013) तक के लिए डीईडीएस के तहत राज्य-वार सब्सिडी का निर्गमन

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2010-11 के दौरान		जिसमें से 2010-11 के दौरान एससी/एसटी		2011-12 के दौरान		जिसमें से 2011-12 के दौरान एससी/एसटी		2012-13 के दौरान		जिसमें से 2012-13 के दौरान एससी/एसटी		2013-14 के दौरान		जिसमें से 2013-14 के दौरान एससी/एसटी	
		इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि	इकाइयां	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	1	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	आंध्र प्रदेश	105	12089300	32	5064300	6788	149425900	892	22333982	6002	151937762	2652	72212212	30133	772444238	1221	42709640
3.	बिहार					60	5648550	30	968400	1658	53013710	190	7921510	2596	90689890	17	2720300
4.	छत्तीसगढ़					61	2882800	12	451600	127	7358400	18	853000	149	15740500	8	1158000
5.	गोवा					0	0	0	0	0	0	0	0	1	429000	0	0
6.	गुजरात	195	7812000	4	600000	740	42974570	28	2963855	4274	129801183	81	8139673	2442	113419125	54	5211971
7.	हरियाणा					150	8744500	61	2592500	883	38415300	477	18175900	2008	103414600	113	4097500
8.	हिमाचल प्रदेश	396	20562000	109	4716800	2079	109313020	759	40874200	1128	62724180	523	29689430	1574	83603552	367	17764670
9.	जम्मू और कश्मीर	514	19681000	253	10848400	2097	82438800	996	41458700	1832	74621400	989	39210550	595	25621940	153	7758760
10.	झारखंड					16	1175000	0	0	61	3519450	2	231000	10	1030975	0	0
11.	कर्नाटक	2	245000			1387	36229200	192	7440600	1689	45857500	258	12983000	6339	254829100	547	22742600
12.	केरल					494	20089050	19	577800	1543	50962677	42	1614343	3030	90313383	12	375313
13.	मध्य प्रदेश	52	3452200	1	66700	605	43507990	38	2972890	384	29557560	22	1424340	854	71630790	46	5715960
14.	महाराष्ट्र	51	2377700			3193	163130700	199	14403370	4642	183161100	164	10439700	911	42329900	46	2588100
15.	ओडिशा					148	3109910	111	2417360	927	24300500	289	8654200	3307	92730400	452	14800200
16.	पंजाब					355	33280220	97	5809220	704	58582250	158	8109000	1467	113085900	45	3278600
17.	राजस्थान	61	5020500	7	739800	1725	124487730	322	27925790	2708	158773750	561	37632510	3713	207901090	143	12550740
18.	तमिलनाडु	267	4607300	62	1089500	2602	44336700	678	13287110	2437	47710690	1336	27051770	10751	177046480	859	16126610
19.	उत्तर प्रदेश	27	1292700	1	37300	1085	64671925	147	6229176	1077	68429205	178	10741367	1115	66250189	13	667732
20.	उत्तरांचल	139	7166700	12	566200	1918	86183980	400	19847515	933	46534310	223	11302410	1669	87880490	91	4151500
21.	पश्चिम बंगाल					261	11293497	80	4097457	297	9891655	0	0	0	0	0	0
	कुल (क)	1809	84306400	481	23729000	25765	1033049042	5061	216651525	33306	1245152582	8163	306385915	72664	2410391542	4187	164418196
पूर्वोत्तर राज्य																	
1.	अरूणाचल प्रदेश					6	683300	3	300000	3	499950	3	499950	0	0	0	0
2.	असम	153	10470200	8	866800	1385	102114500	212	20833640	1317	106069550	234	25641300	76	6387800	17	1599100
3.	मणिपुर					16	2000000	1	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	मेघालय	1	83300	1	83300	8	758090	1	83300	9	416350	9	416350	0	0	0	0
5.	मिजोरम	1	100000	1	100000	9	1219100	9	1219100	28	3784200	26	3602850	18	2154560	18	2154560
6.	नागालैंड					0	0	0	0	12	371660	10	316806	0	0	0	0
7.	सिक्किम	14	1958000	5	833000	2	382220	0	0	4	500000	0	0	0	0	0	0
8.	त्रिपुरा					128	3475616	31	831866	65	1594700	10	433988	0	0	0	0
	कुल (ख)	169	12611500	15	1883100	1554	110632826	257	23392906	1438	113236410	292	30911244	94	8542360	35	3753660
	कुल (क + ख)	1978	96917900	496	25612100	27319	1143681868	5318	240044431	34744	1358388992	8455	337297159	72758	2418933902	4222	168171856

स्रोत-नाबार्ड

बीमा दलालों को बैंक लाइसेंस

3262. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीमा दलालों के रूप में बैंकों को लाइसेंस दिए जाने के लिए विनियमों को अधिसूचित किया है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों को अपने ग्राहकों को जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कवर देने को प्राधिकृत किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि इसने 19 जुलाई, 2013 को बीमा विनियामक प्राधिकरण (बीमा ब्रोकरों के रूप में बैंकों को लाइसेंस देना) विनियम, 2013 को अधिसूचित किया है।

(ग) इसके अलावा इरडा ने सूचित किया है कि रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची सहित यह विनियम अनुसूचित बैंकों को प्राधिकरण से बीमा ब्रोकर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस मिलने के पश्चात् अपने ग्राहकों को जीवन और गैर-जीवन बीमा कवर प्रदान करने की अनुमति देता है।

(घ) और (ङ) उक्त विनियम यह अधिदेश देते हैं कि बीमा ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन देने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

[हिन्दी]

एकल बच्चा

3263. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एकल बच्चा रखने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बच्चे वाले परिवारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए कोई भी स्कीम कार्यान्वित/प्रस्तावित नहीं की है।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पहले ही विभिन्न स्कीमें चला रहा है।

[अनुवाद]

तेल का आयात

3264. श्री आर. थामराईसेलवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) का 2013-14 के दौरान कच्चे तेल के आयात में कमी लाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने भी फारस के खाड़ी देशों से तेल की आपूर्ति में कमी लाने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आयात घाटे को ईराक से आयात करके पूरा किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (क) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एन.सी.डब्ल्यू. द्वारा आयोजित कार्यशाला

3265. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) द्वारा आयोजित की गई कार्यशालाओं का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यशालाओं पर खर्च की गई राशि का कार्यशाला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में महिलाओं के कल्याण में ये कार्यशालाएं किस प्रकार तथा किसी सीमा तक सफल रही हैं/सहमत हुई हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा आयोजित कार्यशालाओं और इन पर हुए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन कार्यशालाओं के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग लोगों में महिलाओं के मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने में सफल रहा है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाएं/विचार गोष्ठियाँ और उन पर हुए कार्याशाला वार व्यय

(धनराशि लाख रुपये)

क्र.सं.	कार्यशाला/विचार गोष्ठी का नाम	राज्य	व्यय की गई धनराशि
1	2	3	4
वर्ष 2010-11			
1.	पीसीपीएनडीटी और घटते लिंगानुपात पर उदयपुर में दिनांक 10 अप्रैल, 2010 को आयोजित विचार गोष्ठी	राजस्थान (उदयपुर)	8,18,440/-
2.	राज्य महिला आयोग के सदस्य सचिवों और अध्यक्षों के साथ दिनांक 5-6 जुलाई, 2010 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श बैठकें	नई दिल्ली	11,42,009/-
3.	लखनऊ में गैर सरकारी संगठनों/पंचायती राज संस्थाओं के विधिक अधिकारों और भूमिका के संबंध में महिलाओं को सामाजिक न्याय की उपलब्धता पर दिनांक 20 जुलाई, 2010 को आयोजित कार्यशाला	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	3,55,850/-
4.	विवाह विच्छेद के आधार रूप में विवाह पर मुंबई में दिनांक 2 अगस्त, 2010 को आयोजित विचार गोष्ठी	महाराष्ट्र (मुम्बाई)	9,29,111/-
5.	विवाह की उपयुक्त आयु पर त्रिवेंद्रम में दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 को आयोजित विचार गोष्ठी	केरल (त्रिवेंद्रम)	13,85,000/-
6.	पुदुचेरी में विवाह की उपयुक्त आयु पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2010 को आयोजित विचार गोष्ठी	पुदुचेरी	
7.	महिलाओं के प्रति अपराध पर अगरतला में सितंबर, 2010 में आयोजित कार्यशाला	त्रिपुरा (अगरतला)	2,50,000/-
8.	बालिकाओं के विवाह की उपयुक्त आयु पर 21 जनवरी, 2011 को आयोजित संगोष्ठी	पश्चिम बंगाल	3,61,401/-

1	2	3	4
9.	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से प्रवासी भारतीयों के विवाहों से संबंधित मुद्दों पर विज्ञान भवन में दिनांक 15 फरवरी, 2011 को आयोजित राष्ट्रीय विचार गोष्ठी	नई दिल्ली	9,74,920/-
वर्ष 2011-12			
1.	रशियन कल्चरल सेंटर में कल के विश्व में महिलाएं विषय पर दिनांक 7 अप्रैल, 2011 की आयोजित विचार गोष्ठी	नई दिल्ली	4,21,706/-
2.	असम राज्य महिला आयोग के सहयोग से महिलाओं के दुर्व्यवहार पर गुवाहाटी में 15 जुलाई, 2011 को आयोजित क्षेत्र स्तरीय सम्मेलन	असम	5,00,000/-
3.	आरके एचआईवी एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर के सहयोग से बाल विवाह पर मुंबई में दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को आयोजित विचार गोष्ठी	महाराष्ट्र (मुंबई)	3,00,000/-
4.	बालिकाओं की विवाह योग्य उपयुक्त आयु पर 4 अप्रैल, 2011 को आयोजित विचार गोष्ठी	मेघालय (शिलोंग)	6,00,000/-
5.	भारत में मानव दुर्व्यापार का निवारण और इससे निपटने के लिए विचार गोष्ठी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रूप से नवंबर, 2011 में दिल्ली में आयोजित की गई	दिल्ली	1,90,763/-
6.	पीडब्ल्यूडीवीए अधिनियम, 2005 के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम पर जनवरी, 2012 में दिल्ली में आयोजित परामर्श	दिल्ली	8,36,340/-
7.	महिलाओं से जुड़ी चिंताओं से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में दिनांक 5.08.2011 को आयोजित विचार गोष्ठी	आंध्र प्रदेश	1,00,000/-
8.	अपराध की पीड़ित महिलाओं को क्षतिपूर्ति पर मुम्बई में दिनांक 28.08.2011 को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श	महाराष्ट्र (मुम्बई)	2,98,500/-
9.	महिलाओं के सरोकारों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए रणनीति बनाने पर पुणे, महाराष्ट्र में दिनांक 6.9.2001 को आयोजित विचार गोष्ठी	महाराष्ट्र (पुणे)	1,00,000/-
10.	महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा पर मेघालय के गारो हिल्स, वेस्ट गारो हिल्स जिले में सितम्बर, 2011 में आयोजित विचार गोष्ठी	मेघालय	3,00,000/- (1,00,000/- प्रत्येक विचार, गोष्ठी)
11.	महिलाओं के विधिक अधिकारों और सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता पर जयन्ती हिल्स, मेघालय में सितंबर, 2011 में आयोजित विचार गोष्ठी	मेघालय	1,00,000/-
12.	महिला अनुकूल कानूनों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए हिमायत पर दिनांक 31.10.2011 को भुवनेश्वर में आयोजित विचार गोष्ठी	भुवनेश्वर	1,00,000/-
13.	महिलाओं के प्रति हिंसा पर अगरतला, त्रिपुरा में दिनांक 22.8.2013 को आयोजित क्षेत्रीय विचार गोष्ठी	त्रिपुरा	5,00,000/-

1	2	3	4
वर्ष 2012-13			
1.	'सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों के लिए गरीबी कम करने के रूप में महिला सशक्तीकरण एक यंत्र पर शिलोंग में दिनांक 16.11.2012 को आयोजित क्षेत्रीय परामर्श	मेघालय (शिलॉग)	8,20,000/-
2.	बलात्कार और मानव दुर्व्यापार पर दिनांक 01.02.2013 को आयोजित सम्मेलन	मिजोरम	5,00,000/-
3.	महिलाओं के प्रति हिंसा विशेष रूप से बलात्कार/यौन हमलों के मामलों में सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर मध्य प्रदेश भोपाल में 4 फरवरी, 2013 को आयोजित विचार गोष्ठी	मध्य प्रदेश (भोपाल)	4,00,000/-
4.	महिला अधिकारों के प्रति घरेलू पारिवारिक हिंसा पर रोहतक, हरियाणा में दिनांक 26 और 27 अगस्त को आयोजित राष्ट्रीय परामर्श	हरियाणा	4,00,000/-
5.	पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों में सुधार करने के लिए रणनीतियों की समीक्षा करने हेतु 20 दिसंबर 2012 को इंडिया हेबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श	नई दिल्ली	6,94,832/-
6.	एमटीपी अधिनियम, 1971 की समीक्षा पर 9 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित परामर्श	नई दिल्ली	71,003/-
7.	महिलाओं के प्रति हिंसा पर युवा और विद्यार्थी संगठनों से पुरुष राजनीतिज्ञों को आलप्त करने पर दिनाक 28 जनवरी, 2013 केनई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परामर्श	नई दिल्ली	4,90,000/-
8.	महिलाओं के प्रति हिंसा विशेष रूप से बलात्कार/यौन हमलों के मामलों में सेवा प्रदाताओं के लिए दिशानिर्देश जारी करने पर मध्य प्रदेश भोपाल में 4 फरवरी, 2013 को आयोजित विचार गोष्ठी	मध्य प्रदेश	4,00,000/-
9.	दिनांक 19-20 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय अन्तर राज्य महिला आयोग वार्ता	नई दिल्ली	8,42,168/-
10.	महिलाओं के प्रति हिंसा विशेष रूप से बलात्कार/यौन हमले के मामलों में सेवा प्रदाताओं को दिशा-निर्देश जारी करने पर 18 मार्च, 2013 को रोहतक, हरियाणा में विचार गोष्ठी	हरियाणा	4,15,808/-
वर्ष 2013-14 (दिनांक 26 अगस्त, 2013 की स्थिति के अनुसार)			
1.	दलित महिलाएं: उनके अधिकारों और चुनौतियों के लिए आवाज पर दिनांक 16 मई, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन	नई दिल्ली	5,70/080/-

ग्रामीण बैंक

3266. श्री ए. साई प्रताप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में राष्ट्रीय स्तर के ग्रामीण बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बैंको को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

के.सी.सी. सीमा में बढ़ोतरी

3267. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक करने के लिए जनप्रतिनिधियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। 28 जनवरी, 2013 का संदर्भ भी हरिभाऊ जावले, माननीय सांसद से प्राप्त हुआ था जिसमें ब्याज सहायता योजना के तहत अल्पावधि फसल ऋण की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने की मांग की गई थी।

बैंकों द्वारा अल्पावधि फसल, ऋणों के लिए 3 लाख रुपए से ऊपर के उधार की मात्रा नगण्य है। इसके अतिरिक्त, देश में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिन्हें ब्याज सहायता योजना के तहत पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है अत: ब्याज सहायता योजना के तहत अल्पावधि फसल ऋणों के लिए 3 लाख रुपए की सीमा पर्याप्त है।

मेडिकल सीटों हेतु कोटा

3268. श्री महाबल मिश्रा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम सी आई) द्वारा देश में केन्द्र और राज्य कोटा के अन्तर्गत एमबीबीएस और पी जी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेडिकल सीटों के आरक्षण के संबंध में निर्धारित नीति/मानकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय सहित देश में कतिपय कॉलेजों में विभिन्न मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कोटा नीति के उल्लंघन के कुछ मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार/एमसीआई द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) अखिल भारतीय कोटा और केन्द्रीय सरकार के संस्थानों के तहत पूर्वस्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के लिए निम्नलिखित आरक्षण कोटा निर्धारित है:

(i) अनुसूचित जातियां-15%

(ii) अनुसूचित जनजातियां-7.5%

(iii) अन्य पिछड़ा वर्गों-27%(केवल केन्द्रीय सरकार के संस्थानों/विश्वविद्यालयों में) आरक्षण का लाभ केवल केन्द्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ो वर्गों को ही दिया जाएगा तथा अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण का कार्यान्वयन अनारक्षित श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों में बिना किसी परिवर्तन के होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) के विनियमों के यह प्रावधान है कि स्नातककोत्तर और पूर्वस्नातक दोनों के लिए वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 30% सीटों को 50% से 70% के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर्स विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा और यदि ऐसे अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कोटा रिक्त रहता है तो ऐसी रिक्त सीटों को 40% से 50% के बीच निचले अंगों की लोकोमोटर्स विकलांगता वाले अभ्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय और गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारा इस मंत्रालय को ऐसे किसी विशेष मामले की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल उत्पादन का लक्ष्य

3269. श्री बलीराम जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑयल लिमिटेड (ओ.आई.एल.) असम में तेल उत्पादन के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है और उसे वित्तीय वर्ष 2012-13 में वित्तीय घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में ओ.आई.एल/सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने वर्ष 2012-13 के दौरान 3.661 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) कच्चे तेल का उत्पादन किया था जबकि लक्ष्य 3.95 एमएमटी का था।

ओआईएल ने वर्ष 2012-13 के दौरान असम राज्य में विभिन्न प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप (नामत: बंद, नाकाबंदी, फ्लो लाइनों, तथा कूप शीर्षों पर बदमाशी-पूर्ण कृत्यों, स्थानीय मांगों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय बाधाएं, कच्चे तेल की आवाजाही को रोकने, फ्लो लाइनों को बिछाने के कार्य को रोकने और भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाइयों और प्रतिबंधितथ संस्थापनाओं में जबरदस्ती प्रवेश आदि) के कारण लगभग 0.200 एमएमटी कच्चे तेल उत्पादन का अनुमानित नुकसान हुआ है।

ओआईएल के परिपक्व क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्पादन की दैनिक दर में गिरता हुआ अनुपात दर्ज किया गया है जिसका मुख्य कारण योजना वेधन और वर्क-ओवर कार्यक्रमों को निष्पादन करने में क्षेत्रीय प्राचालनों में बार-बार होनेवाले व्यवधानों और रिजर्वायर अनुरक्षण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है जिसमें भारी मात्रा में जल कटाव हुआ, कूपों को बंद करने, सतही और उप सतही कूपों की जटिलताओं के कारण उनका पुनरूद्धार लंबे समय तक किया जाना आवश्यक है।

कच्चे तेल उत्पादन की उपरोक्त मात्रा के लिए कंपनी के करोपरांत लाभ (पीएटी) पर लगभग 175 करोड़ रुपए का तदनुरूपी वित्तीय प्रभाव परिकलित किया गया है।

(ग) बार-बार होनेवाले बंदों और नाकाबंदियों के कारण क्षेत्रीय प्रचालनों में आनेवाली कठिन स्थितियों को जिला प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ क्षेत्रीय स्तर पर नियमित वार्ताओं के साथ-साथ निपटाया जाता है।

इसके अतिरिक्त समीक्षा बैठकें की जाती हैं और निम्नलिखित के दिशा-निर्देश/सलाह के अनुसार कार्रवाईयां की जाती हैं:-

* डीजीपी, असम की अध्यक्षता में अभितटीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक तिमाही आधार पर।
* संबंधित जिलों के उपायुक्तों (डीसीज) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सुरक्षा समन्वय समिति बैठक।
* आईबी अधिकारियों, सरकारी विशेषज्ञ समिति और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त सिफारिश।

ओ.एन.जी.सी. की कछार परियोजना

3270. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री य**ह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कछार परियोजना में तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) और ठेका मजदूरों के मध्य विवाद से अवगत है;

(ख) क्या औद्योगिक अधिकरण, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने ठेका मजदूरों के पक्ष में अपना निर्णय दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ओ.एन.जी.सी. ने न्यायालयों के निर्णयों की अनुपालना की है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। यह सच है कि ओएनजीसी ठेका कामगार यूनियन, सिलचर ने औद्योगिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी में चल रहे 1990 के मुकदमा संख्या 6(क) के तहत 290 कामगारों के लिए औद्योगिक विवाद को उठाया था। औद्योगिक न्यायाधिकरण (आईटी) द्वारा दिए गए दिनांक 11.07.1994 के निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया कि 'चूंकि कामगार 1987 से लगातार सेवा में हैं और उनके पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है अत: वे ओएनजीसी के आकस्मिक कर्मचारी संबंधी प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड (2) के अनुसार संबंधित पदों पर नियमित किए जाने के हकदार हैं।'

ओएनजीसी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 8.9.1998 के आदेश द्वारा केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण (सीजीआईटी) के निर्णय को रद्द कर दिया।

यूनियन ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की जिसने अपने दिनांक 24.12.1999 के आदेश द्वारा सीजीआईटी के निर्णय को बहाल कर दिया।

ओएनजीसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की। एसएलपी के लंबित रहने के कारण ओएनजीसी ने निर्णय के तहत दिए जाने वाले लाभों के स्थान पर 'गुडविल पैकेज स्कीम' (जीपीएस) की पेशकश की जिसे 176 कामगारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सीजीआईटी के निर्णय को बरकरार रखते हुए दिनांक 16.5.2008 को ओएनजीसी की विशेष अनुमति याचिका को रद्द कर दिया था।

ओएनजीसी ने निम्न प्रकार से न्यायालयों के निर्णयों की अनुपालना की है:

(i) 176 कामगारों ने जीपीएस को स्वीकार कर लिया। तथापि, ओएनजीसी की एसएलपी को रद्द किए जाने पर यह कामगार जीसीआईटी के निर्णय के तहत मिलने वाले लाभ भी चाहते थे और उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में आई.ए. संख्या 8/2008 दायर कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए कि "कुछ आवेदकों ने स्वैच्छिक रूप से सेवा छोड़ने का विकल्प चुना है और 'गोल्डन पैकेज स्कीम' को स्वीकार कर लिया है और इसके लिए उन्होंने शपथ पत्र भी दाखिल किए हैं अत: आगे कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित नहीं हैं", अपने दिनांक 15.3.2011 के आदेश द्वारा उनकी दलील को रद्द कर दिया।

(ii) ओएनजीसी द्वारा उन 109 कामगारों, जिन्होंने जीपीएस का विकल्प नहीं चुना, को औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए दिनांक 11.7.1994 के निर्णय के तहत ओएनजीसी के आकस्मिक कर्मचारियों के प्रमाणित स्थायी आदेश के खंड (2) के तहत दिनांक 20.9.2008 के ओ.ओ. संख्या सीएफबी/एचआर/कंटींजेंट/2008 के द्वारा आकस्मिक कामगारों के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।

(iii) पांच कामगार अनुपस्थित बने रहे।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पीएसयू द्वारा शेयरों की बिक्री

3271. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां निजी क्षेत्र को अपने शेयर बेच रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने 1 फरवरी, 2013 को बिक्री व्यवस्था के लिए प्रस्ताव के माध्यम से ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) में सरकार की 78.43% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का विनिवेश कर दिया है।

सरकार ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) में सरकार की 80.4% शेयरधारिता और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल) में सरकार की 78.92% शेयरधारिता में से 10% प्रदत्त इक्विटी पूंजी का भी विनिवेश करने का निर्णय लिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश, सरकार की विनिवेश नीति के अनुसार किया जाता है, जिसमें कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण को अपने पास बनाए रखने की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

एफ.आर.ए. का उल्लंघन

3272. श्री सुल्तान अहमद: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोयला खनन के कारण वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.) का उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में देश में जनजातीय समुदाय से, विशेषकर मध्य प्रदेश से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अधिनियम के लापरवाहीपूर्ण कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में जंगलों का बहुत बड़ा भाग काटा जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि यह कृष्य भूमि हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या 11-9/98 एफसी(खण्ड) दिनांक 30.07.2009 द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉकों के आवटन के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वानकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के दिशांतरण हेतु अप्रतिबंधित प्रस्ताव को तैयार करते समय प्राप्त शिकायतों के ब्यौरे और इस पर की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जबकि मंत्रालय ने राज्य सरकारों से उच्च स्तर पर इसके गैर कार्यान्वयन के बारे में कहा है और सिंगरौली जिले में महान कोल ब्लॉक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के ज्यादा उल्लंघन की ओर ध्यान आकर्षित किया है किन्तु मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन का बेपरवाही से उल्लंघन किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप बहुत से वनों को काटा गया है और देश में कृषि योग्य भूमि के रूप में इसका दावा किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	शिकायत के ब्यौरे	आरोप/शिकायत की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	श्री लक्ष्मी चौहान, सचिव से दिनांक 05.06.2013 का पत्र, इंडीपेंडेंट ऑर्गनाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट, प्लाट नं. 06, राजश्री काम्प्लेक्स, पंजाब नेशनल बैंक के बगल में, मेन रोड कोसाबाडी-कोरवा, जिला कोरवा (छत्तीसगढ़)	वन अधिकार अधिनियम, 2006 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुपालन के संबंध में दिनांक 30.07.2009 के पत्र पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रावधानों के उल्लंघन में बीएएलसीओ को मिस्टर राठी स्टील एण्ड पॉवर और दुर्गापुर-II/तराईमार को केसला नार्थ केरटीव कोल ब्लॉक को एल्लेजिंग आवंटन	मंत्रालय ने 23.08.2013 को छत्तीसगढ़ सरकार को इस पत्र की प्रतिलिपियां आवश्यक कार्य वायी के लिए भेजी थीं और इस मंत्रालय को सूचित करते हुए शिकायतकर्ता को उपयुक्त उत्तर करने के लिए कहा है।
2.	लोक सभा सचिवालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ब्रांच संबंधी स्थायी समिति) द्वारा भेजे गये ग्रीन पीस एंवायरमेंट ट्रस्ट, 60 वेल्लिंगटन स्ट्रीट, रिचमांड टाउन, बंगलोर-560025	पर्यावरण और वन मंत्रालय के दिनांक 03.08.2009 के परिपत्र के तहत अपेक्षित वन अधिकार अधिनियम, 2006 के ग्रामों के वन अधिकारों की मान्यता के बिना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में महान कोल ब्लॉक के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानकी प्रयोग के लिए वन भूमि के दिशांतरण के लिए	मंत्रालय ने इस मामले में उठाए मुद्दों के बारे में 26.08.2013 को मध्य प्रदेश सरकार और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इस पत्र की एक प्रति भेजी है। इससे पहले, माननीय जनजातीय कार्य मंत्री ने भी 07.06.2013 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और 19.06.2013 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी इस मामले में उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए लिखा है।

[हिन्दी]

हिन्दी भाषा के संवर्धन पर किया गया व्यय

3273. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:
श्री पी.सी. गद्दीगौदर:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और विभागों द्वारा हिंदी भाषा के संवर्धन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजभाषा हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में जारी किए गए विज्ञापनों की लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समुदायों को एस.टी. का दर्जा

3274. श्री रमेन डेका:
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का असम के मोरान, मोटोक, थाई अहोम, कोच-राजबोंची और चाय कृषक समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) असम सरकार ने मोरान, मट्टाक्स, ताई, अहोम, कोच-राजबोंगशी तथा चाय जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। परन्तु ये समुदाय अनुसूचित जनजातियों की सूची में समावेश हेतु वांछित मानदंडों को पूरा नहीं कर सकते हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) आदिम विशेषताओं के संकेत;

(2) विशिष्ट संस्कृति;

(3) भौगोलिक अलगाव;

(4) बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच; और

(5) पिछड़ापन।

भिन्न रूप से सशक्त बच्चों पर यूनीसेफ की रिपोर्ट

3275. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाल ही में आई भिन्न रूप से सशक्त बच्चों पर यूनीसेफ की 2013 की रिपोर्ट से अवगत है, जिसमें यह दावा किया गया है कि भारत के पास नि:शक्त बच्चों का सटीक डाटाबेस नहीं है और इसने यूनीसेफ के 2011 की रिपोर्ट हेतु भी ऐसे बच्चों पर आंकड़ा नहीं दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और देश में भिन्न रूप से सशक्त बच्चों का सटीक डेटाबेस नहीं बना पाने के क्या कारण हैं;

(ग) चुनाव आयोग और भारत के महापंजीयक द्वारा भिन्न रूप से सशक्त बच्चों पर की गई नवीनतम जनगणना का ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में भिन्न रूप से सशक्त बच्चों का तथ्यात्मक डेटाबेस तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) केन्द्र सरकार अवगत है कि यूनिसेफ ने भिन्न रूप से सशक्त बच्चों पर रिपोर्ट प्रकाशित किया है। गृह मंत्रालय के तहत महापंजीयक और जनगणना आयुक्त प्रति दस वर्ष जनगणना करवाता है जिसमें जनगणना के समय भिन्न रूप से सशक्त लोगों सहित भारत में रह रहे व्यक्तियों के आंकड़ों को एकत्र किया जाता है। नवीनतम जनगणना वर्ष 2011 में करवायी गयी है। तथापि, रिपोर्ट जारी होना शेष है।

प्राकृतिक गैस का मूल्य

3276. श्री खगेन दास:
श्री रमेश राठौड़:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा हाल में गैस का मूल्य बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में वर्तमान में प्राकृतिक गैस का उद्गम मूल्य और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) के मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या गैस के उच्चतर मूल्य से अदोहित हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में उच्चतर उर्ध्वगामी निवेश की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप गैस के उत्पादन में वृद्धि और आयात में कमी आएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) सरकार ने रंगराजन समिति की सिफारिशों पर आधारित गैस मूल्य फार्मूला अनुमोदित किया है जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से 5 वर्षों के लिए लागू होगा। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। रंगराजन समिति की रिपोर्ट www.eac.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदा व्यवस्था के तहत, गैस के कूप शीर्ष मूल्य को संविदा क्षेत्र के भीतर संविदाकार द्वारा प्राप्त की गई गैस का बिक्री मूल्य माना जाता है।

पीएससी और सीबीएम संविदा व्यवस्था के तहत गैस उत्पादक क्षेत्रों में संविदा क्षेत्र के भीतर गैस का बिक्री मूल्य वर्ष 2011-12 में 3.5 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू से 6.79 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू तक भिन्न था।

गेल द्वारा विभिन्न ग्राहकों को बेची जा रही तरलीकृत प्राकृतिक गैस (पुनः गैसीकरण के पश्चात्) का एक्स टर्मिनल मूल्य अगस्त, 2013 के दौरान 13.40 अमरीकी डालर से 16.40 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू की रेंज में है। उपरोक्त मूल्य में पारेषण, प्रशुल्क, विपणन मार्जिन और कर शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ) उच्चतर गैस मूल्य के आश्वासन से संविदाकारों द्वारा तीव्र अन्वेषण प्रयासों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है जिससे नयी हाइड्रोजन कार्बन खोजें होंगी। इसके अलावा, उच्चतर गैस मूल्य जमीनी और अपतट क्षेत्रों में भूग्रस्त गैस खोजों के विकास और मौद्रीकरण को सक्षम बना सकती है।

विवरण

सीसीईए द्वारा अनुमोदित गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

* घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य निर्धारण रंगराजन समिति द्वारा सुझाई गई प्रणाली पर आधारित होगा।
* ये दिशा-निर्देशो स्रोत पर ध्यान दिए बिना चाहे वो परम्परागत, शेल, सीबीएम आदि हो, घरेलू तौर पर उत्पादित सभी प्राकृतिक गैस के लिए लागू नहीं होंगे। ये दिशा-निर्देश छूट प्राप्त मामलों के साथ 1 अप्रैल, 2014 से लागू होंगे।
* जहां मूल्य एक निश्चित समयावधि के लिए संविदात्यक तौर पर निश्चित कर दिए गए हैं, वहां ऐसी अवधि की समाप्ति तक ये दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।

  जहां संविदा प्राकृतिक गैस मूल्य सूचकांक/निर्धारण के लिए विशिष्ट फार्मूला उपलब्ध कराता है वहां भी ये दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।
* मूल्य सभी उपभोग क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू होंगे।
* ओएनजीसी/ओआईएल द्वारा अपने नामांकित क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस के लिए लागू।
* गैस मूल्य को तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।
* ये नीति दिशा-निर्देश अप्रैल 2014 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे।

गैस मूल्य संगणना पर तीन भागों में विचार किया जाना होता है।

(क) सभी भारतीय आयातों के लिए भारित औसत नेट बैंक मूल्यों की गणना।

(ख) हेनरी हब, नेशनल बैलेंसिंग प्वाइंट (एनबीपी) और जापान आयातित गैस नेट बैंक मूल्य के लिए विश्व भारित औसत गैस मूल्यों की गणना।

उपर्युक्त उल्लिखित (क) और (ख) का औसत भारतीय उत्पादकों के लिए गैस मूल्य प्रदान करेगा।

केरल की पर्यटन परियोजनाएं

3277. श्री के. सुधाकरण: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 2012-13 के दौरान केरल में पर्यटन विकास हेतु कपिल तट और बोट क्लब के विकास सहित कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत प्रदान की गयी वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पर्यटन में कितनी वृद्धि और कमाई होने का अनुमान है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण हेतु क्या व्यवस्थाएं की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार इन पर्यटन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी इनके अनुरक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) पर्यटक गंतव्यों एवं उत्पादों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके साथ परामर्श से

पहचानी गई पर्यटन परियोजनाओं हेतु निधियों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2012-13 के दौरान केरल में पर्यटन विकास हेतु कपिल तट एवं बोट क्लब के विकास सहित 36 परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की थी जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्राथमिकता प्रदान की गई 36 परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि
गंतव्य		
1.	कोच्चि का विकास	324.39
2.	भूथाथानकेट्टू का विकास	235.04
	वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 की आगे बढ़ाई गई परियोजनाएं	
1.	चेम्पू गांव में पलाक्कारी फिश फार्म और उसके आस-पास के क्षेत्रों का प्रमुख पर्यटक गंतव्य में विकास	327.04
2.	केरल में पर्यटक गंतव्य के रूप में कपिल बीच एवं बोट क्लब का विकास	322.70
3.	थुमबूरमुझी डैम स्थलों और उसके आस-पास का प्रमुख गंतव्य में विकास	146.99
4.	केरल में मेगा परिपथ के रूप में बैक वॉटर क्षेत्र में अलापुझा के बैक वॉटर परिपथ का विकास	4762.48
5.	केरल के कोझीकोड जिले में पेरूवान्नामुझी और काक्कायम डैम स्थलों का विकास	500.00
6.	केरल में काराप्पुझा डैम स्थल और उसके आस-पास का प्रमुख गंतव्य में विकास	492.03

(ग) जैसाकि केरल सरकार ने सूचित किया है, परियोजना पूरी होने के बाद संभावित पर्यटन वृद्धि निम्नानुसार है:

वर्ष	पर्यटक यात्राओं की संख्या	
	विदेशी	घरेलू
2012	793696	10076854
2014	950000	11600000
2015	1030000	12300000

(घ) पर्यटन परियोजनाओं का अनुरक्षण रख-रखाव करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं का प्रबंधन एवं संचालन पर्यटन विभाग, केरल सरकार और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (डीटीपीसी) द्वारा किया जाएगा।

(घ) और (च) पर्यटन मंत्रालय की गंतव्यों एवं परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी) स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यटन परियोजनाओं के अनुरक्षण हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के दौरान केरल राज्य सरकार के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम
1	2
क.	**एकीकृत मेगा परिपथ**
1.	उत्तरी पर्यटन परिपथ का विकास, केरल
ख.	**पर्यटन पार्क**
1.	वागामोन में एडवेंचर पर्यटन पार्क
ग.	**ग्रामीण पर्यटन समूह**
1.	इडायर द्वीप - थिरूवल्लम, कोवलम और आस-पास के गांवों के समूह

1	2
घ.	**परिपथ**
1.	नीला सांस्कृतिक परिपथ
2.	हरित पर्यटन परिपथ, कोट्टायम
3.	वायानाड में इको-एडवेंचर परिपथ
4.	वरकाला - कोल्लम पर्यटन परिपथ
5.	पाथनामथिट्टा में इको-पर्यटन परिपथ
6.	राज्य में प्रमुख पर्यटन कॉरिडोरों के साथ-साथ आधुनिक मार्गस्थ शौचालय
7.	जल आधारित एडवेंचर पर्यटन परिपथ
8.	भूमि आधारित एडवेंचर पर्यटन परिपथ
9.	इको-कैंपिंग परिपथ एवं कारवां पार्क
ङ.	**गंतव्य**
1.	कोवलम का विकास
2.	बेकल का विकास
3.	वानिअमपारा का विकास
4.	कोच्चि का विकास
5.	कोझीकोड का विकास
6.	नेलीयमपथी का विकास
7.	मुन्नार हिल का विकास
8.	कुमाराकोम बैक वॉटर का विकास
9.	भूथाथानकेट्टू का विकास
10.	कोच्चि में समागम केन्द्र
च.	**मानव संसाधन विकास**
1.	अलापुझा/कोट्टायम में होस्टल सुविधा सहित आईएचएम बशर्ते अग्रिम में भूमि पर्यटन विभाग, केरल या सोसाइटी को हस्तांतरित कर दी जाए
2.	मालाप्पुरम में भोजन कला संस्थान
3.	वायानाड में भोजन कला संस्थान
छ.	**सूचना प्रौद्योगिकी**
1.	आईटी समर्थित मार्केटिंग - हार्डवेयर सहायता
2.	महत्वपूर्ण घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बाजार अध्ययन
3.	प्रमुख गंतव्यों/उत्पादों में पर्यटन प्रभाव अध्ययन
वर्ष 2012-13 में वर्ष 2012-13 की आगे बढ़ाई गई परियोजनाएं	
1.	चेम्पू गांव में पलाक्कारी फिश फार्म और उसके आस-पास के क्षेत्रों का प्रमुख पर्यटन गंतव्य में विकास
2.	तिरूवनंतपुरम के थाईक्काड में हैरिटेज रेसिडेंसी बिल्डिंग कांप्लेक्स में आरटी रिसोर्स सेन्टर केरल का विकास
3.	कोच्चि में विलिंगडन द्वीप का प्रमुख गंतव्य में विकास
4.	केरल में पर्यटक गंतव्य के रूप में कपिल बीच और बोट क्लब का विकास
5.	थुमबूरमुझी डैम स्थल और उसके आस-पास का प्रमुख गंतव्य में विकास
6.	केरल में मेगा परिपथ के रूप में बैक वॉटर क्षेत्र में अलापुझा में बैक वॉटर परिपथ का विकास
7.	केरल में कोझीकोड जिले में पेरूवान्नामुझी और काक्कायम डैम स्थलों का विकास
8.	केरल के काराप्पुआ डैम स्थल और उसके आस-पास का प्रमुख गंतव्य में विकास

पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह

3278. डॉ. संजय सिंह:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:
श्री एस. अलागिरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में कुल कितना व्यय हुआ है और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) का प्रवाह कितना है;

(ख) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के शोधन क्षेत्र में एफ.डी.आई. की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी कम्पनियों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है और पेट्रोलियम तथा गैस क्षेत्र में निवेश हेतु क्या समझौता किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया गया कुल योजना पूंजी व्यय और इस क्षेत्र में हुआ कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीचे तालिका में दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	योजना पूंजी निवेश	किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2012-11	61212.58	2543.14
2011-12	67086.56	9955.17
2012-13	67732.03	1192.57
2013-14 (अप्रैल-जुलाई 2013)	17503.28	14.18

तेल शोधन कार्यकलापों में विदेशी पूंजी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आकर्षित करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए 100 प्रतिशत इक्विटी सहित आटोमैटिक रूट के जरिए और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 49 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण और उत्पादन के लिए प्रचालकों के रूप में विदेशी कंपनियों के साथ 11 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज) और गैर प्रचालकों के रूप में पीएससीज पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हिमालय सुनामी में क्षतिग्रस्त वाहनों के ऋण को माफ करना

3279. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़ हिमालय सुनामी में अपने वाहन खोने/वाहनों के बह जाने पर संबंधित व्यक्तियों के ऋण को माफ करने या अन्य रियायत देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकार ने 01 अगस्त, 2013 को सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को उत्तराखंड में बकाया सभी प्रकार के ऋणों के संबंध में ऋण की चुकौती और एक वर्ष की अवधि के लिए ब्याज के संबंध में अधिस्थगन की घोषणा करने की सलाह दी है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि सभी जीवन बीमा कंपनियों को दावों के निपटान हेतु सक्रिय कदम उठाने की सलाह दी गई है। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में संबंधित सरकार द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने के लिए सरकार ने भारतीय जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) को विशिष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्रभावित व्यक्तियों और संपत्ति के दावों को दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों ने 'आपदा राहत' शिविर भी लगाए हैं।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी में अनियमितताएं

3280. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) में तथाकथित भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओ.एन.जी.सी. में भ्रष्टाचार/अनियमितताओं से संबंधित कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और

(ग) इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) निवारक और रूटीन सतर्कता प्रबंधन तथा अन्य अनुशासनिक मामलों सहित भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतें मुख्य सतर्कता, अधिकारी आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) देखते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य सतर्कता (सीवीसी) के परामर्श से की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ओएनजीसी में प्राप्त हुई शिकायतों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2010	–	325
2011	–	305
2012	–	494
2013 (26.8.13 तक)	–	334

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों की वर्षवार संख्या निम्नानुसार हैं:-

वर्ष	बड़ी शास्ति	लघु शास्ति	प्रशासनिक चेतावनी
2010	08	34	089
2011	10	33	108
2012	01	49	120
2013 (26.8.13 तक)	शून्य	17	113

[हिन्दी]

कृषि भूमि सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम

3281. श्रीमती अश्वमेध देवी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि भूमि सिंचाई और जल संसाधन वित्त निगम लिमिटेड की स्थापना की है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम का ब्यौरा, प्रमुख विशेषताएं और लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त निगम की स्थापना के बाद इसके द्वारा बनाई गयी योजनाओं का ब्यौरा तथा इसकी उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में सिंचाई एवं जल संसाधन वित्त निगम लि. (आईडब्ल्यू आरएफसी) की स्थापना 29 मार्च, 2008 को की गयी थी। कंपनी का उद्देश्य बड़ी (मेजर) तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए अपेक्षित व्यापक संसाधनों को जुटाना था। केन्द्रीय बजट 2012-13 में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई तथा काश्तकारी इत्यादि जैसे उप-क्षेत्रों के वित्तपोषण पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए आईडब्ल्यूआरएफसी को प्रचालनीय बनाने की घोषणा की गयी थी। तदनुसार, आईडब्ल्यूआरएफसी को मार्च, 2012 में प्रचालनीय बनाया गया था।

आईडब्ल्यूआरएफसी ने आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में वहनीय कीमतों पर गुणवत्ता पेयजल की आपूर्ति हेतु निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन तथा अंतरण (बीओओटी) आधार पर 28 करोड़ रुपए की एक परियोजना का वित्तपोषण किया है।

मध्य प्रदेश में छात्रावासों का निर्माण

3282. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान छात्रावासों के निर्माण के लिए संस्वीकृत धनराशि जारी कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में धनराशि कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय ''अनुसूचित जनजाति की लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास'' की केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम को प्रशासित करता है जिसके तहत देश में छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप मध्य प्रदेश सरकार को छात्रावासों के निर्माण के लिए निधियां निर्मुक्त की गई हैं। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को निर्मुक्त की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)
2011-12	1223.43
2012-13	2291.57

वर्ष 2013-14 के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कोई निधियां निर्मुक्त नहीं की गई हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव की प्राप्ति तथा योजना के तहत निधियों को प्रदान करना एक चालू एवं सतत् प्रक्रिया है। इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निधियां

निर्मुक्त की जाती हैं जब प्रस्ताव संगत योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, जो निधियों की उपलब्धता तथा विगत निर्मुक्त निधियों की उपयोगिता के अधीन है। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं जा सकती।

[अनुवाद]

गैस की खोज

3283. श्री एम. आनंदन:
श्री आधि शंकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) ने कतिपय कारणों से ओडिशा तट के एन.ई.एल.-25 ब्लॉक में गैस खोज हेतु किसी निजी कंपनी की योजना को अनुमोदित करने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.जी.एच. ने कोई पृथक ड्रिल स्टेम टेस्ट्स (डी.एस.टी.) नहीं किये जाने के आधार पर के.जी.डी.-6 ब्लाक में कम्पनी की तीन खोजों के वाणिज्यिकता संबंधी घोषणा (डी.ओ.सी.) को भी हाल ही में अस्वीकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए खोजों के त्वरित विकास हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा एनईसी-ओएसएन-97/2 (एनईसी-25) में डी-32 और डी-40 खोजों के लिए वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्ताव की समीक्षा नहीं की गई थी क्योंकि इसकी वाणिज्यिकता को पीएससी की अपेक्षाओं के अनुसार सतह पर हाइड्रोकार्बन के प्रवाह से प्राप्त दीर्घकालिक उत्पादन जांच आंकड़ों के अभाव कारण सिद्ध नहीं किया जा सका।

अन्य दो खोजों (डी-9 और डी-10) के लिए विकास योजना को पीएससी में निर्धारित समय सीमा के बाद प्रस्तुत किया गया था।

इसके बाद डीजीएच ने अपने दिनांक 5.6.2013 के पत्र द्वारा मैसर्स आरआईएल और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को संसूचित किया कि चूंकि आईबीडीपी ने पीएससी के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की अत: इसे स्वीकार और मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है।

तथापि, आरआईएल ने डीजीएच के दिनांक 5.6.2013 के पत्र के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को एक अभ्यावेदन (अपने दिनांक 28.6.2013 के पत्र द्वारा) दिया है और दोहराया है कि उसने ब्लाक एनईसी-ओएसएन-97/2 (पीएससी) के उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के तहत अपेक्षित सभी प्रकार की कारवाई की है। इसके अलावा, आरआईएल ने इस पत्र में कहा है कि 'दिनांक 13 जुलाई 2012 को माननीय मंत्री, एमओपीएंडएनजी की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएसटी के मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई बैठक में दी गई सूचना के अनुसार मामले को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संविदाकार ने एक कूप में बेधन करने और कूपों में से एक में डीएसटी करने के लिए एमसी को एक प्रस्ताव इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया किन्तु डीजीएच से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई'। मंत्रालय में इस पत्र की जांच की जा रही है।

इसके अलावा, रक्षा मंत्रालय ने इस ब्लाक में ईएंडपी कार्यकलाप करने की अनुमति देने से मना कर दिया था और इसे 'नो-नो एरिया' घोषित कर दिया था। तथापि, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने इस मुद्दे पर विचार किया और सीसीआई के निर्देशों के अनुसार इस ब्लाक के लिए शर्त मंजूरी दी गई थी। इसे मंत्रालय के दिनांक 12.4.2013 के पत्र द्वारा डीजीएच को संसूचित कर दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा मैसर्स आरआईएल द्वारा प्रचालित ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98-98/3 (केजी-डी6) में डी-30 और डी-31 खोजों के लिए वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) प्रस्ताव की समीक्षा नहीं की गई थी क्योंकि इसकी वाणिज्यिकता को पीएससी की अपेक्षाओं के अनुसार सतह पर हाइड्रोकार्बन के प्रवाह से प्राप्य दीर्घकालिक उत्पादन जांच आंकड़ों का अभाव था।

(ङ) जहां संविदाकारों द्वारा वाणिज्यिक गैस खोजों के विकास का कार्य शुरू करने के लिए पीएससीज में निर्धारित समय सीमाओं का पालन करना अपेक्षित हैं वहीं भारत सरकार ने सामान्य नीति के रूप में देश में दिनांक 1.2.2013 को खनन पट्टा (एमएल) क्षेत्रों में अन्वेषण की अनुमति इस शर्त के साथ दे दी है कि लागत वसूली के कारण सरकारी राजस्व को होने वाले किसी जोखिम को उपयुक्तत: कम किया जाएगा। यह अनुमति खनन पट्टा क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का इष्टतम दोहन सुनिश्चित करने के लिए दी गई है।

घरेलू रूप से उत्पादित गैस का मूल्य

3284. श्री ताराचंद भगोरा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आयातित/घरेलू उत्पादित गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी)/नाफ्था के मूल्य क्या कर रहे हैं;

(ख) क्या घरेलू खपत या वाहनों द्वारा खपत के लिए गैस का मूल्य रु./कि.ग्राम में होता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में दिल्ली/मुम्बई में घरेलू पाइपयुक्त गैस और वाहनों हेतु एलएनजी का मूल्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, घरेलू प्राकृतिक गैस/तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और नाफ्था के मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) घरेलू खपत के लिए इस्तेमाल की जानेवाली गैस अर्थात् पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का मूल्य रु./मानक घन मीटर (एससएम) में और वाहनों के लिए इस्तेमाल की जानेवाली गैस अर्थात् संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का मूल्य रु./कि. ग्राम में होता है।

(ग) 1 अगस्त, 2013 की स्थिति के अनुसार, दिल्ली और मुंबई में सीएनजी और पीएनजी का लागू मूल्य निम्नानुसार हैं:-

नगर का नाम	सीएनजी का मूल्य (रु./कि.ग्राम)	पीएनजी का मूल्य (रु./एससीएम)
दिल्ली	41.90	24.50 (60 दिन में 30 एससीएम तक खपत के लिए)
		40.50 (60 दिन में 30 एससीएम से अधिक खपत के लिए)
मुंबई	35.95	24.09 (0.8 एससीएमडी तक खपत के लिए)
		26.77 (0.8 से 1.2 एससीएमडी के बीच खपत के लिए)
		53.84 (1.2 एससीएमडी से अधिक खतप के लिए)

विवरण

(क) घरेलू/आयातित प्राकृतिक गैस मूल्य

(i) वर्ष 2010 : 31 मई 2010 तक (सीजीडी के लिए 7 जून तक और गैस एपीएम के लिए 30 जून तक)

क्र.सं.	गैस की किस्म	स्रोत	स्थान महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एचवीजे	स्थान केजी और कावेरी बेसिन	स्थान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	एपीएम गैस	ओएनजीसी/ओआईएल/पीएमटी /राब्बा-1	3200 रु./एमएससीएम *	1920 रु./एमएससीएम *	
2.	एपीएम गैस		3840 रु./एमएससीएम *	2304 रु./एमएससीएम *	
3.	गैर एपीएम गैस	ओएनजीसी/ओआईएल/राब्बा-1	4.75 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	3.50 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	3200 रु. /एमएससीएम*
4.	अमगुरी गैस	असम गैस लि. और केनोरो रिर्सोसी लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1920 रु./एमएससीएम *

1	2	3	4	5	6
5.	ओआईएल गैस	आयल इंडिया लि.	1600 रु./एमएससीएम *	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
6.	अन्य घरेलू गैस	पन्ना मुक्ता	5.73 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		ताप्ती	5.57 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		राव्वा-सेटलाइट	उपलब्ध नहीं	4.30 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं
		आरआईएल केजी-6	4.205 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		एचओईसी	उपलब्ध नहीं	3.75 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं
		एमडीपी गैस कावेरी	उपलब्ध नहीं	8500 रु./एमएससीएम *	उपलब्ध नहीं
		एमडीपी गैस त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	4290 रु. से 4462 रु./एमएससीएम**
7.	आयातित आरएलएनजी	द्विध अवधि-पीएलएल दहेज	5.59 से 6.12 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

* गैस के मूल्य में रायल्टी शामिल नहीं है (एमडीपी गैस को छोड़कर) और यह 10,000 केसीएएल/एससीएम की निवल कैलोरिफिक मूल्य से संबद्ध है। क्रम सं. 5 पर ओआईएल गैस को छोड़ कर जो 4200 के. कैल/एससीएम के निवल उष्मीय मान से सम्बद्ध है। गैस मूल्य 3200 रु./एमएससीएम और 1920 रु./एमएससीएम विद्युत और उर्वरक के लिए था और 3840 रु./एमएससीएम और 2304 रु./एमएससीएम 50,000 एससीएमडी तक आबंटनों और न्यायालय द्वारा अधिदेशित ग्राहकों के लिए लागू है।

** त्रिपुरा एमडीपी मूल्य 31 मार्च 2010 तक 4290 रु./एमएससीएम और उसके बाद 4462 रु. एमएससीएम था, मूल्यों को 10,000 के कैल/एससीएम के निवल ऊष्मीय मान से सम्बद्ध किया गया था।

उपर्युक्त मूल्यों में विपणन मार्जिन, परिवहन प्रशुल्क और लागू कर शामिल नहीं हैं। आयातित आरएलएनजी मूल्य जीसीवी आधार पर है और पुनर्गैसीकरण प्रभार शामिल है (आरबीआई संदर्भ दर पर परिवर्तित)। घरेलू मूल्य एनसीवी आधार पर है।

(ii) वर्ष 2010 से अगस्त 2013 तक: जून से आगे (8 जून 2010 से सीजीडी के लिए और गैर एपीएम के लिए 1 जुलाई, 2010)

क्र.सं.	गैस की किस्म	स्रोत	स्थान		
			महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और एचवीजे के साथ	केजी और कावेरी बेसिन	पूर्वोत्तर क्षेत्र
1	2	3	4	5	6
1.	एपीएम गैस	ओएनजीसी/ओआईएल पीएमटी/ राव्वा-1*	4.20 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	2.52 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	

1	2	3	4	5	6
2.	गैर-एपीएम गैस मूल्य	ओएनजीसी/ओआई एल/राव्वा-1*	गुजरात अभितट और राजस्थान 5 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू गुजरात अपतट महाराष्ट्र और एचपीजे के साथ-5.25 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू	केजी-4.50 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू) कावेरी-4.75 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	4.20 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू
3.	अमगुरी गैस	असम गैस लि. और कानोरो रिसोर्सेस लि.	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.52 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू
4.	ऑयल गैस	ऑयल इंडिया लि.	4.20 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	अन्य घरेलू गैस	पन्ना-मुक्ता	5.73 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		ताप्ती	5.57 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		राव्वा-सेटेलाइट*	उपलब्ध नहीं	4.30 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं
		आरआईएल केजी डी 6 एचओईसी	4.205 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं 3.75 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं
6.	आयातित आरएलएनजी	लंबी अवधि- पीएलएल दाहेज	6.24 से 13.28 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
		मध्य अवधि	12.30 से 17.06 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू	13.95 से 17.16 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू	उपलब्ध नहीं
		स्थल एमएमबीटीयू	9.00 से 19.00 अमरीकी डालर/ एमएमबीटीयू	12.88 से 20.06 अमरीकी डालर/	उपलब्ध नहीं

* राव्वा-1 3.50 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू पर खरीदी जाती है; राव्वा-1 के लिए उच्चतम मूल्य और राव्वा सेटेलाइट मूल्यों पर अभी बात चल रही है और संशोधित कैप 01-12-2008 से लागू होगी।

उपर्युक्त मूल्य में विपणन मार्जिन, परिवहन प्रशुल्क और लागू कर शामिल नहीं है आयातित एलएनजी मूल्य जीसीवी आधार पर है और पुनर्गैसीकरण प्रभार (आरबीआई, संदर्भ दर पर परिवर्तित) शामिल है। घरेलू मूल्य एनसीवी आधार पर है।

24 लघु आकार के खोजे गए क्षेत्रों और एनईएलपी पूर्व 28 ब्लाकों (जिनमें से 17 प्रचालन में हैं) के अतिरिक्त, निजी ई एंड पी कम्पनियों (जैस हजीरा, आरजे-ओएन-90/1 आदि) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें यदि गैस सरकारी नामिनी से भिन्न को बेची जाती है तो घरेलू बाजार में गैस की बिक्री आर्म्ज लैंथ सिद्धांत के अनुसार प्राप्त मूल्यों पर करने की व्यवस्था है। पीएससी के तहत कोई विनिर्दिष्ट मूल्य सूत्र नहीं है और मूल्य सूत्र में संविदाकार द्वारा गैस की बिक्री से पहले सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) नाफ्था के मूल्य

(रु./एमटी)

वर्ष	आईओसीएल द्वारा सूचित नाफ्था का भंडारण स्थल पर मूल्य	
	उर्वरक	गैर उर्वरक
2010	32100 से 41350	34300 से 44000
2011	41690 से 50490	44390 से 53610
2012	43550 से 58380	46350 से 61900
2013	47300 से 58740	50290 से 62280

[हिन्दी]

खान नियमों में संशोधन

3285. श्री जफर अली नकवी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खान नियम, 1955 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खनन योजनाओं को केवल सार्वजनिक एजेन्सियों और सरकारी नियमों के अंतर्गत ही लागू किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार निजी क्षेत्र के माध्यम से कोई खनन योजना लागू नहीं करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार खनन हेतु किसी नए निगम और बोर्ड का गठन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) खान नियम, 1955 में संशोधन का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) वर्तमान में मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एफसीआई कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

3286. श्री पी. करुणाकरन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम से अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो प्रस्ताव किस तिथि को प्राप्त हुआ था;

(ख) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और अस्वीकृति के कारण, यदि कोई हों तो, क्या हैं;

(ग) क्या लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के आलोक में प्रस्ताव की जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के साथ एफसीआई में पेंशन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई समाधान ज्ञापन नोटिस हस्ताक्षरित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम शुरू किए जाने का प्रस्ताव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से दिनांक 25.09.2012 और दिनांक 7.11.2012 को व्यय विभाग में प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्रालय निम्नलिखित कारणों से प्रस्ताव से सहमत नहीं था:

(i) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी पहले से ही अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान दे रहे हैं और कर्मचारी के अंशदान का एक भाग कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 में अंतरित किया जा रहा है।

यदि वर्तमान प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के लिए एक साथ तीन सेनानिवृत्ति लाभ/पेंशन स्कीमें कार्य करने लगेंगी।

(ii) भारतीय खाद्य निगम पहले से ही मूल वेतन+महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से बराबर राशि का भुगतान मौजूदा अंशदायी भविष्य निधि स्कीम में कर रहा है; प्रस्तावित स्कीम में मूल वेतन+महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत की दर से और अंशदान कर पाना सुसंगत नहीं होगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, यदि नई पेंशन स्कीम लागू की जाती है, तो भारतीय खाद्य निगम को ट्रस्ट की व्यवस्था की लागत, कोष प्रबंधन और रिकार्ड के रख-रखाव के प्रभार भी वहन करने होंगे।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 01.07.2013 को यह प्रस्ताव दोबारा वित्त मंत्रालय को भेज दिया है।

(ग) लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के आलोक में इस प्रस्ताव की

जांच की गई थी। इन दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का 30 प्रतिशत दिया जाएगा जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्यूटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ शामिल होंगे। लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 02.04.2009 के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह भी प्रावधान है कि दिनांक 26.11.2008 और 09.02.2009 के कार्यालय ज्ञापन में दी गई विभिन्न मदों के तहत उल्लिखित सीमा, अधिकतम स्वीकार्य सीमाएं हैं। तथापि, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उद्यमों की भुगतान की क्षमता और वहनीयता के आधार पर अध्यक्षीय निर्देशों में इन अधिकतम स्वीकार्य सीमाओं के मुकाबले में निम्नतर सीमाओं का प्रावधान किया जा सकता है।

(घ) वित्त मंत्रालय में भारतीय खाद्य निगम में पेंशन स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया है।

[हिन्दी]

ग्राम प्रधानों की भूमिका

3287. श्री विजय बहादुर सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संविधान के भाग IX के अनुच्छेद 243 और 243(छ) के अंतर्गत पंचायतों और ग्राम प्रधानों हेतु व्यापक नियम तैयार कर उनकी भूमिका, भागीदारी और उत्तरदायित्व के निर्धारण सहित ग्राम सभा से सटी भूमि जिसमें बालू और खनिज की मात्रा है की सुरक्षा करना निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने ग्राम सभा भूमि पर पाई जाने वाली बालू इत्यादि को ग्राम सभा के नियंत्रण के अंतर्गत खनिजों के अंतर्गत संपत्ति के रूप में घोषित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में नियम तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंद्र देव): (क) से (घ) संविधान का अनुच्छेद 243 (छ) पंचायतों को स्व-सरकार की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने के लिए सक्षम बनाने एवं ग्यारहवीं अनुसूची के तहत विहित अधिकारों को अंतरित करने के लिए कानून बनाने का उत्तरदायित्व प्रदान करता है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 भी पंचायतों को अन्य बातों के साथ-साथ सामुदायिक संसाधनों को संरक्षित व सुरक्षित करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कानून बनाने हेतु राज्य सरकार को उत्तरदायित्व सौंपता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूक्ष्म खनिजों के लिए भावी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा एव नीलामी द्वारा सूक्ष्म खनिजों के दोहन का अनुमोदन करने से पूर्व पंचायत अथवा ग्राम सभा की पूर्व सिफारिश को अनिवार्य कर दिया गया है। पेसा अधिनियम, 1996 संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में अनुप्रयोज्य है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) के तहत कानून बनाने एवं अधिकार प्रदान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों को प्रदान की गई है। लिहाजा संघ सरकार को इस संदर्भ में नियम बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

नाबार्ड में अनियमितता

3288. श्री प्रबोध पांडा:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण गरीबों को दिए जाने वाले अनुदानों के आवंटन में अनियमितताएं पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और इसमें संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने तथा इन एजेंसियों को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए स्व-सहायता संवर्द्धक संस्थाओं जैसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैकों, अलग-अलग ग्रामीण स्वयं सेवकों, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), संघों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों (पीएसीएस) के साथ साझेदारी करता है।

इन एजेंसियों से सहायता अनुदान के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करते समय नाबार्ड सावधानी एवं समुचित तत्परता बरतता है, जिनमें एजेंसी के पुराने अभिलेख का सत्यापन, क्षेत्रीय जांच, परियोजना स्वीकृति समिति/परामर्शदात्री बोर्ड द्वारा प्रस्तावों पर विचार करना, की गई प्रगति आदि के आधार पर आगे और निधियां जारी करना आदि शामिल है।

नाबार्ड का निरीक्षण विभाग विभिन्न सहायता अनुदान का संचालन करने वाले संबंधित विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है।

तथापि, "नाबार्ड लाजेस टेक्स रूरल पूअर फॉर राइड" शीर्षक से 'द हिंदू' में दिनांक 03.07.2013 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था। नाबार्ड द्वारा इसका खंडन 03.07.2013 को ही समाचार पत्र को भेज दिया गया था।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

3289. श्री मधुसूदन यादवः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोलियम कंपनियां अपने पट्टा विलेख की समाप्ति पर पेट्रोल और डीजल की बिक्री बंद कर देती हैं;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है जो अपने पट्टा विलेख की समाप्ति के बावजूद अभी भी कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी नहीं। खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) लगातार मोटर स्प्रिट (एमएस) अर्थात पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री करते हैं जब तक कि स्थल का विस्फोटक लाइसेंस वैध रहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चलाने वाली जनता के साथ-साथ लघु उद्योगों, किसानों आदि के हित में मोटर ईंधनों की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे और आरओ स्थल के लिए उपलब्ध कानूनी स्थिति/कॉर्पोरेशन के वाणिज्यिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे 14 स्थल हैं, जहां पट्टा समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य किया जा रहा है।

(ग) पट्टा अवधि की समाप्ति से पूर्व भूमि पट्टा नवीकरण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फील्ड अधिकारी भू-स्वामियों के साथ संपर्क में हैं और पट्टा नवीकरण के लिए बातचीत की गई है।

[अनुवाद]

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में इण्डो-ईरान सहयोग

3290. प्रो. सौगत रायः
श्री एस. सेम्मलईः
श्री प्रदीप माझीः
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में ईरान के साथ चल रहे सहयोग के संबंध में कोई बैठक और समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के नेताओं द्वारा समुद्री बीमा, फरजाद बी गैस फील्ड, दोनों देशों के मध्य व्यापार संतुलन इत्यादि जैसे विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के नेता सहयोग हेतु किन मुद्दों पर सहमत हुए हैं;

(ङ) क्या ईरान सरकार ने फरजाद बी गैस फील्ड सहित तेल और गैस क्षेत्रों में निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक तेल कंपनियों को आकर्षित करने के लिए उत्पादन बंटवारा संविदाओं संबंधी कोई नया सूत्र प्रस्तावित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) व्यापार संतुलन सहित समग्र द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए ईरान के साथ सरकारी स्तर पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ईरान के तेल मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, भारत सरकार के बीच नई दिल्ली में दिनांक 27, मई, 2013 को चर्चा हुई थी। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में समग्र सहयोग बढ़ाने और वाणिज्यिक दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल की खरीद

के लिहाज से अपने विनियोजन को बनाए रखने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने की सहमति बनी थी।

(ङ) और (च) जनवरी, 2013 में तेहरान में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा के दौरान ईरानी पक्ष ने ईरान में भारतीय कंपनियों द्वारा अन्वेषण तथा उत्पादन (ईएंडपी) कार्यकलापों के लिए विभिन्न तरीकों पर विचार किए जाने की इच्छा व्यक्त की थी।

नैदानिक परीक्षणों संबंधी अधिसूचना

3291. श्री वैजयंत पांडा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नैदानिक परीक्षणों के दौरान हताहत या मृत्यु के मामलों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से औषधि और सौंदर्य प्रसाधन नियमों, 1945 में संशोधन किया है, और देश में गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की समीक्षाओं हेतु प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या औषधि तकनीकी परामर्शी बोर्ड (डीटीएबी) ने हाल ही में उक्त अधिसूचना में कुछ परिवर्तन संशोधित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 को दिनांक 30-01-2013 के सा.का.नि. 53(अ) द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें नैदानिक परीक्षणों के दौरान होने वाले गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्टों के विश्लेषण की प्रक्रियाओं तथा निर्धारित परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी अथवा मृत्यु के मामले में मुआवजे के भुगतान की प्रक्रियाओं को निम्नवत् विनिर्दिष्ट किया गया है:-

(i) नैदानिक परीक्षणों के दौरान अथवा मृत्यु के मामले में मुआवजे से संबंधित एक नया नियम 122 डी ए बी जोड़ना।

(क) इस नियम के अनुसार परीक्षण किए जाने वाले रोगी को इंज्यूरी होने की हालत में इसे, जब तक अपेक्षित हो, प्रायोजक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा नि:शुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा।

(ख) निम्नलिखित कारणों से, जिन्हें नैदानिक परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी अथवा मृत्यु माना जाता है, इंज्यूरी अथवा मृत्यु होने की स्थिति में उस इंज्यूरी अथवा मृत्यु के लिए ऐसे प्रायोजक अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा वित्तीय क्षतिपूर्ति दी जाएगी:

1. जांच संबंधी उत्पाद (उत्पादों) के प्रतिकूल प्रभाव।
2. प्रायोजक अथवा उसके प्रतिनिधि अथवा जांचकर्ता द्वारा अनुमोदित नयाचार का उल्लंघन, वैज्ञानिक कदाचार अथवा लापरवाही।
3. अभीष्ट उपचारी परिणाम देने में जांच संबंधी उत्पाद की विफलता।
4. प्लेसिबो-नियंत्रित परीक्षण में प्लेसिबो का उपयोग।
5. मानक परिचर्या को छोड़कर अनुमोदित नयाचार के भाग के रूप में आवश्यक सहगामी उपचार के कारण प्रतिकूल परिणाम।
6. नैदानिक परीक्षण में माता की भागीदारी के कारण गर्भस्थ शिशु को इंज्यूरी होने वाले इंज्यूरी हेतु।
7. इस अध्ययन में शामिल कोई भी नैदानिक परीक्षण प्रक्रियाएं।

(ii) मृत्यु सहित गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (एस ए ई) की रिपोर्टिंग और विश्लेषण निर्धारित समय सीमा के भीतर की जाती है तथा नैदानिक परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी अथवा मृत्यु के मामले में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार मुआवजा दी जाती है।

(iii) गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (एसएई) तथा ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं जांच के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं अनुसूची 'वाई' में।

(iv) परीक्षण किए जाने वाले रोगी को परीक्षण के बारे में पूर्व सूचना देकर उससे सहमति प्राप्त करने संबंधी प्रलेखों की चेक लिस्ट में संशोधन किया गया है ताकि, उसमें इस आशय का विवरण शामिल किया जा सके कि परीक्षणाधीन रोगी की इंज्यूरी की स्थिति में उसे, जब तक प्रक्षित हो, नि:शुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाएगा और नैदानिक परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी अथवा मृत्यु की स्थिति में प्रायोजक अथवा उसके प्रतिनिधि को उस इंज्यूरी अथवा मृत्यु के लिए वित्तीय मुआवजा देना होगा।

(v) नैदानिक परीक्षण किए जाने वाले रोगी के लिए इंफॉर्म्ड कंसेन्ट फॉर्म के फॉर्मेट में संशोधन किया गया है ताकि उसमें उस रोगी का पता, योग्यता, पेशा, वार्षिक आय तथा उसके द्वारा नामित व्यक्ति के नाम और पता (नैदानिक परीक्षणाधीन व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मुआवजा देने के प्रयोजन से) को शामिल किया जा सके। जांचकर्ता के लिए यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि वह रोगी सूचना शीट और उचित रूप से भरे गए इंफॉर्म्ड कंसेन्ट फार्म की एक प्रति परीक्षणाधीन व्यक्ति अथवा उसके परिचारक को सौंप दे।

(vi) नैदानिक परीक्षण के दौरान इंज्यूरी अथवा मृत्यु के मामले में मुआवजे से संबंधित अलग से एक परिशिष्ट XII अनुसूची 'वाई' में जोड़ा गया है। उस परिशिष्ट में मृत्यु सहित गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (एस ए ई) की जांच तथा परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी अथवा मृत्यु के मामले में निर्धारित समस-सीमा के अनुसार वित्तीय मुआवजे के भुगतान की विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

प्रक्रियाओं के अनुसार,

(क) जांचकर्ता द्वारा सभी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं (एस ए ई) की रिपोर्ट उस घटना के 24 घंटे के भीतर डी सी जी (आई), प्रायोजक अथवा उसके प्रतिनिधि और ड्रथिक्स समिति को दी जाएगी।

(ख) मृत्यु के मामले में, भारत के डीसीजी (आई) द्वारा गठित स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति मामले की जांच करेगी और मृत्यु के कारण निर्धारण करने तथा नैदानिक परीक्षणों से संबंधित मृत्यु के मामले, क्षतिपूर्ति की राशि का भी निर्णय लेने के लिए डीसीजी (आई) को सिफारिश देगी। प्रकरण की जांच करते समय विशेषज्ञ समिति, जांचकर्ता की रिपोर्टों, उनके प्रायोजक या प्रतिनिधि और नैतिकता समिति पर विचार कर सकती है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् डीसीजी (आई) मृत्यु के कारण का निर्धारण तथा परीक्षण से संबंधित मृत्यु के मामले में प्रायोजक अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मृत्यु के एसएई की रिपोर्ट प्राप्त करने के तीन माह के भीतर भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्णय का निर्धारण करेगी।

(ग) मृत्यु के अलावा, गंभीर हानिकर घटनाओं (एसएई) के मामले में, जांचकर्ता की प्रायोजक और नैतिकता समिति की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् डीसीजी (आई) इंज्यूरी का निर्धारण तथा रिपोर्ट प्राप्त करने के तीन माह के भीतर नैदानिक परीक्षण से संबंधित इंज्यूरी के मामले में प्रायोजक अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा भुगतान की जानेवाली क्षतिपूर्ति राशि का निर्णय लेगी। तथापि, ऐसे हानिकर घटनाओं की जांच करने के लिए डीसीजी (आई) के पास एक स्वतंत्र जांच समिति गठित करने का विकल्प है।

(ग) और (घ) विभिन्न स्टेकहोल्डरों से प्राप्त अभ्यावेदनों की दृष्टि से, औषधि तकनीकी परामर्शदात्री बोर्ड (डीटीएबी) ने उक्त अधिसूचना में कुछेक संशोधन की सिफारिश की है। प्रमुख सिफारिश निम्नानुसार हैं:

(I) निशुल्क चिकित्सा प्रबंधन

डीएबी के नियम, 122 के खंड (1) के अनुसार, नैदानिक परीक्षण के कारण होनेवाले इंज्यूरी के मामले में, पीड़ित/पीड़िता को, जब तक आवश्यक हो, निशुल्क चिकित्सा प्रबंधन दिया जाएगा।

डीटीएबी ने इसलिए सिफारिश की कि धारा की निम्नानुसार पठन हेतु संशोधित कर दिया जाए:

"नैदानिक परीक्षण के दौरान किसी व्यक्ति को होने वाली नैदानिक परीक्षण संबंधित इंज्यूरी के मामले में जब तक आवश्यकता हो उसे निशुल्क चिकित्सीय उपचार प्रदान किया जाएगा।"

2. इंज्यूरी होने के मामले में वित्तीय मुआवजा

नियम 122 डीएबी की धारा (2) में यह प्रावधान है कि परीक्षण किए जाने वाले व्यक्ति को होने वाली इंज्यूरी यदि नैदानिक परीक्षण से संबंधित है तो नियम 21(ख) के अंतर्गत परिभाषित अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेशानुसार यह वित्तीय मुआवजा भी प्राप्त करेगा। यह वित्तीय मुआवजा व्यक्ति के चिकित्सीय उपचार पर किए गए किसी व्यय के अतिरिक्त होगा।

डीटीएबी ने सिफारिश की है कि उपनियम में आगे एक अर्हकारी धारा जोड़ी जाए कि 'यदि कोई स्थायी इंज्यूरी नहीं हुई है तो मुआवजे की मात्रा, असुविधा, वेतन हानि, परिवहन के अनुरूप होनी चाहिए।

3. वित्तीय मुआवजे हेतु पात्रता

नियम 122 डी डीएबी के उपनियम (5) में, वह कारण जब इंज्यूरी और मृत्यु को नैदानिक परीक्षण संबंधित इंज्यूरी या मृत्यु माना जाएगा और वित्तीय मुआवजे के लिए पात्रता, निहित है।

(i) अभिप्रेत चिकित्सीय प्रभाव उपलब्ध कराने के चिकित्सीय उत्पाद की विफलता के कारण हुई इंज्यूरी या मौत के मामले में वित्तीय मुआवजा प्रदान कराने संबंधी धारा (ग) को हटा दिया जाए क्योंकि यह संभावनाा हमेशा बनी रहेगी कि चिकित्सीय उत्पाद अभिप्रेत चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करने में विफल हो सकता है और परीक्षण को सुरक्षा सहित दवा के चिकित्सीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य से परिक्षण किया जाए।

(ii) कूटभेषज नियंत्रित परीक्षण में कूटभेषज के उपयोग संबंधित धारा (घ), में, डीटीएबी ने सिफारिश की है कि उक्त धारा को निम्नानुसार पाठन हेतु संशोधित किया जाए:

(4) अपेंडिक्स XII के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष को मौत की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं से सूचित करने के लिए प्रायोजक और अन्वेषक की आवश्यकताओं को हटाया जा सकता है, जहां भी अधिसूचना में शामिल होता है। रिपोर्ट डी सी जी (1) के कार्यालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को अग्रेषित किया जाएगा।

(5) विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिश और डी सी जी (1) के कार्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के साथ-साथ गंभीर घटनाओं को सूचित करने में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समय-सीमा के संबंध में डीटीएबी का अनुपालन किया जाएगा।

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्टिस के अनुसार, 10 दिनों में निर्धारित विश्लेषण के पश्चात् गंभीर प्रतिकूल घटनाओं को सूचित करने के लिए प्रायोजक और अन्वेषक की आवश्यकताओं को 14 दिनों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है।

(ii) एथिक समिति द्वारा 21 दिनों के भीतर मुआवजे की मात्रा (संबंधित मौतों के मामले में) संबंधी राय के साथ-साथ निर्धारित विशेषज्ञ विश्लेषण के पश्चात् गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट को अग्रेषित करने हेतु समय सीमा का अनुपालन किया जाएगा जिसे 30 दिनों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(iii) मौत की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की जांच के लिए 30 दिनों के भीतर मौत के कारण और मुआवजे की मात्रा (नैदानिक परीक्षणों से संबंधित मौत) के बारे में डी सी जी (1) को सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति हेतु समय सीमा को 60 दिनों में परिवर्तित कर सकते हैं।

(iv) इंज्यूरी अथवा मौत के कारण की जांच करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात् औषध महानियंत्रण (भारत) हेतु समय सीमा और दिए जाने वाली मुआवजे की मात्रा में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दो माह के रूप में पढ़ने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

(6) सभी गंभीर और अप्रत्याशित प्रतिकूल घटनाओं को सूचित करने हेतु अन्वेषक की अपेक्षाओं जबकि सभी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की सूचना देना प्रायोजक के लिए अपेक्षित है तथा दोनों अन्वेषक और प्रायोजक का प्रावधान बनाने का सामंजस्य होना चाहिए कि सभी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं को सूचित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

बिहार के लिए विशेष सहायता

3292. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत सम्मिलित बिहार के जिलों की संख्या कितनी है और इस प्रयोजन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है;

(ख) 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु उक्त योजना के अंतर्गत राज्य हेतु स्वीकृत वार्षिक अनुदानों का ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित जिलों की संख्या कितनी है; और

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्येक जिले में प्राप्त होने वाली संभावित वित्तीय सहायता कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चंन्द देव): (क) और (ख) बिहार राज्य के 36 जिले 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान बीआरजीएफ कार्यक्रम के जिला घटक के अंतर्गत शामिल थे। बारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम वर्ष, 2012-13 के दौरान अरवल एवं सिवान नामक दो नये जिले शामिल किये गये। प्रत्येक वर्ष समग्र निधि उपलब्धता के आधार पर वार्षिक हकदारी तय की जाती है। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य के जिलों को निर्मुक्त राशि एवं वार्षिक हकदारियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) बिहार सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली संभावित वित्तीय सहायता राशि की तुलना में हकदारी राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्मुक्त निधियों के व्यय करने की क्षमता, उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा अन्य औपचारिकताओं पर निर्भर करेगी।

विवरण

बिहार: बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत निधियों की हकदारी एवं निर्मुक्ति

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	जिला	11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि							12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि		
		वार्षिक हकदारी वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक	निर्मुक्त निधियां				वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-14
			वर्ष 2007-08	वर्ष 2008-09	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वार्षिक हकदारी	निर्मुक्त निधियां	वार्षिक हकदारी	निर्मुक्त निधियां	वार्षिक हकदारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अररिया	16.76	15.18	11.46	12.64	20.88	18.12	8.81	18.12	2.72	22.22
2.	अरवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.59	0.00	15.44
3.	औरंगाबाद	16.76	15.18	12.08	12.52	21.00	18.13	12.13	18.13	7.02	22.23
4.	बांका	15.67	14.20	11.06	15.67	15.67	16.81	14.72	16.81	6.44	20.61
5.	बेगूसराय	16.59	15.03	11.50	16.59	16.59	17.92	12.88	17.92	18.20	21.98
6.	भागलपुर	17.19	15.57	11.60	13.00	21.38	18.64	3.00	18.64	11.87	22.86
7.	भोजपुर	16.67	12.85	11.94	15.00	18.34	18.01	14.44	18.01	8.85	22.09
8.	बक्सर	14.31	12.98	9.72	10.79	17.83	15.18	11.08	15.18	11.92	18.62
9.	दरभंगा	18.97	17.17	13.08	14.34	23.60	20.78	11.14	20.78	20.78	25.49
10.	गया	21.18	19.16	14.31	16.07	26.29	23.44	15.63	23.44	8.17	28.75
11.	गोपालगंज	16.23	14.70	10.99	16.23	16.23	17.49	11.96	17.49	23.02	21.45
12.	जमूई	15.24	13.82	10.32	11.53	18.95	16.30	14.20	16.30	13.15	20.00
13.	जहानाबाद	14.48	13.13	9.79	11.41	17.55	15.38	10.18	14.02	13.23	17.21
14.	कैमूर (भबुआ)	15.17	13.76	10.23	11.47	18.87	16.22	11.30	16.22	7.19	19.89
15.	कटिहार	17.44	15.80	11.81	13.58	17.44	18.95	3.94	18.95	22.03	23.24
16.	खगरिया	13.89	12.60	9.38	10.50	17.28	14.68	7.95	14.68	5.87	17.99
17.	किशनगंज	14.23	12.91	9.66	14.23	14.23	15.08	7.65	15.08	13.26	18.50
18.	लखीसराय	12.69	11.52	8.77	9.55	15.83	13.23	9.55	13.23	8.59	16.23
19.	मधेपुरा	14.65	13.29	9.96	13.19	16.11	15.59	12.95	15.59	9.29	19.13
20.	मधुबनी	20.43	18.50	18.03	14.39	26.47	22.53	14.56	22.53	10.43	27.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	मुंगेर	13.52	12.26	9.90	10.04	17.00	14.23	10.35	14.23	14.23	17.46
22.	मुजफ्फरपुर	20.59	18.63	14.88	15.33	25.85	22.73	14.80	22.73	14.68	27.88
23.	नालंदा	16.94	15.35	12.34	12.55	21.33	18.34	10.74	18.34	18.34	22.51
24.	नवादा	15.76	14.30	10.73	11.98	19.54	16.92	15.06	16.92	10.74	20.75
25.	पश्चिम चंपारण	20.40	18.46	14.02	15.36	25.44	22.50	13.38	22.50	22.50	27.62
26.	पटना	22.79	20.61	15.39	17.18	28.40	25.38	16.62	25.38	17.05	31.13
27.	पूर्वी चंपारण	21.57	19.51	15.76	21.57	21.57	23.90	11.22	23.90	23.78	29.31
28.	पूर्णिया	17.92	16.23	12.58	17.92	17.92	19.52	9.12	19.52	19.52	23.95
29.	रोहताश	18.12	14.14	13.46	14.31	21.93	19.76	12.78	19.76	16.55	24.23
30.	सहरसा	14.52	13.17	9.80	11.74	17.30	15.44	9.35	15.44	9.63	18.94
31.	समस्तीपुर	19.62	17.75	13.24	19.62	19.62	21.56	11.19	21.56	10.44	26.44
32.	सारण	19.11	17.30	12.92	14.49	23.73	20.95	12.74	20.95	11.72	25.68
33.	शैखपुरा	11.58	10.53	7.81	11.58	11.58	11.90	6.57	11.90	17.23	14.59
34.	शिवहर	11.36	10.32	7.67	8.59	14.13	11.63	9.14	11.63	1.93	14.26
35.	सीतामढ़ी	17.63	15.97	12.13	13.28	21.98	19.17	15.27	19.17	7.98	23.51
36.	सिवान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	19.28	26.27
37.	सुपौल	15.51	14.05	11.41	11.51	19.51	16.62	9.78	16.62	7.24	20.38
38.	वैशाली	17.50	15.85	11.81	13.46	21.54	19.02	12.40	19.02	25.64	23.33
विकास अनुदान (डीजी)-कुल		602.99	541.78	421.54	493.21	708.91	652.05	408.58	684.70	490.51	839.80
क्षमता निर्माण (सीबी)		36.00	0.00	0.00	25.78	31.34	36.00	0.00	38.00	0.00	38.00
कुल योग (डीजी+सीबी)		638.99	541.78	421.54	518.99	740.25	688.05	408.58	722.70	490.51	877.80

नोट: अरवल जहानाबाद जिला से अलग कर नवसृजित जिला है तथा सिवान वर्ष 2012-13 से शामिल किया गया नया जिला है।

[अनुवाद]

डीजल की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति

3293. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान डीजल की दोहरी मूल्य निर्ध्सारण नीति के कारण महाराष्ट्र सहित देश में रेलवे और राज्य परिवहन निगमों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) डीजल की बिक्री पर सार्वजनिक क्षेत्र की तीन विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) की अल्प वसूली को कम करने के उद्देश्य से, सरकार ने दिनांक 17 जनवरी, 2013 को ओएमसीज को अगले आदेश होने तक (क) डीजल की खुदरा बिक्री मूल्य में 40 पैसे से 50 पैसे तक प्रति लीटर प्रति मास (विभिन्न राज्य/संघ शासित प्रदेशों में लागू वैट को छोड़कर)की वृद्धि करने के लिए और (ख) ओएमसीज के संस्थापनों से सीधे थोक आपूर्तियां ले रहे सभी उपभोक्ताओं को गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्यों पर डीजल की बिक्री करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

सरकार को महाराष्ट्र सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्यों पर डीजल की खरीद पर राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयूज), मछुआरों, आदि के समक्ष आ रही कठिनाइयों को रेखांकित किया गया है। एसटीयूज को उपयुक्त राहत प्रदान करना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर है जिसमें राज्य करों को तर्कसंगत बनाने के माध्यम से राहत देना भी शामिल है। इसके अलावा, मछुआरों के सामने आ रही कठिनाइयों को दर्शाने वाले अनेक अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद सरकार ने दिनांक 7 फरवरी 2013 से मछुआरा उपभोक्ता पंपों की डीजल की आपूर्ति ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए लागू मूल्य पर करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प

3294. श्रीमती रमा देवी:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक पेट्रोल पम्प संविदा आधार पर चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पेट्रोल पम्पों में अफसरों के साथ सांठ-गांठ के कारण मिलावट, कम तेल मापने और अन्य अनियमितताओं के मामले सूचित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच/समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी जांच/समीक्षा का क्या परिणाम रहा और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) 946 खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) कम्पनी के स्वामित्व में कम्पनी द्वारा प्रचालित (कोको) आधार पर प्रचालित कर रही हैं। ऐसे आरओज का रोजमर्रा का प्रचालन कम्पनी अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाता है। प्रांगण पर स्टाफ सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, जो कार्पोरेशन में संविदा पर होता है ताकि ऐसी सेवाओं के लिए स्टाफ उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 (अप्रैल-जून) के दौरान ओएमसीज द्वारा कोको आरओज में अधिकारियों के साथ सांठगाठ से हुई किसी अनियमितता की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचीत-V क्षेत्रों में खनन

3295. श्री अजय कुमार: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुसूची क्षेत्रों में खनन कार्य केवल अनुसूचित जनजातियां (एसटी) के लोगों या उनके स्वामित्व वाले संगठनों अथवा सरकारी क्षेत्रक कंपनियों द्वारा ही किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1997 में समता बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में ए.पी. अनुसूचित क्षेत्र अंतरण विनियमन, 1959 (विनियमन) का निर्वचन करते हुए यह माना कि विनियमन की धारा 3(1) के शब्दों "किसी व्यक्ति द्वारा..... अचल संपत्ति का अंतरण" में राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे की स्वीकृति के माध्यम से अंतरण शामिल है। धारा 3(1) के निर्वचन में किसी गैर-अनुसूचित जनजाति के पक्ष में ऐसे किसी अंतरण को प्रतिबंधित करने के रूप में की गई थी और बाद में यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे अंतरण पूर्णतया अमान्य होंगे।

उसके बाद, माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2001 में बालको कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारतीय संघ एवं अन्य में यह बताया कि:

"चूंकि हमारे पास समता मामले में बहुमत निर्णय की परिशुद्धता के संबंध में ठोस आरक्षण हैं, जिसमें न केवल उपरकथित ए.पी. अनुसूचित क्षेत्र भूमि अंतरण विनियमन, 1959 की धारा 3(1) के प्रावधानों का निर्वचन है बल्कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का भी निर्वचन है, उक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि मध्य प्रदेश में लागू होने वाला

कानून उपरकथित आंध्र प्रदेश के विनियमन के समान अथवा समरूप नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) में यह प्रावधान है कि संविधान के प्रावधानों का निर्वचन करने वाला किसी भी सारवान विधि प्रश्न का विनिश्चय पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा ही किया जाएगा। समता मामले में, तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने 2:1 के बहुमत से संविधान की पांचवीं अनुसूची की व्याख्या की।"

केंद्र सरकार ने 12.12.2011 को लोक सभा में खान और खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2011 प्रस्तुत किया जिसमें जनजातियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान/विशेषताएं हैं:

(i) सभी गवेषणात्मक गतिविधियों के लिए गवेषण क्षेत्र पर पेशेवर अथवा भोगाधिकार या परम्परागत अधिकार रखने वाले व्यक्ति अथवा परिवार को उचित मुआवजा देय होगा।

(ii) सभी खनन पट्टाधारकों को वार्षिक आधार पर जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) में वार्षिक भुगतान देना होगा जो- प्रमुख खनिजों (कोयले के अतिरिक्त) के मामले में रॉयल्टी के बराबर राशि और कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26% के बराबर राशि; और गौण खनिजों के मामलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि (क्योंकि गौण खनिजों के लिए रॉयल्टी का निर्धारण राज्यों द्वारा किया जाता है और विभिन्न राज्यों में यह अलग-अलग होता है) जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) को देय होगा।

(iii) पट्टाधारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन में जमा राशि के एक भाग का उपयोग खनन गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों को नियमित भुगतान के लिए किया जाएगा।

(iv) खनन कंपनियों खनन से प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सममूल्य पर न्यूनतम एक शेयर आबंटित करेगी।

(v) खनन कंपनियां, पुनर्वास एवं पुनःव्यवस्थापन नीति के तहत यथा निर्धारित अनुसार रोजगार अथवा अन्य मुआवजा देगी।

(vi) खनन पूरा हो जाने पर खनन कंपनियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को खान बंदी एवं पुनर्व्यवस्था प्रणाली की प्रक्रिया के भाग के रूप में क्षतिपूर्ति यदि कोई हो तो, के लिए भुगतान करना होगा।

(vii) पंचायत (सूचीबद्ध क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए) में प्रावधान हैं कि गौण खनिजों हेतु रियायत दिए जाने के लिए स्थानीय ग्राम सभा/जिला परिषद की सहमति लेना आवश्यक है। तदनुसार, 5वीं तथा 6वीं अनुसूची के क्षेत्रों में खनिज रियायतें देने के लिए पीईएसए के तहत परिभाषित किसी प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा/जिला परिषद से परामर्श करना आवश्यक है।

(viii) राज्य पांचवीं और छठीं अनुसूची के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की सहकारिता को खनिज रियायतें देने हेतु प्राथमिकता दे सकता है।

(ix) सभी पट्टाधारियों को अपने खनन लाभ को खनन द्वारा प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों सहित सभी स्थानीय लोगों के साथ साझा करना होगा। इससे खनन कंपनियों को आदिवासी क्षेत्रों में वैज्ञानिक खनन से समझौता किए बगैर खनन के लिए "सामाजिक अनुज्ञप्ति" मिल जाएगी।

बीपीसीएल वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

3296. श्री अब्दुल रहमान:
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) को विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके प्राधिकृत एजेन्टों/डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा बीपीसीएल के प्राधिकृत एजेन्टों/डीलरों की ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि पिछले 3 वर्षों अर्थात 2010-11 से 2012-13 के दौरान और चालू वर्ष में जून, 2013 तक अनियमितताओं के सिद्ध मामलों के कारण उन्होंने देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) को समाप्त किया है, 3 आरओज की बिक्री और आपूर्तियां बंद कर दी हैं और 34 आरओज पर पैनल्टी लगाई है। इसी अवधि के दौरान देश में बीपीसीएल के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर अनियमितताओं के 387 सिद्ध मामले पाए गए। इन सभी मामलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की विपणन दिशा-निर्देशों के अनुसार दंडित किया गया है। मिट्टी तेल डीलरशिपों के मामले में बीपीसीएल ने वर्ष 2010-11 और 2012-13 के दौरान क्रमशः एक मिट्टी तेल डीलरशिप की आपूर्ति बंद की हैं और 2 डीलरशिपों के एसकेओ लाइसेंस निलंबित किए हैं।

(ग) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जारी द मोटर स्प्रिट एंड हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति, वितरण और कदाचारों का निवारण संबंधी विनियमन)आदेश, 2005 में अपमिश्रण जैसे कदाचारों के लिए दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन, कालाबाजारी जैसी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" जारी किया है और 'विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001' बनाए हैं जिनमें एलपीजी के विपथन में लिप्त एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

पीडीएस कैरोसीन की कालाबाजारी/विपथन को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी कैरोसीन (प्रयोग पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश 1993 में प्रावधान किए हैं जिसमें यह बताया गया है कि डीलरों को सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य पी पीडीएस कैरोसीन की ब्रिक्री करनी होती है और प्रमुखत: स्टोर के विशिष्ट स्थल पर भंडार स्थल सहित व्यावसायिक स्थल पर स्टॉक व मूल्य बोर्ड लगाना होता है। इस नियंत्रण आदेश के तहत, कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, राज्य सरकारों को शक्ति प्रदान की गई है।

सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों में सार्वजनिक क्षेत्र की विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर विभिन्न अनियमितताओं/कदाचारों पर रोक लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण, वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के आवागमन की निगरानी शामिल है।

बीमा योजनाएं

3297. श्री शिव कुमार उदासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत चल रही बीमा योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत अर्जित लाभ कितना है;

(ख) क्या देश में अन्य विश्व स्तरीय बीमा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एलआईसी द्वारा नई बीमा योजना प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नई योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय जीव न बीमा निगम (एलआईसी) ने सूचित किया है कि 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार, उसके 53 व्यक्तिगत उत्पाद तथा 10 पेंशन एवं समूह योजनाएं (पीएण्डजीएस) थीं। एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 24 के अनुसार एलआईसी केवल एक निधि बनाए रखती है तथा कारपोरेशन की सभी आय उसी में जमा की जाती हैं तथा कारपोरेशन के सभी भुगतान उसमें से किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 26 में उपबंधित है कि कारपोरेशन के जीवन बीमा व्यापार की वित्तीय स्थिति की वार्षिक बीमांकीक जांच की जाएगी तथा इस जांच के परिणामस्वरूप यदि कोई अधिशेष बचता है तो उसे उक्त अधि नियम की धारा 28 के अनुसार पालिसीधारकों में वितरित किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के लिए कुल अधिशेष निम्नानुसार है:-

वर्ष	मूल्यांकन अधिशेष (करोड़ रुपए में)
2009-10	20618.45
2010-11	22752.34
2011-12	25624.58

भाग लेने वाले सभी उत्पादों (लाभ सहित) के लिए परिशोधित बोनस की घोषणा मूल्यांकन अधिशेष से की जाती है। इन भाग लेने वाले उत्पादों के अंतर्गत मौजूद सभी पालिसियां पालिसी दस्तावेज में यथा निहित शर्तों को पूरा करने की शर्त पर बोनस हेतु पात्र हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उत्पाद हेतु घोषित परिशोधित बोनस की दरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) एलआईसी ने इसके अतिरिक्त यह सूचित किया है कि बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण ने फरवरी, 2013 में पारम्परिक जीवन बीमा उत्पादों (नॉन लिंक्ड) तथा यूलिप (लिंक्ड) के लिए नए विनियमन जारी किए हैं। तदनुसार, व्यक्तिगत जीवन कारोबार के साथ-साथ समूह जीवन कारोबार के अंतर्गत बेची जाने वाली नई बीमा पालिसियों को व्यक्तिगत जीवन कारोबार के लिए 1 अक्टूबर, 2013 तक तथा समूह जीवन कारोबार के लिए 1 अगस्त, 2013 तक इन विनियमनों का अनुवर्ती होना चाहिए। परिणामस्वरूप, एलआईसी को उसके अधिकतर उत्पादों में सुधार/बदलाव लाने की आवश्यकता है। एलआईसी पालिसीधारकों तथा समाज की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर नए उत्पाद भी बनाती है।

(घ) नए विनियमनों के परिणामस्वरूप एलआईसी ने व्यक्तिगत जीवन बीमा कारोबार उत्पादों तथा पांच समूह कारोबार योजनाओं को इरडा के पास श्रेणीबद्ध किया है, जिसमें से एक समूह कारोबार योजना अनुमोदित हो गयी है।

विवरण

भाग लेने वाली योजनाओं (लाभ योजनाओं सहित) के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए घोषित परिशोधित बोनस दरें

			मार्च में समाप्त वर्ष हेतु परिशोधित बोनस दरें (प्रति हजार बीमित राशि)		
क्र.सं.	योजना	अवधि (वर्षों में)	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
1.	आजीवन प्रकार की योजनाएं		70	70	70
2.	बंदोबस्त प्रकार का योजनाएं	< 11	34	34	34
		11 से 15	38	38	38
		16 से 20	42	42	42
		> 20	48	48	48
3.	प्रत्याशित बंदोबस्त तथा धन वापसी योजना	12 व 15	32	32	32
		20	39	39	39
		25	44	44	44
4.	जीवन सुरभि	15	34	34	34
		20	41	41	41
		25	50	50	50
5.	जीवन मित्र (दुगना कवर)	< 16	40	40	40
		16 से 20	44	44	44
		> 20	48	48	48
6.	जीवन मित्र (तिगुना कवर)	< 16	40	40	40
		16 से 20	45	45	45
		> 20	50	50	50
7.	जीवन साथी और सीमित भुगतान बंदोबस्त	< 16	40	40	40
		16 से 20	44	44	44
		> 20	48	48	48
8.	जीवन आनंद	5	34	36	36
		6 से 10	34	36	36
		11 से 15	37	39	39

1	2	3	4	5	6
		16 से 20	41	43	43
		> 20	45	47	47
9.	जीवन रेखा	< 11	49	49	49
		11 से 15	44	44	44
		16 से 20	40	40	40
		> 20	34	34	34
10.	जीवन अनुराग	< 11	38	38	38
		11 से 15	40	40	40
		16 से 20	42	42	42
		> 20	44	44	44
11.	न्यू जीवन सुरक्षा-I	< 6	21	21	21
		6 से 10	27	27	27
		11 से 15	31	31	31
		> 15	35	35	35
12.	न्यू जीवन धारा-I	< 6	20	20	20
		6 से 10	25	25	25
		11 से 15	28	28	28
		> 15	32	32	32
13.	जीवन तरंग	10	40	46	46
		15	44	46	46
		20	48	48	48
14.	जीवन मधुर	< 11	20	21	21
		11 से 15	25	26	26
15.	चाइल्ड कैरियर प्लान	11 से 15	34	34	34
		16 से 20	38	38	38
		> 20	40	40	40
16.	चाइल्ड फ्यूचर प्लान	11 से 15	36	38	38
		16 से 20	40	42	42
		> 20	42	44	44
17.	जीवन भारती	15	38	38	38
		20	40	40	40
18.	जीवन श्री-I	10 व 15	40	42	42

1	2	3	4	5	6
		20	44	46	46
		25	48	50	50
19.	जीवन निधि	< 11	32	32	32
		11 से 15	34	34	34
		16 से 20	36	36	36
		> 20	38	38	38
20.	जीवन प्रमुख योजना	10 व 15	40	44	44
		20	44	48	48
		25	48	52	52
21.	जीवन अमृत	10 से 15	30	30	30
		16 से 20	30	30	30
		> 20	30	30	30
22.	जीवन भारती-I	15	28	29	29
		20	30	31	31

अल्पावधि फसल ऋण

3298. श्री नलिन कुमार कटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि स्वर्ण ऋण योजना के अंतर्गत लिए गए अल्पावधि फसल ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना प्रयोज्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि कुछ बैंकों द्वारा किसानों को उक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कृषि स्वर्ण ऋण योजना के लिए ब्याज सहायता योजना का लाभ देना अनिवार्य करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) अल्पावधि फसल ऋण प्राप्त करने के लिए सोने को गिरवी रखने वाले किसान, जो ऐसे उद्देश्य के लिए उधारकर्ता के कृषक होने जैसे निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, को भी ब्याज सहायता प्रदान की जाती है; प्रभारित ब्याज दर सरकार द्वारा विनिर्धारित की गई दर से अधिक नहीं होनी चाहिए; ऋण की राशि कृषि ऋणों के वित्तपोषण के लिए विनिर्धारित पैमाने के अनुरूप होनी चाहिए; ऋण का प्रयोग वर्णित उद्देश्यों हेतु किया जाता है; तथा संवितरण एवं वसूली दोनों के ही संबंध में ऋतु अवधि (सीजनएलिटी) का पालन किया जाता है।

नाबार्ड समर्थित नवाचार

3299. श्री वरुण गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण नवाचार निधि द्वारा समर्थित नवाचारों की संख्या का रिकॉर्ड अनुरक्षित करती है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समर्थित ग्रामीण नवाचार निधि(आरआईएफ) के तहत निधिबद्ध परियोजनाओं/नवाचारों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2010-11 से अगस्त 2013 तक आरआईएफ वित्तपोषित परियोजनाओं की संख्या की राज्य-वार स्थिति

राज्य का नाम	2010-11 से 2012-13 तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	11	
आंध्र प्रदेश	35	
असम	7	
बिहार	35	5
छत्तीसगढ़	3	
गुजरात	14	
हरियाणा	8	1
हिमाचल प्रदेश	5	
जम्मू और कश्मीर	2	
झारखण्ड	13	
कर्नाटक	24	
केरल	28	3
मध्य प्रदेश	13	
महाराष्ट्र	14	1
मेघालय	2	
मिजोरम	2	
नागालैंड	3	
ओडिशा	19	
पंजाब	2	
राजस्थान	6	
सिक्किम	1	
तमिलनाडु	24	3
उत्तर प्रदेश	13	
उत्तराखण्ड	15	
पश्चिम बंगाल	13	3
कुल	312	16

स्रोत: नाबार्ड

अनाथों के कल्याण हेतु एनजीओ

3300. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार अनाथों के कल्याण में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इन एनजीओ को स्वीकृत, जारी और उनके द्वारा प्रयुक्त निधियां कितनी हैं;

(ग) क्या एनजीओ अनाथों के कल्याण प्रयोजनार्थ निधियों का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) देश में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चें जिनमें अनाथ बच्चे भी शामिल हैं, के पुनर्वास तथा पुन: एकीकरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत स्वयं द्वारा अथवा स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के गृह स्थापित करने तथा उनका रख-रखाव करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईसीडीएस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अनाथों के कल्याण के लिए कार्यरत एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की राज्य वार संख्या तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के गृहों तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) की स्थापना करने तथा उनका रखरखाव करने के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संस्वीकृत तथा निर्मुक्त की गई निधियों का सामान्यतया वर्ष के दौरान उपयोग कर लिया जाता है, तथापि अव्ययित शेष, यदि कोई हो, को बाद के वर्ष के लिए पात्र अनुदान में समायोजित कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई मामला मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में अनाथों के कल्याण के लिए कार्यारत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार के गृह तथा विशिष्टता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों की स्थापना करने तथा उनका रख-रखाव करने हेतु प्रदान की गई विशेष सहायता

विशिष्ठता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेन्सियां (एसएएएस)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम	एनजीओ द्वारा संचालित गृहों की संख्या	एनजीओ द्वारा संचालित विशिष्टता दत्तक ग्रहण की संख्या	संस्थागत देखभाल (रुपए लाख में)# निर्मुक्त की गई राशि				निर्मुक्त की गई राशि (रुपए लाख में)#			
				2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	553.50	1036.80	1995.94	704.83	119.48	142.88	126.79	63.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	1	-	-	2.75	1.38	-	-	14.35	1.39
3.	असम	-	4	52.36	-	240.93	19.78	15.15	-	24.30	5.82
4.	बिहार	-	2	363.62	135.80	720.05	80.13	10.80	13.59	13.21	6.61
5.	छत्तीसगढ़	15	1	-	-	262.07	88.44	-	-	1.82	0.91
6.	गुजरात	26	6	252.26	492.25	514.26	257.13	17.13	44.23	60.96	30.48
7.	हरियाणा	4	1	212.24	140.55	173.04	75.78	6.43	2.29	1.92	0.97
8.	हिमाचल प्रदेश	14	1	-	156.77	-	31.53	-	4.12	-	1.32
9.	झारखंड	2	5	-	150.37	-	55.88	-	11.90	-	3.72
10.	कर्नाटक	10	16	215.13	1031.66	914.49	457.25	26.29	133.25	123.04	61.52
11.	केरल	.	14	206.42	353.69	-	176.84	24.30	62.30	-	22.98
12.	मध्य प्रदेश	18	24	-	91.44	376.78	138.77	-	52.92	126.44	52.83
13.	महाराष्ट्र	51	17	3201.28	1061.73	626.94	313.47	172.17	112.45	54.50	27.25
14.	मणिपुर	11	6	26.43	174.11	197.42	98.71	39.70	8.10	39.69	19.85
15.	मेघालय	14	1	33.96	133.62	204.58	102.29	-	-	3.33	0.93
16.	मिजोरम	-	3	15.74	161.89	120.56	48.58	21.56	26.47	26.46	13.23
17.	नागालैण्ड	12	2	-	116.90	305.82	111.45	-	19.26	12.26	6.13
18.	ओडिशा	122	12	255.36	110.81	292.47	43.30	61.22	63.02	79.38	39.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	पंजाब	–	5	–	231.13	–	62.34	–	19.83	–	6.20
20.	राजस्थान	35	3	–	646.91	1696.61	370.59	22.17	24.44	105.24	40.25
21.	सिक्किम	3	1	–	51.12	–	6.75	–	1.80	–	0.16
22.	तमिलनाडु	197	15	60.04	790.86	3868.22	1678.74	41.85	106.14	91.93	45.96
23.	त्रिपुरा	2	3	175.65	114.50	137.09	68.32	6.80	36.52	54.62	27.31
24.	उत्तर प्रदेश	19	–	–	900.46	1360.46	975.17	–	62.49	25.62	12.81
25.	उत्तराखंड	1	–	–	–	–	74.03	–	–	–	4.03
26.	पश्चिम बंगाल	26	14	258.91	548.24	353.57	176.79	59.98	80.43	47.04	22.04
27.	चण्डीगढ़*	–	–	–	–	14.27	5.56	–	–	–	–
28.	दिल्ली	7	2	164.15	319.49	811.17	273.96	–	–	9.98	4.41
29.	पुदुचेरी	21	2	69.77	–	119.02	54.56	–	–	9.58	3.32
	कुल	610	161	6116.82	8951.10	15308.51	6552.35	645.03	1028.43	1052.46	525.52

इस राशि में सरकार तथा एमजीओ द्वारा संचालित गृहों और विशेष दत्तक-ग्रहण एजेन्सियों को संस्वीकृत तथा निर्मुक्त किया गया अनुदान शामिल है।
*संस्वीकृति-पत्र जारी कर दिया गया है, तथापि अनुदान संघ राज्यों क्षेत्र द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत किए जाने के बाद ही निर्मुक्त किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय औषध कंपनियों के विरुद्ध विनियामक कार्यवाहियां

3301. श्री एन एस वी चित्तन:
श्री एकनाथ महादेव गायवाड:
श्री बापूराव भास्करराव पाटील:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत में यूएस फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) से भारतीय औषध निर्माण कंपनियों को विनियामक कार्रवाईयों जैसे ड्रग, रिकॉल, चेतावनी पत्र और दण्ड के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार/भारत के महा औषधि नियंत्रक (डीसीजीआई) ने मामले की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। यू एस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफीडीए) ने निम्नलिखित भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मामले में देश में लागू यू एस एफ डी ए यूएस एफडीए विनियमों के उल्लंघनों और विसामान्यताओं के संबंध में कुछेक नियामक कार्रवाई की है:-

1. मेसर्स रेनबेक्सी लेब्रोटरीज लि;

2. मेसर्स वाकहार्ड लि;

3. मेसर्स होस्पीरा हेल्थकेयर इंडिया प्रा.लि;

4. मेसर्स आरपीजी लाइफ साइसेंस लि;

(ग) से (ङ) भारत के महा औषधि नियंत्रक [(डीसीजी) (आई)] ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि औषधियों की निरीक्षण प्रणालियों और परीक्षणों के माध्यम से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के तहत निर्धारित मानकों और उत्तम विनिर्माण पद्धतियों के अनुपालन में औषधि विनिर्माण की उक्त कर्म के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं।

आंगनवाडी केन्द्रों का अस्तित्व में नहीं होना

3302. श्री राजेन गोहैन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया है कि अनेक आंगनवाडी केन्द्र वास्तव में विद्यमान नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित उपयुक्त कदम क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) इस प्रकार की कोई घटना सरकार के ध्यान में नही आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

3303. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:
श्री एस. सेम्मलई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की उर्वरक उत्पादन इकाइयों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कितनी कमी की गई है

(घ) क्या उक्त कमी के परिणामस्वरूप उर्वरकों के उत्पादन में कमी आने और इसकी उत्पादन लागत में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाए किए गए/प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों में उर्वरक क्षेत्र को गैस की आपूर्ति सतत् रूप से बढ़ी है। पिछले तीन वर्षों में उर्वरक क्षेत्र को आपूरित घरेलू गैस और आयातित पुनर्गैसीकृत प्राकृतिक गैस (आर-एलएनजी) का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(एमएमएससीएमडी)

वर्ष	घरेलू गैस आपूर्ति	आर-एलएनजी आपूर्ति	कुल आपूर्ति
2010-11	30.97	7.56	38.53
2011-12	30.96	7.94	38.9
2012-13	31.5	8.68	40.18

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सीएनजी स्टेशन

3304. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड का विचार मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) मदर स्टेशनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त स्टेशनों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड की मध्य प्रदेश संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का मूल केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। तथापि गेल (इंडिया) लिमिटेड को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गेल गैस लिमिटेड को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा देवास (मध्य प्रदेश) में नगर गैस वितरण परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[अनुवाद]

कैंसर केन्द्र और अस्पताल

3305. श्री नीरज शेखरः
डॉ रतन सिंह अजनालाः
श्री उदय प्रताप सिंहः
श्री यशवीर सिंहः
श्री अर्जुन मेघवालः
श्री देवराज सिंह पटेलः
श्री पन्ना लाल पुनियाः
श्री के. सी. सिंह 'बाबा':
श्री मानिक टैगोरः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कैंसर के निदान और उपचार के लिए चलाए जा रहे कैंसर केन्द्रों और अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इनमें से देश में स्थापित केन्द्रों और अस्पतालों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली सहित कैंसर केन्द्रों और अस्पतालों में मौजूद निदान और उपचार सुविधा देश में विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में कैंसर के मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार देश विशेषरूप से सुविधाहीन/कम सुविधा वाले भागों में मौजूदा कैंसर केन्द्रों और अस्पतालों के उन्नयन और उनके नेटवर्क में विस्तार का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) कैंसर का विभिन्न स्तरों पर निदान और उपचार सरकारी स्वास्थ्य देखभाल सुपुर्दगी प्रणाली में किया जा सकता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही ऐसी सुविधा केन्द्रों की संख्या की सूचना केन्द्र में नहीं रखी जाती। तथापि, कैंसर के निदान और उपचार प्रदान करने वाले केन्द्रीय सरकार के संस्थानों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, डॉ आरएमएल अस्पताल, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर पुदुच्चेरी, राष्ट्रीय चितरंजन कैंसर संस्थान (सीएनसीआई), कोलकाता के अलावा भारत सरकार देश भर में क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), के तहत बारह (12) कैंसर देखभाल सुविधा केन्द्रों को सहायता दी गई है, जो निम्नवत है:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	सहायता दिए गए संस्थानों की संख्या		कुल संख्या
		2011-12	2012-13	
1	आंध्र प्रदेश	1		1
2	अरुणाचल प्रदेश		1	1
3	हिमाचल प्रदेश		1	1
4	केरल	2	2	4
5	महाराष्ट्र		1	1
6	मिजोरम	1		1
7	पंजाब	1		1
8	सिक्किम		1	1
9	तमिलनाडु	1		
	योग	7	5	12

*2010-11 किसी भी संस्थान को वित्तीय सहायता नहीं दी गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) वर्ष 2013-17 की अवधि में, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और पक्षघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीएस) के तहत, जिला स्तर और उससे कम स्तर तक की कैंसर रोकथाम, स्क्रीनींग और निदान से संबंधित गतिविधियों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएस) के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तृतीयक देखभाल कैंसर केन्द्रों को मजबूत बनाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 3200 करोड़ रुपए दिये गये हैं। संसाधनों और परस्पर वरीयता के उपलब्धता को देखते हुए स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों का संवर्धन करना मंत्रालय का अनवरत प्रयास है।

[हिन्दी]

चिकित्सा की आयुष प्रणाली

3306. श्री हुक्मदेव नारायण यादव:
श्री तूफानी सरोज:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा प्रणाली हेतु समुचित निधियां उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयुष चिकित्सा प्रणाली हेतु आवंटित निधि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने, विकास और अनुसंधान हेतु सरकार द्वारा की गई कार्रवाई/प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ देशों ने आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है एवं सरकार से उनके अपने देश में आयुष संस्थानों की स्थापना में मदद का अनुरोध किया है; और

(ङ) आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी): (क) और (ख) देश में आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) चिकित्सा पद्धतियों के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के लिए अलग-अलग बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ों में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
2010-11	800,00	888.00	848.90
2011-12	900.00	650.00	611.47
2012-13	990.00	670.00	580.27
2013-14	1069.00	-	197.00 (23.08.2013 तक)

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए आबंटन और खर्च की गई निधियों का पद्धति-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में देखा जा सकता संलग्न है।

(ग) देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन, विकास और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावित क्रियाकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) कई देशों ने अपने देशवासियों के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन में रुचि दिखाई है। श्रीलंका में होम्योपैथी कॉलेज स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु श्रीलंकाई सरकार से एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ङ) वैश्विक रूप से आयुष चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन आयुष विभाग के अधिदेशों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियां आरम्भ की गई हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों का आदान-प्रदान; अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन, बाजार सर्वेक्षण और अध्ययन संचालित करना; आयुष संवर्धनात्मक विंडो/कीओस्क/इलैक्ट्रानिक नेटवर्किंग सुविधाएं स्थापित करना; विदेशों में आयुष के बारे में विश्वसनीय सूचना के प्रसार के लिए भारतीय दूतावासों/मिशनों में आयुष सूचना एकांश/स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना; भारत में प्रमुख संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विदेशी नागरिकों को आयुष फैलोशिप प्रदान करना; आयुर्वेद और यूनानी पीठ स्थापित करना आदि।

विवरण I

गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए आबंटित और खर्च की गई पद्धति-वार निधियां

(रुपए करोड़ों में)

क्र.सं.	समूह-वार स्कीमें	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	23.8.2013 की स्थिति के अनुसार व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें												
1.	सचिवालय-आयुष विभाग	11.00	11.00	12.83	11.50	18.29	14.88	21.39	21.39	17.71	22.00	4.84
2.	आयुर्वेद	107.05	146.57	126.57	141.62	139.29	118.26	152.27	153.84	149.27	175.65	59.35
3.	होम्योपैथी	52.03	66.19	66.98	55.03	55.40	54.48	62.91	76.27	75.93	99.65	61.23
4.	यूनानी	44.39	49.89	49.74	46.00	61.27	66.27	69.78	73.18	71.23	86.40	48.85
5.	योग व प्राकृतिक चिकित्सा और सिद्ध	21.60	30.00	43.24	37.50	33.13	32.01	47.76	32.56	28.69	59.30	5.63
6.	राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड	50.00	54.50	53.94	58.00	52.50	51.99	65.00	48.56	40.82	70.00	4.68
7.	आयुष उद्योग समूहों के लिए साझा सुविधाओं का विकास	25.00	25.00	19.75	25.00	18.17	8.32	21.93	8.00	8.92	20.00	0.65
8.	आयुष की अन्य स्कीमें	149.93	172.50	145.15	135.71	109.60	100.53	138.19	94.36	75.87	156.10	11.46
	कुल: केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें	461.00	544.65	518.20	510.36	469.36	446.74	579.23	508.16	468.44	689.10	196.69
केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम												
	आयुष का संवर्धन	282.00	293.15	282.26	333.00	124.00	115.63	345.00	107.00	72.61	298.00	0.06
9.	आयुष संस्थानों/कॉलेजों का विकास और उन्नयन	45.00	45.00	44.17	50.00	21.00	21.00	55.00	15.00	0.00	50.00	
10.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	232.00	244.00	234.14	275.00	100.00	93.43	280.00	90.00	71.96	240.00	0.06
	आयुष अस्पतालों एवं औषधालयों का विकास और आयुष को मुख्यधारा में लाना	232.00	244.00	234.14	275.00	100.00	93.43	280.00	90.00	71.96	240.00	0.06
11.	एएसयू एवं हो. औषधों का	5.00	4.15	3.95	8.00	3.00	1.20	10.00	2.00	0.65	8.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	गुणवत्ता नियंत्रण											
	नई पहलें	57.00	50.20	48.44	56.64	56.64	49.10	65.57	54.84	39.22	70.50	0.25
	तकनीकी अस्पताल में विशेषज्ञता क्लिनिक/आईपीडी की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए आयुष अस्पताल और औषधालयों स्कीम में अतिरिक्त घटक	7.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.03	0.57	0.00	0.00	0.50	
12.	राट्रीय औषधीय पादप मिशन	50.00	50.00	48.24	56.14	56.14	49.07	65.00	54.84	39.22	70.00	0.25
	नई स्कीम											
	आयुष ग्राम							0.10	0.00	0.00	5.60	
	राष्ट्रीय आयुष स्वास्थ्य कार्यक्रम							0.10	0.00	0.00	5.70	
	राष्ट्रीय आयुष मिशन										0.10	
	कुल: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	339.00	343.35	330.70	389.64	180.64	164.73	410.77	161.84	111.83	379.90	0.31
	कुल: योग: मांग सं.-47	800.00	888.00	848.90	900.00	650.00	611.47	990.00	670.00	580.27	1069.00	197.00

विवरण II

देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन, विकास और अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा किए गए/प्रस्तावित कार्यकलाप

(i) विभाग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आरोग्य मेलों का आयोजन करता है। मेलों के दौरान आयुष पद्धतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा लोगों को प्रकाशित फोल्डर, पुस्तिकाएं और पर्चे तथा अन्य प्रचार सामग्री वितरित की जाती है।

(ii) देश के कोने-कोने में अधिकतम लोगों तक पहुंचने के लिए विभाग आयुष चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं को उजागर करने के लिए फिल्मों/दृश्य स्पाटों/श्रव्य स्पाटों का प्रसारण और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देकर प्रचार करता है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार के उद्देश्य से मल्टीमिडिया में अभियान जैसे दिल्ली मैट्रो, बस स्टापों, होर्डिंगों, कोलकाता मैट्रो, डीटीसी बसों, मुम्बई बसों अगले पैनलों, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान प्रवेश टिकटों पर प्रचार आरंभ किया गया है।

(iii) विभाग आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन से संबंधित संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करता है/में भाग लेता है।

(iv) सरकार ने व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान आरंभ करने, उसके समन्वय, निरूपण, विकास और संवर्धन के लिए प्रत्येक आयुष चिकित्सा पद्धति में एक केन्द्रीय अनुसंधान परिषद अर्थात पांच केन्द्रीय अनुसंधान परिषद स्थापित किए हैं। सरकार शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं और सम्मेलनों, विख्यात विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, आधुनिक अनुसंधान, राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं, भेषजसंहिता मानकों के विकास आदि को सहायता प्रदान करके अनुसंधान को प्रोत्साहित और संवर्धित भी करती है।

(v) विनियामक सुधारों और पारंपरिक भारतीय चिकित्सीय ज्ञान पर आधारित उत्पादों के गलत पटेंट को रोकने के आशय से बने पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय की औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण तथा पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। आयुष विभाग को नए कॉलेजों में विनियामक अनुमति प्रदान करने की मंजूर, प्रवेश में वृद्धि और अध्ययन के

नए पाठ्यक्रमों के लिए शक्तियां प्राप्त होने से अवमानक कॉलेजों की अंधाधुंध वृद्धि काफी हद तक नियंत्रित हुई है। एनआरएचएम के अंतर्गत आयुष को मुख्यधारा में लाना सरल रहा जिससे कुछ राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य नेटवर्क में आयुष सुविधाओं के वास्तविक एकीकरण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष जनशक्ति के उपयोग को बढ़ावा मिला। राष्ट्रीय हित में इन उपलब्धियों को और आगे बढ़ाने तथा स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए विभाग ने बहिर्वती अनुसंधान स्कीम सहित पांच केन्द्रीय प्रायोजित और बड़ी संख्या में केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें क्रियान्वित की हैं।

(vi) पिछले कुछ वर्षों में विभाग के अनुमोदित आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन, विकास और अनुसंधान के लिए 12वीं पंच वर्षीय योजना का 10044 करोड़ रुपये का आबंटन 11वीं योजना के वास्तविक व्यय से 235% अधिक बैठता है।

[अनुवाद]

आपराधिक जांच निदेशालय

3307. श्री पी. कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आपराधिक जांच निदेशालय (डीसीआई) की भूमिका और कार्य क्या हैं तथा इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी;

(ख) क्या सरकार उक्त निदेशालय के कार्यकरण से संतुष्ट हैं;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना से इसके द्वारा की गई उपलब्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने डीसीआई को समाप्त कर दिया है/समाप्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा डीसीआई के कार्यकरण के और अधिक सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदास सीलम): (क) आपराधिक जांच निदेशालय (डी सी आई) का सृजन ऐसे आपराधिक मामलों, जिसका कोई ऐसा वित्तीय निहितार्थ हो जो अन्य बातों के साथ-साथ (i) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय -XXII; और (ii) धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अध्याय-VIII सहित किसी प्रत्यक्ष कर कानून के अन्तर्गत अपराध के रूप में दण्डनीय हो, के संबंध में कार्यों को निष्पादित करने हेतु दिनांक 30 मई, 2011 और 19 अगस्त, 2011 की अधि सूचना के द्वारा किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) आपराधिक जांच निदेशालय अन्य देशों से सूचना प्रोटोकॉलों के आदान-प्रदान के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना सहित विनिर्दिष्ट श्रेणी के मामलों में जांच करने के अलावा प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाहियों में आयकर विभाग की विभिन्न शाखाओं के द्वारा उपयोग में लाने हेतु आसूचना के एकत्रण, मिलान, प्रचार-प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।

एकत्रित की गई सूचना का एक बड़ा भाग वार्षिक सूचना विवरणी (ए आई आर) और केन्द्रीय सूचना शाखा (सीआईवी) के जरिए एकत्रित किया जाता है। ऐसी सूचना का अन्य बातों के साथ-साथ संवीक्षा मामलों के कम्प्यूटर की सहायता से चयन के संबंध में भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, आपराधिक जांच निदेशालय ने 8 निदेशालय ने 8 मामलों में तलाशी और अभिग्रहण संकार्य भी किए हैं जिनमें पाई गई अप्रकटित आय 438 के करोड़ रुपये लगभग थी।

इसके अलावा, आपराधिक जांच निदेशालय ने प्रणाली निदेशालय के साथ सहयोग से फरवरी-मार्च, 2013 में 'विवरणी दायर न रने वाली की एक निगरानी प्रणाली (नॉन-फाईलर्ज मानीटरिंग सिस्टम)' नामक एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है जिससे कर आधार को बढ़ाने और गहन बनाने, दोनों प्रकार से काफी उत्साहपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं

आपराधिक जांच निदेशालय ने बहुत से बैंकों द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी) संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के आरोपों की प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत जांच-पड़ताल करने जिसका प्रत्यक्ष करों के अपवंचन पर प्रभाव पड़ा है, सहित अन्य विभिन्न परियोजनाएं भी हाथ में ली है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) आपराधि जांच निदेशालय के आसूचना से संबंधित कार्यों को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न कदम उठाये गए हैं। इनमें निदेशालय के कार्यकरण को और प्रभावी बनाने हेतु सीआईबी/एआईआर कोडों को युक्तिसंगत बनाने सहित विधायी और प्रशासनिक हस्तक्षेप (इन्टरवेंशन्स) भी शामिल हैं। आयकर विभाग की चल रही संवर्ग पुनर्संरचना को कार्यान्वित किए जाने पर आपराधिक जांच निदेशालय (डीसीआई) की संरचनाओं में भी उपयुक्त रूप से संवृद्धि होगी।

[हिन्दी]

एनबीएफसी एटीएम

3308. श्री दत्ता मेघे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को देश में आटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम) लगाने की अनुमति दे दी है/देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए चयनित/चिह्नित कंपनियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) के प्रचालन पर 20 जून, 2012 के दिशानिर्देश जारी किए हैं। एनबीएफसी सहित गैर-बैंकों (नान-बैंक्स) द्वारा डब्ल्यूएलए की स्थापना की जा सकती है।

आरबीआई ने सूचित किया है कि टाटा कम्युनिकेशन्स पेमेन्ट सोल्यूशन लि. को प्राधिकृत किया गया है तथा उसने अब प्रचालन प्रारम्भ कर दिया है, जबकि इन्हें सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है:

1. एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.
2. प्रिज्म मेमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
3. मणिपाल टेक्नालोजिस लि.
4. माइक्रोसिक्योर सोल्यूशंस लि.
5. एजीएस ट्रांसेक्ट टेक्नालोजिस लि.
6. मुथूट फाइनेंस लि.
7. वेस्ट बंगाल इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लि.
8. बैंकटेक/बीटीआई पेमेंटस लि.
9. माइक्रोसेक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
10. फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टमस प्रा. लि.
11. यूरोनेट सर्विसेस इंडिया प्रा. लि.
12. वकरंगी सॉफ्टवेयर लि.
13. रिद्धिसिद्धि बुलियंस लि.

वे दिशानिर्देशों में निहित शर्तों को पूरा करके देश में कहीं भी एटीएम स्थापित करने हेतु स्वतंत्र हैं।

पंचायतों को हाइटेक सुविधाएं

3309. श्री जयवंत गंगाराम आवले:
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के उद्देश्यों का कथन और मूल विशेषताएं क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा बीआरजीएफ के अंतर्गत आयोजना हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए गए हैं एवं इसके अधीन जिलों के चयन हेतु क्या मानक हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम पंचायतों को बिजली की कमी के कारण कठिनाई को देखते हुए इसका समाधान करने के लिए 12वी पंचवर्षीय योजना में सभी ग्राम पंचायतों को हाइटेक ऊर्जा सुविधा प्रदान करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं बीआरजीएफ के अधीन प्रदान की गई/प्रदान की जा रही निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कार्यक्रम के प्रबंधन, बीआरजीएफ के प्रचालन एवं इस प्रयोजन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) गोवा को छोड़कर सभी राज्यों में कार्यान्वित पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) का पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम का जिला घटक की अभिकल्पना मूलत: 272 अभिचिह्नित पिछड़े जिलों के विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के मूल उद्देश्य के साथ की गई है। यह कार्यक्रम अभिचिह्नित जिलों में वर्तमान विकासात्मक अन्तर्प्रवाहों को अनुपूरित व अभिसरित करने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे कि स्थानीय अवसंरचना एवं अन्य विकास संबंधी जरूरतों में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटा जा सके। सामान्य रूप से अपनाए जाने वाले ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण की अपेक्षा आधारभूत स्तर से ऊपर की ओर तैयार की गई सहभागी योजनाओं पर विशेष जोर देने की इसकी विशेषता के कारण बीआरजीएफ कार्यक्रम नियोजन के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन का नेतृत्व करता है।

(ख) पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को जिला योजना समितियों द्वारा जिला योजनाओं में समेकित किया जाता है एवं उसके उपरांत उन्हें

संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया जाता है। विस्तृत दिशानिर्देश पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट www.panchayat.goy.in पर भी मौजूद हैं।

बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत पिछड़े जिले की पहचान योजना आयोग द्वारा कतिपय सामाजिक आर्थिक पैरामीटरों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसंख्या, अ.जा./अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत, महिला साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, विद्युत सुविधा से वंचित परिवारों की प्रतिशतता, कार्यरत जनसंख्या की अपेक्षा कृषि मजदूरों की प्रतिशतता इत्यादि जो कि किसी जिले के पिछड़ेपन को निर्धारित करने का पिछड़ापन सूचकांक को तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, के आधार पर योजना आयोग द्वारा की जाती है।

(ग) जिला घटक बीआरजीएफ निधियां अबद्ध प्रकृति की हैं, जिनका ऊर्जा संबंधी कार्यों समेत किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है बशर्ते, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सहभागी विकेद्रीकृत नियोजन प्रणाली में तैयार वार्षिक कार्य योजना में उन्हें शामिल किया गया हो।

(घ) बीआरजीएफ कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न दस्तावेजों यथा आवधिक वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों, वैध अंकेक्षकों का अंकेक्षण रिपोर्टों इत्यादि भेजने पर जोर देने के माध्यम से प्रबंधित व प्रचालित किया जाता है। बीआरजीएफ निधियां एक वित्तीय वर्ष के दौरान दो किश्तों में जारी की जाती हैं एवं प्रत्येक किश्त की निर्मुक्ति हेतु अनिवार्य शर्त, पूर्व में की गई निर्मुक्तियों का 60 प्रतिशत का राज्य सरकारों द्वारा उपयोग एवं उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करना है। बीआरजीएफ दिशानिदेश जिला स्तर पर एक समीक्षा समिति एवं पंचायत स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण एवं सतर्कता के माध्यम से कार्यों का अंकेक्षण का भी प्रावधान करते हैं।

ओएनजीसी द्वारा राज्यों को रायल्टी का भुगतान

3310. श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को रायल्टी के भुगतान की कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो 2012-13 के दौरान राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों को भुगतान की गई रायल्टी का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने इस संबंध में ओएनजीसी से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर रायल्टी, ओआरडीए के तहत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई दिनांक 16 दिसम्बर, 2004, 20 अगस्त, 2007 और 28 अगस्त, 2009 की अधिसूचनाओं के साथ पठित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (ओआरडीए), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नियम, 1959, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2003 के सांविधिक प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार (अपतट क्षेत्रों से उत्पादन के लिए) और राज्य सरकारों (अभितट क्षेत्रों से उत्पादन के लिए) को देय है।

वर्ष 2012-13 के दौरान ओएनजीसी द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को भुगतान की गई रायल्टी के राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपए में)

राज्य सरकार	2012-2013		
	रायल्टी		
	कच्चा तेल	गैस	योग
गुजरात	856.65	119.0	975.65
असम	389.87	20.15	410.02
तमिलनाडु	168.66	92.38	261.04
आंध्र प्रदेश	14.80	85.88	100.68
त्रिपुरा	0.13	39.57	39.70
राजस्थान	5,077.79	4.83	5082.62
झारखंड	-	0.21	0.21
योग राज्य सरकार	6,507.89	362.01	6,869.90
योग केन्द्र सरकार	2,588.43	1,352.23	3,940.66
कुल योग	15,604.22	2076.21	17,680.48

योगों में अंतर, यदि कोई हो तो यह आंतरिक योग और पूर्णांकित किए जाने के कारण है।

(ग) और (घ) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) केन्द्र और राज्य सरकारों को सांविधिक प्रावधानों के अनुसार रायल्टी का भुगतान करती रही है। इसके अलावा, सरकारी निर्देशों के अनुसार ओएनजीसी सहित अपस्ट्रीम कंपनियां नामांकित रकबों से उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर पीएसयू रिफाइनरियों को छूट प्रदान करती रही हैं।

परिणामतः ओएनजीसी ने 01 अप्रैल, 2008 से राज्य सरकारों (गुजरात सरकार सहित) को छूट के बाद के मूल्य पर और ओआरडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार को रायल्टी के भुगतान के अनुरूप रायल्टी का भुगतान करना शुरू कर दिया।

इस संबंध में गुजरात सरकार ने छूट पूर्व मूल्य पर रायल्टी का भुगतान करने के लिए ओएनजीसी को कुछ अभ्यावेदन दिए हैं जिनके लिए गुजरात सरकार को उचित उत्तर दे दिए गए थे।

यह भी समझा जाता है कि गुजरात सरकार ने छूट पूर्व मूल्य पर रायल्टी के भुगतान के मुद्दे पर केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है तथापि, केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि छूट के बाद के मूल्यों पर रायल्टी के भुगतान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया निर्णय विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विभिन्न सांविधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए मामले की पूरी तरह जांच किए जाने का परिणाम है। तदनुसार, ओएनजीसी द्वारा तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 2003 और इसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार सही तरीके से रायल्टी का भुगतान किया जा रहा है।

[अनुवाद]

जनजातियों का पुनर्वास

3311. श्री एम. के. राघवनः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में अरालम में जनजातियों के पुनर्वास के लिए भूमि आवंटित की है एवं इन जातियों की वर्तमान स्थिति के बारे में स्थिति रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संज्ञान में लिया है कि पुनर्वास केन्द्र में आवास, बालमृत्यु और बुनियादी सुविधाओं की अभी भी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो जनजातियों के संपूर्ण विकास के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 की अनुसूची-7 के तहत भूमि सूची-2 राज्य सूची में भूमि है।

(ख) (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्लाज्मा फ्रैक्सनेशन सेंटर

3312. श्री विलास मुत्तेमवारः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चेन्नई में प्लाज्मा फ्रैक्सनेशन सेंटर (पीएफसी) को स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है एवं मामले के अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं तथा अभी तक इसकी अनुमानित लागत में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा जरूरतमंद मरीजों को वहनीय कीमत पर प्लाज्मा डेरिवेटिव्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए पीएफसी को समयबद्ध तरीके से पूरा करने एवं इसके प्रचालन हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मौजूदा स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

प्लाज्मा फ्रैक्सनेशन सेंटर की मौजूदा स्थिति

प्लाज्मा रक्त के घटकों में से एक है और यह अनेक प्रोटीन जैसे इम्युनोग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फैक्टर VIII, फैक्टर IX आदि से बना होता है। प्लाज्मा फ्रैक्सनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्लाज्मा को अलग-अलग प्रोटीन फ्रैक्शनों में विभक्त किया जाता है जिन्हें स्वास्थ्य प्रणाली दवाओं में चिकित्सीय उपयोग हेतु आगे और विशुद्ध किया जाता है। ये उत्पाद अधिक रक्तस्राव से पीड़ित रोगियों की मदद करने में सफल होंगे।

250 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय सहित इस परियोजना के लिए चेन्नई में अक्टूबर, 2008 में मंत्रिमंडल का अनुमोदन ले लिया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने न्यू अवाडी रोड़, अन्नानगर और चेन्नई में पीएफसी की स्थापना हेतु लगभग 1.5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।

इस परियोजना के लिए अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के प्रकार का निर्णय लेने के लिए 2 जून, 2009 को पीएफसी हेतु कार्यकारी समूह का गठन किया गया था। कार्यकारी समूह की

सिफारिशों के आधार पर कोहन-क्रोमेटोलॉजी प्रौद्योगिकी को अपनाने का निर्णय लिया गया था।

अनुरोध प्रस्तावों की जांच करने और काम सौंपने के लिए फर्मों के मूल्यांकन तथा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुमोदन देने हेतु 10 अगस्त, 2009 को संचालन समिति का गठन किया गया था।

निर्माण क्षेत्र पर परियोजना के अधीक्षण के लिए और नाको तथा परियोजना के कार्यान्वयन में आवश्यक अन्य एजेंसियों के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति हेतु 01.05.2010 को अभिरूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रकाशित की गई थी।

4 फरवरी, 2011 को संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई थी और प्राप्त 14 अभिरूचि अभिव्यक्तियों (ईओआई) में से 5 कंपनियों को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में चुना गया।

अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) को अंतिम रूप देने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठक 20 अप्रैल, 2011 को आयोजित की गई और अनुरोध प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। 13 मई, 2011 को पांच चुनी गई कंपनियों को आरएफपी परिचालित किया गया था। दो कंपनियों ने अपने प्रस्ताव 11 जुलाई, 2011 को प्रस्तुत कर दिया।

विशेषज्ञ समूह की बैठक 2 और 3 अगस्त, 2011 को आयोजित की गई थी जिसमें एक कंपनी तकनीकी रूप से योग्य पाई गई।

संचालन समिति की बैठक 13 सितम्बर, 2011 को आयोजित की गई थी जिसने प्रदर्शन और ट्रैक रिकार्ड के आधार पर कोहन-क्रोमेटोग्राफी के रूप में पीएफसी की स्थापना हेतु प्रौद्योगिकी को मंजूरी दी। तकनीकी रूप से एकमात्र योग्य कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

परियोजना हेतु विभिन्न तकनीकी और अन्य रूपात्मकताओं का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञ समूह की बैठकों के कई दौर आयोजित किए गए, अंतिम बैठक 21 जून, 2013 को आयोजित की गई थी।

अधिक समय लगने के मुख्य कारण, नि:शुल्क भूमि प्राप्त करना और प्रौद्योगिकी को अपनाना था। परियोजना में परिणामी लगात वृद्धि के कारण परिशोधन और अनुमोदन लेना आवश्यक बन गया। मामले में और देरी से बचने के लिए, सरकार ने प्रस्ताव में संशोधन के लिए उचित उपाय शुरू कर दिए हैं और उन्हें राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-IV के दौरान शुरू करेगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रायल्टी

3313. श्री दिनेश चन्द्र यादव:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय को कंपनियों द्वारा रायल्टी के भुगतान के रूप में संवितरित निधियों के संबंध में सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रायल्टी का भुगतान पाने वाली कंपनियों का कंपनी-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विदेश से आने वाली निधि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) से (ग) रायल्टी भुगतानों के रूप में संवितरित निधियों से संबंधित ऐसा कोई डाटाबेस वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं रखा जाता है। तथापि, भारत से बाहर अधिलाभों के गमन को रोकने और इसके परिणामस्वरूप भारतीय कराधार के ह्रास को रोकने के मद्देनजर, किए गए चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों को आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-X में निहित अंतरण मूल्य-निर्धारण संबंधी उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्लेषित किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-ईरान पाइपलाइन परियोजना

3314. श्री समीर भुजबल:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) ईरान से गैस आयात करने के लिए हाथ में ली गई/आगे बढ़ाई गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

(i) **ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन परियोजना**- इस पाइपलाइन में 60 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस परिवहन करने की क्षमता की योजना बनाई गई थी। भारत

की सीमा तक पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 2135 किलोमीटर होगी। विचार-विमर्श के प्रारंभिक दौर के बाद, परियोजना पर कोई ठोस अग्रगामी कार्रवाई नहीं हुई है।

(ii) **गहरे समुद्र की भारत-ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना**- भारत-ईरान संयुक्त समिति ने गेल और एनआईओसी इंटरनेशनल को बराबर लागत हिस्सेदारी आधार पर गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन व्यवहार्यता अध्ययन संयुक्त रूप से शुरू कराने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इंजीनियरी और परामर्शी सेवाओं के लिए संविदा 1.9 मिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत पर 29 मई, 2001 को मै. स्नैमप्रोगेट्टी - साइपेम को प्रदान की गई थी। व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट जून, 2006 में प्राप्त हुई थी। तथापि, दोनों पक्षकारों की ओर से रूचि न लेने के कारण इस परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है।

(iii) **मध्य-पूर्व से भारत की गहरे समुद्र की पाइपलाइन**- मै. साऊथ एशिया गैस इंटरप्राइज (एसएजेई) मध्य पूर्व से भारत तक गहरे समुद्र की गैस पाइपलाइन पर कार्रवाई कर रही है और गहरे समुद्र मार्ग के जरिए भारत तक गैस के परिवहन के लिए नेशनल ईरानीयन गैस एक्सपोर्ट कंपनी (एनआईजीईसी) के साथ समझौता ज्ञापन किया है। गेल इंडिया लिमिटेड और सेज के बीच सहयोग सिद्धांत पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जो जुलाई 2014 तक वैध है।

पूर्वोत्तर परिषद् हेतु निधियां

3315. डॉ. थोकचोम मैन्याः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार पूर्वोत्तर परिषद् (एनईसी) को दी गई निधियां कितनी हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनईसी की व्यय नहीं की गई निधियां पूर्वोत्तर गैर-व्यपगत पूल में जाती हैं या केन्द्र को वापस कर दी जाती हैं; और

(घ) एनईसी की व्यय की गई निधियों को किस ढंग से प्रबंधित किया जाता हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) को दी गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि छूट प्राप्त मंत्रालयों/विभागों के अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% आयोजना प्रावधान चिह्नित हैं। चिह्नित धनराधि में से, खर्च न की गई निधियों को केंद्रीय स्रोतों के गैर व्यपगत पूल में अंतरित कर दिया जाता है, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को अनुदान प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूर्वोत्तर परिषद को आयोजना परिव्यय के लिए सकल बजटीय सहायता से निधियां प्रदान की जाती है और वर्तमान प्रक्रियाओं के अनुसार, पूर्वोत्तर परिषद में वित्त वर्ष के अंत में खर्च न की गई राशि व्यपगत (लैप्स) हो जाती है।

विवरण

क्रमांक	क्षेत्र	विगत तीन वर्षों व वर्तमान वर्ष के दौरान व्यय							
		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		दी गई निधियां	व्यय	दी गई निधियां	व्यय	दी गई निधियां	व्यय	दी गई निधियां	व्यय (30 जून, 2013 की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	कृषि एवं सहबद्ध	4675.00	4545.87	8000.00	6615.43	8000.00	7734.43	8018.00	4300.05
II.	विद्युत विकास और आरआरआई	10500.00	7107.86	7207.00	6319.06	7400.00	6649.99	7400.00	1349.00
III.	जल विकास	2350.00	4132.46	3150.00	5170.43	3950.01	3618.65	3300.00	446.00
IV.	उद्योग	1833.73	700.30	951.00	1172.59	1100.00	1150.00	2461.00	341.45
V.	पर्यटन	937.50	1456.00	1280.00	1348.71	2490.00	2199.22	2805.00	156.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI.	परिवहन व संचार	39187.77	39193.19	37002.00	36029.25	39679.99	36840.20	39405.00	13818.61
VII.	चिकित्सा व स्वास्थ्य	3800.00	4495.10	4300.00	4216.74	4700.00	4591.72	3850.10	0.00
VIII.	श्रमशक्ति विकास	4590.00	4070.37	5990.00	6250.85	7050.00	7682.78	7349.90	160.78
IX.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1505.00	1496.48	1350.00	1597.22	1750.00	1743.80	1792.50	159.52
X.	सूचना और जन संपर्क	360.00	541.82	520.00	389.48	630.00	888.65	540.00	0.19
XI.	मूल्यांकन व निगरानी	261.00	122.88	250.00	208.13	250.00	176.34	78.50	36.36
	कुल	70000.00	67862.33	70000.00	69317.89	77000.00	73275.78	77000.00	20767.04

कर अववंचन की ऑनलाइन निगरानी

3316. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री एन. एस. वी. चित्तन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संदेहास्पद लेनदेन का पता लगाने के लिए ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित की है/किए जाने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके उपरांत अभी तक सामने आए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के अपवंचन का ब्यौरा क्या है तथा इनसे वर्ष-वार कितनी राशि वसूल की गई है; और

(ग) अवैध निधियों का पता लगाने के लिए राजस्व आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदास सीलम): (क) धन शोधन निवारण/अधिनियम, 2002 के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि संदेहास्पद लेन-देनों का पता लगायें और ऐसे लेन-देनों को वित्त मंत्रालय के तहत भारत वित्त आसूचना एक (एफआईयू-इंड) को सूचित करें। एफआईयू-इंड ऐसे संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्टों (एसटीआर) को प्राप्त करने और विश्लेषण तथा संबद्ध आसूचना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेदारी है। एफआईयू-इंड ने संदेहास्पद लेन-देन की रिपोर्टों (एसटीआर) और अन्य सांविधिक रिपोर्टों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए और आसूचना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना के ऑनलाइन प्रसार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित तंत्र स्थापित किया है।

(ख) बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं से एफआईयू-इंड द्वारा प्राप्त एसटीआर द्वारा आगे कार्रवाई करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को प्रशासित करने वाली एजेंसियों सहित विभिन्न आसूचना और कानून प्रवर्तन वाली एजेंसियों को प्रसारित किया जाता है। तथापि, एफआईयू-इंड द्वारा प्रसारित सूचना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों के अपवंचन का पता लगाया या पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, एफआईयू-इंड द्वारा साझा की गई सूचना के आधार पर विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष करों के अपवंचन के संबंध में डाटा अलग से नहीं रखा जाता है।

(ग) आर्थिक आसूचना परिषद और क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना परिषदों के तंत्र के माध्यम से विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों सूचना को साझा करती हैं और कर अपवंचन सहित विभिन्न आर्थिक अपराधों संबंधित कार्रवाई का समन्वय करती हैं।

एफडीआई आवक और निकासी

3317. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री राजय्या सिरिसिल्ला:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष निवेश की कुल आवक और निकासी कितनी हुई है;

(ख) इस संबंध में किए गए आकलनों, यदि कोई हों तो, का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का कुल अंतर्वाह और बहिर्वाह निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	एफडीआई अंतर्वाह#	एफडीआई बहिर्वाह@
2012-13	1,21,906.73	29,700*
2011-12	165,145.53	65,000.
2010-11	97,320,39	31,900

इस राशि में एसआईए/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मार्ग, विद्यमान शेयरों के अधिग्रहण और भारतीय रिजर्व बैंक के केवल स्वचालित मार्ग के जरिए प्राप्त अंतर्वाह शामिल हैं।

@स्रोत : आरबीआई बुलेटिन।

* केवल दिसम्बर, 2012 तक

(ख) सरकार ने पाया है कि एफडीआई अंतर्वाह में वित्त वर्ष 2012-13 में रुपए के संदर्भ में मोटे तौर पर 26 प्रतिशत की कमी आई है।

(ग) सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों नामत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कमोडिटी एक्सचेंजों, पावर एक्सचेंजों, स्टाक एक्सचेंजों, निक्षेपागारों और समाशोधन निगमों, आस्ति पुनर्संरचना कंपनी, ऋण सूचना कंपनियों, एकल ब्रांड वाले उत्पाद के खुदरा व्यापार, दूरसंचार सेवाओं, कूरियर सेवाओं, रक्षा और बहु ब्रांड वाले खुदरा व्यापार से एफडीआई की सीमाओं, मार्गों और मानदंडों से जुड़े उपबंधों को संशोधित किया है।

[हिन्दी]

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के संबंध में लंबित प्रस्ताव

3318. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा की गई परियोजनाओं की स्थापना के संबंध में प्राप्त, स्वीकृत एवं सरकार के अनुमोदन हेतु लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) लंबित प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) नवीकरणीय ऊर्जा की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर्गत पात्र केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) की मंजूरी के लिए मंत्रालय में नवीकरणीय ऊर्जा की नई परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ऐसे प्रस्ताव नियमित आधार पर प्राप्त होते रहते हैं और जो प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी दृष्टियों में पूर्ण पाए गए हैं उन्हें पात्र सीएफए की मंजूरी के लिए अनुमोदित किया गया है। इसे समयबद्ध तरीके में किया गया है और ऐसे अनुमोदनों के लिए स्कीमों में प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई हैं।

नवीकरणीय विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थापित परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नवीकरणीय विद्युत क्षमता बढ़ाने के लिए स्थापित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायो-विद्युत		सौर विद्युत (मेगावाट)	कुल क्षमता (मेगावाट)
				बायोमास विद्युत/ सह-उत्पादन (मेगावाट)	अपशिष्ट से ऊर्जा (मेगावाट)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	219.03	514.00	380.75	43.16	33.15	1190.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	103.91				0.03	103.93

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	31.11					31.11
4.	बिहार	70.70		43.30			114.00
5.	छत्तीसगढ़	52.00		249.90		4.00	305.90
6.	गोवा	0.05					0.05
7.	गुजरात	15.60	3249.00	30.50		857.90	4153.00
8.	हरियाणा	70.10		45.30		7.80	123.20
9.	हिमाचल प्रदेश	602.91					602.91
10.	जम्मू और कश्मीर	137.53					137.53
11.	झारखंड	4.05				16.00	20.05
12.	कर्नाटक	987.76	2170.00	491.38	1.00	14.00	3664.14
13.	केरल	158.42	35.00			0.03	193.45
14.	मध्य प्रदेश	86.16	386.00	16.00	3.90	37.32	529.38
15.	महाराष्ट्र	307.93	3294.00	756.90	9.72	160.00	4528.55
16.	मणिपुर	5.45					5.45
17.	मेघालय	31.03					31.03
18.	मिजोरम	36.47					36.47
19.	नागालैंड	28.67					28.67
20.	ओडिशा	64.30		20.00		13.00	97.30
21.	पंजाब	154.50		124.50	9.25	9.33	297.58
22.	राजस्थान	23.85	2717.00	91.30		552.90	3385.05
23.	सिक्किम	52.11					52.11
24.	तमिलनाडु	123.05	7196.00	538.70	8.05	17.38	7883.18
25.	त्रिपुरा	16.01					16.01
26.	उत्तर प्रदेश	25.10		776.50	5.00	17.38	823.98
27.	उत्तराखंड	174.82		10.00		5.05	189.87
28.	पश्चिम बंगाल	98.40		26.00		7.05	131.45
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5.25				5.10	10.35
30.	चंडीगढ़						0.00
31.	दिल्ली/संघ राज्य क्षेत्र		4.00		16.00	3.35	23.35
	कुल (मेगावाट)	3686.27	19565.00	3601.03	96.08	1760.74	28709.12

व्यापार असंतुलन

3319. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2012-13 में हमारे आयात/निर्यात के मूल्य के आधार पर देश में 191.6 बिलियन डॉलर का घाटा दर्ज हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इए पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ख) ही, हां। वाणिज्य विभाग के अनुसार, वर्ष 2012-13 में कुल आयात 491.9 बिलियन अमरीकी डॉलर का हुआ था जबकि कुल निर्यात की राशि 300.3 बिलियन अमरीकी डॉलर थी, इस प्रकार 191.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था। व्यापार घाटे में वृद्धि के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हालांकि पण्य व्यापार में वृद्धि हुई है व्यापार घाटा भी बढ़ा है। वैश्विक आर्थिक संकट, यूरोप में वहां के देशों की सरकारों के ऋण संकट तथा विकसित देशों में आर्थिक मंदी के कारण हमारे निर्यात की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इंजीनियरिंग वस्तुओं, जवाहरात और आभूषण, वस्त्र, इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं, लौह अयस्कों, खनन से प्राप्त वस्तुओं के निर्यात पर 2012-13 के दौरान प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) वाणिज्य विभाग के अनुसार, सरकार निरंतर निर्यात निष्पादन का मूल्यांकन करती है तथा निर्यात में वृद्धि करने के लिए समय समय पर आवश्यक आधारित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। सरकार ने विदेश व्यापार नीति (2009-14) के वार्षिक अनुपूरक हेतु की जाने वाली कार्रवाई के हिस्से के रूप में 18.4.2013 को कुछ निर्यात संवर्धन उपायों की घोषणा की है। सरकार ने उत्पाद विविधीकरण और बाजार विविधीकरण की नीति को जारी रखा है। केन्द्रित बाजार स्कीम (एफएमएस) के बाद और विशेष केन्द्रि बाजार स्कीम (विशेष एफएमएस) दोनों के अंतर्गत पहले से अधिक संख्या में देशों को शामिल किया गया है। बाजार संबद्ध केन्द्रि उत्पाद स्कीम (एमएलएफपीएस) में 47 नई वस्तुओं को तथा केन्द्रित उत्पाद स्कीम (एफपीएस) में 122 नई वस्तुओं को शामिल किया गया है। तदनंतर, सरकार ने केन्द्रित उत्पाद स्कीम में अंतर्गत 10.07.2013 को 153 उच्च प्रौद्यौगिकीय उत्पादों को अधिसूचित किया है। सरकार ने ब्याज पर दी जाने वाली छूट की दर 01.08.2013 को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत भी कर दी है।

[अनुवाद]

एलपीजी कनेक्शन्स

3320. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को नए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन की खरीद हेतु एक बारगी वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वित्तीय जटिलता का ब्यौरा क्या है एवं वर्ष 2013-14 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल कितना बजटीय सहायता दी गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के तहत नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को एक बारगी अनुदान मुहैया कराने की योजना लागू है। योजना के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलिंडर और प्रैशर रेगुलेटर के लिए जमानती राशि, ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) निधियों से अंशदान के जरिए दी जाती है।

योजना के तहत, बीपीएल कार्ड धारक नए एलपीजी कनेक्शन (नों)के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण कराते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाणन के लिए उसे स्थानीय प्रशासन के पास भिजवाता है। प्रमाणीकृत सूची मिलने के बाद, बीपीएल कार्ड धारकों को सूचना-पत्र भेजे जाते हैं।

उपर्युक्त योजना के अलावा, हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को मिट्टी तेल से मुक्तक करने के लिए, "मिट्टी तेल मुक्त दिल्ली" नामक एक योजना घोषित की है। जिसके तहत, मिट्टी तेल की आपूर्ति प्राप्त करनेवाले दिल्ली के बीपीएल/एएवाई तथा जेआरसी (झुग्गी पुनर्वास कालोनियां) कार्ड धारकों को नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन नि:शुल्क जारी किया जाता है। बीपीएल/एएवाई के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर और प्रेशर रेग्यूलेटर के लिए 50 प्रतिशत जमानत राशि दिल्ली सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य सीएसआर निधि के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा वहन की जाती है।

होटलों का आधुनिकीकरण

3321. श्री संजय निरूपमः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होटलों की राज्य/स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कुछ घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे होटलों के कार्य निष्पादन का होटल-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा उनका आधुनिकीकरण करने और उन्हें लाभकारी बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या देश में घाटे में चल रहे होटलों में विनिवेश किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन भारत पर्यटन विकास निगम लि. (आईटीडीसी)देश में 15 होटलों को चलाता है। होटलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। इनमें से कुछ होटल घाटे में चल रहे थे। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन होटलों में घाटे के कारण निम्नलिखित हैं:

1. मांग की तुलना में कुल कमरों की आपूर्ति की स्थिति की उपलब्धता में वृद्धि।
2. छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण उच्च वेतन लागत।
3. कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कमरों की आपूर्ति बनाम मांग के असंतुलन में योगदान दिया।

(घ) लाभप्रदता बढ़ाने के लिए आईटीडीसी ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* मानव संसाधन विकास और ब्रांड प्रबंधन में निवेश।
* उपभोक्ता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम (सीआरएम) की स्थापना।
* प्रमुख ट्रेवल मार्टों में भाग लेकर और फूड फेस्टिवल आयोजित कर भारत के साथ-साथ विदेशों में जोरदार मार्केटिंग।
* आईटीडीसी के होटलों में नवीनीकरण/साज-सज्जा कार्यों को करना।
* ई-मार्केटिंग शुरू करना और इस तरह बी 2 सी(बिजनेस 2 कंज्यूमर) बाजार पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना।

(ङ) और (च) देश में घाटे में चल रहे होटलों में विनिवेश किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

आईटीडीसी के स्वामित्व वाले होटल, प्रबंधन वाले होटल और संयुक्त उद्यम वाले राज्य और शहर-वार होटल

क्र.सं.	होटल का नाम	स्थान	राज्य
1	2	3	4
(क) स्वामित्व वाले होटल			
01.	अशोक होटल	नई दिल्ली	नई दिल्ली
02.	सम्राट होटल	नई दिल्ली	नई दिल्ली
03.	जनपथ होटल	नई दिल्ली	नई दिल्ली
04.	ललित महल पैलेस होटल	मैसूर	कर्नाटक
05.	होटल कलिंग अशोक	भुवनेश्वर	ओडिशा
06.	होटल जम्मू अशोक	जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर
07.	होटल पाटलिपुत्र अशोक	पटना	बिहार

1	2	3	4
08.	होटल जयपुर अशोक	जयपुर	राजस्थान
(ख)	**प्रबंधन वाले होटल**		
09.	होटल भरतपुर अशोक	भरतपुर	राजस्थान
संयुक्त उद्यम वाले होटल			
10.	होटल रांची अशोक (बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि. के साथ संयुक्त उद्यम)	रांची	झारखंड
11.	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक (असम राज्य के साथ संयुक्त उद्यम)	गुवाहाटी	असम
12.	होटल पांडिचेरी अशोक (पांडिचेरी औद्योगिक संवर्धन विकास निवेश निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम)	पुडुचेरी	पुडुचेरी
13.	होटल लेक न्यू अशोक (मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि. के साथ संयुक्त उद्यम)	भोपाल	मध्य प्रदेश
14.	होटल दोनी पोली अशोक (अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक विकास वित्त निगम लि. के साथ संयुक्त उद्यम)	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
15.	होटल नीलांचल अशोक (उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लि. के साथ संयुक्त उद्यम) (चालू नहीं है)	पुरी	ओडिशा

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में जून, 2013 तक आईटीडीसी के होटलों के कारोबार और हानि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	होटल का नाम	कारोबार				हानि (-)			
		2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)	2013-14 (जून 13 तक)	2010-11	2011-12	2012-13 (अनंतिम)	2013-14 (जून 13 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(क) स्वामित्व वाले होटल									
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	13672.77	12965.76	12123.45	2377.79	(-) 1770.23	(-) 675.49	(-) 279.42	(-) 339.97
2.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	649.99	646.08	636.84	139.16	(-) 97.35	(-) 80.08	18.13	(-) 7.88
3.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	3018.57	3493.70	3702.08	879.31	(-) 347.27	821.90	829.33	69.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	208.43	303.13	246.65	47.73	(-) 313.53	(-) 290.84	(-) 376.66	(-) 93.74
5.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	248.01	284.52	222.79	61.78	(-) 161.49	(-) 94.89	(-) 135.32	(-) 15.73
6.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	286.11	312.15	229.34	39.02	(-) 276.80	(-) 247.65	(-) 258.85	(-) 81.79
(ख) प्रबंधन वाले होटल									
7.	होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर	55.32	57.38	67.02	5.58	(-) 89.81	(-) 94.13	(-) 62.49	(-) 29.55
(ग) संयुक्त उद्यम वाले होटल									
8.	होटल ब्रहमपुत्र अशोक, गुवाहाटी	592.33	667.73	739.55	206.57	(-) 59.35	(-) 6.62	(-) 35.22	13.63
9.	होटल रांची अशोक, रांची	249.95	228.28	239.55	56.48	(-) 55.25	(-) 57.58	(-) 95.26	(-) 15.90
10.	होटल पांडिचेरी अशोक, पुदुचेरी	239.45	185.82	117.51	41.53	2.59	(-) 39.36	(-) 20.53	(-) 9.68
11.	होटल नीलांचल अशोक, पुरी	वर्ष 2004 से चालू नहीं है।							

[हिन्दी]

आईसीडीएस योजना

3322. श्री घनश्याम अनुरागी:
डॉ. संजय जायसवाल:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना से लाभान्वित हुए बच्चों, महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बहुत से पद पूरे देश में खाली पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली सहित पूरे देश में सभी पर्यवेक्षकों को एक समान वेतन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत 7.74 करोड़ बच्चों (6 माह से 6 वर्ष तक) तथा 1.82 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं को अनुपूरक आहार मिला तथा 3.53 करोड़ बच्चे (3 से 6 वर्ष तक) स्कूल पूर्व शिक्षा से लाभान्वित हुए। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 31.3.2013 की स्थिति के अनुसार समूचे देश में 19464 पद पर्यवेक्षकों के, 100212 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) के अवैतनिक पद तथा 90671 आंगनवाड़ी सहायिकाओं के अवैतनिक पद (एडब्ल्यूएच) रिक्त पड़े हुए थे। आईसीडीएस स्कीम के व्यवस्थित मानदंडों के अनुसार, भारत सरकार आयोजना तथा नीति संबंधी विषयों के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि राज्य सरकारें स्कीम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। पूरे देश में आंगनवाडी पर्यवेक्षकों, आंगनवाडी कार्य कर्त्रियों तथा सहायिकाओं का अभाव मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों द्वारा रिक्त पदों को भरने में प्रशासनिक क्रियाविधि तथा कानूनी विलम्ब के कारण हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने रिक्त पदों को भरने के लिए सभी अपेक्षित उपाय करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों पर बार-बार दबाव डाला है।

(घ) और (ङ) आईसीडीएस स्कीम के अंतर्गत पर्यवेक्षकों का भार सम्बंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र संवर्ग (काडर) जिसमें दिल्ली भी शामिल है, द्वारा वहन किया जाता है। उनकी नियुक्ति पदोन्नति, वेतनमान तथा सेवा संबंधी अन्य मामलों पर कार्रवाई राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनों के नियमों के तहत की जाती है।

विवरण

आईसीडीएस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए राज्य-वार बच्चों/महिलाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31.3.2013 तक अनुपूरक पोषण के लाभार्थी			31.3.2013 तक स्कूल-पूर्व शिक्षा के लाभार्थी		
		(6 माह- 6 वर्ष) कुल बच्चे	गर्भवती एवं धात्री माताएं	(6 माह- 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चें) कुल लाभार्थी	लड़के (3-6 वर्ष)	लड़कियां (3-6 वर्ष)	कुल (3-6 वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4472553	1330091	5802644	841697	843963	1685660
2.	अरुणाचल प्रदेश	232454	33291	265745	56538	57306	113844
3.	असम	2211002	400115	2611117	612120	602280	1214400
4.	बिहार	3507877	710378	4218255	981475	955923	1937398
5.	छत्तीसगढ़	2467731	464255	2931986	446242	453939	900181
6.	गोवा	58901	15525	74426	11389	11167	22556
7.	गुजरात	3099078	755356	3854434	717912	703046	1420958
8.	हरियाणा	1100246	325870	1426116	208603	190272	398875
9.	हिमाचल प्रदेश	435251	101049	536300	82317	80770	163087
10.	जम्मू और कश्मीर	634698	173161	807859	154301	144975	299276
11.	झारखंड	2412819	658143	3070962	578435	674912	1253347
12.	कर्नाटक	3865169	930096	4795265	864366	899010	1763376
13.	केरल	855569	168244	1023813	222821	221155	443976
14.	मध्य प्रदेश	7273807	1485352	8759159	1513473	1470873	2984346
15.	महाराष्ट्र	6148056	1202045	7350101	1583713	1458064	3041777

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	355176	75010	430186	90343	89179	179522
17.	मेघालय	356233	64606	420839	75242	75373	150615
18.	मिजोरम	127780	37435	165215	28107	27321	55428
19.	नागालैंड	224700	53922	278622	64741	63209	127950
20.	ओडिशा	3919643	787444	4707087	744789	735582	1480371
21.	पंजाब	1047909	291669	1339578	236822	219547	456369
22.	राजस्थान	2938576	924081	3862657	561134	553146	1114280
23.	सिक्किम	21664	3101	24765	7421	7273	14694
24.	तमिलनाडु	2461149	674329	3135478	595912	574469	1170381
25.	त्रिपुरा	300845	92732	393577	80724	76153	156877
26.	उत्तर प्रदेश	18725118	4932812	23657930	4574845	4139496	8714341
27.	उत्तराखंड	243508	17694	261202	116152	116826	232978
28.	पश्चिम बंगाल	6887136	1303561	8190697	1728871	1686977	3415848
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसूमह	14439	3640	18079	2316	2240	4556
30.	चंडीगढ़	41281	9339	50620	8727	8785	17512
31.	दिल्ली	910775	168277	1079052	195367	185078	380445
32.	दादरा और नगर हवेली	15130	2941	18071	3314	3363	6677
33.	दमन और दीव	5543	992	6535	1139	1276	2415
34.	लक्षद्वीप	4756	1745	6501	1143	1148	2291
35.	पुदुचेरी	27707	9684	37391	1240	1187	2427
	अखिल भारत	77404279	18207985	95612264	17993751	17335283	35329034

[अनुवाद]

नवीकरणीय ऊर्जा की पारेषण प्रणाली

3323. श्री एस. सेम्मलईः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इसमें अन्तर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है और किन स्रोतों से वित्तीय संसाधनों को जुटाए जाने की संभावना है और इस पारेषण प्रणाली से लाभान्वित होने वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से कितनी ऊर्जा का

उत्पादन हो रहा है और बारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षमता वर्धन हेतु तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सौंपे गए एक कार्य के अंतर्गत पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संभावित अक्षय विद्युत क्षमता वर्धन के लिए पारेषण अवसंरचना विकास पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें यह अनुमान किया गया है कि अंतरा-राज्य तथा अंतरा-राज्य, दोनों स्तरों पर पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की लागत लगभग 40,000 करोड़ रु. होगी। वित्तपोषण के संभावित स्रोत राज्यों के अंशदान, एनसीईएफ अनुदान और आसान ऋण होंगे। इस परिप्रेक्ष्य में जर्मनी के संघीय गणराज्य के संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के बीच हरित ऊर्जा कॉरीडोर की स्थापना करने के संबंध में भारत-जर्मन विकास सहयोग पर 11 अप्रैल, 2013 को एक संयुक्त सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। आरंभ में अक्षय ऊर्जा संसाधन बहुल राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर में अक्षय विद्युत के निष्क्रमण हेतु विद्यतु पारेषण अवसंरचना में वृद्धि करने और सुदृढ़ बनाने के लिए केएफडब्ल्यू, जर्मनी से अगले 6 वर्षों में 1 बिलियन यूरो तक के रियायती ऋण का प्रस्ताव किया गया। जीआईजेड, जर्मनी की ओर से अक्षय विद्युत के ग्रिड एकीकरण के संबंध में पूर्वानुमान, संतुलन, बाजार निर्माण और नेटवर्क प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता का भी प्रस्ताव किया गया है।

(ग) 31 जुलाई, 2013 की स्थिति के अनुसार, 25 मेगावाट से अधिक की पन बिजली को छोड़कर संचयी अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता 28.9 जीडब्ल्यू थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) में अक्षय विद्युत की 30 जीडब्ल्यू अतिरिक्त संस्थापित क्षमता की योजना है।

तेल और गैस ब्लॉकों के विकास की परियोजनाएं

3324. डॉ. अनूप कुमार साहा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोई तेल और गैस ब्लॉक विकास परियोजना दस वर्षों से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिन्हें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित किया गया है तथा इन लंबित परियोजनाओं में विलंब के कारण कितनी हानि हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बोली दौरों के तहत दो अन्वेषण ब्लाक अर्थात एए-ओएनएल 2001/4 और एए-ओएनएन-2002/4 प्रचालक के रूप में ओएनजीसी को नागालैंड में प्रदान किए गए थे। इन ब्लॉकों के लिए पीएससीज पर हस्ताक्षर क्रमश: 04-02-2003 और 06-02-2004 को किए गए थे। पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएलस) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28-04-2006 को प्रदान किए गए थे। तथापि, नागालैंड सरकार ने इस ब्लॉक में अभी तक अन्वेषण कार्यकलाप करने के लिए संविदाकार को कोई अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महिला आयोग को विशेष अधिकार

3325. श्री भूदेव चौधरी:
श्रीमती अश्वमेध देवी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिलाओं और बच्चों को विभिन्न अत्याचारों और उत्पीड़न से बचाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि होने के मद्देनजर एनसीडब्ल्यू के तहत राज्य महिला आयोगों को विशेष अधिकार दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में महिलाओं और लड़कियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। राज्य महिला आयोगों का गठन संबंधित राज्यों द्वारा किया गया है तथा इन आयोगों को अधिकार संबंधित राज्य कानूनों/आदेशों द्वारा प्रदत्त हैं।

(ङ) देश में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। महिलाओं एवं बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए तंत्र की स्थापना के सभी प्रयास किए गए हैं। कानूनी क्षेत्र में, 'घरेलू हिसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005', 'दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961', स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986' और 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013' जैसे महिला विशिष्ट कानून अधिनियमित किए गए हैं। सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन प्रहार, यौन उत्पीड़न एवं अश्लील साहित्य से संरक्षण प्रदान करने के लिए 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012' अधिनियमित किया है। हाल ही में, दर्शनरति, पीछा करने जैसी गतिविधियों को महिलाओं के विरुद्ध अपराध मानने के अलावा बलात्कार जैसे अपराधों के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान करने के लिए 'दाण्डिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है।

[अनुवाद]

आवास परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण के मानदंड

3326. डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री पी. कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किफायती आवास परियोजनाओं के लिए विदेशी ऋण संबंधी मानदंडों में छूट दी है/छूट देने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के भू-संपत्ति क्षेत्रक में उपर्युक्त कदम का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केंद्रीय बजट 2012-13 में कम लागत वाली वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए अनुमत अंतिम उपयोग के रूप में विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का प्रावधान किया गया था। उक्त बजट घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके तारीख 17 दिसम्बर, 2012 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 61 द्वारा कार्यान्वित की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, कम लागत वाली वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए डेवलपर/बिल्डर और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा अनुमोदित मार्ग के तहत ईसीबी की सुविधा ली जा सकती है। तथापि, ईसीबी प्राप्तियां भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयोग नहीं की जाएंगी। आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) और एनएचबी स्वयं भी कम लागत वाली वहनीय आवास इकाइयों के भावी स्वामियों को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए ईसीबी की सुविधा ले सकते हैं।

कम लागत वाली वहनीय आवास परियोजनाओं के लिए ईसीबी से संबंधित नीति की भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से हाल ही में समीक्षा की गई है और निम्न प्रकार से युक्तिसंगत बनाया गया है:

(i) डेवलपर/बिल्डर को पूर्वत: निर्धारित पांच (5) वर्षों के मुकाबले आवासीय परियोजनाओं के कार्य में न्यूनतम तीन (3) वर्षों का अनुभव होना चाहिए और गुणवत्ता तथा सुपुर्दगी के मामलों में पिछला कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए।

(ii) आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के लिए, नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनापत्र के अनुसार, कम से कम 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम चुकता पूंजी की शर्त में छूट दी गई है। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए 300 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) की शर्त बरकरार रखी गई है।

(iii) कम लागत वाली वहनीय आवास योजना के तहत ईसीबी के लिए कुल सीमा वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए बढ़ा दी गई है, जहां प्रत्येक वर्ष में 1 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा रहेगी इसके पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी।

(iv) डेवलपरों/बिल्डरों द्वार ली गई ईसीबी पूरी तरह से प्रतिरक्षा आधार पर संपूर्ण परिपक्वता अवधि के लिए रुपए में बदल दी जाएगी।

(ग) आशा है कि कम लागत वाले वहनीय आवास के लिए ईसीबी योजना से घरेलू बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं की ओर से कम लागत वाली/वहनीय आवास परियोजना के डेवलपरों को उपलब्ध निधियों में बढ़ोतरी होगी। इससे पूंजी की लागत भी कम होगी और परिणामस्वरूप देश में निर्माण और आवास की लागत कम होगी।

राज्य सहकारी बैंकों में नैमित्तिक कर्मचारी

3327. श्री विष्णु पद राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अंडमान-निकोबार राज्य सहकारी बैंक द्वारा काम पर रखे गए दैनिक वेतनभोगी

कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए कोई प्रक्रिया/दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसी नियुक्तियों पर कितना व्यय किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अण्डमान तथा निकोबार राज्य सहकारी बैंक ने (एएनएससीबी) ने, स्टाफ की कमी के कारण, पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नलिखित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया है-

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एएनएससीबी द्वारा नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी			
2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (चालू वर्ष)
1	3	43	69

(ख) से (घ) नाबार्ड ने यह भी सूचित किया है कि एएनएससीबी के अनुसार ऐसी आवश्यकता के रिक्ति नोटिस को बैंक के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाता है तथा दैनिक दर के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु संभावित पदधारकों का व्यैक्तिक साक्षात्कार आयोजित किया जाता है। चयनित अभ्यर्थियों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ती है तब ही पूर्णतया अस्थायी आधार पर अल्पावधि हेतु नियुक्त किया जाता है। कथित अवधि के दौरान ऐसी नियुक्तियों पर एएनएससीबी द्वारा 8,00,700/- रुपए का व्यय किया गया है।

[हिन्दी]

सौर कुकर

3328. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लोगों को गैस और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन की जगह सस्ती दर पर सौर कुकर एवं सौर ऊर्जा चालित प्रकाश उपकरण प्रदान करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या उपर्युक्त योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है/लागू किये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) जी, नहीं। तथापि, मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत सौर पीवी रोशनी प्रणालियों और सौर कुकरों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत सौर रोशनी प्रणालियों और सौर कुकरों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध कराई जा रही है जिसके अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के राज्यों में सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेनों तथा घरेलू रोशनी के लिए संस्थापना की लागत का 30% उपलब्ध कराया जाता है जो सीएफएल आधारित प्रणालियों के लिए 81/- रुपए प्रति वाट पीक तथा एलईडी आधारित प्रणालियों के लिए 135/- रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित है। वैकल्पिक रूप से मंत्रालय द्वारा नाबार्ड, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से सौर घरेलू रोशनी प्रणालियों और लघु क्षमता की पीवी प्रणालियों के लिए 40% सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है जो 108/- रुपए प्रति वाट पीक तक सीमित है।

मंत्रालय द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को प्रत्यक्ष ताप अनुप्रयोगों के लिए 3600 रुपए प्रति वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र तथा कुकिंग अनुप्रयोगों के लिए मैनुअल ट्रेकिंग युक्त संकेन्द्रक के लिए प्रति वर्ग मीटर 2100 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में 126482 सौर लालटेन और 342599 सौर घरेलू लाइटों की संस्थापना की गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा सौर रोशनी प्रणालियों तथा सौर कुकरों के लिए अलग से कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है।

(घ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) की ऑफ-ग्रिड एवं विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों की पर्यटन नीतियां

3329. श्री प्रभुनाथ सिंहः
श्री जय प्रकाश अग्रवालः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों ने पर्यटन स्थलों का विकास करने तथा अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कोई पर्यटन नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन नीतियों की स्थिति क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की उपर्युक्त नीतियों का अनुमोदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन नीति के निर्माण सहित पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पर्यटन नीतियों के प्रारूप पर टिप्पणियां देता है यदि वह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी पर्यटन नीतियों के लिए पर्यटन मंत्रालय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

पर्यटन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन नीतियों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पर्यटन नीति की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	पर्यटन नीति जिस वर्ष में बनाई गई
1.	आंध्र पदेश	2010
2.	अरूणाचल प्रदेश	2003
3.	असम	2008
4.	बिहार	2009
5.	छत्तीसगढ़	2002
6.	गोवा	2001
7.	गुजरात	2003
8.	हरियाणा	2008
9.	हिमाचल प्रदेश	2005
10.	कर्नाटक	2009
11.	केरल	2002
12.	मध्य प्रदेश	2010
13.	महाराष्ट्र	2006
14.	मेघालय	2001
15.	नागालैंड	2001
16.	पंजाब	2003
17.	राजस्थान	2001
18.	उत्तर प्रदेश	1998
19.	उत्तराखंड	2001
20.	पश्चिम बंगाल	2008

राज्यों का ऋण जमा अनुपात

3330. डॉ. संजय जायसवालः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) का बिहार सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बिहार में ऋण जमा अनुपात देश में सबसे कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बिहार सहित देश में सीडीआर की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) दिनांक 31मार्च, 2011, 2012 तथा 2013 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऋण जमा अनुपात (सीडीआर) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को परामर्श दिया है कि जिन जिलों में सीडीआर 40 प्रतिशत से कम है उनके लिए जिला स्तर परामर्शदात्री समिति (डीएलसीसी) की एक विशेष उप-समिति (एसएससी) का गठन किया जाए। एसएससी को निगरानी योग्य कार्य योजनाएं (एमएपी) बनानी हैं तथा सीडीआर के सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ करती है। तदनुसार, अनुपात में सुधार तथा यह सुनिश्चित करने के लिए वह 40 प्रतिशत से कम न हो, डीएलसीसी द्वारा जिला स्तर पर सीडीआर की निगरानी तथा उस पर चर्चा की जाती है।

विवरण

अनसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) के ऋण जमा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	31 मार्च की स्थिति के अनुसार		
		2011	2012	2013'
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.8	38.0	38.1
2.	आंध्र प्रदेश	110.0	110.0	109.9
3.	अरूणाचल प्रदेश	22.5	22.5	21.2
4.	असम	35.6	37.3	36.8
5.	बिहार	29.0	29.1	30.1
6.	चंडीगढ़	129.3	113.6	125.9
7.	छत्तीसगढ़	52.3	53.5	53.1
8.	दादरा और नागर हवेली	34.8	34.4	38ए1
9.	दमन और दीव	20.9	17.2	19.6
10.	गोवा	29.0	28.9	28.2
11.	गुजरात	66.3	69.7	72.2
12.	हरियाणा	71.5	79.0	76ए1
13.	हिमाचल प्रदेश	39.6	37.2	34.6
14.	जम्मू और कश्मीर	37.2	34.3	367
15.	झारखंड	35.0	33.6	31.6

1	2	3	4	5
16.	कर्नाटक	72.5	70.6	71.4
17.	केरल	72.0	75.5	73.3
18.	लक्षद्वीप	8.2	9.7	9.8
19.	मध्य प्रदेश	59.7	56.2	57.7
20.	महाराष्ट्र	81.3	87.1	88.3
21.	मणिपुर	32.8	30.1	27.4
22.	मेघालय	24.0	25.3	23.4
23.	मिजोरम	43.0	38.1	35.2
24.	नागालैंड	25.6	26.8	27.9
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	87.1	95.3	97.6
26.	ओडिशा	51.3	46.9	46.1
27.	पुदुचेरी	61.3	71.6	83.1
28.	पंजाब	77.3	81.6	81.0
29.	राजस्थान	90.0	90.1	92.2
30.	सिक्किम	37.7	32.0	27.0
31.	तमिलनाडु	114.1	116.1	123.0
32.	त्रिपुरा	31.4	31.3	32.5
33.	उत्तर प्रदेश	43.6	43.8	43.6
34.	उत्तराखंड	35.2	35.6	34.8
35.	पश्चिम बंगाल	63.7	62.8	61.6
	अखिल भारत	75.1	77.5	78.1

स्रोत: आरबीआई *आंकड़े अनंतिम हैं।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

3331. श्री संजय धोत्रे:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 पर सरकार द्वारा बनाए गए विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श हेतु एक अन्तर्मंत्रालयीय समूह और एक समीक्षा समिति का गठन किया गया।

(ग) से (ङ) अन्तर्मंत्रालयीय समूह और समीक्षा समिति के विचार-विमर्श के आधार पर दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में संशोधनों पर स्पष्ट, समसामयिक, प्रवर्तनीय और समुचित कठोर प्रावधान बनाने के लिए प्रारूप मंत्रिमंडल नोट संबंधित मंत्रालयों को उनकी टिप्पणियों हेतु परिचालित किया जा चुका है।

[हिन्दी]

बायो-डीजल का उत्पादन

3332. श्री पूर्णमासी राम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बायो-डीजल का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उत्पादित बायो-डीजल का निर्यात किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2009 में अधिसूचित जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव-ईंधनों के भंडारण, वितरण एवं विपणन का उत्तरदायित्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) का है।

ओएमसीज ने अब तक जैव-डीजल का वाणिज्यिक रूप से उत्पादन नहीं किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में जटरोफा पौधारोपण किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है। कि 2009 तक देश में निजी कंपनियों द्वारा 3373 टन प्रति दिन की कुल क्षमता के बायो-डीजल संयंत्रों की स्थापना की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ बायो-फ्यूल डेवलपमेंट बोर्ड, रायपुर द्वारा स्थापित 3 टन बायो-डीजल प्रति दिन के उत्पादन का प्रदर्शन संयंत्र शामिल है।

[अनुवाद]

पंचायत विकास योजनाएं

3333. श्री हेमानंद बिसवाल:
श्री पी. करुणाकरन:
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) तथा समेकित कार्य-योजना (आईएपी) के अंतर्गत कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार एवं राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई, जारी की गई तथा उपयोग में लाई गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) तथा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों, जिसमें छत्तीसगढ़ एंव ओडिशा शामिल हैं, निधियों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) को योजना आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) और (ग) आरजीएसवाई, बीआरजीएफ तथा आईएपी के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों एवं उनके सूचित उपयोग की स्थिति क्रमश: संलग्न विवरण-I, II एवं III पर दी गई हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के तहत वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान निर्मुक्त निधियों

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	घटक	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
			निर्मुक्त अनुदान	व्यय का स्वरूप	निर्मुक्त अनुदान	व्यय का स्वरूप	निर्मुक्त अनुदान	व्यय का स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क)	**प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण**							
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	प्रशिक्षण	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	प्रशिक्षण	623.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	प्रशिक्षण	100.00	100.00	442.00	171.00	236.00	0.00
		आरसी	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00	0.00
4.	अरुणाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	69.00	69.00	0.00	0.00	68.13	0.00
		सैटकॉम	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		आरसी	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बिहार	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	छत्तीसगढ़	प्रशिक्षण	325.00	325.00	150.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	प्रशिक्षण	100.00	100.00	150.00	0.19	0.00	0.00
8.	हरियाणा	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	प्रशिक्षण	0.00	0.00	234.00	234.00	674.00	0.00
		पीआरटीआई-केन्द्र	243.00	243.00	0.00	0.00	243.00	0.00
		आरसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	प्रशिक्षण	0.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00
11.	झारखंड	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	प्रशिक्षण	127.00	127.00	366.00	366.00	233.00	0.00
13.	केरल	प्रशिक्षण	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	प्रशिक्षण	1784.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	प्रशिक्षण	208.00	208.00	239.00	239.00	447.00	0.00
16.	मणिपुर	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	186.58	0.00
17.	ओडिशा	प्रशिक्षण	314.00	314.00	0.00	0.00	209.00	0.00
18.	पंजाब	प्रशिक्षण	357.39	297.00	220.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान	प्रशिक्षण	217.00	217.00	130.00	130.00	361.00	0.00
20.	तमिलनाडु	प्रशिक्षण	0.00	0.00	195.00	195.00	466.00	0.00
21.	त्रिपुरा	प्रशिक्षण	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
		प्रशिक्षण संस्थान	270.00	270.00	125.00	125.00	600.00	0.00
22.	उत्तराखंड	प्रशिक्षण	0.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
23.	उत्तर प्रदेश	प्रशिक्षण	100.00	100.00	128.5	0.00	840.00	0.00
24.	पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण	0.00	0.00	94.50	94.50	93.50	0.00
	कुल		6020.00	4311.00	3580.00	1998.00	5347.20	0.00
(ख) अवसंरचना विकास								
1.	असम	पंचायत घर	–	–	375.00	–	–	–
2.	छत्तीसगढ़	पंचायत घर	600.00	600.00	1350.00	800.00	–	–
3.	कर्नाटक	पंचायत घर	650.00	275.00	300.00	–	760.00	–
4.	हिमाचल प्रदेश	पीआरटीआई मशोब्रा	–	–	190.00	–	–	
5.	हरियाणा	पंचायत घर	–	–	64.00	–	802.00	–
6.	ओडिशा	पंचायत घर	–	–	544.00	–	–	–
7.	महाराष्ट्र	पंचायत	–	–	–	–	1069.00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		घर						
8.	मणिपुर	पंचायत घर	–	–	–	–	–	–
9.	पंजाब	पंचायत घर	–	–	873.00	–	–	–
10.	राजस्थान	पंचायत घर	–	–	596.00	596.00	991.00	–
11.	उत्तर प्रदेश	पंचायत घर	–	–	608.00	–	–	–
	कुल	पंचायत घर	1250.00	875.00	4900.00	1396.00	3622.00	–
	कुल योग (क+ख)	पंचायत घर	7270.00	5186.00	8480.00	3394.00	8969.00	.

विवरण II

बीआरजीएफ : निर्मुक्त निधियां एवं सूचित उपयोग (31.07.2013 तक)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
		निर्मुक्त अनुदान	सूचित उपयोग	निर्मुक्त अनुदान	सूचित उपयोग	निर्मुक्त अनुदान	सूचित उपयोग
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	348.34	345.71	366.59	328.39	327.75	79.73
2.	अरुणाचल प्रदेश	12.70	12.70	10.70	9.95	13.88	0.00
3.	असम	139.12	126.85	59.39	32.26	142.35	9.83
4.	बिहार	740.25	707.00	408.58	294.69	490.51	74.44
5.	छत्तीसगढ़	280.90	280.90	259.94	254.92	229.37	58.53
6.	गुजरात	103.16	101.31	109.64	75.62	55.70	0.92
7.	हरियाणा	39.53	39.53	18.67	18.36	32.05	4.51

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	हिमाचल प्रदेश	30.50	30.50	23.62	21.65	35.19	17.98
9.	जम्मू और कश्मीर	41.26	35.72	30.40	10.73	37.36	0.00
10.	झारखंड	331.02	288.45	183.60	60.90	166.60	5.40
11.	कर्नाटक	118.48	118.48	92.74	85.31	106.32	22.47
12.	केरल	31.59	30.31	34.66	24.28	20.23	0.00
13.	मध्य प्रदेश	535.80	529.89	403.37	313.13	476.07	56.56
14.	महाराष्ट्र	290.95	290.95	255.09	250.83	267.91	158.13
15.	मणिपुर	54.32	53.29	32.16	14.84	21.86	0.12
16.	मेघालय	50.42	50.42	24.60	18.68	35.25	3.77
17.	मिजोरम	28.68	28.46	24.90	21.42	19.42	0.00
18.	नागालैंड	40.04	40.04	41.48	40.94	41.51	24.89
19.	ओडिशा	385.20	385.20	325.95	255.08	240.05	40.93
20.	पंजाब	18.22	18.22	15.50	12.31	12.93	0.00
21.	राजस्थान	304.68	304.68	286.15	248.02	262.09	37.42
22.	सिक्किम	15.92	15.92	14.21	11.88	11.11	0.53
23.	तमिलनाडु	113.28	113.28	106.03	89.10	100.16	28.78
24.	त्रिपुरा	13.21	13.21	13.66	13.66	13.66	7.51
25.	उत्तर प्रदेश	668.09	610.64	540.81	256.16	207.65	0.00
26.	उत्तराखंड	37.66	37.66	29.54	29.03	46.84	14.80
27.	पश्चिम बंगाल	276.68	276.30	205.02	200.75	306.37	87.93
	कुल	5050.00	4885.62	3917.00	2992.89	3720.19	735.18

विवरण III

आईएपी : नौ राज्यों के 82 जिलों के लिए आबंटन एवं निर्मुक्ति

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13	
		आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त	आबंटन	निर्मुक्त
1.	आंध्र प्रदेश	50.00	50.00	240.00	240.00	240.00	210.00
2.	बिहार	175.00	175.00	270.00	270.00	330.00	190.00
3.	छत्तीसगढ़	250.00	250.00	300.00	300.00	300.00	300.00
4.	झारखंड	350.00	350.00	510.00	510.00	510.00	510.00
5.	मध्य प्रदेश	200.00	200.00	240.00	240.00	300.00	300.00
6.	महाराष्ट्र	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	50.00
7.	ओडिशा	375.00	375.00	540.00	540.00	540.00	540.00
8.	उत्तर प्रदेश	25.00	25.00	90.00	90.00	90.00	60.00
9.	पश्चिम बंगाल	25.00	25.00	90.00	90.00	90.00	90.00
	कुल	1500.00	1500.00	2340.00	2340.00	2460.00	2250.00

3334. श्री एस. अलागिरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 सीमाशुल्क अधिनियम 1962 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) विगत तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी इकाइयों के विरुद्ध की गई-कार्रवाई की सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग) इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

[हिन्दी]

खनन क्षेत्र में छूट/रियायतें

3335. श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खनन क्षेत्र में कोई छूट/रियायत देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इस संबंध में क्या मापदंड/मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) सरकार के पास ऐसी छूट के संबंध में कितने मामले लंबित हैं तथा ये मामले कब से लंबित हैं और इन्हें शीघ्र अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी हां।

(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी भी खनिज अथवा सम्बद्ध खनिजों (किसी राज्य में) के निर्धारित समूह के संबंध में एक या अधिक टोही परमिट (आरपी), पूर्वोक्षण अनुज्ञप्ति (पीएल), तथा खनन पट्टा (एमएल) प्राप्त नहीं करेगा जिसमें क्रमशः 10,000 वर्ग किमी, 25 वर्ग किमी तथा 10 वर्ग किमी. से अधिक का कुल क्षेत्र शामिल हो। तथापि, केन्द्र सरकार किसी खनिज विशेष के विकास के हित में उपर्युक्त कुल क्षेत्र से अधिक के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को एक से अधिक पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टे प्राप्त करने की अनुमति दे सकती है। खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.06.2009 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, रियायत मामलों पर विचार के लिए व्यापक मानदंड में खनिजों का अंत्य उपयोग, संयंत्र की क्षमता, आवेदक द्वारा हासिल तथा संस्तुत क्षेत्र में उपलब्ध रिजर्व शामिल हैं।

(ग) खान मंत्रालय के पास इस समय खनन पट्टों के लिए निर्धारित क्षेत्र सीमाओं में छूट हेतु 59 प्रस्ताव हैं तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित सीलिंग में छूट हेतु 12 प्रस्ताव हैं। इन प्रस्तावों को मिले हुए 2 महीने से 5 वर्ष तक की अवधि बीत चुकी है। राज्य सरकार द्वारा संस्तुत खनिज रियायत प्रस्तावों समेत, रियायत प्रस्तावों की खान मंत्रालय द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के तथा जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकार तथा अन्य विशिष्ट संगठनों/एजेंसियों से परामर्श करके जांच की जाती है। इसलिए प्रस्तावों के निपटान हेतु किसी निश्चित समयावधि का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। तथापि, खान मंत्रालय ने खनिज रियायत प्रस्तावों के शीघ्र निपटान हेतु निम्न कदम उठाए हैं:

(i) खनिज रियायत प्रस्तावों के प्रकमण में अधिक स्पष्टता एवं निरंतरता लाने के लिए 24 जून, 2009, 09 फरवरी, 2010, 29 जुलाई, 2010, 13 अक्तूबर, 2010 तथा 11 फरवरी, 2013 को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट (www.mines.nic.in) पर उपलब्ध हैं; तथा

(ii) राज्य सरकारों/सम्बद्ध एजेंसियों जिनसे प्रस्तावों के गुणावगुण आकलन हेतु जानकारी मांगी जाती है, उन्हें शीघ्र उत्तर देने हेतु नियमित अनुस्मारक भेजे जाते हैं।

[अनुवाद]

जेनरिक औषधियां

3336. श्री रूद्रमाधव रायः
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडाः
श्री एस. एस. रामासुब्बूः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बारे में अवगत है कि दवा विक्रेताओं तथा थोक विक्रेताओं को तो जेनरिक औषधियां भारी छूट पर उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि यही औषधियां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य ऐसी ही एजेंसियों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) या नाममात्र छूट पर प्रदान की जा रही है;

(ख यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने चिकित्सकों को रोगियों हेतु केवल जेनरिक औषधियां लिखने या उनके समकक्ष जेनरिक औषधि का ही उल्लेख करने की सलाह देने हेतु अस्पतालों को कोई निर्देश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में जेनरिक औषधियों को बढ़ावा देने तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सी.जी.एच.एस. के लिए जेनरिक दवाइयों का प्रापण चिकित्सा सामग्री भण्डार संगठन (एमएसओ), केंद्र सरकार के एक संगठन, द्वारा निविदा प्रक्रिया के जरिए निर्धारित

दरों पर किया जाता है। जब कभी भी चिकित्सक द्वारा लिखी गई जेनरिक दवाई सीजीएचएस में उपलब्ध नहीं होती है तो प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से उसका प्रापण किया जाता है। निविदा प्रक्रिया के जरिए स्थानीय केमिस्ट से छूट की दरें प्राप्त की जाती हैं। दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में ये छूट की दरें 15 प्रतिशत से 29 प्रतिशत तक होती हैं।

(ग) और (घ) सभी केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जेनरिक दवाइयां लिखें जो आमतौर पर ब्रान्डेड औषधियों से अधिक किफायती होती हैं। जब कभी भी कोई ब्रान्डेड औषधि लिखी जाती है तो यह उल्लेख अवश्य करना चाहिए कि कोई अन्य समतुल्य जेनरिक औषधियां भी दी जा सकती हैं। सफदरजंग अस्पताल के सीजीएचएस विंगों से जारी प्रिस्क्रिप्शन पर्चियों पर लगाने की एक प्रणाली है जिसमें यह उल्लिखित है- "समतुल्य जेनरिक औषधि भी जा सकती है।"

(ङ) एक परिपत्र जारी कर सभी सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ब्रान्डेड औषधियों/दवाइयों के स्थान पर उनके समतुल्य जेनरिक दवाइयां जारी करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया है कि वे प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट अथवा पायलट परियोजना के जरिए ऐसी दवाइयों का प्रापण न करें जिनके समतुल्य जेनरिक दवाइयां सीजीएचएस, चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो, दिल्ली के पास आसानी से उपलब्ध हैं। 78 जेनरिक औषधियों की व्यवस्था कर ली गई है और वित्त वर्ष 2012-13 में दिल्ली/एनसीआर के लिए एचएससीसी (I) लि. को आपूर्ति हेतु आदेश दिया गया है। ये दवाइयां सी जी एच एस, चिकित्सा सामग्री भण्डार डिपो (एमएएडी में सरकार द्वारा अनुमोदित दो प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के पश्चात् प्राप्त की जाती हैं।

'नालको' द्वारा निवेश

3337. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) अन्य धातुओं एवं ऊर्जा के क्षेत्रकों में निवेश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विभिन्न क्षेत्रकों में कंपनी द्वारा अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ग) अब तक पूर्ण की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त प्रत्येक क्षेत्रक में कंपनी को कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ङ) प्रत्येक क्षेत्रक से कंपनी को कितनी आय प्राप्त हुई है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) ने पवन ऊर्जा, न्यूक्लीयर ऊर्जा जैसे ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश किया है। अब तक किए गए निवेश सहित परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	अब तक किए गए निवेश/व्यय
1.	पवन ऊर्जा संयंत्र-I (50 मेगावाट)	गांडिकोटा, जिला कडप्पा, आंध्र प्रदेश	274 करोड़ रु.
2.	पवन ऊर्जा संयंत्र-II (47.6 मेगावाट)	लुदखाग्राम, जिला जैसलमेर, राजस्थान	204.25 करोड़ रु. (जुलाई, 2013 तक)
3.	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनईसीआईएल) के एपीएस के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी-3 एवं 4 (1400मेगावाट)	काकरापाड़, गुजरात	2.6 लाख रु.

(ग) उपर्युक्त तीन परियोजनाओं में से केवल गांडिकोटा, जिला कडप्पा, आंध्र प्रदेश में पवन ऊर्जा परियोजना-I दिसम्बर, 2012 में पूरा किया गया।

(घ) पवन ऊर्जा परियोजना-I वर्ष 2013-14 के 80 मिलियन यूनिट के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में जुलाई, 2013 तक 60.08 मिलियन यूनिट सृजित किया गया।

पवन ऊर्जा परियोजना-प्प को मई, 2013 में शुरू किया गया तथा जुलाई, 2013 तक कुल 47.6 मेगावाट में से 30.6 मेगावाट सृजित किया गया।

(ङ) पवन ऊर्जा परियोजना-I और पवन ऊर्जा परियोजना-II से अप्रैल, 2013 से जून, 2013 तक उत्पादित ऊर्जा की बिक्री लेखों में दर्ज की गयी राशि 14.96 करोड़ रुपए है।

तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों का सुरक्षा परीक्षण

3338. श्री निशिकांत दूबे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महत्वपूर्ण तेल और गैस प्रतिष्ठानों/पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या तेल एवं गैस प्रतिष्ठानों/पाइपलाइनों का सुरक्षा परीक्षण नियमित अंतराल पर किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2012-13 के दौरान तत्संबंधी प्रतिष्ठान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपर्युक्त परीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियों/कमियों का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) तेल उद्योग सुरक्षा मानकों के उच्चतम स्तर को बनाए रखता है। किसी भी असुरक्षित स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों में सक्रिय और गौण दोनों ही तरह के उपाय शामिल होते हैं और ये अपने आप में व्यवस्थित होते हैं। उद्योग द्वारा अपनाए गए कुछ सुरक्षा उपायों में प्रारंभिक स्तर, अर्थात उसके डिजाइन स्तर के दौरान ही पहले से ही निहित सुरक्षा पहलुओं को समाविष्ट करना शामिल है। इनमें उपचारात्मक उपायों के साथ सुरक्षा खतरों के विश्लेषण की प्रक्रिया, इंस्ट्रयूमेंटेशन तथा सुरक्षा इंटरलॉकों, उपकरण आदि का डिजाइन तैयार करने के दौरान सुरक्षा शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिनांक 10 जनवरी, 1986 के संकल्प द्वारा एक सुरक्षा परिषद की स्थापना की है ताकि भारत की सभी तेल और गैस संस्थापनाओं की सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सचिव इस सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सुरक्षा परिषद का एक तकनीकी निकाय, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है क्योंकि इस तकनीकी निकाय को सुविधाओं का डिजाइन तैयार करने, प्रचालनों, रख-रखाव, अग्नि और सुरक्षा पहलुओं आदि में विशेषज्ञता हासिल है।

ओआईएसडी ने जमीनी और अपतटीय अन्वेषण सहित संपूर्ण तेल और गैस क्षेत्र में सुरक्षा को देखने के लिए कई वर्षों में तकनीकी विशेषज्ञता हासिल की है।

(ख) और (ग) ओआईएसडी नियमित अंतरालों पर तेल और गैस संस्थापनाओं की सुरक्षा जांच करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान ओआईएसडी द्वारा बाह्य सुरक्षा जांचों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

संस्थापन	2012-13
रिफाइनरियों और गैस प्रसंस्करण संयंत्रों	23
विपणन संस्थापनाओं	79
राष्ट्रपारीय पाइपलाइन संस्थापनाओं (कि.मी.)	2943
अन्वेषण और उत्पादन संस्थापनाओं	68

(घ) से (च) प्रत्येक किस्म के तेल संस्थापन के लिए सुरक्षा पहलुओं की कमियां अलग-अलग होती हैं। तेल संस्थापनाओं की जांच के दौरान पाई गई कुछ सामान्य कमियां नीचे बताई गई हैं:

* वर्तमान ओआईएसडी मानकों की तुलना में सुविधा ले-आउट में अनुरूपता न होना।
* संगत ओआईएसडी दिशा-निर्देशों/संस्तुत पद्धतियों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं से प्रचालन में विपथन।
* ओआईएसडी मानकों की तुलना में अग्नि-शमन प्रणाली में कमियां।
* गैस प्रज्वलन, सुरक्षा उपकरणों आदि के अनुरक्षण के संबंध में सांविधिक दिशा-निर्देशों का अनुपालन न होना।
* निर्माण, निरीक्षण और निवारक अनुरक्षण के मानक में कमी।
* महत्वपूर्ण प्रचालन परिसंपत्तियों और निवारक अनुरक्षण की निगरानी में मी।

ओआईएसडी द्वारा जांच के दौरान पाई गई कमियों को संबंधित संगठनों को उनमें सुधार किए जाने हेतु बता दिया जाता है। इसी प्रकार, सुरक्षा सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों की सिफारिश की जाती है जो एक समयबद्ध ढंग से उद्योग द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। ओआईएसडी इन उपायों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। उद्योग द्वारा पहले से कार्यान्वित किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

* हार्टन स्पियरस स्टोरेज की डिकमीशनिंग करते हुए एलपीजी माउंडिड बुलेट्स को लगाना।

* फायर स्टेशन के नियंत्रण कक्ष को किसी सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित करना।

* सुरक्षा वाल्व डिस्चार्ज को प्रज्वलन के साथ जोड़ना।

* एलपीजी और नाफ्था पम्पों के निकट हाइड्रोकार्बन डिटेक्टरों तथा एलपीजी पम्पों में दोहरी यांत्रिक सीलों की व्यवस्था।

* ब्लो डाऊन प्रणाली को बंद करने की व्यवस्था।

* मानवीय भूल को न्यूनतम करने के लिए कार्य परमिट प्रणाली को मजबूत बनाना, कर्मचारियों और संविदाकारों के लिए प्रशिक्षण तथा प्रचालन मैनुअलों को अद्यतन करना।

कुटुंब पेंशन

3339. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के कुटुंब पेंशनधारियों को बकाया राशि का भुगतान न होने की घटनाएं हाल में सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी मामला-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 25.03.2011 से 22.08.2013 तक की अवधि में परिवार पेंशन संबंधी 541 शिकायतें केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय में दर्ज की गईं। इनमें से 200 शिकायतें चालू वर्ष 2013 के दौरान दर्ज की गईं। सभी शिकायतों प्राधिकृत केन्द्रीय पेंशन प्रक्रमण केन्द्र और संबंधित वेतन एवं लेखा कार्यालय/कार्यालय प्रमुख को अग्रेषित कर दी गई थीं तथा शिकायतों के निपटान तथा केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा निगरानी रखी गई है।

(ग) 23.08.2013 की स्थिति के अनुसार, परिवार पेंशन की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में सिस्टम में दर्ज कोई भी शिकायत केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के स्तर पर लंबित नहीं है।

नई अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति

3340. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत, तेल और गैस ब्लॉकों के अन्वेषण के लिए कंपनियों को संबंधित तेल और गैस ब्लॉक में किए जाने जाने वाले निवेश और अनुमानित उत्पादन का प्राक्कलन प्रस्तुत करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन शुरू होने के पश्चात एकत्रित जानकारी या संशोधित भू-वैज्ञानिक अनुमानों के आधार पर कंपनियां उत्पादनगत और निवेशगत प्राक्कलन में बदलाव कर सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नीलम, बांबे हाई, कैम्बे बेसिन तथा के.जी. बेसिन के ब्लॉकों के संबंध में निवेश और उत्पादन का क्या प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है तथा इससे संबंधित संशोधित प्राक्कलन क्या है एवं अब तक अंतिम रूप से किया गया निवेश कितना है; और

(ङ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने उत्पादनगत और निवेशगत प्राक्कलनों को अधिकतम बार संशोधित किया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। किसी ब्लॉक में की गई वाणिज्यिक खोजों की क्षेत्र विकास योजनाओं (एफडीपीज) को ब्लॉक की प्रबंधन समिति (एमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। एफडीपीज में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के साथ एमसी द्वारा अनुमानित तेल/गैस भंडारों और उत्पादन प्रोफाइल को अनुमोदित किया जाता है संविदाकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि एमसी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए वार्षिक कार्य कार्यक्रमों और निवेश प्रस्तावों को प्रस्तुत करे तथा वार्षिक लेखा-परीक्षित खातों के अनुसार की गई वास्तविक लागतें संविदाकारों द्वारा लागत वसूली के लिए पात्र होंगी।

(ग) जी हां, पीएससी में प्रबंधन के अनुमोदन के लिए संशोधित विकास योजना के प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था है।

(घ) और (ङ) नीलम और बाम्बे हाई एनईएलपी के तहत नहीं आते हैं। तथापि, पीएससी व्यवस्था के तहत, प्रबंधन समिति द्वारा अब तक खम्बात बेसिन में 8 खोजों (6 तेल और 2 गैस) तथा कृष्णा गोदावरी (केजी)बेसिन में 10 खोजों (1 तेल और 9 गैस) को अनुमोदित कर दिया गया है।

पीएससी व्यवस्था के तहत खम्बात और केजी बेसिन में एनईएलपी ब्लॉकों में की गई खोजों के लिए दिनांक 31.03.2013 तक किए गए वास्तविक व्यय, भंडारों तथा अनुमानित निवेशों के साथ प्रस्तुत/अनुमोदित एफडीपीज/संशोधित एफडीपीज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत एनईएलपी खोजों के लिए खम्बात और कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रस्तुत/अनुमोदित क्षेत्र विकास योजना/संशोधित क्षेत्र विकास योजना

क्र.सं	ब्लॉक	प्रचालक	खोज	एफडीपी अनुमान		वास्तविक विकास निवेश (31.03.2013 तक) (एमएमयूएसडी)	अभ्युक्तियां, यदि कोई हो
				अधिप्राप्य भंडार (एमएमबीबीएल/बीसीएफ)	अनुमानित कैपेक्स (एमएमयूएसडी)		
खम्बात बेसिन							
1.	सीबी-ओएनएन-2002/1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पश्चिम पाटन-3	तेल-0.147 एमएमबीबीएल	5.53	0.35	
2.	सीबी-ओएनएन-2000/1	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम	सानंद पूर्व-1	तेल-0.182 एमएमबीबीएल	3.92	13.441	
3.		कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इंगोली	तेल-3.999 एमएमबीबीएल	7.43		
4.	सीबी-ओएनएन-2002/3	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मिरोली-1 व मिरोली-6	तेल-0.121 एमएमबीबीएल	0	0	अनुमानित कैपेक्स शून्य है क्योंकि किसी विकास कूपों का प्रस्ताव नहीं किया गया है और सुविधाओं का प्रयोग भाड़े पर किया जाएगा।
5.			अंक-21	तेल-0.0768 एमएमबीबीएल	0.427		
6.	सीबी-ओएनएन-2000/2	नाइको रिसोंसिज लिमिटेड	भीमा तथा एनएसए	गैस-24.26 बीसीएफ	17.87	19.683	
कृष्णा गोदावरी बेसिन							
7.	केजी-ओएसएन-2001/3	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	केजी-08, केजी-17, केजी-15	गैस-1059.6 बीसीएफ	2119	1197.607	
8.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	डी-2, डी-6, डी-19, डी-22	गैस-617 बीसीएफ	1529	7572.78	
9.		डी-26 (MA) (FDP)	Gas – 681 बीसीएफ	तेल-53.5 एमएमबीबीएल	2234		एफडीपी-क्षेत्र विकास योजना
10.			डी-26 (एमए) (आरएफडीपी)	तेल-33 एमएमबीबीएल गैस-788 बीसीएफ	1958		आरएफडीपी-संशोधित क्षेत्र विकास योजना
11.			डी-1-डी 3 (आईडीपी)	गैस-3810 बीसीएफ	2470		आईडीपी - प्रारंभिक विकास योजना
12.			डी-1-डी 3 (एआईडीपी)	गैस-10026 बीसीएफ	8835		एआईडीपी-प्रारंभिक विकास योजना का अनुशेष
13.			डी-1-डी 3 (आरएफडीपी)	गैस-3400 बीसीएफ	6257		एमसी द्वारा अभी आरएफडीपी-संशोधित क्षेत्र विकास योजना अनुमोदित नहीं किया गया

एमएमबीबीएल-मिलियन बैरल; बीसीएफ-बिलियन घन फीट

[हिन्दी]

गंगा नदी के साथ-साथ पर्यटन

3341. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे पर्यटकों को इलाहाबाद से कोलकाता तक गंगा नदी स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से यात्रा करने के लिए आकर्षित किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटकों को उनकी यात्रा के दौरान गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में ठहरने आदि की सुविधा उपलब्ध कराती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस यात्रा में कितना समय लगता है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान कितने देशी एवं विदेशी पर्यटकों ने इस यात्रा का आनंद लिया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में इलाहाबाद से कोलकाता तक गंगा नदी में राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से यात्रा करने हेतु पर्यटकों को आकर्षित करने की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) गंगा के किनारे सभी महत्वपूर्ण शहरों में पर्यटकों के लिए निजी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) मंत्रालय किसी विशेष यात्रा के संबंध में पर्यटकों का ऐसा विशिष्ट डाटा संकलित नहीं करता है।

पंचायतों को निधियों के आवंटन के मानदंड

3342. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राम पंचायतों को निधियों के आबंटन के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित किसी भी स्कीम/कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को प्रत्यक्ष रूप से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है। तथापि, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) स्कीम के जिला घटक के अन्तर्गत स्थानीय आधारभूत ढांचे एवं अन्य विकास संबंधी जरूरतों में महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने की दृष्टि से वर्तमान विकासात्मक अन्तर्प्रवाहों को अनुपूरित व अभिसरित करने के लिए राज्य सरकारों के माध्यम से 272 अभिचिह्नित पिछड़े जिलों को निधियां प्रदान की जाती हैं।

इस स्कीम के तहत अभिचिह्नित जिलों के बीच निम्नलिखित रीति से निधियां संवितरित की जाती हैं:

(क) प्रत्येक जिला, प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की निर्धारित न्यूनतम राशि प्राप्त करता है।

(ख) इस स्कीम के तहत शेष आवंटन का 50 प्रतिशत समस्त पिछड़े जिलों की कुल जनसंख्या में जिले की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर आबंटित किया जाता है।

(ग) शेष 50 प्रतिशत समस्त पिछड़े जिले का कुल क्षेत्रफल में जिले का क्षेत्रफल के हिस्से के आधार पर संवितरित किया जाता है।

प्रत्येक राज्य, राजधानी अथवा वे शहर जिनकी आबादी दस लाख या इससे अधिक है, को छोड़कर, पंचायतों एवं अन्य शहरी स्थानीय निकायों को बीआरजीएफ निधियों के आबंटन के लिए प्रयोग किए जाने वाले नियामक फार्मूला का निर्णय करता है। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) के तहत निम्न राजस्व आधार वाले पंचायतों के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करने का प्रावधान है। इसके मानदंडों को राज्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है। राज्य द्वारा परिभाषित मानदंडों के अनुसार पुरस्कार विजेता पंचायतों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अनुदानों को वित्त मंत्रालय द्वारा मूल अनुदानों एवं निष्पादन अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किया जाता है। इन अनुदानों की सिफारिश संविधान की अनुसूची V एवं VI में शामिल किए गए सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र दोनों और संविधान के भाग IX एवं IX क के दायरे के बाहर के क्षेत्रों के लिए की गई है। पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निदेशों में विहित निम्नलिखित शर्तों के पूरे होने पर इन अनुदानों की निर्मुक्ति की निगरानी करता है।

(i) मूल अनुदानों के लिए: निर्वाचित पंचायतें कार्यरत हों एवं पूर्व में आहरित किश्तों के लिए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हों।

(ii) निष्पादन अनुदानों के लिए: मूल अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, राज्यों को निम्नलिखित छः शर्तों को भी पूरा करना है, जिनमें बजट एवं लेखा से संबंधित सुधार; स्थानीय निकायों के अंकेक्षण हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी मार्गनिर्देशन एवं पर्यवेक्षण; 5/10 दिनों के भीतर पंचायतों को निधियों का हस्तांतरण; स्थानीय निकायों के कर्मियों, निर्वाचित व सरकारी दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं कु-प्रशासन की शिकायतों को देखने एवं समुचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए लोकपाल/लोकायुक्त की नियुक्ति; राज्य वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु पात्रता का निर्धारण तथा सम्पत्ति कर की उगाही के लिए पंचायतों को अधिकार प्रदान करना शामिल है।

[अनुवाद]

पंचायत विकास संबंधी राष्ट्रीय नीति

3343. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का लक्ष्य देशभर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों व पंचायत कर्मियों का क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, पंचायत घरों का निर्माण, ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक एवं तकनीकी समर्थन की व्यवस्था, प्रशिक्षण अवसंरचना का निर्माण, पंचायतों की ई-सक्षमता एवं पंचायत प्रक्रियाओं के लिए समर्थन का प्रावधान करती है। पंचायती राज मंत्रालय देश के 272 पिछड़े जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का जिला घटक का कार्यान्वयन करता है। बीआरजीएफ के अन्तर्गत, पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं के आधार पर स्थानीय मूलभूत ढांचे व अन्य विकास जरूरतों में महत्वपूर्ण अंतरालों को पूरा करने हेतु आबद्ध निधियां प्रदान की जाती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

3344. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की संरचना तथा इसके लक्ष्य एवं उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान महिलाओं पर अत्याचार और उनके उत्पीड़न के संबंध में दर्ज किए गए एवं निपटाए गए मामलों की संख्या का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग के पास एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष से अधिक समय से कितने मामले लंबित हैं तथा इन का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग उपयुक्त नीति निर्माण, वैधानिक उपायों, कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन, स्कीमों/नीतियों के कार्यान्वयन तथा महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं/परिस्थितियों के समाधान के लिए कार्यनीतियों के निर्माण के माध्यम से उनके अधिकारों एवं हकों के सुनिश्चिय के जरिए जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने और समान भागीदारी प्राप्त करने में महिलाओं को समर्थ बनाने का प्रयत्न करता है। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मुद्दों का अध्ययन करना तथा उसे मानीटर कराना, मौजूदा विधानों की समीक्षा करना तथा जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देना है। यह शिकायतों की जांच भी करता है तथा महिलाओं के अधिकारों का हनन करने वाले मामलों का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेता है ताकि अभागी महिलाओं को कानूनी या अन्यथा सहायता प्रदान की जा सके। आयोग महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए सभी विधानों के समुचित कार्यान्वयन का मानीटरन भी करता है ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त करने तथा राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त की गई तथा निपटाई गई शिकायतों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय महिला आयोग में लम्बित मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) मामले की अपेक्षा के अनुसार तार्किक परणति के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज किए गए मामले को निपटाना होता है। सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लम्बित पड़े मामलों का मानीटरन करती है तथा मामलों के निपटान के संबंध में राष्ट्रीय महिला आयोग से मासिक रिपोर्ट मंगाती है।

विवरण-I

ऐसी शिकायतों की संख्या जिन्हें 2010 के दौरान पंजीकृत किया गया तथा कार्रवाई की गई

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत	कृत कार्रवाई/डाटाबेस में प्रविष्ट निस्तारण की स्थिति
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	4
2.	आंध्र प्रदेश	132	113
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	2
4.	असम	29	19
5.	बिहार	500	374
6.	चंडीगढ़	18	16
7.	छत्तीसगढ़	96	41
8.	दादरा और नगर हवेली	8	4
9.	दमन और दीव	4	4
10	दिल्ली	2,434	1,004
11.	गोवा	8	2
12.	गुजरात	126	46
13.	हरियाणा	940	655
14.	हिमाचल प्रदेश	53	23
15.	जम्मू और कश्मीर	31	13
16.	झारखंड	272	201
17.	कर्नाटक	72	27
18.	केरल	36	27
19.	लक्षद्वीप	–	–
20.	मध्य प्रदेश	777	370
21.	महाराष्ट्र	432	157
22.	मणिपुर	3	2
23.	मेघालय	2	2
24.	मिजोरम	5	4
25.	नागालैंड	–	–
26.	ओडिशा	61	40
27.	पुदुचेरी	7	5
28.	पंजाब	242	178
29.	राजस्थान	1,541	531
30.	सिक्किम	–	–
31.	तमिलनाडु	111	84
32.	त्रिपुरा	1	–
33.	उत्तर प्रदेश	7,225	4,167
34.	उत्तराखंड	363	266
35.	पश्चिम बंगाल	164	123
	कुल	15,700*	8,504

ऐसी शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या जिन्हें वर्ष 2011 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत किया गया तथा कार्रवाई की गई

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत	बंद
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7	4
2.	आंध्र प्रदेश	124	53
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2

1	2	3	4
4.	असम	26	15
5.	बिहार	444	117
6.	चंडीगढ़	40	14
7.	छत्तीसगढ़	75	28
8.	दादरा और नगर हवेली	2	0
9.	दमन और दीव	2	1
10.	दिल्ली	2287	664
11.	गोवा	9	5
12.	गुजरात	65	23
13.	हरियाणा	934	239
14.	हिमाचल प्रदेश	51	17
15.	जम्मू और कश्मीर	21	7
16.	झारखंड	212	87
17.	कर्नाटक	52	29
18.	केरल	25	9
19.	लक्षद्वीप	0	0
20.	मध्य प्रदेश	607	202
21.	महाराष्ट्र	313	73
22.	मणिपुर	2	1
23.	मेघालय	5	2
24.	मिजोरम	0	0
25.	नागालैंड	3	1
26.	ओडिशा	63	22
27.	पुदुचेरी	9	5
28.	पंजाब	210	65
29.	राजस्थान	1305	331
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	124	72
32.	त्रिपुरा	4	2
33.	उत्तर प्रदेश	8336	2259
34.	उत्तराखंड	341	102
35.	पश्चिम बंगाल	170	64
	कुल	15870	4515

ऐसी शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या जिन्हें 2012 के दौरान एनसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत किया गया तथा कार्रवाई की गई

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत	बंद
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	2
2.	आंध्र प्रदेश	99	63
3.	अरुणाचल प्रदेश	.	.
4.	असम	22	11
5.	बिहार	476	209
6.	चंडीगढ़	33	11
7.	छत्तीसगढ़	82	40
8.	दादरा और नगर हवेली	.	.
9.	दमन और दीव	5	3
10.	दिल्ली	2330	1249
11.	गोवा	8	3
12.	गुजरात	77	41
13.	हरियाणा	1064	496
14.	हिमाचल प्रदेश	49	27
15.	जम्मू और कश्मीर	22	16
16.	झारखंड	235	110
17.	कर्नाटक	67	37
18.	केरल	31	16
19.	लक्षद्वीप	0	0

1	2	3	4
20.	मध्य प्रदेश	777	375
21.	महाराष्ट्र	307	132
22.	मणिपुर	5	2
23.	मेघालय	4	2
24.	मिजोरम	1	0
25.	नागालैंड	.	.
26.	ओडिशा	55	27
27.	पुदुचेरी	8	5
28.	पंजाब	214	107
29.	राजस्थान	1273	520
30.	सिक्किम	0	0
31.	तमिलनाडु	97	47
32.	त्रिपुरा	3	0
33.	उत्तर प्रदेश	8774	2992
34.	उत्तराखंड	293	160
35.	पश्चिम बंगाल	143	85
	कुल	16557	6788

ऐसी शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या जिन्हें वर्ष 2013 के दौरान (31 जुलाई तक) एनसीडब्ल्यू द्वारा पंजीकृत किया गया तथा कार्रवाई की गई

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत	बंद
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9	5
2.	आंध्र प्रदेश	70	36
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	1
4.	असम	14	5
5.	बिहार	271	94
6.	चंडीगढ़	30	15
7.	छत्तीसगढ़	66	32
8.	दादरा और नगर हवेली	1	.
9.	दमन और दीव	1	1
10.	दिल्ली	1,642	614
11.	गोवा	7	3
12.	गुजरात	50	18
13.	हरियाणा	687	199
14.	हिमाचल प्रदेश	23	2
15.	जम्मू और कश्मीर	14	13
16.	झारखंड	126	39
17.	कर्नाटक	44	20
18.	केरल	25	11
19.	लक्षद्वीप	.	.
20.	मध्य प्रदेश	388	121
21.	महाराष्ट्र	291	91
22.	मणिपुर	4	1
23.	मेघालय	3	2
24.	मिजोरम	.	.
25.	नागालैंड	.	.
26.	ओडिशा	52	21
27.	पुदुचेरी	5	2
28.	पंजाब	139	36
29.	राजस्थान	715	212
30.	सिक्किम	.	.
31.	तमिलनाडु	60	26
32.	त्रिपुरा	.	.
33.	उत्तर प्रदेश	4,983	1,474
34.	उत्तराखंड	184	85
35.	पश्चिम बंगाल	114	61
	कुल	10,019	3,240

विवरण II

राष्ट्रीय महिला आयोग के पास लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य	एक वर्ष से अधिक (1/7/2012 से 31/7/2013)	दो वर्ष से अधिक (1/7/2011 से 31/7/2013)	तीन वर्ष से अधिक (1/7/2013 से 31/7/2013)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	1	6
3.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	असम	–	–	11
5.	बिहार	–	3	111
6.	चंडीगढ़	–	–	2
7.	छत्तीसगढ़	–	–	20
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	2
9.	दमन और दीव	–	–	–
10.	दिल्ली	–	6	512
11.	गोवा	–	–	1
12.	गुजरात	–	1	32
13.	हरियाणा	–	2	218
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	22
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–	9
16.	झारखंड	–	1	17
17.	कर्नाटक	–	2	20
18.	केरल	–	–	4
19.	लक्षद्वीप	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	–	2	181
21.	महाराष्ट्र	–	2	221
22.	मणिपुर	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	1
24.	मिजोरम	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	–
26.	ओडिशा	–	–	22
27.	पुदुचेरी	–	–	1
28.	पंजाब	–	3	57
29.	राजस्थान	–	–	754
30.	सिक्किम	–	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–	8
32.	त्रिपुरा	–	–	1
33.	उत्तर प्रदेश	–	30	1,548
34.	उत्तराखंड	–	–	85
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	42
	कुल	–	53	3,908

निजी साहूकारों से किसानों को ऋण

3345. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों द्वारा निजी साहूकारों से लिए गए ऋण की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की ऋणभार से दबे किसानों को उबारने और उन्हें निजी साहूकारों के पंजों से बचाने के लिहाज से कोई योजना/कार्यक्रम या सांविधिक ऋण राहत आयोग विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं मे सुधार लाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ)

दशवार्षिक रूप से अखिल भारत ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) आयोजित करता है जिसमें साहूकारों से लिए गए ऋणों के अंश से संबंधित सूचना एकत्र की जाती है। पिछला एआईडीआईएस, जिसके परिणाम प्रकाशित हुए हैं, वर्ष 2002 के लिए जिसके अनुसार साहूकारों के अंश जो कि 1951 में 69.7% था 2002 में 26.8% तक घट गया है।

(ग) से (ङ) भारी ऋण बोझ के कारण किसानों की परेशानी को देखते हुए सरकार द्वारा कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना (एडीडब्ल्यूडीआरएस), 2008 कार्यान्वित की गयी थी। योजना से 3.73 करोड़ किसान 52,259.86 करोड़ रुपए तक की हद तक लाभान्वित हुए थे।

इसके अतिरिक्त, सरकार, बैंकिंग क्षेत्र द्वारा कृषि को ऋण प्रवाह हेतु प्रत्येक वर्ष लक्ष्य निर्धारित करती रही है। कृषि का ऋण प्रवाह 2009-10 में 3,84,514 करोड़ रुपए से 2012-13 में 6,07,376 करोड़ रुपए (अनंतिम) तक बढ़ा है। फसल ऋण खातों की संख्या में भी 2009-10 में 482.30 लाख से 2012-13 में 703.57 लाख तक की वृद्धि हुई है।

इसके अतिरिक्त, किसानों पर ब्याज के बोझ को हल्का कराने के लिए सरकार 2006-07 से 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि कृषि ऋणों को किसानों को 7% प्रतिवर्ष की दर पर उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सहायता भी उपलब्ध करा रही है। उन किसानों को जो अपने अल्पावधि फसल ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करते हैं को 2009-10 से, 2009-10 में 1%, 2010-11 में 2% तथा 2011-12 में 3% की अतिरिक्त ब्याज सहायता दी जाती है। इस प्रकार, वे किसान जो कि अल्पावधि फसल ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान करते हैं अब 4% प्रति वर्ष की दर पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम हैं।

औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर लोगों को बैंकिंग की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार समय-समय पर कई पहलें करती रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकिंग रहित/कम बैंकिंग वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 'स्वाभिमान अभियान' शुरू करना, शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता उपलब्ध करानाा, बैंकों को व्यवसाय प्रतिनिधियों/सुलभकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करने तथा अति सूक्ष्म शाखाओं (यूएसबी) की स्थापना की अनुमति देना इत्यादि शामिल है।

संस्वीकृत और कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्र

3346. श्री हरीश चौधरी:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुमोदित, संस्वीकृत और वर्तमान में कार्यरत आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी एडब्ल्यूसी) की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या संस्वीकृत और कार्यरत एडब्ल्यूसी और मिनी एडब्ल्यूसी की संख्या में अंतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है तथा विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त एडब्ल्यूसी तथा मिनी एडब्ल्यूसी को चलाने के लिए राज्य सरकारों को संस्वीकृत, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने तथा देश के विभिन्न भागों में सभी अनुमोदित एडब्ल्यूसी तथा मिनी एडब्ल्यूसी को प्रचालित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) भारत सरकार ने समग्र रूप से 116848 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों तथा मांग किए जाने पर 20000 आंगनवाड़ी केंद्रों सहित 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र अनुमोदित की हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाडी केंद्र/मांग किए गए आंगनवाड़ी केंद्र राज्य-वार अनुमोदित नहीं किए गए हैं। अनुमोदित सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, देश में स्वीकृत किए गए 1373349 आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों/मांग किए गए आंगनवाड़ी केंद्रों में से 1338732 आंगनवाड़ी केंद्र/लघु आंगनवाड़ी केंद्र/मांग किए गए आंगनवाड़ी प्रचालन में थे। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

आईसीडीएम स्कीम के व्यवस्थित मानदंडों के अनुसार, भारत सरकार आयोजना तथा नीति संबंधी विषयों के लिए उत्तरदायी है। देश में स्वीकृत तथा प्रचालनात्मक आंगनवाड़ी केंद्रों तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के बीच अन्तर का कारण मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा प्रशासनिक क्रिया विधि तथा कानूनी विलम्ब है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों/लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को शीघ्र प्रचालन में लाने के लिए अपेक्षित सभी उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों पर बार-बार दबाव डाला है।

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों की सेवाओं तथा सुविधाओं में सुधार लाने के लिए आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण तथा पुनर्गठन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण, उन्नयन तथा रख-रखाव, तोल मशीनों, रसोई का सामान तथा बर्तन, स्कूल पूर्व और औषध किटें फर्नीचर का भी प्रावधान है। विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष अर्थात 2010-11 से 2013-14 (31.07.2013 तक) के दौरान आईसीडीएस (सामान्य) तथा अनुपूरक आहार के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सूचित की गई आबंटित निर्मुक्त निधियों तथा व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	बजट आबंटन (ब.आ.)	संशोधित आबंटन (संआ.)	निर्मुक्त निधियां*	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सूचित उनके हिस्से से सहित सूचित किया गया व्यय
2010-11	8700.00	9280.00	9763.11	15493.54
2011-12	10000.00	14048.40	14272.21	19196.48
2012-13	15850.00	15850.00	15701.50	17277.64
2013-14 (31-07-2013 तक)	17700.00	-	10845.74	-

* इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना (एकेबीवाई) के लिए जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए केंद्रीय निगरानी यूनिट हेतु राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) को निधियों की निर्मुक्ति भी शामिल है।

विवरण

आंगनवाड़ी केन्द्र/लघु आंगनवाड़ी केन्द्र/मांग किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों/मांग किए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	
		भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	31.3.2013 की स्थिति के अनुसार प्रचालनात्मक
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	91307	89710
2.	अरुणाचल प्रदेश	6225	6028
3.	असम	62153	62153
4.	बिहार	91968	91677
5.	छत्तीसगढ़	64390	49395
6.	गोवा	1262	1262
7.	गुजरात	52137	50226
8.	हरियाणा	25962	25570
9.	हिमाचल प्रदेश	18925	18866
10.	जम्मू और कश्मीर	28577	28577
11.	झारखंड	38432	38432
12.	कर्नाटक	64518	64518
13.	केरल	33115	33110
14.	मध्य प्रदेश	92230	91138
15.	महाराष्ट्र	110486	106931
16.	मणिपुर	11510	9883
17.	मेघालय	5156	5156
18.	मिजोरम	1980	1980
19.	नागालैण्ड	3455	3455
20.	ओडिशा	72873	71134
21.	पंजाब	26656	26656
22.	राजस्थान	61119	61100
23.	सिक्किम	1233	1233

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	55542	54439
25.	त्रिपुरा	9911	9906
26.	उत्तर प्रदेश	188259	187659
27.	उत्तराखंड	23159	18801
28.	पश्चिम बंगाल	117170	116390
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	704
30.	चण्डीगढ़	500	500
31.	दिल्ली	11150	10874
32.	दादरा और नगर हवेली	267	267
33.	दमन और दीव	107	107
34.	लक्षद्वीप	107	107
35.	पुदुचेरी	788	788
	अखिल भारत	1373349	1338732

भारत और स्विट्जरलैण्ड के मध्य स्वास्थ्य सहयोग

3347. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री प्रदीप माझी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा (वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली) के अवसर पर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान चर्चा किए गए स्वास्थ्य मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए सहयोग समझौतों/हस्ताक्षर के लिए प्रस्तावित समझौतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी वर्षों में इन समझौतों के कार्यान्वयन से भारत के समक्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों का किस हद तक समाधान होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी हां। दिनांक 20 मई, 2013 को जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के अवसर पर भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मंत्री स्तर पर द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हुआ था। बैठक के दौरान, स्वास्थ्य क्षेत्र में समझौते हेतु भारत और स्विट्जरलैंड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर संभावित हस्ताक्षर सहित स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

(घ) ऐसे द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर सहमति से सहयोग और समझौते के माध्यम से समझौता ज्ञापन के सदस्य देश के लोगों की सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए जाते हैं।

पर्यटक गंतव्य स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण

3348. श्री चार्ल्स डिएस:
श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल की उत्तराखंड त्रासदी के आलोक में और स्वच्छता के बारे में बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर मुख्य पर्यटक गंतव्य स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने और मनमानी तथा अनाधिकृत निर्माण कार्यों के संबंध में विनियमन के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में पर्यटक गंतव्य स्थलों की मौजूदा स्थिति और स्वच्छता के स्तर के बारे में अध्ययन कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उत्तराखंड घटना के मद्देनजर मुख्य पर्यटक गंतव्य स्थलों पर अनाधिकृत निर्माण कार्यों के बारे में रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय सार्वजनिक स्थानों में विशेष रूप से स्मारकों और पर्यटक गंतव्यों में स्वच्छता और साफ-सफाई के महत्व को स्वीकार करता है। इस संबंध में "स्वच्छ भारत अभियान" जून, 2012 में आरंभ किया गया था। यह अभियान उत्तराखंड सहित देश में हमारे समाज के सभी वर्गों को अनुनय, शिक्षा, प्रशिक्षण देने, प्रदर्शन और संवेदनशील बनाने का एक मिश्रण है।

पर्यटन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, यह निर्धारित किया गया है कि पर्वतीय एवं पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में होटल भवनों का स्थापत्य मजबूत तथा बिजली की कम खपत

वाला होना चाहिए और जहां तक संभव हो, वह स्थानीय लोकाचार के अनुरूप होना चाहिए तथा उनके द्वारा स्थानीय डिजाइनों एवं सामग्री का उपयोग होना चाहिए।

पर्यटन अवसंरचना का विकास राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है। पर्यटन मंत्रालय विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को पर्यटन परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय पर्यटक गंतव्य की सततता के पहलुओं की जांच करने की सलाह भी देता है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों और पर्यटन उद्योग के विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श से यथा आवश्यक ऐसे अध्ययन समय-समय पर करता है। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने शहरों के लिए स्वच्छता सूचकांक के विकास पर एक अध्ययन कराने की प्रक्रिया आरंभ की है।

(ङ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने उत्तराखंड के पर्यटक गंतव्यों की वहन क्षमता पर एक अध्ययन करना आरंभ किया है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में विद्यालय-पूर्व बाल देखरेख

3349. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों सह शिशु सदनों के निष्पादन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से फीडबैक मांगी है और उक्त फीडबैक के आधार पर अपना आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों सह शिशु सदनों में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान नए आंगनवाड़ी केन्द्र औसत से कम स्थापित किए गए हैं; और

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों में अधिक बच्चों को दाखिला देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस स्कीम के तहत, 12वीं योजना अवधि के दौरान 5 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों (कुल 70000 आंगनवाड़ी केन्द्र) में आगनवाड़ी केन्द्र सह शिशु गृह के प्रावधान का अनुमोदन किया गया है। यह राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की मांग पर आधारित है। अतिरिक्त कमरे का निर्माण सहित अतिरिक्त स्थान, पालना, बिस्तरों, सॉफ्ट टवायज, अतिरिक्त पूरक पोषण, एक अतिरिक्त शिशु गृह कर्मी आदि हेतु राशि परिकल्पित है।

संस्वीकृत, क्रियाशील बनाए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा उनकी न्यूनतम की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से लाभार्थियों को इष्टतम कवरेज तथा लंबित आंगनवाड़ी केन्द्र को शीघ्र प्रचालित करने के लिए कहा गया है ताकि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अधिक से अधिक बच्चों एवं महिलाओं का नामांकन हो।

विवरण

संस्वीकृत एवं क्रियाशील बनाए गए आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2012-13 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			2011-12 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या			2010-11 आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या		
		भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	प्रचालनात्मक	अन्तर	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	प्रचालनात्मक	अन्तर	भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत	प्रचालनात्मक	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	91307	89710	1597	91307	86164	5143	91307	83483	7824
2.	अरुणाचल प्रदेश	6225	6028	197	6225	6028	197	6225	6028	197
3.	असम	62153	62153	0	62153	57656	4497	62153	55642	6511
4.	बिहार	91968	91677	291	91968	80211	11757	91968	80211	11757
5.	छत्तीसगढ़	64390	49395	14995	64390	47355	17035	64390	39137	25253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोवा	1262	1262	0	1262	1262	0	1262	1258	4
7.	गुजरात	52137	50226	1911	52137	50149	1988	50226	49697	529
8.	हरियाणा	25962	25570	392	25962	25171	791	25699	21240	4459
9.	हिमाचल प्रदेश	18925	18866	59	18925	18651	274	18925	18356	569
10.	जम्मू और कश्मीर	28577	28577	0	28577	26400	2177	28577	25793	2784
11.	झारखंड	38432	38432	0	38296	38186	0	38296	38186	110
12.	कर्नाटक	64518	64518	0	64518	63376	1142	63377	63366	11
13.	केरल	33115	33110	5	33115	33082	33	33115	33026	89
14.	मध्य प्रदेश	92230	91138	1092	90999	90999	0	90999	90999	0
15.	महाराष्ट्र	110486	106931	3555	110486	106231	4255	110486	106231	4255
16.	मणिपुर	11510	9883	1627	11510	9883	1627	11510	9883	1627
17.	मेघालय	5156	5156	0	5156	5113	43	5115	5112	3
18.	मिजोरम	1980	1980	0	1980	1980	0	1980	1980	0
19.	नागालैंड	3455	3455	0	3455	3455	0	3455	3455	0
20.	ओडिशा	72873	71134	1739	72873	69183	3690	72873	69572	3301
21.	पंजाब	26656	26656	0	26656	26656	0	26656	26656	0
22.	राजस्थान	61119	61100	19	61119	58494	2625	61119	57511	3608
23.	सिक्किम	1233	1233	0	1233	1225	8	1233	1173	60
24.	तमिलनाडु	55542	54439	1103	55020	54439	581	54439	54439	0
25.	त्रिपुरा	9911	9906	5	9911	9906	5	9906	9906	0
26.	उत्तर प्रदेश	188259	187659	600	187517	186447	1070	187517	173533	13984
27.	उत्तराखंड	23159	18801	4358	23159	17568	5591	23159	16003	7156
28.	पश्चिम बंगाल	117170	116390	780	117170	116390	780	117170	111404	5766
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	704	16	720	697	23	720	697	23
30.	चंडीगढ़	500	500	0	500	420	80	500	420	80
31.	दिल्ली	11150	10874	276	11150	10570	580	11150	6606	4544
32.	दादरा और नगर हवेली	267	267	0	267	267	0	267	267	0
33.	दमन और दीव	107	107	0	107	102	5	107	102	5
34.	लक्षद्वीप	107	107	0	107	107	0	107	107	0
35.	पुदुचेरी	788	788	0	788	788	0	788	788	0
	अखिल भारत	1373349	1338732	34617	1370718	1304611	65997	1366776	1262267	104509

अनिवासी भारतीयों को आयकर में छूट

3350. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा भारत में किए गए निवेश से उन्हें अर्जित आय पर आयकर में प्रदान की गई छूट का ब्यौरा क्या है;

(ख) कॉपोरेट क्षेत्र द्वारा अर्जित आमदनी पर सरकार द्वारा कितने प्रतिशत कॉपोरेट कर लगाया जाता है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा आगे और रियायत/छूट देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) महोदया, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अन्तर्गत, भारतीयों की कुछ आय कराधान की रियायती दर पर कर के अध्यधीन है। इसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार अनिवासी (बाहरी) खाते से प्राप्त किया गया ब्याज शामिल होता है जिसे कर से छूट दी गई है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 115ङ के अन्तर्गत निवेश तथा दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों से अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की आय पर कम कर दरें वसूली जाती हैं। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 115 च. के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट परिसंपत्तियों में एनआरआई द्वारा निवेशित दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभों को कर से छूट है बशर्ते कि वे शर्तें उस धारा में दी गई हों। अधिनियम की धारा 115 छ के अनुसार एनआरआई को आय विवरणी दायर करना भी अपेक्षित नहीं है यदि कुल आय में तथा निवेश आय अथवा दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ के आय, अथवा दोनों शामिल हैं तथा अध्याय XVII ख के उपबंधों के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय से कटौती कर ली गई है।

(ख) वर्तमान में कार्पोरेट कर का प्रतिशत, जिसमें कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा अर्जित आय पर वसूले गये उपकर तथा अधिभार शामिल नहीं हैं, 30 प्रतिशत (घरेलू कंपनियों के लिए) तथा 40 प्रतिशत (विदेशी कंपनियों के लिए) है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग

3351. श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री संजीव गणेश नाईक:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.आर.) द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)को प्रदान की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्तावधि के दौरान कतिपय एन.जी.ओ. द्वारा बालकों के कल्याण के लिए निर्धारित निधियों के दुरूपयोग के मामले एनसीपीआर के संज्ञान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या एन.सी.पी.आर. के कुछ सदस्य अपने-अपने कारोबार चलाने के बावजूद आयोग से अपने यात्रा और फोन व्ययों की प्रतिपूर्ति कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को प्रदान की गई निधियों के संबंध में तीन वर्षों और चालू वर्ष में गैर-सरकारी संगठन-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) एनसीपीसीआर को अपने एक से किसी गैर-सरकारी संगठन के विरूद्ध निधियों के दुर्विनियोजन और हितों के विरूद्ध प्रयोग करने की एक विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई है। एनसीपीसीआर से इस विषय में रिपोर्ट मांगी गई थी और एनसीपीसीआर से 23.8.2013 को पैरावार टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।

(घ) कुछ सदस्यों द्वारा अपने व्यापार चलाने तथा आयोग से से यात्रा और दूरभाष के खर्चों का दावा करने की कोई विशिष्ट घटनाएं एनसीपीसीआर के संज्ञान में नहीं आई हैं।

(ङ) उपरोक्त (घ) के विषय में प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा गैर सरकारी संगठनों को दी गई धनराशि

			एनसीपीसीआर द्वारा एनजीओ को किए गए भुगतान का विवरण			
क्र.सं.	राज्य के गैर-सरकारी	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7
सं.	संगठन का नाम					
1.	सैंटर प्रोमोशन फॉर सोशल	तमिलनाडु	–	19,67,640	11,68,652	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
	कन्सर्न		–	43,468	–	2010-11 के दौरान सामाजिक लेखा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु
2.	निरंतर न्यास	उत्तर प्रदेश	2,49,000	19,77,809	–	लेखा परीक्षा आयोजित करना
			–	14,600	–	पोस्टर, पैम्फलेट्स इत्यादि के लिए भुगतान
			–	78,800	–	ब्लॉक बैठकों के लिए व्यवस्था करना
			–	–	10,000	तथ्य जांच-पड़ताल दल के लिए व्यवस्था करना
3.	वाइट लोटस ट्रस्ट	हरियाणा	2,49,000	5,21,135	–	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
4.	लोक दृष्टि	ओडिशा	–	9,48,000	8,64,689	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
5.	अलवर मेवात शिक्षा तथा	राजस्थान	–	9,15,857	9,38,873	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
	विकास संस्थान					
6.	सामाजिक सहायता के लिए	दिल्ली	3,26,500	15,78,814	8,14,000	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
	संयुक्त प्रयास					
			–	1,62,375	–	सार्वजनिक सुनवाई तथा ब्लॉक बैठकों के लिए व्यवस्था करना
7.	आस्था संस्थान	राजस्थान	–	4,42,852	9,56,044	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
				1,80,909		प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करना
8.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति	मध्य प्रदेश	2,49,000	15,96,000	9,48,000	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
					1,21,634	आधारभूत एवं कार्योत्तर डाटा-एंटरी कार्यों के लिए किया गया भुगतान
9.	भारत ज्ञान विज्ञान समिति	बिहार	2,49,000	8,97,897	14,56,794	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
10.	द एंट	असम	–	5,49,000	–	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
			–	2,21,563	–	असम में प्रशिक्षण के लिए सहायक कर्मियों की व्यवस्था करना
			–	1,47,685	–	क्षमता निर्माण, जागरूकता कार्यक्रम सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना

1	2	3	4	5	6	7
11.	साऊथ इंडिया सैल फॉर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन मॉनीटर	कर्नाटक	–	8,13,000	7,69,025	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
12.	एम.वी. फाउण्डेशन	आंध्र प्रदेश	2,49,000	6,44,641	–	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
13.	अपेक्षा होम्यो सोसायटी	महाराष्ट्र	2,49,000	5,49,000	–	सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए
			–	64,085	–	सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करना
14.	बाल सखा	बिहार	–	–	3,52,980	सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करना
15.	कोस्टर रूरल यूथ नेटवर्क	आंध्र प्रदेश	–	–	2,00,400	सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करना
16.	ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी एंड रिसर्च फाउण्डेशन (एचआरएफ)	तमिलनाडु	–	–	1,94,219	सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था करना
17.	खेंगजोंगलैंड, ए सैंटर फॉर थिएटर रिसर्च प्रोडक्शन		–	1,50,000	–	मणिपुर के आरटीई में शोज आयोजित करना
18.	रस धारा कल्चरल आर्गेनाइजेशन		–	75,000	–	राजस्थान के आरटीई में शोज आयोजित करना
19.	कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड डैसिमिनेशन	दिल्ली	–	20,00,000	11,61,624	अनुसंधान अध्ययन हेतु
20.	एक्शन एंड इण्डिया	दिल्ली	89,928	–	–	बैंगलौर में दिनांक 29 जनवरी, 2010 को अनाथ एवं सुभेद्य बच्चों के लिए सार्वजनिक सुनवाई हेतु व्यय
21.	कम्युनिटी हैल्थ फाउण्डेशन	दिल्ली	2,10,000	–	–	24 से 28 दिसंबर, 2010 तक नासिक में बाल महोत्सव संध्या पर बाल अधिकार मामलों पर आयोजित एक दिवसीय कार्यक्रम हेतु व्यय
22.	इंडिया अलाएंस फॉर चाईल्ड राइट्स	दिल्ली	2,50,000	–	–	परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के लिए संशोधित राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार करना।
23.	सिटिजन फाउण्डेशन	दिल्ली	–	5,68,723	–	रांची, झारखंड में 23 तथा 24 फरवरी, 2012 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई
	कुल योग		23,70,428	1,71,81,453	99,56,934	

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के संबंध में 01.04.2013 से 25.08.2013 (चालू वर्ष) एनसीपीसीआर के आरटीई प्रकोष्ठ द्वारा एनजीओ को किए गए भुगतान का विवरण

क्र.सं.	राज्य के एनजीओ का नाम	राज्य	राशि (रुपयों में)	उद्देश्य
1.	कोस्टल रूलर यूथ नेटवर्क	आंध्र प्रदेश	12,793	2012-13 के दौरान सार्वजनिक सुनवाई पर की गई व्यवस्था के लिए किए गए शेष भुगतान
2.	बाल सखा	बिहार	1,18,407	2012-13 के दौरान सार्वजनिक सुनवाई पर की गई व्यवस्था के लिए किए गए शेष भुगतान
	कुल योग		1,31,200	

बलात्कार पीड़ित का आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा लौटाने हेतु न्याय

3352. श्री आनंदराव अडसुलः
श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री अधलराव पाटील शिवाजीः
श्री गजानन ध. बाबरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 'बलात्कार पीड़ित का आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा लौटाने हेतु न्याय' नामक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत सृजित कायिक निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना के अंतर्गत बलात्कार पीड़ितों अथवा वैध उत्तराधिारियों को प्रस्तावित वित्तीय सहायता और अन्य मुआवजों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क के अनुसार राज्य सरकारों को केंद्रीय सरकार के साथ परामर्श करके एक पीड़ित मुआवजा स्कीम बनानी होती है। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अब तक 17 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों ने पीड़ित मुआवजा स्कीम अधिसूचित की है। दण्ड कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 में भी बलात्कार और एसिड आक्रमण के पीड़ितों को निजी तथा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अधिदेश है। न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 सभी महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नियम अत्याचार शोषण की शिकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं को 1.2 लाख रुपये का मुआवजाा भी शामिल है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार आश्रय आधारित स्कीमें जैसे स्वाधार और अल्पाश्रय गृह को चला रहा है जो व्यथित महिलाओं जिनमें बलात्कार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, को तुरंत आश्रय प्रदान करती हैं। अवैध व्यापार की शिकार महिलाओं के लिए संरक्षणात्मक और पुनर्वास, गृहों को भी मंत्रालय द्वारा उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत राशि वित्तपोषित करता है। इन गृहों के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को निःशुल्क, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, परामर्श और मूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। मंत्रालय अत्याचार, पारिवारिक अव्यवस्था, सामाजिक बहिष्कार इत्यादि की शिकार महिलाओं को परामर्श, संदर्भित और पनुर्वासीय सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र (एफसीसी) स्कीम भी चला रहा है।

बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए उपलब्ध सहायता और सेवा व जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और इसकी नियमावली के अनुसार आर्थिक मुआवजा शामिल है तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के अंतग्रत दी जाने वाली कुल सहायता और सेवा को ध्यान में रखते हुए बलात्कार पीड़ित का आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा लौटाने हेतु न्याय प्रक्रिया की समीक्षा की गई है।

अवसंरचना के वित्तपोषण संबंधी समिति

3353. श्री पोन्नम प्रभाकरः
राजकुमारी रत्ना सिंहः
श्री एस. अलागिरीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश की आर्थिक वृद्धि में अवसंरचना क्षेत्र के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्री दीपक पारिख की अध्यक्षता वाली अवसंरचना का वित्तपोषण संबंधी उच्चाधिकार समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और बिन्दु-वार इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है और यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट कब तक सरकार को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) अवसंरचना, उत्पादकता बढ़ाकर तथा सुविधाएं प्रदान की, जिससे जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक विकास में योगदान देती है। अवसंरचना का हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में दसवीं योजना में 5.04 प्रतिशत से बढ़कर ग्यारहवीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 7.21 प्रतिशत हो गया है। श्री दीपक पारिख की अध्यक्षता वाली संरचना के वित्तपोषण संबंधी उच्चस्तरीय समिति का वर्तमान

कार्यकाल 31 दिसंबर, 2013 तक है। समिति से आशा है कि वह तब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

गैर-सरकारी संगठनों के खातों की समीक्षा

3354. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री भास्करराव बापूराव खतगांवकर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री संजय भोई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) का ब्यौरा क्या है जिन्हें विदेशों से प्राप्त संदान पर कर में छूट है;

(ख) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 2011-12 में दौरान विदेशों से एक करोड़ रुपए से अधिक संदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खातों की संवीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की तिथि तक कितने गैर-सरकारी संगठनों के खातों की जांच की गई है और तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है; और

(घ) इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) उन गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का ब्यौरा, जिन्हें विदेशों से प्राप्त संदान पर कर से छूट दी जाती है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में केन्द्रीय स्तर नहीं रखा जाता है। तथापि, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (एफसीआर), 2010 के अंतर्गत प्रकट किए गए विदेशी संदान का ब्यौरा गृह मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक डोमेन (http://mha.nic.in/fcra.htm) में रखा गया है।

(ख) (i) जी, हां।

(ii) अनुदेश संख्या 10/2013 के अनुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी अनिवार्य मैनुअल संवीक्षा चयन संबंधी दिशा-निर्देशों के मानदंडों में से यह एक मानदंड है।

(ग) ऐसे मामलों के चयन की प्रक्रिया इस समय विचाराधीन है। उन गैर सरकारी संगठनों की संख्या, जिनके खातों की आज तक संवीक्षा की गई है और उनके संबंध में प्राप्त हुए जांच परिणामों का ब्यौरा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(घ) यदि कोई गैर सरकारी संगठन आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

शेल गैस

3355. श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शेल गैस के अन्वेषण हेतु केवल तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) और ऑयल इंडिया को अनुमति देने का निर्णय लिया है और निजी फर्मों को अनुमति देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का निजी फर्मों को दिए गए ब्लाकों में शेल संसाधनों के अन्वेषण से निपटने के लिए पृथक नीति बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने शेल गैस के अन्वेषण के पारिस्थितिकीय प्रभाव और इससे होने वाली जल की कमी की संभावना के संबंध में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) शेल गैस और तेल नीति तैयार की जा रही है और विभिन्न पणधारकों के साथ परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। पणधारकों से सुझाव और उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए मसौदा नीति को पब्लिक डोमेन में डाला गया था। शेल गैस और तेल के अन्वेषण में पारिस्थितिकीय प्रभाव और जल संसाधनों सहित विभिन्न पहलुओं पर अंतर-मंत्रालयी परामर्श के जरिए प्राप्त टिप्पणियों/मतों की जांच की जा रही है।

वर्तमान में शेल गैस/तेल नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वामित्व संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंड

3356. श्री अर्जुन राम मेघवाल:
श्री वीरेन्द्र कश्यप:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में स्वामित्व संबंधी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) मानदंडों में संशोधन करने वाली अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने इस संबंध में संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय कंपनियों में कुल विदेशी निवेश की गणना, स्वामित्व के हस्तांतरण, भारतीय कंपनियों के नियंत्रण और भारतीय कंपनियों द्वारा अनुप्रवाह निवेश के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में तारीख 7 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या फेमा. 278/2013 आरबी (भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध) जारी की है। यह अधिसूचना प्रेस नोट 2009 का 2 और 3, प्रेस नोट 2012 का 2 और तारीख 5 अप्रैल, 2013 के समेकित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति परिपत्र 2013 का 1 को कार्यान्वित करने के लिए जारी की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रेस नोट और अधिसूचना जारी करने से पहले कारपोरेट कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चाएं की गई थीं।

[अनुवाद]

जीएसवाई द्वारा अन्वेषण हेतु सर्वेक्षण,

3357. श्री लक्ष्मण टुडु: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा के मूयरभंज जिले सहित देश के विभिन्न भागों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा चांदी और तांबे के अन्वेषण के सर्वेक्षण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(ग) इससे प्राप्त परिणामों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने विगत तीन वर्षों के दौरान देश के किसीभी हिस्से में चांदी के लिए गवेषण कार्य नहीं किया है। तथापि, जीएसआई ने इस अवधि में देश के विभिन्न भागों में तांबा और अन्य सम्बद्ध धातुओं जैसे सीसा, सोना और चांदी के लिए गवेषण कार्य किया है। जीएसआई द्वारा विगत तीन वर्षों में देश के विभिन्न भागों में तांबा और सम्बद्ध आधार और बहुमूलय धातुओं के लिए किए गए सर्वेक्षण और गवेषण कार्य के परिणाम और जीएसआई द्वारा संसाधनों के अनुमान संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। आधार धातुओं के लिए फील्ड-सत्र (एफएस) 2012-13 के दौरान जीएसआई के गवेषण कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) फील्ड-सत्र 2010-12 तक तांबा और सम्बद्ध आधार धातुओं के लिए किए गए गवेषण संबंधी रिपोर्टों का ब्यौरा जीएसआई की प्रसार नीति के अनुसार जीएसआई के पोर्टल पर उपलब्ध है

इन खनिजों के संदोहन के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 के खनन क्षेत्र में उदारीकरण से खनिजों का गवेषण और खनन निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है। राज्य सरकारें खनिजों की स्वामी होने के कारण खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ खनिजों के मामले में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। इसके अलावा, खनिज गवेषण राज्य सरकार द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने के अधीन खनिज विशेष की मांग पर निर्भर करता है।

विवरण-I

विगत तीन वर्षों में अनुमानित संसाधन

राज्य	जिन्स	फील्ड सत्र	ब्यौरा	
1	2	2	4	5
राजस्थान	तांबा (Cu) और सीसा (Pb) अयस्क	2009-10	क्षेत्र	महावा ब्लॉक
			जिला	सीकर
			तांबा अयस्क संसाधन	1.89 मिलियन टन
			कान्फिडेंस स्तर	अनुमानित संसाधन
			औसत श्रेणी	0.35% Cu
			सीसा अयस्क संसाधन	0.20 मिलियन टन
			औसत श्रेणी	0.33% Pb
राजस्थान	तांबा (Cu) और स्वर्ण (Au) अयस्क	2009-10	क्षेत्र	दानवा ब्लॉक
			जिला	सिरोही
			तांबा अयस्क संसाधन	26625 टन
			कान्फिडेंस स्तर	अनुमानित संसाधन (333)
			औसत श्रेणी	0.33% Cu
			स्वर्ण अयस्क संसाधन	20720 टन
			औसत श्रेणी	0.733 या/टन (g/t)
हरियाणा	तांबा अयस्क	2009-10	क्षेत्र	गंगुताना ब्लॉक के उत्तर में
			जिला	महेन्द्रगढ़
			तांबा अयस्क संसाधन	2.96 मिलियन टन
			कान्फिडेंस स्तर	अनुमानित संसाधन (333)
			औसत श्रेणी	0.34% Cu
राजस्थान	तांबा और सीसा अयस्क	2010-12	क्षेत्र	महावा ब्लॉक
			जिला	सीकर
			तांबा अयस्क संसाधन	2.19 मिलियन टन
			कान्फिडेंस स्तर	अनुमानित संसाधन (333)
			औसत श्रेणी	0.38% Cu
			सीसा अयस्क संसाधन	0.65 मिलियन टन

1	2	2	4	5
			औसत श्रेणी	0.24% Pb
राजस्थान	तांबा स्वर्ण और	2010-12	क्षेत्र	खेड़ा ब्लॉक, मुंडियावास खेड़ा
	चांदी अयस्क		जिला	अलवर
			तांबा अयस्क संसाधन	23.46 मिलियन टन
			कान्फिडेंस स्तर	अनुमानित संसाधन (333)
			औसत श्रेणी	0.28% Cu
			स्वर्ण संसाधन	1.32 मिलियन टन
			औसत श्रेणी	0.66 g/t Au
			चांदी	1.51 मिलियन टन
			औसत श्रेणी	6.55 g/t Ag (चांदी)

विवरण-II

फील्ड सत्र 2012-13 के दौरान देश के विभिन्न भागों में तांबा और सम्बद्ध आधार धातु के संबंध में जीएसआई के गवेषण कार्यक्रम

राज्य	जिला/क्षेत्र	टिप्पणी
1	2	3
राजस्थान	करोई-राजपुरा क्षेत्र (टोपोशीट [T.S]: 45K/7&8 पुर बनेरा बेल्ट, भीलवाड़ा जिला करोई-राजपुरा क्षेत्र) [T.S]: 45K/7&8 पुर बनेरा बेल्ट, भीलवाड़ा जिला में	वेधछिद्रों में प्रतिछेदित सल्फाइड खनिजन डिसएमिनेशन, स्ट्रिंजर्स और चाल्कोपीराइट वेंस, कोवेलाइट, पाइराइट और पायरोटाइट के रूप में है। वेधछिद्र में 3.00 मी. और 8.70 मि. के बीच की गहराई के साथ 0.28% Cu एक खनिजन जोन प्रतिछेदित किया गया है।
राजस्थान	सालमपुरा और दरीबा ब्लॉक के बीच के क्षेत्र [T.S:45K/11] पुर बनेरा बेल्ट, भीलवाड़ा जिला में	0.5 वर्ग मी. के क्षेत्र का 1:2000 पैमाने पर मानचित्रण किया गया है। दक्षिण पूर्व अथवा उत्तर पश्चिम की ओर स्टीप डिप सहित बेड का जनरल स्ट्राइक उत्तर 30 डिग्री पूर्व-दक्षिण 30 डिग्री पश्चिम है। स्थलों पर बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्टजाइट (बीएमक्यू) में पिंच और स्वैल ढांचा विकसित किए गए हैं। 50 मीटर × 200 मीटर ग्रिड क्षेत्र से 100 मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं जिससे क्षेत्र में विसंगत जोन का पता चलता है।
राजस्थान	खेड़ा ब्लॉक, मुंडियावास-खेड़ा क्षेत्र [T.S: 54A/7] अलवर जिले में उत्तर दिल्ली फील्ड बेल्ट में	खनिजन अधिकांशत: डिसएमिनेशन, स्ट्रिक्स, स्ट्रिंजर्स, विनलेट्स और फ्रेक्चर फिलिंग्स के रूप में पाया जाता है। थिन क्वार्टज और कार्बोनेट विंस के भीतर चाल्कोपीराइट, पायरोटाइट, पाइराइट और ब्रोनाइट और कोवेलाइट के दुर्लभ स्पेक्स रिकार्ड किए गए हैं।
राजस्थान	खेड़ा पूर्व ब्लॉक, [T.S.: 54A/7] मुंडियावास-खेड़ा क्षेत्र,	क्षेत्र के पश्चिमी भाग में कार्बोनेट्स युक्त फाइन ग्रेंड श्याम वर्ण शैल यूनिट/चेरटी क्वार्टजाइट के भीतर सल्फाइड्स (पायरोटाइट और आरसेनो पाइराइट) उपलब्ध है। यह

1	2	3
	अलवर जिला	बेंड भी मानचित्रित क्षेत्र के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है और बैंड की चौड़ाई लगभग 4-5 मीटर है जिसमें बहुत ही बारीक सल्फाइड ग्रेन्स होते हैं।
राजस्थान	नानागवास क्षेत्र [T.S.: 55 M/13, 14), सीकर अलवर जिला	सतह पर दो खनिजयुत जोन MZ-I & MZ-II का पता लगाया गया है। MZ-I पर लक्षित लक्षित गहराई पर खनिजन के प्रतिच्छेदन हेतु वेधछिद्रों का वेधन किया गया।
राजस्थान	दरीबा उत्तरी ब्लॉक, [T.S.: 45M/14], सीकर जिला	0.50 मीटर × 0.15% Cu और 2 मीटर × 0.19% Cu उथली गहराई पर वेधछिद्रों में दो खनिजयुक्त क्षेत्रों का प्रतिच्छेदन किया है।
राजस्थान	घाटीवाला ब्लॉक, [T.S: 45M/14], सीकर जिला	चैनल नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों से Cu का मान 990 पार्टस प्रति मिलियन (पीपीएम) के बीच तक का पता चला है।
राजस्थान	पलासवाला की धाय ब्लॉक, (45 M/14), सीकर जिला	तीन खनिजयुक्त जोन [MZ-I, MZ-II & MZ-III] की पहचान की गई है। MZ-I & MZ-II सिनफार्म के उत्तरी भाग में हैं जबकि MZ-III कोर भाग में है। MZ-I, MZ-II, & MZ-III की औसत स्ट्राइक लंबाई क्रमशः 400 मी., 600 मी. और 250 मी. है और चौड़ाई 7 मी. से 15 मी. के बीच है। चैनल नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों से Cu का कंटेंट 5 पीपीएम से 0.76% के बीच है।
राजस्थान	पौंख दक्षिण विस्तार ब्लॉक, [T.S: 45M/9], सेंट्रल खेतड़ी बेल्ट, झुंझुनूं जिला	खनिजन अधिकांशतः डिसएमिनेशन, स्ट्रिंजर्स, विन्स और पाइराइट के स्पेक्स के रूप में पाया जाता है। कोर नमूनों में मैलाचाइट स्टेनिंग की विद्यमानता और तांबा सल्फाइट की उपलब्धता नहीं देखी गई हैं।
राजस्थान	पिलवा ब्लॉक, [T.S: 45J/10], अजमेर जिला	0.5 वर्ग किमी. विस्तृत मानचित्रण के साथ 1:10, 000 पैमाने पर 40 वर्ग किमी. क्षेत्र को मानचित्रित किया गया था। सल्फाइड खनिजन के लिए उच्च श्रेणी शैल पोषक शील है।
राजस्थान	चाड़ी तांबा निक्षेप के उत्तर पश्चिम विस्तार के मूल्यांकन के लिए चाड़ी NW ब्लॉक, [T.S: 45L/8], उदयपुर जिला	मेटावोलकेनिक्स में NW-SE ट्रेंडिंग गोसन/ऑक्सीकृत जोन रिकार्ड किया गया। इस जोन में पाइराइट, चाल्कोपीराइट और मैलचाइट स्टेंस देखे गए हैं।
राजस्थान	भिमाना एवं किवारली ब्लॉक, [T.S: 45 D/14], सिरोही जिला	बेसिक वोलकेनिक्स में मैलाचाइट स्टेंस और सल्फाइड स्पेक के रूप में खनिजन की उपस्थिति रिकार्ड की गई है। बेसिक वोलकेनिक्स से लिए गए 11 नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों से Cu और Zn के मानों को क्रमशः 11 पीपीएम से 785 पीपलएम और 21 से 450 पीपीएम के बीच पता चला है।
हरियाणा	बकरीजा के उत्तर [T.S: 54 A/1], उत्तर दिल्ली फोल्ड बेल्ट से संबंधित	चार वेधछिद्रों में कुल 440.55 मीटर वेधन पूरा किया गया। विश्लेषणात्मक परिणामों से तांबा का मान < 5 से 1704 पीपीएम, सीसा का मान < 5 पीपीएम से 146 पीपीएम और जस्ता का मान < 5 पीपीएम से 431 पीपीएम के बीच पाया गया।

1	2	3
आंध्र प्रदेश	रामगिरी-पेनाकचरेला शिस्ट बेल्ट, अनंतपुर जिला के क्षेत्र कंगनपल्ली के चेरलापल्ली ब्लॉक	7 वेधछिद्रों में कुल 818.30 मीटर वेधन किया गया। तांबा खनिजन मैलाचाइट और कोवेलाइट (30 से 35 मीटर की गहराई तक) के रूप में है और उत्कीर्णन ताजा चाल्कोपाइराट गहरे स्तर पर है।
केरल	पांडिनजारातारा क्षेत्र [T.S: 49MA/14), वायानाद जिला	सल्फाइडयुक्त बैंडेड लौह शैल समूह दो अलग बैंडों के रूप में उपलब्ध होते हैं। खांच नमूनों के विश्लेषणात्मक परिणामों से तांबा का मान 42 से 639 पीपीएम और जस्ता का 40 से 129 पीपीएम के बीच पता चला है।
अरुणाचल प्रदेश	पाकरो-निंगचो क्षेत्र [T.S: 83E/4], पूर्वी कामेंग जिला	सड़क खंड में उच्च ऑक्सीकृत और लौहमय युक्त बीएमक्यू जोन का पता चला है। तांबा कंटेंट के लिए 11 चैनल नमूनों का विश्लेषण किया गया जो 0.22% से 0.66% के बीच है।
सिक्किम	डिक्चू बेसमेटल के संभावना क्षेत्र का विस्तार [T.S: 78A/10, 11), पूर्वी जिला	3 विभिन्न खनिजयुक्त जोनों की पहचान की गई है: (1) बाकचेचू-रेच्छयू संगम-पोडांग (Cu का मान 3637 पीपीएम से 15600 पीपीएम के बीच है), (2) नामपुंग-चौथा मील पंगथांग (Cu का मान 206 पीपीएम से 5600 पीपीएम के बीच है), और (3) नाबे-लूइंग (Cu का मान 364 पीपीएम से 16,260 पीपीएम के बीच है)।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस भंडार

3358. श्री सी. शिवासामी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गैस भंडारों के अन्वेषण हेतु निवेश में निरंतर कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल और गैस क्षेत्र में निवेश की कमी के कारण उक्त अवधि के दौरान गैस के घरेलू उत्पादन में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) के दौरान उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के तहत सौंपे गए ब्लॉकों में संविदाकारों द्वारा अन्वेषण गतिविधियों पर किया गया निवेश निम्नानुसार हैं:

वर्ष	अन्वेषण निवेश (मिलियन अमेरिकी डालर)
2009-10	2010
2010-11	2379
2011-12	1053

उपर्युक्त निवेश वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर हैं। चूंकि वित्त वर्ष 2012-13 के लेखा परीक्षित लेखे अभी तक प्राप्त होने हैं अत: वित्त वर्ष 2012-13 में किए गए निवेश उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं।

यह भी नोट किया जाए कि पीएससी व्यवस्था के तहत अन्वेषण/निवेश सौंपे गए ब्लॉकों में वचनबद्ध कार्य कार्यक्रमों पर निर्भर करते रहते हैं और वर्ष के दौरान नियोजित अन्वेषण गतिविधि यों की मात्रा के आधार पर वर्ष-वार अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए उपर्युक्त निवेश भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोगी कल्याण समिति

3359. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोगी कल्याण समितियों (आरकेएस) और अस्पताल प्रबंधन समितियों (एचएमसी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और देश में वर्तमान में कार्यरत रोगी कल्याण समितियों/अस्पताल प्रबंधन समितियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का कार्यकरण सुचारु करने के लिए सभी जिला अस्पतालों में आरकेएस/एचएमसी को अनिवार्य बनाया गया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों में जिला अस्पतालों की संख्या कितनी है जहां आरकेएस/एचएमसी हैं; और

(ङ) देश के सभी जिला अस्पतालों में आरकेएस/एचएमसी के गठन हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जन स्वास्थ्य राज्य विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) (ख) आरकेएस/एमएसएस को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत किए जाने और स्थानीय बैंक में खाते होने अपेक्षित है। इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर और उससे ऊपर के सभी जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में स्थापित किया जाना है। इसमें स्थानीय पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के सदस्य शामिल हैं। इसके पास उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से अपने स्वयं के संसाधनों में वृद्धि और सुविधा केन्द्रों में दी गई सेवाओं के सुधार हेतु उसका उपयोग करने का प्राधिकार होगा। एनआरएचएम के तहत प्रत्येक आरकेएस को निम्नलिखित वार्षिक निधि अनुदान सहित निधियां दी जाती हैं:

जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र	(रुपये में)		
	निधि अनुदान	वार्षिक अनुरक्षण अनुदान	असंबद्ध निधियां
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,00,000	50,000	25,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1,00,000	1,00,000	50,000
जिला अस्पताल	5,00,000	लागू नहीं	लागू नहीं

रोगी कल्याण समितियों/अस्पताल प्रबंधन समितियों वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की राज्य/संघ क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (घ) कार्यान्वयन हेतु एनआरएचएम कार्य ढांचा के अनुसार, जिला अस्पताल सहित प्रत्येक सार्वजनिक अस्पताल में आरकेएस/एचएमसी होना चाहिए। जिला अस्पताल (डीएच) सहित जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के आरकेएस/एचएमसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। एनआरएचएम के तहत निधि अनुदान, वार्षिक अनुरक्षण अनुदान, असंबद्ध अनुदान के माध्यम से केवल उन सार्वजनिक अस्पतालों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जहां आरकेएस/एचएमसी को गठित और पंजीकृत किया गया है। यह केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का भी भाग है।

विवरण

रोगी कल्याण समितियों/अस्पताल प्रबंधन समितियों वाले स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	डीएचएस सहित जिला स्तरीय सुविधाएं	सीएचसी	सीएचसी के अलावा ब्लॉक स्तर से ऊपर लेकिन सीएचसी से नीचे	पीएचसी	उप केन्द्र से ऊपर अन्य स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र लेकिन ब्लॉक स्तर के नीचे (एक पीएचसी आदि शामिल हां सकते हैं)	संपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	21	104	23	335	0	483

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	पंजाब	21	114	35	445	0	615
3.	हिमाचल प्रदेश	12	76	38	456	0	582
4.	जम्मू और कश्मीर	22	83	4	385	143	637
5.	तमिलनाडु	30	385	236	1229	0	1880
6.	महाराष्ट्र	23	458	15	1810	795	3101
7.	आंध्र प्रदेश	17	292	91	1624	0	2024
8.	गुजरात	24	314	30	1136	0	1504
9.	झारखंड	21	170	36	330	0	557
10.	बिहार	36	68	35	481	1298	1918
11.	छत्तीसगढ़	26	148	26	710	3	913
12.	राजस्थान	35	431	21	1647	195	2329
13.	उत्तराखंड	19	53	19	239	0	330
14.	उत्तर प्रदेश	148	466	15	460	2661	3750
15.	केरल	18	237	88	835	835	2013
16.	दिल्ली	26	8	1	0	0	35
17.	गोवा	2	3	0	9	0	14
18.	मध्य प्रदेश	50	333	56	1137	0	1576
19.	कर्नाटक	31	180	146	2286	0	2643
20.	ओडिशा	32	377	27	1305	0	1741
21.	पश्चिम बंगाल	15	348	79	909	0	1351
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3	4	0	22	0	29
23.	अरुणाचल प्रदेश	14	54	0	127	0	195
24.	असम	25	108	13	149	826	1121
25.	मणिपुर	7	16	1	73	0	97
26.	मेघालय	11	27	0	108	0	146
27.	मिजोरम	8	9	2	57	0	76
28.	नागालैंड	11	21	0	126	4	162
29.	सिक्किम	4	0	0	24	0	28
30.	त्रिपुरा	3	18	13	83	0	117

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	चंडीगढ़	1	2	0	0	0	3
32.	दादरा और नगर हवेली	1	1	0	0	0	2
33.	दमन और दीव	2	2	0	3	0	7
34.	लक्षद्वीप	1	3	1	4	0	9
35.	पुदुचेरी	5	4	0	39	0	48
	कुल	725	4917	1051	18583	6760	32036

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा

3360. श्री राजू शेट्टी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनन्य रूप से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

तस्करी के नए ट्रांजिट केन्द्र

3361. श्री नित्यानंद प्रधान: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता और गुवाहाटी अन्य देशों को नशीले पदार्थों की तस्करी के नए ट्रांजिट केन्द्र बन गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आए/पता चले मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस समस्या के नियंत्रण हेतु तैयार की गई अथवा प्रस्तावित रणनीतिक कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त 'क' के मद्देनजर 'शून्य'।

(ग) कोलकाता और गुवाहाटी से प्रकाश में आए/पता चले ड्रग तस्कारी मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

कोलकाता

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त ड्रग का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2010-11	6	0.63	6
2011-12	14	3.06	7
2012-13	7	3.44	5
2013-14 (जुलाई, 2013 तक)	9	0.55	2

गुवाहाटी

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त ड्रग का मूल्य	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या
2010-11	11	0.51	-
2011-12	12	0.60	2
2012-13	21	56.23	12
2013-14(जुलाई, 2013 तक)	7	12.42	16

(घ) डीआरआई सभी सीमा-शुल्क कार्यालय बहुत चौकस हैं और ड्रग प्रवर्तन कार्य को प्राथमिकता प्रदान की जाती है ताकि एनडीपीएस के तहत स्वापक (नार्कोटिक्स) ड्रग की तस्करी को रोका जा सके। बन्दरगाहों, हवाई अड्डों और भू सीमा शुल्क केंद्रों पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। अन्य रणनीतिक कार्यों में अन्य ड्रग विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ प्रभावी समन्वय, सूचना का आदान-प्रदान, जांच संबंधी सहायता और ड्रग समस्या को नियंत्रित करने के लिए कौशलों में उन्नयन करना शामिल हैं।

छोटी बचतों के एजेंटों का कार्य-निष्पादन

3362. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) और अन्य योजनाओं के लिए लघु बचत एजेंटों के कार्य-निष्पादन संबंधित समेकित विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले संगठनों/प्रभागों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त संगठनों/प्रभागों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(ग) संगठनों/डिविजनों द्वारा उक्त विवरण कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) लोक भविष्य निधि स्कीम के अभिकर्ताओं की नियुक्ति, एजेंसी का नवीकरण, पुलिस सत्यापन तथा अभिकर्ताओं के निष्पांदन जैसे मामलों को 1.4.2004 से तथा अन्य लघु बचत स्कीमों के मामलों को 21.11.2002 से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें देखती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बायोगैस संयंत्र

3363. श्री रवनीत सिंह
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में परिवार के उपयोग के आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्धारित लक्ष्यरु/प्राप्त उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को स्वीकृत, जारी और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान जैव-ऊर्जा संयंत्रों के विकास हेतु प्राप्त उपलब्धियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बायोमॉस ऊर्जा से बिजली उत्पादन हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के साथ समझौता करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय संगठनों को प्रोत्साहित करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का बायोमॉस से बिजली उत्पादन में स्थानीय किसानों को शामिल करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएमपी) के अंतर्गत देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6.47 लाख संयंत्रों के लक्ष्य तुलना में लगभग 6.08 लाख पारिवारिक प्रकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है।

एनबीएमएमपी के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों के वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान एनबीएमएमपी के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों के साथ-साथ वर्ष-वार स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बायोमॉस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के नोडल विभागों/नोडल एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, ग्राम स्तर के संगठनों, संस्थानों और निजी उद्यमियों के माध्यम से किया जाता है। निजी उद्यमियों द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु बायोमास के एकत्रण और आपूर्ति के कार्य में स्थानीय किसानों को शामिल किया जाता है।

विवरण I

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएपी) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां।

क्र. स.	राज्य का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	18000	10725	18000	10825	16500	13699	18000	16275	16000	15346	86500	66870
2.	अरुणाचल प्रदेश	150	200	150	250	200	162	200	175	100	150	800	937
3.	असम	2550	3700	3000	7500	10000	10450	5000	6732	4900	6581	25450	34963
4.	बिहार	100	182	200	200	300	200	300	350	1000	3285	1900	4217
5.	छत्तीसगढ़	1500	2100	3000	3118	5000	3433	3700	3832	4000	4779	17200	17262
6.	गोवा	75	21	50	34	50	31	50	18	50	65	275	169
7.	गुजरात	8000	8301	8000	5842	10000	10556	10000	6105	7000	2631	43000	33435
8.	हरियाणा	1000	1048	1500	1347	1500	1422	2000	1379	1700	1819	7700	7015
9.	हिमाचल प्रदेश	150	179	150	246	150	245	300	445	500	426	1250	1541
10.	जम्मू और कश्मीर	110	50	50	72	100	155	1000	114	200	136	1460	527
11.	झारखंड	200	536	500	824	500	1030	1000	913	500	750	2700	4053
12.	कर्नाटक	4000	3933	10000	7822	20000	10323	16000	14464	13000	12363	63000	48905
13.	केरल	4500	3044	3000	5151	6000	4085	3500	3941	2600	3483	19600	19704
14.	मध्य प्रदेश	15000	7642	16000	14077	16000	15114	16000	16742	14000	12415	77000	65990
15.	महाराष्ट्र	13000	18635	15000	15461	8000	11235	8000	21456	13000	22220	57000	89007
16.	मणिपुर	100	–	100	–	50	–	50	–	50	–	350	–
17.	मेघालय	200	525	300	725	400	825	600	1275	1000	1390	2500	4740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	मिजोरम	100	100	200	100	100	50	200	100	200	100	800	450
19.	नागालैंड	200	231	200	425	350	605	500	1171	1000	1325	2250	3757
20.	ओडिशा	4000	3895	4000	2332	5000	5296	7000	6050	7000	7186	27000	24759
21.	पंजाब	1500	4573	8000	9695	10000	7250	16000	23700	18000	14173	53500	59391
22.	राजस्थान	25	90	100	92	50	176	100	275	500	498	775	1131
23.	सिक्किम	200	372	200	447	200	555	240	358	200	635	1040	2367
24.	तमिलनाडु	1500	1773	1500	1761	1500	1740	1500	1493	1000	1531	7000	8298
25.	त्रिपुरा	300	38	200	159	100	47	100	89	200	117	900	450
26.	उत्तर प्रदेश	4000	3946	3000	2019	4000	3252	4500	4603	5000	4759	20500	18579
27.	उत्तराखंड	400	825	500	1104	900	1225	900	2082	2000	2114	4700	7350
28.	पश्चिम बंगाल	8500	12175	11000	16300	15000	16748	15000	17000	16000	19986	65500	82209
29.	दिल्ली/नई दिल्ली	–	1	–	1	–	–	–	1	–	1	–	4
30.	पुदुचेरी	100	–	100	–	50	5	50	–	100	–	400	5
	राज्यों में केवीआईसी	15000	#	16000	#	18000	#	19000	#	21000	#	89000	#
	कुल	104460	88840	124000	107929	150000	119914	150790	151138	151800	140264	681050	608085

केवीआईसी की उपलब्धियों को राज्यों के बीच वितरित किया गया है और संबंधित कॉलमों में दर्शाया गया है।

विवरण II

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (एनबीएमएपी) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों सहित राज्यों द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियाँ

(करोड़ रु. में)

2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
मंजूर की गई धनराशि	जारी और उपयोग की गई धनराशि	उपलब्धियां (संयंत्रों की संख्या)	मंजूर की गई धनराशि	जारी और उपयोग की गई धनराशि	उपलब्धियां (संयंत्रों की संख्या)	मंजूर की गई धनराशि	जारी और उपयोग की गई धनराशि	उपलब्धियां (संयंत्रों की संख्या)	मंजूर की गई धनराशि	जारी और उपयोग की गई धनराशि	उपलब्धियां (संयंत्रों की संख्या)	मंजूर की गई धनराशि	जारी और उपयोग की गई धनराशि	उपलब्धियां (संयंत्रों की संख्या)
33.918	55.91	88840	39.794	56.99	107929	159.3	68.15	119914	157.35	120.00	151138	158.93	139.99	140264

मंजूर की गई धनराशि और जारी की गई धनराशि के बीच अंतर निम्नलिखित कारणों से हैं:

1. मंजूर की गई धनराशि प्रति बायोगैस संयंत्र दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और आवंटित किए गए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार निर्धारित की गई कुल राशि की औसत राशि पर गणना की गई है।
2. किसी वर्ष के दौरान जारी की गई राशि में प्रथम और द्वितीय किस्तों के रूप में जारी की गई राशि और पिछली देयताएं भी शामिल हैं।
3. बायोगैस विद्युत उत्पादन परियोजनाओं (बीपीजीपी) के अंतर्गत किया गया व्यय एनबीएमएमपी कार्यक्रम के लिए निर्धारित निधियों से भी जारी किया गया।
4. वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक जारी और उपयोग की गई धनराशि, मंजूर की गई धनराशि से कम हैं क्योंकि मंजूर की गई राशि की गणना हेतु प्रति बायोगैस संयंत्र औसत शुल्क-दर में वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 की तुलना में तीन गुनी वृद्धि हुई है।

पंचायतों का सुदृढ़ करना

3364. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री एस. पक्कीरप्पा:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का शिक्षा जन संचार माध्यमों, सामाजिक भागीदारं और शहरी संपर्कों के माध्यम से महिला पंचायत सदस्यों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) हेतु विशेषरूप से तैयार कार्यक्रम का प्रस्ताव है/विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) बारहवीं योजना के दौरान पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना राज्यों को चयनित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआरज)एवं अन्य चयनित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (सीबी एवं टी) के क्षेत्र में उनके कार्यों को निपटाने हेतु ज्ञान एवं कौशल को बढ़ाने के लिए सहायता करती है। सीबी एवं टी घटक के अंतर्गत समर्थित गतिविधियां हैं: प्रशिक्षण अपेक्षित मूल्यांकन, प्रशिक्षण माड्यूल का विकास, लिखित सामग्री सहित प्रशिक्षण सामग्री का विकास, फिल्म प्रशिक्षण, सीडी एवं अन्य प्रकार की सामग्री, मास्टर प्रशिक्षक को प्रशिक्षण, चयनित प्रतिनिधियों एवं पंचायत अधिकारियों के लिए फेस टू फेस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, चयनित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों हेतु उपग्रह आधारित प्रशिक्षण, राज्यों के अंदर/बाहर एक्सपोजर विजिट, समाचार पत्र आदि।

ओ.एन.जी.सी. का राजसहायता बिल

3365. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) के राजसहायता बिल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2012-13 में ओएनजीसी के राजसहायता बिल के बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) गैस उपभोक्ता एपीएम मूल्य के 60 प्रतिशत पर एपीएम गैस आपूर्तियां प्राप्त करते हैं और शेष 40 प्रतिशत का भुगतान सरकार द्वारा आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि. (ओएनजीसीएल) को बजट से राजसहायता के रूप में किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त आधार पर ओएनजीसीएल को जारी की गई राजसहायता निम्नवत है:-

वित्त वर्ष	करोड़ रुपए में
2010-11	154.74
2011-12	197.72
2012-13	213.42
2013-14 (जून 2013 तक)	53.54

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के लिए राजसहायता बिल में वृद्धि का मुख्य कारण डालर से रुपए में परिवर्तन दर में वृद्धि है।

लक्षद्वीप में जल क्रीड़ा केन्द्र

3366. श्री हमदुल्लाह सईद: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में जल क्रीड़ा केन्द्रों की द्वीप-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन केन्द्रों में कितने लोग कार्यरत हैं;

(ग) क्या कदमत स्थिति जल क्रीड़ा सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वीप में पर्यटन को प्रोत्साहन देने और राजस्व का सृजन करने के लिए इन केन्द्रों का प्रभावी रूप से संचालन कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो बेहतर प्रबंधन और साथ ही इन क्रीड़ा केन्द्रों को लाभप्रद इकाई बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन जल क्रीड़ा केन्द्रों के संचालन में खामियों पर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा ध्यान देने और उन्हें शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने/दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में छह जल क्रीड़ा केन्द्र हैं जिनमें नियोजित व्यक्तियों के द्वीप-वार विवरण निम्नवत् हैं:-

क्र.सं.	द्वीप	नियोजित व्यक्तियों की संख्या
1.	कावारत्ती	21
2.	कदमत	14
3.	अगात्ती	6
4.	बंगरम	2
5.	मिनिकोय	8
6.	कालपेनि	16

(ग) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि कदमत में जलक्रीड़ा केन्द्र भलीभांति कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन इन जल क्रीड़ा केन्द्रों को पर्यटन को प्रोत्साहित करने और द्वीपसमूह के लिए राजस्व सृजन के लिए चला रहा है।

(च) पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के विकास और संवर्धन के साथ-साथ विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय उनके परामर्श से पहचानी गई पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

तथापि, यह बताया जा सकता है कि लक्षद्वीप प्रशासन ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए किसी जल क्रीड़ा केन्द्र के विकास को प्राथमिकता नहीं दी है।

निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

3367. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण देने और उनके क्षमता निर्माण हेतु कोई कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नियमित अंतराल पर इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के क्षमता निर्माण घटक के तहत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरज) एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है।

(ग) और (घ) पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यक्रम निर्वाचित प्रतिनिधियों आदि को प्रदत्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा इस तक उनकी पहुंच का विस्तार करने में राज्यों को सक्षम बनाते हैं।

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधि और कर्मी

क्र. सं.	राज्य/सं. राज्य क्षेत्र	वर्ष	प्रशिक्षित निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षित कर्मियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2009–10	346214	74527
		2010–11	309232	14783
		2011–12	82665	27647
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	2009–10	3122	2663
		2010–11	543	588
		2011–12	370	311
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
3.	असम	2009–10	17505	24810
		2010–11	27349	9583
		2011–12	15457	19695
		2012–13	7780	8320
4.	बिहार	2009–10	0.00	44
		2010–11	74586	2333
		2011–12	0.00	90
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	छत्तीसगढ़	2009–10	29054	36637
		2010–11	186379	14260
		2011–12	107095	20950
		2012–13	89330	37845

1	2	3	4	5
6.	गोवा	2009–10	1013	453
		2010–11	738	306
		2011–12	463	306
		2012–13	1091	407
7.	गुजरात	2009–10	29626	9663
		2010–11	64996	191
		2011–12	88086	253
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8.	हरियाणा	2009–10	36007	7067
		2010–11	59505	10175
		2011–12	71938	2745
		2012–13	15673	49071
9.	हिमाचल प्रदेश	2009–10	11873	1393
		2010–11	11072	1374
		2011–12	26342	2834
		2012–13	785	6553
10.	जम्मू और कश्मीर	2009–10	0.00	840
		2010–11	0.00	1873
		2011–12	33847	800
		2012–13	33020	400
11.	झारखंड	2009–10	0–00	217
		2010–11	0–00	1168
		2011–12	48838	41
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
12.	कर्नाटक	2009–10	85524	6802
		2010–11	79131	15940
		2011–12	124794	28548
		2012–13	69664	27837

1	2	3	4	5
13.	केरल	2009–10	64121	26731
		2010–11	21084	68090
		2011–12	8402	4680
		2012–13	984	2051
14.	मध्य प्रदेश	2009–10	154284	19179
		2010–11	379412	48307
		2011–12	325390	31534
		2012–13	237664	52127
15.	महाराष्ट्र	2009–10	55160	16614
		2010–11	92950	15777
		2011–12	146010	9674
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	मणिपुर	2009–10	4317	2050
		2010–11	6919	4981
		2011–12	3400	1711
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
17.	मेघालय	2009–10	9769	387
		2010–11	11857	1042
		2011–12	2577	0
		2012–13	12169	180
18.	मिजोरम	2009–10	0.00	152
		2010–11	1162	307
		2011–12	47	62
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19.	नागालैंड	2009–10	5238	4965
		2010–11	4667	145
		2011–12	0.00	0
		2012–13	8339	3511

1	2	3	4	5
20.	ओडिशा	2009–10	39177	4785
		2010–11	54172	78082
		2011–12	7875	11096
		2012–13	54343	9567
21.	पंजाब	2009–10	68138	5519
		2010–11	31886	8347
		2011–12	6452	4244
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
22.	राजस्थान	2009–10	72029	3497
		2010–11	104148	8535
		2011–12	0.00	0
		2012–13	100800	15045
23.	सिक्किम	2009–10	397	105
		2010–11	1321	3198
		2011–12	1605	5507
		2012–13	2604	3185
24.	तमिलनाडु	2009–10	8786	41479
		2010–11	80603	31747
		2011–12	3810	18831
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
25.	त्रिपुरा	2009–10	1060	1076
		2010–11	5502	3094
		2011–12	1948	2437
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	उत्तर प्रदेश	2009–10	53451	0
		2010–11	246776	0
		2011–12	341455	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
27.	उत्तराखंड	2009–10	82	1313
		2010–11	34101	12886
		2011–12	21780	20521
		2012–13	9254	17520
28.	पश्चिम बंगाल	2009–10	11287	81073
		2010–11	49216	84613
		2011–12	47921	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
29.	द्वीपसमूह अंडमान और निकोबार	2009–10	0.00	55
		2010–11	70	102
		2011–12	0.00	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
30.	चंडीगढ़	2009–10	0.00	0
		2010–11	12	0
		2011–12	0.00	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
33.	लक्षद्वीप	2009–10	19	2
		2010–11	0.00	0
		2011–12	0.00	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
34.	पुदुचेरी	2009–10	0.00	0
		2010–11	57	19
		2011–12	0.00	0
		2012–13	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

नोट: वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

डाटा-प्रशिक्षण केन्द्र

3368 श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) तमिलनाडु सहित देश के विभिन्न राज्यों में डाटा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, नहीं। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) की देश के विभिन्न राज्यों में डाटा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई व्यापक योजना नहीं है।

एम.एस.एम.ई. पर नायक समिति की रिपोर्ट

3369. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.)को समय पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की समस्या पर नायक समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कतिपय बैंकों द्वारा इन सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को इन सिफारिशों की समीक्षा के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है; और

(च) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को पर्याप्त ऋण का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को समय पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की समस्या" पर नायक समिति की रिपोर्ट में उसके द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं; ग्रामीण उद्योगों तथा अन्य छोटे पैमाने की यूनिटों को उसकी क्रम में तरजीह देना; एसएसआई (अब एमएसई) को कार्यशील पूंजी की सीमाएं प्रदान करना, एसएसई (अब एमएसई) की वित्तीय आवश्यकताएं (कार्यशील पूंजी तथा आवधिक ऋण दोनों) को पूरा करने के लिए सिडबी की 'एकल खिड़की योजना' को सभी जिलों तक बढ़ाना, ऋण स्वीकृत करने के लिए 'प्रतिदान' के रूप में अनिवार्य जमा पर बल न देना, रूग्ण एसएसआई (अब एमएसई) यूनिटों की पहचान करना तथा उन्हें पोषण कार्यक्रमों पर लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करना; एसएसआई (अब एमएसई) उधारकर्ताओं के लिए आवेदन फार्मों का मानकीकरण; तथा विशेषीकृत शाखाओं के स्टाफ की कार्यशैली में अन्य बातों के साथ-साथ उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने हेतु उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना।

आरबीआई, एमएसएमई यूनिटों को ऋण की स्वीकृति/संवितरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर निवारण हेतु मामले को संबंधित बैंक के प्रधान कार्यालय के साथ उठाया जाता है। तथापि, बैंकों द्वारा नायक समिति की सिफारिशों के अननुपालन के विरुद्ध शिकायतों के आंकड़े आरबीआई द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋण आवेदनों के निपटान हेतु एक समय सीमा, संपार्श्विक आवश्यकता को छोड़ने के लिए ऋण सीमा तथा सूक्ष्म तथा लघु उद्यम (एमएसई) उधार के भीतर सूक्ष्म उद्यमों का आबंटन/चिह्नकरण शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने एमएसई क्षेत्र को ऋण प्रवाह सुकर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं नामत ऋण गारंटी योजना, ऋण लिंक्ड पूंजी सब्सिडी योजना, कार्यनिष्पादन तथा रेटिंग योजना इत्यादि कार्यान्वित की हैं।

निजी तेल-शोधकों का लाभार्जन

3370. श्री आर. ध्रुवनारायण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी तेल-शोधकों ने तेल-विपणन कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में बरती जाने वाली कतिपय

खामियों, जिनमें सीमा-शुल्क भुगतान का मुद्दा भी शामिल है, के कारण पांच वर्षों में करोड़ों रुपए कमाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में और इस कारण राजकोष को होने वाली भारी क्षति को टालने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) समाप्त करने के बाद, पेट्रोल, डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी का रिफाइनरी द्वारा मूल्य (आरजीपी) आयात समता मूल्य (आईपीपी) आधार पर संगणित किया गया था। रंगराजन समिति, जून 2006 की सिफारिशों और अन्तर मंत्रालयी परामर्श के आधार पर मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति (सीसीपीए) ने पेट्रोल और डीजल के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) (80%आईपीपी; 20%ईपीपी) आधार पर आरजीपी की संगणना की पद्धति को अनुमोदित किया था। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) सार्वजनिक क्षेत्र की अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियों और निजी रिफाइनरियों सहित सभी रिफाइनरियों से डीजल (टीपीपी आधार पर) और एलपीजी/मिट्टी तेल (आईपीपी आधार पर) खरीदती रही हैं। टीपीपी/आईपीपी आधारित मूल्य निर्धारण व्यवस्था निजी रिफाइनरियों सहित देश में सभी रिफाइनरियों को एक समान अवसर प्रदान करती है।

तेल-व्यापार के अंतर्गत देयराशि का भुगतान

3371. श्री आधि शंकर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान ने भारत से उसे देय 1.53 बिलियन डॉलर की राशि सहित समस्त तेल-व्यापारगत देयराशि का आंशिक परिवर्तनीय रुपया मुद्रा में भुगतान करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले के निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

बाल कल्याण योजनाएं

3372. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में बड़ी संख्या में बाल कल्याण योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि में कुपोषण के दुष्प्रभाव से बचाए गए बच्चों का प्रतिशत कितना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल कल्याण से संबंधित दो स्कीमें अर्थात् समेकित बाल संरक्षण स्कीम (वर्ष 2009-10 में) और राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम 'सबला' (वर्ष 2010-11) में शुरू की थीं।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत संस्वीकृत निधियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	स्कीम का नाम	संस्वीकृत निधियां
1.	समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस)	335.32
2.	राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम सबला	857.84
3.	समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम	43829.53
4.	कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	430.63

(घ) मंत्रालय के एक प्रमुख कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण उपलब्ध कराए गए बाल लाभार्थियों (6 माह से 6 वर्ष तक) की संख्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 581.85 लाख से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 970.05 लाख हो गई (यह वृद्धि 35.87 प्रतिशत है)। सबला स्कीम के अंतर्गत पोषण के लिए शामिल किए गए लाभार्थी (किशोरियों) वर्ष 2010-11 में 40.38 और वर्ष 2011-12 में 98.74 लाख थे।

अल्प-खाद्यांश पर पल रहे बच्चे

3373. श्रीमती प्रिया दत्त: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के अत्यंत पिछड़े और गरीब क्षेत्रों में रहनेवाले उन बच्चों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिया है जो पशुओं के गोबर से खाद्यांश इकट्ठा करके अपनी भूख शांत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन बच्चों के कल्याणार्थ क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जैसा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा सूचित किया गया है, आयोग ने दिनांक 10.06.2012 को इंडिया टीवी पर प्रसारित एक कार्यक्रम के संबंध में की गई शिकायत पर संज्ञान लिया था, जिसमें जनजातीय बहुलता वाले जिलों में कुपोषित बच्चों को अपने भोजन के लिए गोबर एकत्र करने और उसमें से अपना भोजन तलाशते दिखाया गया है। एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार से मामले की जांच करने तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने ऐसी किसी घटना से इंकार किया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है।

निजी बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

3374. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किसी निजी बैंक द्वारा एटीएम सह-डेबिट कार्ड और अन्य सेवाओं के लिए अपने ग्राहकों के खातों से अधिक वार्षिक शुल्क कटौती की घटनाएं सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में आरबीआई/सरकार को जन प्रतिनिधि सहित किसी अन्य से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर आरबीआई/सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के खातों से एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा अन्य सेवाओं के लिए अधिक वार्षिक शुल्क की कटौती की घटनाओं पर आंकड़ों की अलग श्रेणी नहीं रखता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु (जुलाई-जून) के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत 15653 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से 3486 एटीएम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्डों के विरुद्ध शिकायतों से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, जुलाई 2013 तक प्राप्त हुई 2786 शिकायतों में से 898 शिकायतें एटीएम/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड से संबंधित शिकायतें थीं। ऐसी शिकायतों में से अधिकतर मुख्यत: एटीएम में नकद के अवितरण/कम वितरण, नेट बैंकिंग द्वारा अप्राधिकृत क्रेडिट कार्ड लेन-देन, मुफ्त होने के बावजूद वार्षिक शुल्क लगाना, क्रेडिट कार्ड द्वारा देय वसूलियों के संबंध में शिकायतें इत्यादि से संबंधित होती हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ जन प्रतिनिधियों से क्रेडिट कार्ड देयों इत्यादि की माफी के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ संबंधित बैंकों द्वारा विद्यमान नीतियों के अनुसार कार्रवाई की गयी।

(ङ) भारत सरकार के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पीएसबी में केन्द्रीकृत जन शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को हल करने सहित ठोस शिकायत प्रणाली बनाते हुए ग्राहकों की शिकायतों, अत्यधिक प्रभारों पर शिकायतों सहित, यदि कोई हो, को अनुमोदन के अनुसार सामान्यतया 30 दिन के भीतर निवारण करने हेतु कई कदम उठाए हैं।

साथ ही, बैंकों को भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की ग्राहकों के प्रति बैंकिंग प्रतिबद्धता संहिता तथा सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता की संहिता का पालन करना अपेक्षित होता है।

बैंकों में ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए बैंकों द्वारा दामोदरन समिति की अधिकतर सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है। बीओ योजना की समीक्षा करने तथा अद्यतन करने एवं साथ ही बैंकों

की सेवाओं तथा उत्पाद अर्पण (डिलीवरी) कार्यनीतियों में परिवर्तन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक कार्य समूह का गठन भी किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, आरबीआई ने बैंकिंग सेवा त्रुटियों के विरुद्ध शिकायतों के निवारण में सुधार के लिए और कदम उठाए गए हैं जो निम्नानुसार है:-

(i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006 का कार्यान्वयन;

(ii) ग्राहक सेवा विषयों/मुद्दों पर दिशानिर्देश;

(iii) बैंक के स्तर पर आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली

(iv) ग्राहक सेवा पर नीतियों का प्रचार; तथा

(v) वित्तीय शिक्षा तथा उपभोक्ता अधिकार जागरूकता तथा शिकायत निवारण तंत्र के लिए गतिविधियां तथा अभियान।

विदेशों में परिसंपत्ति का अर्जन

3375. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अधिशेष-निधि की मदद से विदेशों में गैस-परिसम्पत्तियों का अर्जन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेश में ऐसे निवेश के लिए क्या संस्थागत प्रणाली तैयार की गई/तैयार की जा रही हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार तेल कम्पनियों को विदेश में कच्चा माल और कच्चा माल उत्पादक सम्पत्तियों अपनी खोज में वैश्विक विजन अपनाने और विदेश स्थित तेल और गैस परिसम्पत्तियों को जोरदार ढंग से अर्जित करने की कार्रवाई हेतु प्रोत्साहित कर रही है।

तेल पीएसयूज समय-समय पर गैस अवसरों सहित अर्जन के लिए अपस्ट्रीम अवसरों का मूल्यांकन करती रहती हैं और अपेक्षित सम्यक तत्परता के अध्यधीन अवसर के गुण दोषों पर निर्भर करते हुए आगे बढ़ती हैं।

(ग) इस समय अलग से कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

बैंककारी विनियमन अधिनियम

3376. श्री कपिल मुनि करवारिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित अन्य बैंककारी कानूनों की पुनरीक्षा और संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 सहित बैंककारी विधि को हाल ही में बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 (2013 का अधिनियम सं. 4) द्वारा संशोधित किया गया था।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम

3377. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल तेरह राज्यों में ही चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज)को इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संचालन के कारण अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उनके लाभार्जन का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्तमान में एथेनॉल मिश्रित कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन एवं दीव में प्रचालित है।

बोलीदाताओं द्वारा दी गई बहुत उच्च दरों के कारण केरल, पश्चिम बंगाल और गोवा राज्यों के लिए आबंटन को उद्योग द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। निविदा के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा और केन्द्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) एथेनॉल मिश्रण के कारण अधिक वसूली राशि [अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के स्थलों पर एमएस और एथेनॉल की उतराई लागत के बीच का अंतर] और ओएमसीज द्वारा पेट्रोल की बिक्री के कारण वहन की गई अल्प वसूली/हानियां कंपनी-वार नीचे दी गई हैं:

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	ईबीपी के कारण अधिक वसूली	पेट्रोल की बिक्री पर कुल अल्प वसूलियां
2010-11	68.02	2067.78
2011-12	298.45	2235.78
2012-13	215.14	485.0

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

(करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	ईबीपी की बिक्री पर अधिक वसूलियां	पेट्रोल की बिक्री पर कुल अल्प वसूलियां
2010-11	33.56	1178.00
2011-12	176.97	1256.00
2012-13	114.18	272.00

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.

(करोड़ रु में)

वित्त वर्ष	ईबीपी के कारण अधिक वसूली	पेट्रोल की बिक्री पर कुल अल्प वसूलियां
2010-11	58.43	630.65
2011-12	119.14	1355.00
2012-13	139.15	283.36

(ङ) सरकार ने दिनांक 03-07-2013 को अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया है कि ओएमसीज देश के उन क्षेत्रों/भागों में जहां पर्याप्त मात्रा मे एथेनॉल उपलब्ध है। में अक्तूबर, 2013 तक पेट्रोल के साथ एथेनॉल के 5% अनिवार्य अपेक्षित मिश्रण को प्राप्त करने के लिए घरेलू स्रोतों से एथेनॉल का प्रापण करेंगी। देश के अन्य भागों में, अनिवार्य स्तर तक पहुंचने के लिए एथेनॉल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए एथेनॉल के मिश्रण को उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया जाए।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को आबंटन

3378. श्री अशोक तंवर: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को कितना बजटीय आंबटन किया गया है;

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों के अन्वेषण में आधुनिक/अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग/आरंभ हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा खनिजों के अन्वेषण और आधुनिक/अद्यतन प्रौद्योगिकी के क्रय हेतु कितनी राशि का उपयोग किया गया?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) का कुल बजट योजना आबंटन क्रमश: 202.00 करोड़ रुपए, 342.36 करोड़ रुपए और 271.77 करोड़ रुपए तथा चालू वर्ष 2013-14 के दौरान जीएसआई का योजना आबंटन 392.00 करोड़ रुपए है।

(ख) जीएसआई, आधुनिक भूवैज्ञानिक मानचित्रण तकनीक, भू आकृति विज्ञान और उपग्रह आकृतियों के अध्ययन से स्थलानुरेख मानचित्रण, एयरो एवं भूमि भूभौतिकीय अध्ययनों और भूरासायनिक मानचित्रण का समावेश करते हुए आधुनिक एवं परिष्कृत गवेषण प्रणालियों/तकनीकों के द्वारा देश के भूवैज्ञानिक संभावना क्षेत्रों में खनिज संसाधन मूल्यांकन के लिए सुव्यवस्थित अन्वेषण कार्य कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए जीएसआई ने उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सलाह तथा जीएसआई के आधुनिकीकरण हेतु खान मंत्रालय द्वारा गठित जीएसआई के विशेषज्ञ पैनल द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आधुनिकीकरण संबंधी व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन के लिए क्षेत्रीय गवेषण को बेहतर बनाना है। जीएसआई द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परिकल्पित प्रौद्योगिकी संलयन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उक्त अवधि के दौरान खनिज गवेषण और आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन स्कीम के अंतर्गत उपयोग की गई धनराशियां इस प्रकार हैं:

खनिज गवेषण

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2010-11	2011-12	2012-13 (जुलाई, 2013 तक)	2013-14
वास्तविक व्यय	23.76	23.81	25.16	8.18
आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्थापन स्कीम				
वास्तविक व्यय	78.59	201.60	152.48	136.00

विवरण

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नियोजित प्रौद्योगिकी को शामिल करना

गतिविधि		12वीं योजना अवधि में प्रौद्योगिकी	
1	2	3	4
1.	भूवैज्ञानिक मानचित्रण	यंत्र	मात्रा
		रिसर्च पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप	2
		इलेक्ट्रान प्रोब माइको एनलाइजर (ईपीएमए)	2
		थर्मल लोनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर (टीआईएमएस)	1
		एश कंटेंट एनलाइजर	1
		बॉम्बे केलोरीमीटर	1
2.	भूरासायनिक मानचित्रण	एटोमिक एबजॉर्पशन स्पेक्ट्रोमीटर (एएएस) (हायर वर्जन) (रिप्लेसमेंट)	10
		इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा-मास स्पेक्ट्रोमीटर (आईसीपी-एमएस) (रिप्लेसमेंट)	2
		गैस क्रोमैटोग्राफ	1
		डायरेक्ट मरकरी एनलाइजर (डीएमए) (रिप्लेसमेंट)	6

1	2	3	4
		एक्स-रे (फ्लूरोसेंस) (रिप्लेसमेंट)	2
3.	भूभौतिकीय मानचित्रण	हाई रिजोल्यूशन सीसमिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स	2
		हाई रिजोल्यूशन मल्टी-चैनल ससमिक टोमोग्राफी सिस्टम	3
		डिजिटल मल्टी पैरामीट्रिक जियोफिजिकल लॉगिंग सिस्टम	2
		हाई प्रीसीजीन ग्रैवीमीटर	18
		टोटल फील्ड मैग्नेटोमीटर	18
		डिफरेंशियल ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस)	12
		ग्राउंड पेनीट्रेशन रडार (जीपीआर)	4
		कोन पेनीट्रेशन टेस्टिंग (सीपीटी) ट्रक	2
4.	वेधन उपरण	डीप ड्रिल मशीन-(वायर लाइन, हाइड्रॉलिक आदि)	2
5.	हवाई भूभौतिकीय सर्वेक्षण	1. सैंसर के साथ हवाई सर्वेक्षण प्रणाली : इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक, ग्रैविटी तथा रेडियोमैट्रिक हवाई सेंसर	
		2. ट्विन ऑटर हवाई सर्वेक्षण प्रणाली का उन्नयन	
		3. हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नियमित उन्नयन	
6.	समुद्री सर्वेक्षण	1. समुद्रगामी अनुसंधान पोत (ओजीआरवी) प्रापण की अंतिम प्रक्रिया में है। दिसंबर, 2013 तक ओजीआरवी के आ जाने की संभावना है।	
		2. जीएसआई ने एक भूतकनीकी पोत के प्रापण का भी प्रस्ताव किया है जिसके लिए प्रापण प्रक्रिया जारी है।	
7.	सूचना प्रसार	सभी कोर भूवैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संघटित करने के लिए ऑनलाइन कोर बिजनेस इंटीग्रेटिड सिस्टम (ओसीबीआईएस) एक प्रणाली है। इससे सभी उपलब्ध आंकड़े एक स्पैशियल पर्यावरण में संघटित हो जाएंगे जिससे प्रतिकूल पृच्छाओं का उपयोग करते हुए खोज और गवेषण किया जा सकेगा। यह जीएसआई की गतिविधियों से उत्पन्न सभी सूचनाओं का संघटन, उपयोग और प्रबंधन करेगा। यह उपयोक्ताओं की आवश्यकतानुसार वेब पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टों का प्रसारण करेगा।	

उत्पाद आधारित प्रोत्साहन योजना

3379. श्री हरिभाऊ जावले: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा शुरू की गई उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सभी नवीकरणीय ऊर्जा-स्रोतों, यथा बायोमॉस, सौर या पवन ऊर्जा के लिए लागू है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत पात्रता और न्यूनतम क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा राजसहायता-वार और वित्तपोषण का क्या तरीका रखा गया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सरकार ने हाल ही में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) स्कीम को अनुमोदित किया है। स्कीम के अनुसार केन्द्र सरकार ग्रिड को आपूरित की गई विद्युत के लिए 0.50 रु. प्रति यूनिट प्रोत्साहन देगी जो कि राज्यों द्वारा प्रदत्त आपूर्ति किए गए शुल्क के अलावा 1 करोड़ रु. प्रति मेगावाट तक अधिकतम होगी।

(ख) यह जीबीआई स्कीम केवल पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए लागू है।

(ग) दिनांक 01 अप्रैल, 2012 के बाद स्थापित सभी क्षमताओं की ग्रिड-संबद्ध पवन विद्युत परियोजनाएं जीबीआई स्कीम के अंतर्गत पात्र होंगी। जीबीआई धनराशि का दावा 4 वर्षों से कम में और 10 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। इस स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहनों के दावों के लिए पवन विद्युत परियोजनाओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी के पास पंजीकृत कराना होगा।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बैंक ऋण

3380. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी वैध कागजात प्रस्तुत करने के बाद भी बैंकों द्वारा लोगों को ऋण देने से इंकार करने के मामले हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.)/सरकार के ध्यान में आए हैं/लाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी बैंक-वार व राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि इस प्रकार का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

जातीय पंचायत

3381. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई जातीय पंचायतें कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्वाचित पंचायतों के कुछ सदस्य भी उक्त जातीय पंचायतों में सक्रिय हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (घ) संविधान के भाग-IX के अनुसार, देश में जातीय पंचायतों की कोई संकल्पना नहीं है। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुसार जाति आधारित पंचायतों का कोई वैध अस्तित्व नहीं है। 'पंचायतों' के राज्य विषय होने की वजह से पंचायत सदस्यों व उनकी गतिविधियों से जुड़े सभी मामले राज्य सरकारों द्वारा देखे जाते हैं। पंचायती राज मंत्रालय अलग-अलग

पंचायत सदस्यों से जुड़े मामलों व शिकायतों का समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि, वे राज्य के कानूनों व नियमों के अनुसार शासित होते हैं।

(ङ) उपर्युक्त उत्तर को दृष्टगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मातृ-दुग्ध बैंक

3382. श्री वीरेन्द्र कश्यपः
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ऐसे नवजात शिशुओं, जिन्हें उनकी माता की ओर से दुग्धपान का अवसर प्राप्त नहीं होता, की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए मातृ-दुग्ध बैंकों की स्थापना की है/करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बैंकों की राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) इनमें भंडारित/भंडारित किए जाने वाले मातृ-दुग्ध की प्रमात्रा कितनी है और इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गईं/बरती जा रही हैं;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ कुछ दिशा-निर्देश तय किए हैं/करने का विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सरकार ने अभी तक देश में मां के दूध का कोई बैंक स्थापित नहीं किया है।

पेट्रोल पंपों का आबंटन

3383. श्री जफर अली नकवीः
श्री जगदीश ठाकोरः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विधवाओं, सम्मानित सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशुक्त व्यक्तियों के लिए निर्धारित विभिन्न कोटे के अंतर्गत गुजरात और देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने व्यक्तियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एलपीजी एसेंसियों का आबंटन किया गया;

(ख) इस प्रयोजनार्थ गुजरात में गठित डीलर चयन बोर्ड सहित इसके गठन से संबंधित नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैस और पेट्रोल पंप डीलरशिप प्रदान करने में स्वतंत्रता सेनानियों/महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2013) के दौरान रक्षा और शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) श्रेणी के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) और नियमित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। आरओज के आबंटन में विधवाओं के लिए कोई कोटा निर्धारित नही है और वे रक्षा और शारीरिक विकलांग सहित विभिन्न श्रेणियों में आरओ डीलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं।

(ख) मई 2002 से पहले गुजरात समेत देश में खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों का चयन भारत सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष की अध्यक्षता में और तेल उद्योग के दो सदस्यों द्वारा डीलर चयन बोर्डों (डीएसबीज) के द्वारा किया जाता था। दिसम्बर, 2002 से डीएसबीज को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (अप्रैल से जून 2013) के दौरान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रक्षा और शारीरिक विकलांग (पीएच) श्रेणी के तहत ओएमसीज द्वारा आबंटित आरओ डीलरशिपों और नियमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या

	आरओ डीलरशिप		एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप	
राज्य	पीएच	रक्षा	रक्षा	पीएच
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	81	13	5	1
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	6	2	4	3
बिहार	37	4	2	4
छत्तीसगढ़	16	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	0
गुजरात	19	0	1	1
हरियाणा	21	8	0	0
हिमाचल प्रदेश	1	3	0	0
जम्मू और कश्मीर	3	0	0	0
झारखंड	6	0	0	0
कर्नाटक	28	6	6	1
केरल	2	2	0	3
मध्य प्रदेश	33	2	1	1
महाराष्ट्र	54	8	4	2
मणिपुर	3	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	6	1	1	2
पंजाब	4	4	0	1
राजस्थान	18	3	4	4

1	2	3	4	5
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	24	3	7	3
त्रिपुरा	2	0	0	0
उत्तराखंड	1	1	1	0
उत्तर प्रदेश	71	13	12	4
पश्चिम बंगाल	3	0	2	1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0
समग्र योग	439	73	50	31

[अनुवाद]

पर्वतीय क्षेत्रों/राज्यों में पर्यटकों की आवक

3384. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री उदय सिंह:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री एंटो एंटोनी:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई विनाशलीला के कारण पर्वतीय राज्यों में पर्यटकों की आवक बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन और यात्रा उद्योग ने विदेशी पर्यटकों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बुक अपनी टिकटें रद्द कराने की सूचना दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप पर्यटन और यात्रा उद्योग को हुई हानि का आकलन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने संपूर्ण देश में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन और यात्रा उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुई विनाशलीला के कारण पर्यटक आगमन प्रभावित हुआ है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन एवं यात्रा उद्योग को हुई हानि का कोई आकलन नहीं किया है। तथापि, उत्तराखंड राज्य सरकार के अनुसार पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (पीएचडीसीसीआई) द्वारा उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग को हुई हानि का आकलन करने हेतु अध्ययन किया गया। अध्ययन में राज्य की अर्थव्यवस्था को लगभग 12,000 करोड़ रुपए की अनुमानित हानि का पता चला है। सरकारी पर्यटन परिसम्पत्तियों की हानि का आकलन लगभग 102.00 करोड़ रुपए लगाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच न होने के कारण अभी तक निजी पर्यटन परिसम्पत्तियों के नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

(च) गंतव्यों/परिपंथों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्वयं किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप में पर्यटन संभावना वाले कम जाने गए गंतव्यों सहित देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए इन्क्रेडिबल इंडिया ब्रांड-लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियानों को वार्षिक रूप से चलाता है। इसके अतिरिक्त, भारत की पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा महत्वपूर्ण और संभावित पर्यटक सृजक विदेशी बाजारों में अनेक संवर्धनात्मक गतिविधियां चलाई जाती हैं। इन संवर्धनात्मक गतिविधियों में यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करना; रोड शो, भारत परिचय संबंधी सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करना; भारतीय भोजन एवं सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं समर्थन करना; ब्रोशरों का प्रकाशन; संयुक्त विज्ञापन और ब्रोशर समर्थन देना, मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के तहत देश की यात्रा करने के लिए मीडिया हस्तियों, टूर प्रचालकों और विचारकों को आमंत्रित करना शामिल है।

खनन क्षेत्र में श्रमिक वर्ग

3385. श्री नरेनभाई कछादिया: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में खानों में कार्यरत श्रमिकों की राज्य-वार/संघराज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश की सभी खानों से खनन हेतु अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता/अपेक्षा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त श्रमशक्ति का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) भारतीय खान ब्यूरो (खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में ईंधन, परमाणु और गौण खनिजों की खानों को छोड़कर खानों में कामगारों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केंद्र सरकार ने "अनलॉकिंग द पाटेंशियल ऑफ द इंडियन मिनरल सेक्टर" नामक कार्यनीतिक योजना दस्तावेज तैयार किया है। कार्यनीतिक दस्तावेज के अनुसार खनन क्षेत्र में वर्ष 2025 तक देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान के जरिए 13 से 15 मिलियन रोजगार सृजित करने की क्षमता है।

विवरण

ईंधन, परमाणु और गौण खनिजों की खानों को छोड़कर शेष खानों में श्रमिकों की संख्या

('000 संख्या में)

राज्य	2011-12	2012-13 (मी.)	2013-14 (अनंतिम)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	9	11	9
असम	+	+	+
बिहार	+	+	+
छत्तीसगढ़	10	10	10
गोवा	8	7	3
गुजरात	6	7	5
हिमाचल प्रदेश	1	1	1
हरियाणा	+	+	+
जम्मू और कश्मीर	+	+	+
झारखंड	12	10	8
कर्नाटक	11	10	8

1	2	3	4
केरल	2	3	2
मध्य प्रदेश	15	13	9
महाराष्ट्र	5	6	5
मेघालय	1	1	1
ओडिशा	31	30	30
राजस्थान	15	17	16
तमिलनाडु	6	6	5
उत्तर प्रदेश	1	1	1
उत्तराखंड	1	2	1
पश्चिम बंगाल	1	1	1
अखिल भारतीय	135	136	116

स्रो: एमसीडीआर विवरणिका

+: नगण्य

*: अप्रैल से जून, 2013 तक की विवरणिका

केबीके क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याएं

3386. श्री वैजयंत पांडा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को ओडिशा के कालाहांडी बोलंगीर-कोरापुट (केबीके) क्षेत्र में हो रही कतिपय क्षेत्र विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में ओडिशा राज्य सरकार से कोई अनुरोध /प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याणण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। ओडिशा सरकार ने राज्य के केबीके क्षेत्र में 1 सामान्य नर्स एवं परिचर्या धात्री प्रशिक्षण केन्द्र (जीएनएमटीसी) तथा 5 मातृ एवं बाल शिशु स्वास्थ्य विंग (एमसीएच विंग) की स्थापना के प्रस्तावों को भेजा है।

(ख) प्रस्तावों का भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

बीमारियों के लिए बीमा कवर

3387. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा कंपनियां पैरीटोनियाल डायलेसिस सहित कतिपय गंभीर/असाध्य बीमारियों से पीड़ित रोगियों को बीमा कवर उपलब्ध नहीं कराती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआइडीए) का ऐसी बीमारियों के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा कंपनियां पैरीटोनियाल डायलेसिस सहित गंभीर/असाध्य बीमारियों के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराती हैं।

(ग) और (ङ) गंभीर/असाध्य बीमारियों को लाभ आधारित पालिसियों जिन्हें सामान्यत: ''नाजुक (क्रिटिकल) बीमारी पालिसियां'' कहा जाता है के अंतर्गत कवर होती है। इन पालिसियों में पॉलिसी के अंतर्गत बीमारी पहचान (डाइगनोसिस) होने पर बीमाधारक को बीमित राशि के समकक्ष एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।

साथ ही सामान्यत ऐसी बीमारियों को क्षतिपूर्ति आधारित स्वास्थ्य बीमा पालिसियों में सामान्यतया छोड़ा (एक्स्क्लूड) नहीं किया जाता है।

मिट्टी के तेल के डीलरों का नियोजन

3388. श्री महाबल मिश्रा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय ने मिट्टी के तेल के कम होते हुए उपभोग के कारण बेरोजगारी का सामना कर रहे मिट्टी के तेल के डीलरों के हितों की रक्षा हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके परिणामस्वरूप देश में, विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में बेरोजगार हुए डीलरों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अपने सामान्य आदेश में, माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने पीडीएस एसकेओ कोटा की कटौती के कारण मिट्टी तेल डीलरों के समक्ष आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र एसकेओ डीलरशिप को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में परिवर्तित करने से संबंधित प्रस्ताव पर कुछ निर्णय लेने के निर्देश दिए थे।

(ग) और (घ) सरकार ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए चयन दिशा-निर्देशों में प्रावधान किए हैं जिनके तहत अव्यवहार्य मिट्टी तेल डीलर की पात्रता शर्तों में निम्नलिखित छूट के साथ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के लिए आवेदन कर सकते हैं:

(i) ओएमसीज के एसकेओ डीलर अव्यवहार्य माने जाते हैं, यदि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए विज्ञापन माह से पूर्व के तत्काल 12 माह के दौरान एसकेओ का औसत आबंटन 75 किली, प्रति माह से कम है।

(ii) अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से 60 वर्ष कर दी गई है।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को स्नातक से कम करके दसवीं अथवा उसके कर दिया गया है।

(iii) बहु डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यटरशिप शर्त लागू नहीं होगी। तथापि, यदि आवेदक का चयन होता है तो उसे एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए नियुक्ति-पत्र जारी किए जाने से पूर्व मिट्टी तेल डीलरशिप वापस करनी पड़ेगी।

(v) एसकेओ डीलर को विज्ञापन की तारीख से पूर्व गत 5 वर्षों के भीतर विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए दडिंत नहीं किया गया हो अथवा विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों/डीलरशिप करार, मिट्टी तेल नियंत्रण आदेश अथवा ईएसएमए के तहत डीलरशिप के विरुद्ध कोई कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए।

औषधीय पौधों संबंधी प्रस्ताव

3389. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को औषधीय पौधों की खेती से संबंधित अनेक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुमोदित प्रस्तावों पर सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय औषधीय पादपों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु 2008-09 से एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम ''राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन'' क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य औषधीय पादपों की प्राथमिकता प्राप्त प्रजातियों की खेती के लिए सहायता प्रदान करना है और उत्पादकों, किसानों, उत्पादक संघों, स्वयं सहायता समूहों/सहकारी समितियों/परिसंघों और उत्पादक कंपनियों आदि के माध्यम से समूहों में औषधीय पादपों की खेती के लिए मिशन के रूप में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत औषधीय पादपों की खेती से संबंधित क्रियाकलापों को आरंभ करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। स्कीम के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रस्तावों पर पहले ही विचार कर लिया गया है। राज्यों, उन्हें अनुमोदित/निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के वार्षिक कार्य योजना प्रस्ताव और अनुमोदित/निर्मुक्त निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
		अनुमोदित	निर्मुक्त	अनुमोदित	निर्मुक्त	अनुमोदित	निर्मुक्त	अनुमोदित	निर्मुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2582.48	700	583.03	512.52	1427.43	834.32	1016.35	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1022.75	58.85	287.73	285.14	287.73	–	158.2	
3.	असम	489.43	322.8	273.47	114.52	254.89	162.81	–	
4.	बिहार	1466.15	–	148.16	–	148.16308	–	–	
5.	छत्तीसगढ़	1496.45	–	255.31	186.96		–	–	
6.	गुजरात	739	–	208.93	47.35	241.99	–	–	
7.	हरियाणा	222.62	–	230.23	85.46	73.82	–	–	
8.	हिमाचल प्रदेश	206.66	106.11	119.32	84.30	70.09	–	–	
9.	जम्मू और कश्मीर	770.76	–	72.08	–		–	–	
10.	झारखंड	1009.02	165.18	270.38	257.61	377.83	–	–	
11.	कर्नाटक	695.01	372.22	101.39	–		–	–	
12.	केरल	889.83	96.14	224.81	223.17	280.55	210.41	352.36	
13.	महाराष्ट्र	448.13	243.49	329.50	327.08	415.85	–	–	
14.	मध्य प्रदेश	2320.47	737.58	461.20	302.93	515.84	474.59	539.01	
15.	मणिपुर	739.62	–	142.16	138.54	57.61	57.60	105.96	
16.	मेघालय	397.16	68.5	108.19	91.62	117.99	–	75.99	
17.	मिजोरम	607.6	124.05	175.88	160.12	11.89	8.91	18.28	
18.	नागालैंड	625.71	181.63	196.88	181.12	240.82	188.47	175.88	
19.	ओडिशा	708.49	166.69	475.64	475.58	261.39	111.00	150.66	
20.	राजस्थान	649.55	100	110.67	–	111.87	–	–	
21.	पंजाब	128.495	96	–	–	–	–	–	
22.	सिक्किम	269.453	4.17	141.55	91.10	164.90	161.94	137.99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	तमिलनाडु	1270.68	834.7	992.25	961.39	1089.37	741.50	1078.28	
24.	त्रिपुरा	–	–	84.00	84.00	–	–	93.13	
25.	उत्तर प्रदेश	3193.05	–	757.73	–	1162.47	834.53	852.645	
26.	उत्तराखंड	1765.03	280.98	667.09	262.73	192.94	–	–	
27.	पश्चिम बंगाल	1172.19	107.54	121.36	–	64.52381	–	–	
	कुल	25885.788	4766.63	7538.96	4873.24	7357.27	3786.08	4754.735	

नोट: पिछले वर्षों में निर्मुक्त अनुदानों में से राज्य मिशन के पास उपलब्ध खर्च न की गई राशि के कारण अथवा पूर्व अनुदानों के लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण कुछ राज्यों को अनुमोदित निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकीं। वर्ष 2013-14 के लिए निधियां हाल ही में अनुमोदित की गई हैं और अनुमेय निर्मुक्तियों के लिए अभी कार्यवाही की जानी है।

[अनुवाद]

चिकित्सा साधनों और उपकरणों संबंधी विनियमन

3390. श्री एम. आनंदन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा साधनों और उपकरणों की सुरक्षा और मानकों को बनाए रखने के लिए कौन से मान दण्ड और विनियमन निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश में अनियमित रूप से चिकित्सा साधनों और उपकरणों का उपयोग किए जाने के उदाहरण हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में चिकित्सा साधनों और उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए अलग उपबन्ध बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत अधिसूचित चिकित्सा उपकरणों को औषध एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के तहत "औषध" के रूप में विनियमित किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 2013 राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा चुका है। इसमें चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग से अध्याय है और देश में इनके प्रयोग को विनियमित करने के लिए प्रावधान है।

बच्चों के लिए आश्रय स्थल

3391. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में महाराष्ट्र राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार बच्चों के लिए आश्रय स्थलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार गैर-सरकारी संगठनों के लिए स्वीकृत और जारी की गई और उनके द्वारा उपयोग की गई;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों द्वारा रख-रखाव किए जा रहे और चलाए जा रहे इन आश्रय स्थलों की दयनीय स्थिति पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए या किए जाने वाले सुधारात्मक उपाय क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

बालाश्रयों के संचालन हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देता है। तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम चला रहा है जिसके तहत बाल गृहों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों हेतु विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना एवं रखरखाव के लिए महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना एव रखरखाव हेतु संस्वीकृत एवं जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। संस्वीकृत एवं जारी की गई निधियों का आमतौर पर उपयोग उसी वर्ष में कर लिया जाता है। तथापि, अव्ययित शेष यदि कोई हो, को आगामी वर्ष के लिए देय अनुदान में समायोजित किया जाता है।

(ग) से (ङ) गृहों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत केंद्रीय मॉडल नियमावली में विनिर्दिष्ट देखरेख के मानकों को बनाए रखने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) के तहत बाल गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना तथा रखरखाव के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कर रहा है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भौतिक अवसंरचना, कपड़े, बिस्तर, पोषण एवं आहार के साथ-साथ शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसे पुनर्वास उपायों के लिए मानक निर्धारित हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से नियमित जांच और निगरानी के माध्यम से उक्त अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार संस्थाओं का चलाया जाना सुनिश्चित करना अपेक्षित है।

विवरण

विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना के लिए संस्वीकृत एवं जारी की गई राज्य-वार राशि

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गृहों की संख्या ^	संस्थागत देखरेख एवं जारी की गई राशि रुपए (लाख में)#			
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 [13.08-2013 तक]
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	105	553.50	1036.80	1995.94	704.83
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	–	2.75	1.38
3.	असम	7	52.36	–	240.93	19.78
4.	बिहार	14	363.62	135.80	720.05	80.13
5.	छत्तीसगढ़	29	–	–	262.07	88.44
6.	गुजरात	52	252.26	492.25	514.26	257.13
7.	हरियाणा	12	212.24	140.55	173.04	75.78
8.	हिमाचल प्रदेश	22	–	156.77	–	31.53
9.	झारखंड	15	–	150.37	–	55.88
10.	कर्नाटक	69	215.13	1031.66	914.49	457.25
11.	केरल	28	206.42	353.69	–	176.84
12.	मध्य प्रदेश	44	–	91.44	376.78	138.77
13.	महाराष्ट्र	86	3201.28	1061.73	626.94	313.47

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	12	26.43	174.11	197.42	98.71
15.	मेघालय	18	29.44	133.62	204.58	102.29
16.	मिजोरम	7	15.74	161.89	120.56	48.58
17.	नागालैंड	19	–	116.90	305.82	111.45
18.	ओडिशा	134	255.36	110.81	292.47	43.30
19.	पंजाब	15	–	231.13	–	62.34
20.	राजस्थान	74	–	646.91	1696.61	370.59
21.	सिक्किम	5	–	51.12	–	6.75
22.	तमिलनाडु	243	60.04	790.86	3868.22	1678.74
23.	त्रिपुरा	13	175.65	114.50	137.09	68.32
24.	उत्तर प्रदेश	64	–	900.46	1307.46	975.17
25.	उत्तराखंड	15	–	–	–	74.03
26.	पश्चिम बंगाल	53	258.91	548.24	353.57	176.79
27.	चंडीगढ़*	2	–	–	14.27	5.56
28.	दिल्ली	25	164.15	319.49	811.17	273.96
29.	पुदुचेरी	27	69.77	–	119.07	54.56
	कुल	1210	6112.30	8951.10	15308.51	6552.35

^ सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृह शामिल हैं।

राशि में सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गृहों के लिए संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि शामिल है।

* संस्वीकृत जारी कर दी गई है। तथापि, राशि की निर्मुक्ति संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा व्यय विवरण प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी।

जनजातियों के लिए समिति

3392. श्री रामसिंह राठवा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय लोगों की दशा की जांच हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी और इसकी संरचना संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति ने अब तक क्या प्रगति की है और इसकी अब तक कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों के साथ-साथ सरकार द्वारा उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक स्थिति पर एक स्थिति पेपर तैयार करने तथा आगे के सुझाव देने के लिए एक

उच्च स्तरीय समिति (एचसीएल) गठित की गई है। समिति नीतिगत पहलों के साथ-साथ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य जनजातीय जनसंख्याओं हेतु विकास सूचकांकों को सुधारने तथा सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी परिणामोन्मुख उपायों का सुझाव देगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:-

(1) प्रो. विरजिनियस जाक्जा - अध्यक्ष

(2) डॉ. उषा रामनाथन - सदस्य

(3) डॉ. जोसेफ बारा - सदस्य

(4) डॉ. के.के. मिश्रा - सदस्य

(5) डॉ. अभय बंग - सदस्य

(6) सुश्री सुनिता बसंत - सदस्य

(7) सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय - सदस्य सचिव

(ग) समिति दिनांक 14.08.2013 को गठित की गई थी तथा अब तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) समिति के विचारार्थ विषय के अनुसार, अधिसूचना की तिथि से 9 माह के भीतर इसे अंतिम रूप देने तथा इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ से जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना

3393. कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:
श्री पूर्णमासी राम:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार से मल्लाह, नोनिया, केवट, कहार, माली, काछी, मरार, लोहार, निषाद जैसी जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन जातियों को अनु.ज.जा. सूची में शामिल करने के बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी, नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार से मल्लाह, नोनिया, केवट कहार, माली, काछी, मरार, लोहार, निषाद जैसी जातियों को अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में शामिल करने के लिए इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोटावायरस रोधी टीका

3394. श्री मानिक टैगोर: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने जल की कमी और डायरिया उत्पन्न करने वाले रोटावायरस रोधी टीका विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) के कार्यालय को उक्त टीके के विपणन अनुमोदन हेतु कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो डीसीजीआई द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जानी प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां।

(ख) बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), भारत सरकार और हैदराबाद आधारित कंपनी भारत बायोटेक ने इसकी सुरक्षा की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए भारत में विकसित रोटावायरस वैक्सीन के चरण-III का नैदानिक परीक्षण किया है। 'रोटावेक नामक वैक्सीन विकासशील विश्व में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया यह पहला वैक्सीन है। एक रोटावायरस वैक्सीन स्ट्रेन 116 ई जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पृथक किया गया और इसका लक्षण-वर्णन किया गया, का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआईएच) और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (सीबीसी), एटलांटा के सहयोग से इसका व्यापक परीक्षण करने के पश्चात्, इसे स्थानीय निर्माता भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को स्थानांतरित किया गया। यह भारत में एक स्वदेशी वैक्सीन को विकसित करने में सबसे अधिक सफल उद्यमों में से एक रहा है। इस वैक्सीन को भारत में कम संसाधन वाले संस्थापनों में गंभीर रोटावायरस अतिसार के निवारण में प्रभावकारी पाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्राप्त किए गए आवेदन पर भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच करार

3395. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ बीमा कंपनियों द्वारा हाल ही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ करार किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बैंक/बीमा कंपनी-वार किए गए करारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने कुछ बीमा कंपनियों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अत्यंत कम मूल्या पर अपना शेयर बिक्री करने पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आईआरडीए द्वारा निर्धारित, यदि कोई हो, दिशानिर्देशों के साथ-साथ तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शामिल बैंक/बीमा कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने यह सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने व्यवसाय के लिए बीमा कंपनियों के साथ समझौता किया है। जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के ऐसे बैंकों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-I में तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों के संबंध में विस्तृत सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ग) से (ङ) आईआरडीए ने यह सूचित किया है कि बीमा कंपनियों के शेयरधारकों के बीच शेयरों का अंतरण बीमा अधि नियम, 1938 की धारा 6क 4(ख) के उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देश अर्थात परिपत्र सं.आईआरडी /एफएंडए/सीआईआर/डीआरएसएच/183/08/2011, दिनांक 11 अगस्त, 2011 के द्वारा नियंत्रित होता है। तथापि, स्थानीय शेयरधारकों के बीच शेयरों के आपसी अंतरण के संबंध में मूल्यांकन कंपनी के मौजूदा विधिक उपबंधों द्वारा नियंत्रित होता है तथा आईआरडीए ने दो घरेलू स्थानीय कंपनियों के बीच ऐसे अंतरण हेतु शेयरों के मूल्यांकन के लिए कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किया है। घरेलू कंपनियों द्वारा विदेशी प्रवर्तकों को शेयरों का अंतरण, मूल्य निध रिण संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के द्वारा निद्रेशित होता है।

प्राधिकरण एफडीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु घरेलू और विदेशी प्रवर्तकों द्वारा बीमा कंपनियों में शेयरधारिता की सीमा पर निगरानी रखता है।

विवरण-I

जीवन बीमा कंपनियों के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समझौता

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	की तारीख से समझौता	की तारीख तक वैद्य*	व्यवस्था का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
		भारतीय स्टेट बैंक	19.02.2003	18.02.2015	शेयरहोल्डिग और वितरण
1.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	01.11.2003	31.10.2015	वितरण
	कं. लि.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	25.03.2003	24.03.215	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	03.11.2003	2.11.2015	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	14.08.2003	13.08.2015	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	17.06.2003	16.06.2015	वितरण
		इलाहाबाद बैंक	28.06.2004	31.08.2015	वितरण
		बैंक ऑफ महाराष्ट्र	27.06.2006	03.05.2015	वितरण

1	2	3	4	5	6
		सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	25.03.2003	24.03.2015	वितरण
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	कारपोरेशन बैंक	11.12.2002	10.12.2014	वितरण
		देना बैंक	17.11.2011	15.06.2014	वितरण
		यूको बैंक	06.09.2003	12.08.2015	वितरण
		इंडियन ओवरसीज बैंक	11.12.2002	10.12.2014	वितरण
3.	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस	आंध्रा बैंक	31.12.2009	30.12.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	कं. लि.	बैंक ऑफ बड़ौदा	06.10.2009	17.06.2016	शेयरहोल्डिंग और वितरण
4.	स्टार यूनियन दाई-ईची	बैंक ऑफ इंडिया	06.02.2009	05.02.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	22.01.2009	05.12.2014	शेयरहोल्डिंग और वितरण
5.	केनरा एचएसबीची ओबोसी	केनरा बैंक	20.01.2003	19.01.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	लाइफा इंश्योरेंस कं. लि.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	10.09.2003	09.09.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
6.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड इंश्योरेंस	इंडियन बैंक	06.02.2003	05.02.2015	वितरण
	कं. लि.				
7.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं.	पंजाब एंड सिंध बैंक	13.09.2004	12.09.2013	वितरण
	लि.				
8.	पीएनबी मैट लाइफ इंश्योरेंस	पंजाब नेशनल बैं	30.03.2011	16.02.2014	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	इंडिया कं. लि.				
9.	बजाज एलियांज लाइफ	सिंडिकेट बैंक	19.06.2013	28.09.2015	वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.				
10.	टाटा एआईए लाइफ	युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	09.02.2004	08.02.2016	वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.				
11.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ	आईडीबीआई बैंक	15.07.2004	14.07.2016	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.				

* यह उस तारीख को दर्शाता है जिस तारीख तक वितरण समझौता वैद्य है।

विवरण-II

जीवन बीमा कंपनियों के साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समझौता

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	सरकारी क्षेत्र के बैंक का नाम	से समझौता	तक वैद्य*	व्यवस्था का स्वरूप
1	2	3	4	5	6
1.	यूनिवर्सल सैम्पो	इलाहाबाद बैंक	17.10.2008	31.08.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	जनरल इंश्योरेंस	इंडियन ओवरसीज बैंक	30.12.2008	10.12.2014	शेयरहोल्डिंग और वितरण
	कं. लि.				
2.	एसबीआई जनरल	भारतीय स्टेट बैंक	14.09.2010	18.02.2015	शेयरहोल्डिंग और वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	10.05.2012	24.03.2015	वितरण

1	2	3	4	5	6
		स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	02.07.2012	13.08.2015	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	31.05.2012	16.06.2015	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	05.06.2012	02.11.2015	वितरण
		स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	31.05.2012	31.10.2015	वितरण
3.	यूनाईटेड इंडिया	केनरा बैंक	18.03.2005	19.01.2015	वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.	देना बैंक	20.06.2011	15.06.2014	वितरण
		बैंक ऑफ महाराष्ट्र	04.05.2006	03.05.2015	वितरण
		इंडियन बैंक	18.03.2004	05.02.2015	वितरण
		आंध्रा बैंक	18.10.2011	30.12.2015	वितरण
		सिंडिकेट बैंक	08.06.2004	28.09.2015	वितरण
		विजया बैंक	29.04.2011	11.03.2014	वितरण
4.	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस	कारपोरेशन बैंक	10.03.2003	10.12.2014	वितरण
	कं. लि.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	30.12.2002	05.12.2014	वितरण
5.	नेशनल इंश्योरेंस	बैंक ऑफ बड़ौदा	18.06.2004	17.06.2016	वितरण
	कं. लि.	बैंक ऑफ इंडिया	01.12.2010	05.02.2015	वितरण
6.	दि ओरियंटल इंश्योरेंस	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लि.	13.07.2004	09.09.2015	वितरण
	कं. लि.	पंजाब नेशनल बैंक	17.02.2011	16.02.2014	वितरण
7.	बजाज एलियांज लाइफ	आईडीबीआई बैंक लि.	12.01.2010	05.02.2015	वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	04.02.2005	08.02.2016	वितरण
8.	रिलायंस जनरल	यूको बैंक	06.10.2009	12.08.2015	वितरण
	इंश्योरेंस कं. लि.				
9.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	31.05.2011	24.03.2015	वितरण

* यह उस तारीख को दर्शाता है जिस तारीख तक वितरण समझौता वैध है।

[हिन्दी]

चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति

3396. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीजीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों की विलम्बित प्रतिपूर्ति और चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति में भ्रष्ट आचरण संबंधी कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) सीजीएचएस लाभार्थियों के चिकित्सा बिलों की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन क पटल पर रख दी जाएगी।

ओएमसी को राजसहायता का भुगतान

3397. श्री अर्जुन राय:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री पी. कुमार:
श्री आर. थामराईसेलवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा मांगी गई राजसहायता और गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उनको भुगतान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का प्रस्ताव ओएमसी के पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य निर्धारण नीति पर आधारित निर्यात मूल्य के अनुसार राजसहायता का भुगतान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) इसेक परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वर्ष 2010-11 से अब तक सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को दी गई राजसहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (ङ) सरकार ने डीजल, घरेलू एलपीजी गैस और पीडीएस कैरोसीन के मूल्य निर्धारण की विधि के बारे में सुझाव देने के लिए डॉ. किरीट पारेख की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है। विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषयों में ''पेट्रोलियम उत्पादों की वर्तमान मूल्य निर्धारण विधि की पुन: जांच करना और निर्यात सममूल्यता मूल्य निर्धारण के बैंचमार्क वाला मूल्य निर्धारण तंत्र सुझाना'' शामिल है।

विवरण

सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को दी गई राजसहायता

(करोड़ रुपए)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 पहली तिमाही
तेल विपणन कंपनियों की अल्प वसूली				
कुल अल्प वसूली	78,190	138,541	161,029	25,579
घटाएं: अपस्ट्रीम कंपनियों द्वारा छूट	30,297	55,000	60,000	15,304
घटाएं: तेल विपणन कंपनियों द्वारा आत्मसात् अल्प वसूली	6,893	41	1,029	2,275**
अल्प-वसूली भागीदारी के लिए सरकार द्वारा नकद सहायता (क)	41,000	83,500	100,000	8,000
अधिसूचित स्कीमों के अनुसार राजसहायता				
सरकार द्वारा चुकाई गई राजकोषीय राजसहायता* (ख)	2,792	2,926	3,023	848**
सरकार द्वारा तेल विपणन कंपनियों को चुकाई गई कुल राशि (*क+ख)	43,792	86,426	103,023	8,848

* 'पीडीएस केरोसीन और घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002' तथा 'माल-भाड़ा राजसहायता (दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए) स्कीम, 2002' सहित।
** अनंतिम।

[अनुवाद]

'अम्बरेला' स्कीम

3398. डॉ. संजीव गणेश नाईकः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 'अम्बरेला' स्कीम कार्यान्वित की है/कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या उक्त स्कीम के अंतर्गत आबंटित धनराशि पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना अवधि के दौरान स्कीम पर कितना धन व्यय होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) हाल ही में, योजना आयोग ने 12वीं योजना अवधि हेतु सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का पुनर्गठन किया है तथा सभी मंत्रालयों से तदनुसार सभी स्कीमों को निरूपित करने के लिए कहा है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3399. श्री सैयद शाहनवाज हुसैनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करते हैं;

(ख) यदि हां, तो पीएसबी में ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित निति/दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में बैंक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विभिन्न बैंकों द्वारा प्राप्त/उनके पास लम्बित आवेदनों की संख्या और नियुक्ति के लिए दिए गए प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में इन दिशानिर्देशों में संशोधन/परिवर्तन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में अनुकंपा आधारित नियुक्ति, वर्ष 2007 में अतिम बार यथा संशोधित ''अनुकंपा आधार पर दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों हेतु नियुक्ति योजना'', के आधार पर उपलब्ध है। यह योजना निम्नलिखित मामलों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति उपलब्ध कराती है:

(i) जब कोई कर्मचारी अपने कार्यालयी कर्तव्य को निभाते समय हिंसा, आतंकवाद, लूट अथवा डकैती की वजह से मर जाता/जाती है; अथवा

(ii) जब कोई कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति के पांच वर्षों के भीतर अथवा 30 वर्ष की आयु होने से पूर्व जो भी बाद में हो, मर जाता/जाती है और अपने पीछे आश्रित पति/पत्नी और/अथवा अवयस्क बच्चे छोड़ जाता/जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएसबी में अनुकंपा आधार पर हुई नियुक्तियों को दर्शाता ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में दी गई नियुक्तियों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया हैं।

विवरण I

पीएसबी में पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुकंपा आधार पर प्राप्त/लंबित आवेदनों की संख्या और की गई नियुक्तियों की संख्या

क्र.सं.	बैंक का नाम	वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	दी गई नियुक्तियों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	इलाहाबाद बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0

1	2	3	4	5	6
		2012-13	1	1	0
		2013-14	3	0	3
2.	आंध्रा बैंक	2010-11	1	1	0
		2011-12	1	1	0
		2012-13	8	7	1
		2013-14	2	2	0
3.	बैंक आफ बड़ौदा	2010-11	2	2	0
		2011-12	3	3	0
		2012-13	5	3	1
		2013-14	0	0	0
4.	बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	0	0	0
		2011-12	1	0	1
		2012-13	2	3	0
		2013-14	1	0	0
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	2010-11	1	1	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
6.	केनरा बैंक	2010-11	2	2	0
		2011-12	2	2	0
		2012-13	2	2	0
		2013-14	0	0	0
7.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	4	4	0
		2011-12	5	5	0
		2012-13	4	4	0
		2013-14	0	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	कार्पोरेशन बैंक	2010-11	4	3	1
		2011-12	2	2	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	1	0	1
9.	देना बैंक	2010-11	1	1	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
10.	इंडियन बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
11.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	2010-11	27	0	0
		2011-12	32	0	0
		2012-13	26	2	0
		2013-14	2	0	2
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2010-11	2	2	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	1	0	1
13.	पंजाब एंड सिंध बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
14.	पंजाब नैशनल बैंक	2010-11	2	2	0
		2011-12	3	3	0
		2012-13	4	4	0
		2013-14	1	1	0

1	2	3	4	5	6
15.	सिंडिकेट बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	11	11	0
		2012-13	5	5	0
		2013-14	0	0	0
16.	यूको बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	3	3	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
17.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	3	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	1	0
18.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	3	3	0
		2011-12	2	2	0
		2012-13	2	2	0
		2013-14	0	0	0
19.	विजया बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
20.	भारतीय स्टेट बैंक	2010-11	0	0	0
		2011-12	16	10	0
		2012-13	25	19	0
		2013-14	2	1	1
21.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	4	4	0
		2013-14	0	0	0

1	2	3	4	5	6
22.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	2010-11	0	0	0
		2011-12	5	3	0
		2012-13	12	2	1
		2013-14	1	0	1
23.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2010-11	0	0	0
		2011-12	0	0	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0
24.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	2010-11	0	0	0
		2011-12	4	3	0
		2012-13	3	2	0
		2013-14	1	0	1
25.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2010-11	2	2	0
		2011-12	2	2	0
		2012-13	0	0	0
		2013-14	0	0	0

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएसबी द्वारा अनुकंपा के आधार पर दी गई नियुक्तियां

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	असम	2
3.	बिहार	13
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	हरियाणा	2
6.	झारखंड	2
7.	कर्नाटक	10
8.	केरल	4
9.	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	14
11.	ओडिशा	3
12.	पंजाब	8
13.	राजस्थान	6
14.	तमिलनाडु	8

1	2	3
15.	उत्तर प्रदेश	18
16.	उत्तराखंड	4
17.	पश्चिम बंगाल	10
18.	दिल्ली	4
19.	चंडीगढ़	1

[अनुवाद]

आयकर कार्यालयों का स्थानांतरण

3400. श्री प्रहलाद जोशी:
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुक्त स्तर से ऊपर के आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों का स्थान-वार विवरण के साथ-साथ गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके स्थान में हुए परिवर्तन का ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार पूरे देश में आयकर के उच्च स्तर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यालयों के स्थानों में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदास सीलम): (क) आयकर विभाग में मुख्य आयकर आयुक्त स्तर से ऊपर के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों के मौजूदा स्थान-वार ब्यौरे का विवरण के रूप में संलग्न है।

यह भी उल्लिखित किया जाता है कि विगत तीन वर्षों के दौरान आयकर आयुक्त स्तर के दो कार्यालय सृजित किए गए हैं अर्थात आयर आयुक्त कार्यालय, नोयडा (क्रमांक 79) तथा आयर आयुक्त कार्यालय, गुडगांव, (क्रमांश 108)। ये कार्यालय वर्ष 2011 में अस्तित्व में आये हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर आयुक्त कार्यालय (सीपीसी), मानेसर वर्ष 2012 में बंद कर दिया गया है। ये परिवर्तन प्रशासनिक फेर बदल तथा लोकहित में किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं। इस समय देशभर में महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आयकर कार्यालयों के स्थानों में परिवर्तन करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों स्थान-वार कार्यालय

क्रम.सं.	स्टेशन का नाम	वरिष्ठतम अधिकारियों के पदनाम
1	2	3
1.	आगरा	आयकर आयुक्त
2.	अहमदाबाद	मुख्य आयकर आयुक्त
3.	अजमेर	आयकर आयुक्त
4.	अलीगढ़	आयकर आयुक्त
5.	इलाहाबाद	मुख्य आयकर आयुक्त
6.	अलवर	आयकर आयुक्त
7.	अमृतसर	मुख्य आयकर आयुक्त
8.	आसनसोल	आयकर आयुक्त
9.	औरंगाबाद	आयकर आयुक्त
10.	बरेली	मुख्य आयकर आयुक्त
11.	बंगलुरू	मुख्य आयकर आयुक्त
12.	बड़ौदा	मुख्य आयकर आयुक्त
13.	भटिंडा	आयकर आयुक्त
14.	बेलगाम	आयकर आयुक्त
15.	ब्रह्मपुर	आयकर आयुक्त
16.	भागलपुर	आयर आयुक्त
17.	भोपाल	मुख्य आयकर आयुक्त
18.	भुवनेश्वर	मुख्य आयकर आयुक्त
19.	बीकानेर	आयकर आयुक्त
20.	बिलासपुर	आयकर आयुक्त
21.	बर्धवान	आयकर आयुक्त
22.	कालीकट	आयकर आयुक्त
23.	चंडीगढ़	मुख्य आयकर आयुक्त
24.	चेन्नई	मुख्य आयकर आयुक्त
25.	कोयम्बत्तूर	मुख्य आयकर आयुक्त

1	2	3
26.	कटक	आयकर आयुक्त
27.	देवांगीर	आयकर आयुक्त
28.	देहरादून	मुख्य आयकर आयुक्त
29.	दिल्ली	मुख्य आयकर आयुक्त
30.	धनबाद	आयकर आयुक्त
31.	डिब्रूगढ़	आयकर आयुक्त
32.	दुर्गापुर	मुख्य आयकर आयुक्त
33.	फैजाबाद	आयकर आयुक्त
34.	फरीदाबाद	आयकर आयुक्त
35.	गांधीनगर	आयकर आयुक्त
36.	गाजियाबाद	मुख्य आयकर आयुक्त
37.	गोरखपुर	आयकर आयुक्त
38.	गुलबर्ग	आयकर आयुक्त
39.	गुंटुर	आयकर आयुक्त
40.	गुवाहाटी	मुख्य आयकर आयुक्त
41.	ग्वालियर	आयकर आयुक्त
42.	हल्द्वानी	आयकर आयुक्त
43.	हजारीबाग	आयकर आयुक्त
44.	हिसार	आयकर आयुक्त
45.	हुबली	मुख्य आयकर आयुक्त
46.	हैदराबाद	मुख्य आयकर आयुक्त
47.	इंदौर	मुख्य आयकर आयुक्त
48.	जबलपुर	आयकर आयुक्त
49.	जयपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
50.	जालंधर	आयकर आयुक्त
51.	जलपाईगुड़ी	मुख्य आयकर आयुक्त
52.	जम्मू	आयकर आयुक्त
53.	जामनगर	आयकर आयुक्त
54.	जमशेदपुर	आयकर आयुक्त
55.	जोधपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
56.	जोरहार	आयकर आयुक्त
57.	कन्नूर	आयकर आयुक्त
58.	कानपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
59.	करनाल	आयकर आयुक्त
60.	कोच्चि	मुख्य आयकर आयुक्त
61.	कोल्हापुर	आयकर आयुक्त
62.	कोलकाता	आयकर आयुक्त
63.	कोटा	आयकर आयुक्त
64.	कोट्टायम	आयकर आयुक्त
65.	कोझीकोड	आयकर आयुक्त
66.	लखनऊ	मुख्य आयकर आयुक्त
67.	लुधियाना	मुख्य आयकर आयुक्त
68.	मदुरै	मुख्य आयकर आयुक्त
69.	मंगलौर	आयकर आयुक्त
70.	मेरठ	आयकर आयुक्त
71.	मुरादाबाद	आयकर आयुक्त
72.	मुम्बई	मुख्य आयकर आयुक्त
73.	मुजफ्फर नगर	आयकर आयुक्त
74.	मुजफ्फरपुर	आयकर आयुक्त
75.	मैसूर	आयकर आयुक्त
76.	नादिया	आयकर आयुक्त
77.	नागपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
78.	नासिक	मुख्य आयकर आयुक्त
79.	नोएडा	आयकर आयुक्त
80.	पणजी	मुख्य आयकर आयुक्त
81.	पंचकुला	मुख्य आयकर आयुक्त

1	2	3
82.	पटियाला	आयकर आयुक्त
83.	पटना	मुख्य आयकर आयुक्त
84.	पांडिचेरी	आयकर आयुक्त
85.	पुणे	मुख्य आयकर आयुक्त
86.	रायपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
87.	राजमुंदरी	आयकर आयुक्त
88.	राजकोट	मुख्य आयकर आयुक्त
89.	रांची	मुख्य आयकर आयुक्त
90.	रोहतक	आयकर आयुक्त
91.	सेलेम	आयकर आयुक्त
92.	सम्बरलपुर	आयकर आयुक्त
93.	शिलांग	मुख्य आयकर आयुक्त
94.	शिमला	मुख्य आयकर आयुक्त
95.	सिलीगुड़ी	आयकर आयुक्त
96.	सूरत	मुख्य आयकर आयुक्त
97.	ठाणे	मुख्य आयकर आयुक्त
98.	तिरूपति	आयकर आयुक्त
99.	थ्रिसूर	आयकर आयुक्त
100.	तिरूवनंतपुरम	मुख्य आयकर आयुक्त
101.	त्रिचि	मुख्य आयकर आयुक्त
102.	उदयपुर	मुख्य आयकर आयुक्त
103.	उज्जैन	आयकर आयुक्त
104.	वलसाड़	आयकर आयुक्त
105.	वाराणसी	आयकर आयुक्त
106.	विजयवाड़ा	आयकर आयुक्त
107.	विशाखापत्तनम	मुख्य आयकर आयुक्त
108.	गुड़गांव	आयकर आयुक्त

ब्रोकरों द्वारा आर्डर देना

3401. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री जे. एम. आरून रशीद:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शेयर बाजारों (बोर्सेज) ने ब्रोकरों के लिए ट्रेडिंग नियम निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) की प्रणाली ब्रोकरों को उनकी जमा राशि से 271 गुणा ज्यादा का आर्डर देने की अनुमति प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त आर्डर शेयर बाजार द्वारा ट्रेडिंग के लिए निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं और यदि नहीं, तो इस मामले में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जानी प्रस्तावित है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) देश के स्टाक एक्सचेंजों ने बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विहित व्यापक बाजार जोखिम प्रबंधन संरचना तथा विभिन्न सीमाओं के अनुसरण में दलालों के लिए व्यापार नियम तय किए हैं ताकि बाजार की सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित हो सके। स्टाक एक्सचेंजों में समस्त आर्डर और कारोबार सेबी द्वारा इस प्रकार निधारित ढांचे के अनुपालन के अध्ययधीन होंगे।

(ग) और (घ) दलाल कतिपय जमानती और निवल मूल्य संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने के बाद ही किसी स्टॉक एक्सचेंज में आर्डर नियाजित कर सकते हैं। इक्विटी बाजारों के प्रारंभण-पूर्व सत्र (9.00 पूर्वान्ह से 9.15 पूर्वान्ह) में, केवल जमानत द्वारा पूर्णत: समर्थित आर्डर दलालों द्वारा दिए जा सकते हैं। सामान्य व्यापार सत्र में आर्डर मूल्य संपार्श्विक मूल्य के कितने भी गुणज के हो सकते हैं। किन्तु, किसी आर्डर के व्यापार में परिवर्तित होते ही, एक्सचेंज पूंजी पर्याप्तता की जांच करता है। अपर्याप्त पूंजी होने के मामले में दलाल को कई नये आर्डर देने से रोक दिया जाता है और अपनी विद्यमान जोखिम स्थिति को कम करने के लिए ही आर्डर देने दिया जाता है। इस मामले में दलाल के शेष आर्डर तंत्र से हटा दिए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा व्यापार के लिए विहित नियमों के अनुसार, संपार्श्विक मूल्य के किसी गुणज के रूप में आरंभिक स्थितियों के मूल्य संबंधी सीमाएं विनिर्दिष्ट होती

हैं, लेकिन सामान्य व्यापार सत्र में संपार्श्विक मूल्य के किसी गुणज के रूप में आर्डर मूल्यों के बारे में निर्धारित सीमाएं नहीं हैं। तदनुसार, उक्त आर्डर स्टॉक एक्सचेंजों और सेबी के व्यापार नियमों के अनुपालन में हैं:

(ङ) बाजार तंत्रों की सुव्यवस्था को और बढ़ाने के लिए सेबी के दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 के परिपत्र के तहत निम्नलिखित उपाय अमल में लाए गए हैं;

1. 10 करोड़ रुपए प्रति आर्डर से अधिक मूल्य का कोई आर्डर सामान्य बाजार में निष्पादन के लिए स्टाक एक्सचेंज द्वारा मंजूर नहीं किया जा सकता।
2. इसके अलावा, स्टाक एक्सचेंजों को सुनिश्चित करना होता है कि स्टाक दलाल अपने ग्राहकों के संबंधित जोखिम प्रोफाइल के आधार पर मूल्य और/या मात्रा की दृष्टि से समुचित जांच कराते हैं।
3. एक्सचेंज को सुनिश्चित करना होता है कि स्टाक दलाल अपने केंद्रों से दिए गए समस्त अनिष्पादित आर्डरों के संचयी मूल्य को स्टाक दलालों द्वारा निर्धारित प्रारंभिक सीमा से नीचे तक लाने के तंत्र लागू करें।
4. स्टाक एक्सचेंज को दलाल को जोखिम ह्रास स्थिति में रखना होता है जब मार्जिनों के प्रति समायोजन के लिए उपलब्ध स्टाक दलाल के संपार्श्विक का 90 प्रतिशत उस व्यापार के कारण इस्तेमाल हो जाता है जो मार्जिन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

लौह अयस्क का मूल्य

3402. श्रीमती रमा देवी:
श्री रतन सिंह:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लौह अयस्क की बिक्री के लिए कोई मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या लौह अयस्क का खनन कर रही कुछ कंपनियां मनमानी कीमत पर लौह अयस्क की बिक्री कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त शिकायतों के साथ-साथ सरकार द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में लौह अयस्क के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) जी नहीं। लौह अयस्क खनन और उसके व्यापार सहित खनन क्षेत्र से वर्ष 1993 से नियंत्रण हटा लिया गया है। सरकार, देश में लौह अयस्क की कीमतों को प्रशासित नहीं करती है। लौह अयस्क की कीमतें बाजार में उसकी मांग और आपूर्ति पर आधारित होती हैं।

ग्रिड इंट्रेक्टिव नवीकरणीय बिजली उत्पादन परियोजनाएं

3403. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्यावधि मूल्यांकन के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रिड इंट्रेक्टिव नवीकरणीय बिजली उत्पादन परियोजनाओं (जीआईआरपीजीपी) से उत्पन्न बिजली के संबंध में निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों को ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जा रही/स्थापित की जाने वाली जीआईआरपीजीपी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जीआईआरपीजीपी से बिजली उत्पाद को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने प्रस्तावित हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय विद्युत परियोजनाओं से 12,380 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 14,661 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता पवन, लघु पनबिजली, जैव विद्युत और सौर से प्राप्त की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) मंत्रालय ने 12वीं योजना अवधि के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 29,800 मेगावाट के क्षमता निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य में पवन से 15,000 मेगावाट, सौर से 10,000 मेगावाट, लघु पनबिजली से 2,100 मेगावाट और अपशिष्ट से ऊर्जा सहित जैव विद्युत से 2,700 मेगावाट शामिल है।

(घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय सहायता दे रही है जैसे-पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, त्वरित मूल्यह्रास, रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क आदि नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में प्रदर्शन परियोजनाओं की स्थापना, गहन संसाधन मूल्यांकन, विद्युत निष्क्रमण का जांच सुविधाओं का विकास शामिल है।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम	11वीं योजना लक्ष्य	11वीं योजना उपलब्धियां
1.	पवन विद्युत	9,000.00	10,260.00
2.	लघु पनबिजली	1,400.00	1,149.17
3.	जैव विद्युत (बायोमास/सह-उत्पादन और अपशिष्ट से विद्युत शामिल है)	1,780.00	2,041.90
4.	सौर विद्युत	200	939.74
	कुल	12,380.00	14,660.81

जेनरिक दवाइयां

3404. श्री सुदर्शन भगतः
श्री ए.टी. नाना पाटीलः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) नई दिल्ली के परिसर में स्थित मेडिकल स्टोर में जेनरिक दवाइयों के बदले ब्रान्डेड और महंगी दवाइयां बेचे जाने की घटना प्रकाश में आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) क्या एम्स परिसर के अंदर स्थित दुकानों के लिए दवाई बिक्री की निगरानी हेतु कोई समिति स्थापित की गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति को प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और साथ ही मरीजों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली अस्पताल के परिसर में स्थित चिकित्सा भंडार (कैमिस्ट शॉप) सभी प्रकार की दवाइयों के साथ-साथ ब्रांडेड, जेनरिक ब्रांडों और जेनरिक दवाओं का भंडारण एवं बिक्री करता है, क्योंकि करार की शर्तो के अनुसार उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली किसी भी दवाई की एमआरपी पर 56 प्रतिशत छूट देनी अपेक्षित है। दुकान को ब्रांडेड या जेनरिक दवाई को बदलना नहीं चाहिए और मरीजों को वही मद दी जानी चाहिए जो कि उपचार करने वाले डॉक्टर द्वारा लिखी गई हो।

(ग) से (ङ) केमिस्ट शॉप द्वारा करार के अनुबंध एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एम्स द्वारा मॉनीटरिंग समिति का गठन किया गया है। मॉनीटरिंग समिति द्वारा जो भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं, उन पर मॉनीटरिंग समिति की रिपोर्ट के अनुसार संस्थान द्वारा उनकी जांच की गई है और वित्तीय जुर्माने तथा/या चेतावनी सहित उपयुक्त कार्रवाई की गयी है। अभी तक, मॉनीटरिंग समिति द्वारा पांच शिकायतें प्राप्त की गयी हैं।

राज्यों द्वारा लिए गए ऋण

3405. श्री जय प्रकाश अग्रवालः
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डीः
श्री पन्ना लाल पुनियाः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राज्यों को सरकार द्वारा कितना ऋण दिया गया है और राज्यों की बकाया देनदारियां राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त ऋणों के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार उक्त ऋण किस उद्देश्य के लिए-लिए गए थे, किन उद्देश्यों के लिए उनका व्यय हुआ और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) बकाया देनदारियां, यदि कोई हों, के संबंध में राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्रवाई की गई है:

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) गत तीन वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2012-13 और 2013-14 के दौरान (25 अगस्त, 2013 तक) एक के बाद एक आधार पर दिए गए ऋणों सहित केन्द्र सरकार द्वारा गए ऋणों तथा वर्ष 2010-11 से 2012-13 के अंत तक बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राज्यों द्वारा ऋणों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों और इस मंत्रालय में प्राप्त उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों ने हाल ही में राज्यों की बकाया देनदारियों सहित विभिन्न ऋण राहत उपायों के लिए अनुरोध किया है। राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे में कार्रवाई की जाती है।

हाल ही में बारहवें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के तहत व्यापक ऋण पुनर्संरचना का कार्य किया गया था। राज्यों की ऋण स्थिति में सुधार करने के लिए 12वें वित्त आयोग ने 2005-10 की अपनी अधिनिर्णय अवधि के दौरान राज्यों को 'ऋण समेकन एवं राहत सहत सुविधा' (डीसीआरएफ) दिए जाने की सिफारिश की थी। इस सुविधा में (i) वित्त मंत्रालय से केन्द्रीय ऋणों का 7.5 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि के लिए समेकन और (ii) राज्यों के प्रत्येक वर्ष के राजकोषीय निष्पादन पर आधारित समेकित ऋण के लिए देय अदायगी से छूट शामिल है। इसी प्रकार, 13वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय से भिन्न मंत्रालयों द्वारा राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों की माफी, राज्यों को दिए गए एनएसएसएफ ऋणों पर ब्याज के पुनर्निर्धारण और दो राज्यों (पश्चिम बंगाल और सिक्किम) जिन्होने 12वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान अपने एफआरबीएम नहीं बनाए थे, को वित्त मंत्रालय के माध्यम से दिए गए ऋणों के समेकन की सिफारिश की है।

तदनुसार बकाया देयताओं के संबंध में राज्यों के लिए निम्नलिखित ऋण राहत उपाय किए गए हैं:

* 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए 1,22,348 करोड़ रुपए के ऋणों का समेकन किया गया और 12वें वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के दौरान पात्र राज्यों के 19,726 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए। ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

* 13वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस)/केन्द्रीय योजना स्कीमों (सीपीएस) के लिए 2050.10 करोड़ रुपए के ऋण वर्ष 2011-12 में बट्टे-खाते डाले गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.03.2010 के बाद राज्यों द्वारा सीसीएस/सीपीएस के तहत मूलधन और ब्याज के लिए अदा की गई 220.83 करोड रुपए की राशि, वर्ष 2012-13 के दौरान वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय ऋणों में समायोजित की गई है। ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण I

केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा बकाया राशि

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2010-11*		2011-12*		2012-13*		वित्त वर्ष 2013-14 (25 अगस्त, 2013 तक)
		वर्ष के दौरान दी गई ऋण राशि	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	वर्ष के दौरान दी गई ऋण राशि	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	वर्ष के दौरान दी गई ऋण राशि	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार अंत शेष	वर्ष के दौरान दी गई ऋण राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2,243.93	15,495.67	2,719.01	17,253.65	1,181.75	17,289.90	539.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	384.23	0.00	341.92	–	311.57	–
3.	असम	15.62	2,245.33	30.06	1,843.80	39.70	1,757.17	23.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	781.53	8,295.40	826.56	8,631.83	508.02	8,672.48	113.44
5.	छत्तीसगढ़	202.76	2,391.31	56.74	2,279.92	16.70	2,147.91	4.98
6.	गोवा	28.44	581.18	121.40	668.47	137.14	777.43	39.48
7.	गुजरात	159.23	9,396.81	187.87	8,857.28	112.14	8,311.73	44.82
8.	हरियाणा	308.27	2,237.42	96.19	2,171.66	51.07	2,097.90	42.66
9.	हिमाचल प्रदेश	38.80	961.00	80.18	942.18	131.78	1,003.66	10.27
10.	जम्मू और कश्मीर	19.21	1,755.33	22.71	1,624.05	14.18	1,554.34	2.83
11.	झारखंड	87.71	2,149.35	32.53	2,027.27	238.64	2,125.65	46.38
12.	कर्नाटक	1,145.19	10,517.74	1,267.06	11,008.82	1,348.98	11,655.22	412.64
13.	केरल	361.40	6,360.48	407.15	6,393.12	552.29	6,609.86	193.68
14.	मध्य प्रदेश	1,094.48	10,959.76	1,032.60	11,362.12	1,557.31	12,261.28	510.51
15.	महाराष्ट्र	819.92	9,188.14	376.59	8,762.89	750.80	8,798.17	524.50
16.	मणिपुर	–	641.75	–	575.60	–	529.19	–
17.	मेघालय	2.37	293.97	10.85	271.68	4.36	253.24	0.08
18.	मिजोरम	3.87	364.12	26.45	348.47	0.10	329.95	–
19.	नागालैंड	–	342.60	5.10	280.22	–	256.04	–
20.	ओडिशा	209.47	7,628.97	232.76	7,261.24	402.48	7,135.14	178.04
21.	पंजाब	192.93	3,297.42	149.50	3,226.24	226.64	3,210.00	215.80
22.	राजस्थान	359.73	7,377.65	337.10	7,106.84	199.88	6,816.24	105.04
23.	सिक्किम	0.07	175.47	5.81	155.30	2.28	147.32	0.09
24.	तमिलनाडु	1,447.00	9,394.41	1,179.74	9,980.86	1,360.35	10,814.26	648.63
25.	त्रिपुरा	3.65	441.08	6.73	397.13	4.12	367.81	2.31
26.	उत्तराखंड	42.94	435.67	46.40	431.92	34.71	434.98	7.33
27.	उत्तर प्रदेश	363.36	18,513.96	315.64	17,283.12	295.96	16,249.56	92.47
28.	पश्चिम बंगाल	294.92	12,343.64	442.80	12,060.08	1,489.33	12,894.44	102.88
	जोड़ (राज्य)	10,226.78	144,169.86	10,015.53	143,547.66	10,660.70	144,812.42	3,861.94
	संघ राज्यक्षेत्र							
1.	दिल्ली	–	0.04	–	0.04	3,326.39	3,326.43	–
2.	पुदुचेरी	72.00	848.66	72.00	804.17	72.00	761.10	–
	जोड़ (संघ राज्यक्षेत्र)	72.00	848.70	72.00	804.21	3,398.39	4,087.53	–
कुल जोड़ (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)		10,298.78	1,45,018.56	10,087.53	144,351.87	14,059.09	1,48,899.95	3,861.94

विवरण II

(i) ऋण संख्या 2594 आईएनडी: झारखंड राज्य सड़क परियोजना: रांची के निवासी श्री ललन मरानी और लोविन सोरेन से दिनांक 20.01.2012 के पत्र के तहत एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें परियोजना के कार्यान्वयन में कुछ निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। दिनांक 19.03.2013 के पत्र के तहत झारखंड राज्य से स्थिति रिपोर्ट मांगी गई थी। हमारे पत्र के प्रत्युत्तर में झारखंड सरकार ने दिनांक 13.04.2012 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि उन्होंने मामले की पूरी जांच की है और निधियों का ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं पाया गया है।

(ii) उत्तराखंड विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम: दिनांक 11.06.2013 को भारत मीडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष और उन्नति टाइम्स के संपादक से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें एशियाई विकास बैंक और उत्तराखंड सरकार के कुछ मानकों एवं नीतियों का उल्लंघन करके संविदा करार पर हस्ताक्षर करने के पश्चात मैं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कम लागत पर टावर पार्ट्स के प्रापण की अनुमति देकर लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। दिनांक 05.06.2013 के पत्र के तहत उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है और दिनांक 23.07.2013 को अनुस्मारक भी भेजा गया है।

विवरण III

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ऋण समेकन और माफी

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य	ऋण समेकन	ऋण माफी					
			2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2005-06 से 2009-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	14061.62	483.23	703.08	703.08	0.00	703.08	2592.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	404.16	0.00	20.21	20.21	0.00	0.00	40.42
3.	असम	2108.19	105.41	105.41	105.41	105.41	0.00	421.64
4.	बिहार	7698.69	0.00	0.00	384.93	384.93	0.00	769.86
5.	छत्तीसगढ़	1865.22	93.26	93.26	93.26	93.26	93.26	466.30
6.	गोवा	404.13	0.00	20.21	20.20	0.00	0.00	40.41
7.	गुजरात	9437.33	315.89	471.87	471.87	471.87	0.00	1731.50
8.	हरियाणा	1933.31	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	290.01
9.	हिमाचल प्रदेश	905.79	27.20	45.29	45.29	0.00	0.00	117.78
10.	झारखंड	2099.10	0.00	0.00	104.96	104.96	104.96	314.88
11.	जम्मू और कश्मीर	1524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	7166.50	358.33	358.33	358.31	0.00	358.31	1433.28
13.	केरल	4176.69	0.00	102.40	147.86	0.00	0.00	250.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मध्य प्रदेश	7261.19	363.06	363.06	363.06	363.06	363.06	1815.30
15.	महाराष्ट्र	6799.41	0.00	339.97	339.97	339.97	339.97	1359.88
16.	मणिपुर	750.81	37.54	37.54	37.54	37.54	0.00	150.16
17.	मेघालय	298.07	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	44.70
18.	मिजोरम	258.55	0.00	12.93	0.00	12.92	0.00	25.85
19.	नागालैंड	317.39	0.00	15.87	0.00	15.87	0.00	31.74
20.	ओडिशा	7637.97	381.90	381.90	381.90	381.90	381.90	1909.50
21.	पंजाब	3067.75	63.92	153.39	153.39	0.00	0.00	370.70
22.	राजस्थान	6174.06	308.70	308.70	308.70	0.00	0.00	926.10
23.	सिक्किम	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	5265.57	263.28	263.28	263.27	263.27	263.28	1316.38
25.	त्रिपुरा	444.96	22.25	22.25	22.25	22.25	0.00	89.00
26.	उत्तराखंड	261.58	0.00	13.08	13.08	0.00	0.00	26.16
27.	उत्तर प्रदेश	21278.20	1063.71	1063.91	1063.91	0.00	0.00	3191.53
28.	पश्चिम बंगाल	8633.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	जोड़	122348.09	3984.35	5007.51	5514.02	2597.21	2622.72	19725.81

विवरण IV

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय योजना स्कीमों के तहत बकाया ऋण जिन्हें वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान बट्टे खाते डाला गया

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2011-12 के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋण	2012-13 के दौरान ऋण और ब्याज की अदायगी का समायोजन	जोड़
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	88.13	13.92	102.05
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.65	2.85	19.50
3.	असम	306.02	0.00	306.02
4.	बिहार	24.65	3.47	28.12

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	26.50	3.29	29.80
6.	गोवा	6.63	0.00	6.63
7.	गुजरात	79.89	10.73	90.62
8.	हरियाणा	35.90	5.11	41.01
9.	हिमाचल प्रदेश	34.65	9.79	44.44
10.	जम्मू और कश्मीर	57.06	0.00	57.06
11.	झारखंड	14.59	1.76	16.35
12.	कर्नाटक	144.89	17.31	162.20
13.	केरल	51.18	9.35	60.53
14.	मध्य प्रदेश	97.22	9.74	106.97
15.	महाराष्ट्र	181.76	22.62	204.38
16.	मणिपुर	20.56	2.44	23.00
17.	मेघालय	12.32	3.05	15.37
18.	मिजोरम	27.89	0.00	27.89
19.	नागालैंड	23.16	3.08	26.24
20.	ओडिशा	117.43	20.19	137.62
21.	पंजाब	32.68	2.07	34.75
22.	राजस्थान	139.63	22.38	162.01
23.	सिक्किम	15.95	1.85	17.80
24.	तमिलनाडु	107.89	13.22	121.11
25.	त्रिपुरा	18.44	2.30	20.74
26.	उत्तर प्रदेश	229.81	23.59	253.40
27.	उत्तराखंड	28.07	3.10	31.17
28.	पश्चिम बंगाल	110.55	13.61	124.16
	जोड़	2050.10	220.83	2270.94

[अनुवाद]

तेल और गैस क्षेत्र के लिए विनियामक

3406. श्री नामा नागेश्वर राव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के एक पेनल ने सरकार से तेल और गैस क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक स्थापित करने और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के महत्वपूर्ण कार्यों को भी अपने हाथों में लेने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रियों के पैनल ने तेल और गैस क्षेत्र के संबंध में सरकार से अनेक अन्य सिफारिशें भी की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल और गैस क्षेत्र में अन्वेषण ठेका प्रदान करने में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जीओम ने निम्नलिखित को अनुमोदित किया है। अपस्ट्रीम में तीन मुख्य पहलू अर्थात् (i) पर्यावरणीय विनियमन, (ii) सुरक्षा विनियमन और (iii) रिजर्वायर प्रबंधन शामिल हैं। देश में सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए सांविधिक प्रावधानों के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की देखभाल की जाती है। दो एजेंसियों नामत: तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) जो अपतट सुरक्षा प्रचालनों को विनियमित करता है और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) जो जमीनी सुरक्षा पहलू को विनियमित करता है, द्वारा सुरक्षा पहलुओं की देखभाल की जा रही है। जहां तक सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षा दोनों पहलुओं के लिए स्वतंत्र विनियमन की आवश्यकता का प्रश्न है तो इनकी देखभाल सांविधिक विनियामकों द्वारा पहले ही की जा रही है, इसलिए इन संरचनाओं को नए तरीके से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नई पेंशन नीति

3407. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई पेंशन नीति (एनपीएस) के अंतर्गत वर्तमान में कार्यरत पेंशन फंड प्रबंधकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में एनपीएस के अंतर्गत प्राइवेट बैंकों को पेंशन फंड मैनेजरों के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कार्यरत पेंशन निधि प्रबंधकों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. एलआईसी पेंशन फंड लि.
2. एसबीआई पेंशन फंड्स प्रा. लि.
3. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशनस लि.
4. डीएसपी ब्लैकरॉक पेंशन मैनेजर्स लि.
5. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लि.
6. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लि.
7. कोटक महिन्द्रा पेंशन फंड लि.
8. रिलायंस केपिटल पेंशन फंड लि.

(ख) और (ग) गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए एनपीएस के प्रबंधन हेतु एक पृथक अनुषंगी कंपनी के रूप में पेंशन निधि की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को 2009 में अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

खुदरा बिक्री केन्द्रों के आवंटन में आरक्षण

3408. श्री हुक्मदेव नारायण यादव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** पेट्रोल पम्पों के आबंटन में आरक्षण के बारे में 26 अप्रैल, 2013 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5109 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओ) में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में ओबीसी श्रेणी के खुदारा विक्रेताओं को नियुक्त किया है और ऐसे विक्रेताओं की संख्या कितनी है;

(घ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों को वे सभी सुविधाएं दी जा रही हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को मिल रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित महिलाओं को कोई विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनके नाम पर पहले ही डीलरशिप आबंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) नए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) के आबंटन में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए 27% आरक्षण के प्रावधान सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनूमोदित कर दिया गया है लेकिन इसके परिणामस्वरूप कोई आबंटन अभी नहीं किया गया है क्योंकि ओएमसीज विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर रही हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं

[अनुवाद]

सरकारी प्रतिभूतियों का मुक्त बाजार प्रचालन

3409. श्री पी. कुमार:
श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों, ऋणपत्रों की खरीद आदि का खुले बाजार में प्रचालन किया है/करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसे किस तरीके से किया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2013 को वर्तमान और भावी बाजार स्थितियों को संबोधित करने के लिए घोषित विभिन्न उपायों के भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार प्रचालन (ओएमसी) करने का निर्णय लिया है, जो परिमाण और आवृत्ति, दोनों में अंशाकित है, जैसाकि बाजार की स्थितियों द्वारा अपेक्षित है। आरंभ में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अगस्त, 2013 को कुल 8,000/- करोड़ रु. राशिक की भारत सरकार की दीर्घकालिक दिनांकित प्रतिभूतियों की खरीद की घोषणा की थी, जिसकी तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली में नकदी प्रवाह के लिए कुल 6,232 करोड़ रु. की राशि (अंकित मूल्य) स्वीकृत की गई थी।

(ग) इसके बाद, मुक्त बाजार प्रचालन नीलामी के जरिए किए जाने की संभावना है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक नीलामी की तारीख नीलामी की धनराशि और प्रतिभूतियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक खरीदना चाहता है और व्यवस्थापन की तारीख, के संबंध में पहले से घोषणा करेगा।

विदेशी ऋण

3410. श्री दत्ता मेघे: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितना विदेशी ऋण बकाया है तथा किन संस्थाओं एवं देशों से आज की तिथि तक ऋण लिए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक एवं चालू वर्ष के दौरान लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि ऋण की राशि एवं उन पर भुगतान किए गए ब्याज का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ऋणों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) देश में बकाया विदेशी ऋण तथा जिन संस्थाओं एवं देशों से आज की तिथि तक ऋण लिए गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण पर हैं।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

(भारतीय रुपये)

वर्ष	ऋण	ब्याज
2010-11	131,396,252,965	34,578,712,111
2011-12	154,762,724,387	37,981,548,894
2012-13	186,072,868,312	44,572,671,842
2013-14 (26.8.2013)	83,506,572,633	15,882,737,632

(ग) सरकार द्वारा विदेशी एजेंसियों से लिए गए ऋणों की अदायगी, इन ऋणों के प्रत्येक की अदायगी समय-सारणी के अनुसार प्रत्येक वर्ष के बजट में प्रावधान करके सुनिश्चित की जाती है।

विवरण

देश में बकाया विदेशी ऋण तथा उन संस्थाओं एवं देशों के नाम जिनसे ऋण जिए गए

बकाया की तारीख		26.08.2013		
दाता	करेंसी	बकाया ऋण श्रृंखला	बकाया भारतीय रुपये	बकाया अमरीकी डालर
सरकारी ऋण				
		बहुपक्षीय		
एडीबी	जेपीवाई	800,414,341.00	533,556,200	8,152,031.98
एडीबी	यूएसडी	10,909,334,650.22	715,023,589,391	10,921,578,017.24
ईईसीएस	जीबीपी	15,924,557.89	1,584,127,245	24,203,365.97
आईबीआरडी	यूएसडी	11,866,847,515.70	776,693,476,695	11,866,847,515.70
आईडीए	यूएसडी	2,898,967,224.91	189,739,434,147	2,898,967,224.91
आईडीए	एक्सडीआर	15,379,801,525.66	1,422,368,646,517	21,731,908,849.22
आईएफएडी	एक्सडीआर	239,731,775.22	22,171,089,795	338,717,884
ओपीईसी	यूएसडी	16,571,367.79	1,084,607,622	16,571,367.79
		द्विपक्षीय		
जीओडीई	ईयूआर	2,703,819,550	236,091,574,668	3,607,166,534
जीओआईटी	ईयूआर	280,313,567	24,476,363,987	373,966,420
जीओआईटी	ईयूआर	278,000.00	24,274,348	370,879.89
जीओजेपी	जेपीवाई	1,491,667,180,963	994,345,342,830	15,192,279,729
जीओआरयू	आईएनआर	6,468,891,186.99	6,468,891,187	98,836,088.64
जीओआरयू	यूएसडी	953,581,197.26	62,412,556,868	953,581,197.26
जीओएससी	सीएचएफ	2,132,440.15	151,016,852	2,307,337.47
जीओयूएस	यूएसडी	258,863,898.26	16,942,823,346	258,863,898.26

संकेताक्षर: जीओडीई-जर्मनी-फ्रांस, जीओआईटी-इटली, जीओजेपी-जापान, जीओआरयू-रूसी परिसंघ, जीओएससी-स्वीट्जरलैंड, जीओयूएस-संयुक्त राज्य अमरीका, आईडीए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, आईएफएडी, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, एडीबी एशियाई विकास बैंक, ईईसीएस यूरोपीय आर्थिक आयोग

बैंक अनियमितताओं को रोकने के लिए योजना

3411. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निजी/विदेशी बैंकों में अनियमितताओं एवं घोटालों का पता लगाने के लिए कोई विशिष्ट योजना प्रारंभ की है या प्रारंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सरकार ने निजी/विदेशी बैंकों में अनियमितताओं/घोटालों का पर्दाफाश करने के उद्देश्य से न तो कोई विशिष्ट योजना प्रारम्भ की है। न ही प्रस्तावित है। तथापि, बैंकों के सांविधिक विनियामक एवं पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों को विनियमित करने एवं उनके पर्यवेक्षण के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत समुचित अधिकार दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों का उल्लंघन करने के संबंध में मौद्रिक शास्ति लगाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपने ग्राहक को जानिए/धनशोधन रोधी संबंधी अनुदेशों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के लिए कुछ बैंकों पर मौद्रिक शास्ति लगायी है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और गैस का मूल्य निर्धारण

3412. श्री एम. के. राघवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस का घरेलू मूल्य निर्धारण देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने की जरूरत पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में विदेशी निवेशकों को दिए गए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोलियम उत्पादों एवं गैस के लिए उच्च मूल्य वास्तविक व्यय पर आधारित नहीं होता है बल्कि इसमें एफडीआई निवेशकों को लाभ पहुंचाने की मंशा छिपी होती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में घरेलू उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) जैसा कि डॉ. रंगराजन समिति ने 2006 में सिफारिश की थी, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों से डीजल की खरीद के लिए व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) और पीडीएस मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) का भुगतान करती हैं। आईपीपी/टीपीपी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। आईपीपी/टीपीपी के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

* आयात समता मूल्य (आईपीपी) - आईपीपी उस मूल्य को व्यक्त करता है जिसका आयातक संबंधित भारतीय बंदरगाहों पर उत्पाद के वास्तविक आयात के मामले में भुगतान करेंगे और इसके घटकों में शामिल है:

  [एफओबी मूल्य + समुद्री भाड़ा + बीमा + सीमा शुल्क + बंदरगाह शुल्क, इत्यादि]

* निर्यात समता मूल्य (ईपीपी) - ईपीपी उस मूल्य को व्यक्त करता है जिसे तेल कंपनियां पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर प्राप्त करेंगी,

  [एफओबी मूल्य + अग्रिम लाइसेंस लाभ (परिशोधित उत्पादों के निर्यात के अनुसरण में कच्चे तेल के शुल्क मुक्त आयात के लिए]

* व्यापार समता मूल्य (टीपीपी)- टीपीपी में आयात समता मूल्य का 80% और निर्यात समता मूल्य का 20% शामिल है।

  डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) की गणना करते समय निम्नलिखित घटकों को ध्यान में रखा जाता है:

* रिफाइनरी को भुगतान किया गया मूल्य

* बाजार तक अंतर्देशीय भाड़ा
* विपणन मार्जिन
* एलपीजी भरण प्रभार
* डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन
* उत्पाद शुल्क
* मूल्य वर्धित कर तथा स्थानीय उद्ग्रहण

तथापि, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं से आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से, सरकार डीजल (खुदरा उपभोक्ताओं के लिए), पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के आरएसपी को सतत रूप से कम-ज्यादा करती रहती है और उनके मूल्य अपेक्षित बाजार मूल्य से कम हैं जिसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों की बिक्री पर ओएमसीज को अल्प वसूली होती है।

दिनांक 16.08.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी) के अनुसार, ओएमसीज को डीजल (खुदरा उपभोक्ताओं के लिए) की बिक्री पर 10.22रु./लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.54रु /लीटर और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के 14.2 किग्रा. के प्रति सिलिंडर पर 411.99 रु. की अल्प वसूली हो रही है।

इसके अलावाा, सरकार एवं प्रचालक के बीच उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) संविदा के पक्षकारों के लाभ के लिए प्रतिस्पर्धात्मक आर्म्स-लेंथ मूल्यों पर गैस की बिक्री के लिए प्रावधान करता है और उपभोक्ताओं/खरीददारों को प्राकृतिक गैस की बिक्री करने से पूर्व गैस मूल्य सूत्र/आधार के लिए सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

घरेलू गैस मूल्य निर्धारण देश में सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता पर आधारित नहीं है तथापि, उपयुक्त गैस मूल्य संविदाकारों द्वारा तीव्र अन्वेषण प्रयासों को प्रोत्साहित कर सकता है जिससे नई हाइड्रोकार्बन खोजें हो सकती हैं। उच्चतर गैस मूल्य जमीनी और अपतट क्षेत्रों में भू-ग्रस्त गैस खोजों के विकास और मौद्रीकरण को सक्षम बनाएगा।

गृहेतर शाखा उपभोक्ताओं के लिए बैंक शुल्क

3413. श्री के. सुगुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गृहेतर शाखा उपभोक्ताओं द्वारा लेन-देन पर शुल्क लगाने के विरुद्ध बैंकों को निदेश दिए हैं या सरकार का ऐसा विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं अनुपालन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने दिनांक 01.07.2013 के परिपत्र के जरिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे एकसमान, निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्य-निर्धारण नीति को अपनाएं और होम ब्रांच और नान-होम (गृहेतर) ब्रांच में अपने ग्राहकों के बीच भेदभाव न करें। यदि होम ब्रांच में कोई विशिष्ट सेवा मुक्त प्रदान की जाती है तो यह सेवा नान-होम (गृहेतर) ब्रांच में भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। ग्राहकों द्वारा होम ब्रांच और नान होम (गृहेतर) ब्रांच में किए जाने वाले एकसमान लेन-देनों के बीच इंटरसोल प्रभारों के संबंध में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तथापि, केश हैंडलिंग प्रभार इंटरसोल प्रभारों के तहत शामिल नहीं किए जाते हैं। दिनांक 01.07.2013 का परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in. पर उपलब्ध है।

मणिपुर के लिए एडीबी सहायता

3414. डॉ. थोकचोम मैन्या: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) सहित अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से मणिपुर राज्य में सड़कें चौड़ी करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) पूर्वोत्तर राज्य सड़क निवेश कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 16-17 जून, 2011 को 200 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता हेतु मल्टीट्रांश वित्तपोषण सुविधा (एमएफएफ) के लिए वार्ता हुई थी। यह कार्यक्रम ट्रांश-II के अंतर्गत मणिपुर में 93.2 कि.मी. सड़कों सहित पूर्वोत्तर राज्यों

में लगभग 433.7 कि.मी. सड़कों के सुधार/उन्नयन/निर्माण के लिए है।

सिलचर-इंफाल-मोरेह सड़क परियोजना के रूप में सड़क सुधार/उन्नयन का दूसरा प्रस्ताव विचाराधीन है।

विदेश में जमा राशि की जांच

3415. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री संजय भोई:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कई प्रमुख प्रोमोटरों एवं मुख्य प्रशासी अधिकारियों के कथित स्वामित्व वाले गुप्त विदेशी बैंक खातों में जमा राशि के उपयोग की कोई जांच करायी है या सेबी का ऐसा करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं;

(ग) दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सेबी द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सूचना प्राप्त होने पर कि अनिल धी. अम्बानी (एडीए) ग्रुप कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी)/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय ब्रांड (एफसीसीबी) से जुटाई गई धनराशि को उनके द्वारा स्टॉक बाजार में निवेश करने के लिए उपयोग किया गया है और कि इसके लिए विदेशों में निवेशों के साधनों का उपयोग किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एडीए ग्रुप कंपनियों द्वारा रिलायंस कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड (आरसीएल) के शेयरों में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लेनदेनों से संबंधित कथित मामलों की जांच-पड़ताल की थी।

(ख) जांच-पड़ताल से खुलासा हुआ कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस नैचुरल रिसोर्सिस लिमिटेड "आय प्रबंधन प्रमाणपत्रों/जमाओं" में निवेश के स्वरूप और उनकी तीन वार्षिक रिपोर्टों में उन निवेशों के लाभ और हानियों को तोड़-मरोड़ कर प्रदर्शित करने के लिए और सेबी (विदेशी संस्थागत निवेशकों) विनियम, 1995 की संरचना का दुरुपयोग करने के लिए पृथमदृष्टया जिम्मेदार थे।

(ग) जांच के अनुसरण में, सेबी अधिनियम, 1992 की धाराओं 11, 11(4) और 11ख के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तत्पश्चात्, तत्समय प्रचलित, सहमति परिपत्र के प्रावधानों के तहत मामलों को, तारीख 14 जनवरी, 2011 के सहमति आदेश द्वारा, सहमति से सुलझाया गया।

(घ) जब कभी ऐसे मामले आते हैं, सेबी जांच-पड़ताल करता है और उचित कार्रवाई करता है।

[हिन्दी]

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत औषधियां

3416. श्री घनश्याम अनुरागी:
श्रीमती राजकुमारी चौहान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषधीय/सुगंधित पौधों से आयुष के अंतर्गत औषधि बनाने वाली लाइसेंस प्राप्त भेषज कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में और ऐसी इकाइयों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय जड़ी बूटियों एवं औषधीय/सुगंधित पौधों को विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से बचाने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को संहिताबद्ध करने के लिए सरकार द्वारा कौन से अन्य कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी): (क) और (ख) देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधियों की 8785 लाइसेंसकृत विनिर्माण कंपनियां हैं। आयुष औषधों के विनिर्माण एकांशों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में होम्योपैथिक औषधि भेषजिकी निगम लिमिटेड स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रावधान किया गया है।

(ग) से (ङ) भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(ञ) और धारा 3(त) के अनुसार औषधीय पादप और औषधीय पादपों से प्राप्त उत्पादों, जो पारंपरिक ज्ञान है अथवा पारंपरिक रूप से ज्ञात घटक या घटकों के ज्ञात गुणों का एकत्रीकरण अथवा आवृत्ति है, का पेटेंट नहीं हो सकता। सरकार ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में उल्लिखित औषध योगों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों द्वारा गैर मूल आविष्कारों को पेटेंट दिए जाने को रोकने के लिए पारंपरिक ज्ञान अंकीय पुस्तकालय (टीकेडीएल) भी स्थापित किया है। टीकेडीएल पांच अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी और स्पैनिश में पेटेंट संगत प्रारूप पर आधारित पारंपरितक औषधीय ज्ञान का अंकीय डाटाबेस है। पारंपरिक भारतीय औषधीय ज्ञान के दुर्विनियोजन को रोकने के उद्देश्य से पेटेंट संबंधी आवेदनों की जांच के लिए गैर-प्रकटीकरण करार के तहत अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कार्यालयों को टीकेडीएल तक पहुंच सुलभ कराई गई है। पेटेंट संबंधी आवेदनों और विश्वभर में भारतीय पारंपरिक औषधियों को प्रदान किए गए पेटेंटो की नियमित रूप से जांच करने के लिए और पेटेंट दावों को निरस्त/अस्वीकार/वापिस लेने के लिए संबंधित पेटेंट कार्यालय में टीकेडीएल साक्ष्य सहित तृतीय पक्ष टिप्पणियां दायर करने के लिए एक अंतर्विषयक निगरानी एवं विश्लेषण दल टीकेडीएल परियोजना में कार्य कर रहा है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के 2.83 लाख से अधिक औषधीय औषध योगों को टीकेडीएल में संहिताबद्ध किया गया है।

विवरण

1.4.2012 की स्थिति के अनुसार आयुष के अधीन लाइसेंसकृत भेषजिकियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	693
2.	अरुणाचल प्रदेश	0
3.	असम	63
4.	बिहार	287
5.	छत्तीसगढ़	31
6.	दिल्ली	64
7.	गोवा	7
8.	गुजरात	490
9.	हरियाणा	257
10.	हिमाचल प्रदेश	154
11.	जम्मू और कश्मीर	18
12.	झारखंड	0
13.	कर्नाटक	196
14.	केरल	968
15.	मध्य प्रदेश	560
16.	महाराष्ट्र	834
17.	मणिपुर	0
18.	मेघालय	0
19.	मिजोरम	0
20.	नागालैंड	0
21.	ओडिशा	161
22.	पंजाब	290
23.	राजस्थान	312
24.	सिक्किम	1
25.	तमिलनाडु	685
26.	त्रिपुरा	0
27.	उत्तर प्रदेश	2254
28.	उत्तराखंड	188
29.	पश्चिम बंगाल	221
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
31.	चंडीगढ़	1
32.	दादरा और नगर हवेली	0
33.	दमन और दीव	9
34.	लक्षद्वीप	0
35.	पुदुचेरी	41
	अखिल भारत कुल	8785

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष नकदी अंतरण योजना

3417. श्री एंटो एंटोनी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एलपीजी संबंधी प्रत्यक्ष नकदी अंतरण (डीबीटीएल) योजना के कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न मुद्दो से जुड़ी कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन संबंधी कोई समीक्षा हाल ही में की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कौन से प्रमुख निर्णय लिए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी हां। नकद अंतरण और आधार सीडिंग से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जब कभी समस्याओं के बारे में सूचना मिलती है, प्रक्रिया में सुधार के लिए विभिन्न पणधारकों जैसे बैंक, एनपीसीआई और यूडीडीएआई के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

शिकायतों का समाधान करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ओएमसीज पोर्टल्स/काल सेंटरों पर सीडिंग डाटा तक पहुंच बनाना और राजसहायता अंतरण संबंधी ब्यौरे की सूचना और काल सेंटरों के माध्यम से शिकायत निवारण का प्रावधान शामिल है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री

3418. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार दर पर थोक खरीददारों को डीजल की बिक्री की नीति का बड़े कार्पोरेटों, उद्योगों एवं कुछेक राज्य सरकारों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खरीददारों द्वारा किए जा रहे डीजल के दुरुपयोग को रोकने के लिए थोक उपभोक्ताओं को परिभाषित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पेट्रोल पंपों से बड़े उद्योगों/व्यापारियों द्वारा डीजल की सीधी खरीद के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में डीजल की अवैध खरीद करने पर कोई कार्रवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने सूचित किया है कि सीधे थोक उपभोक्ताओं के लिए बाजार दरों के साथ डीजल के लिए दोहरे मूल्य निर्धारण के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, देश में राज्य परिवहन उद्यम (एसटीयूज), उद्योग और राज्य सरकार के कुछ विभाग अपने परिवहन/यात्री वाहनों, जनरेटर, सेट्स कृषि और गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए आरओज से अपनी डीजल आवश्यकता पूरी करते हैं।

अपने स्वयं के उपभोग के लिए ईंधन की आवश्यकता वाले उपभोक्ता और जो न्यूनतम 12,000 लीटर, अर्थात् थोक आपूर्ति स्थलों से न्यूनतम एक ट्रक लोड की आपूर्ति उठाते हैं वे थोक उपभोक्ता हैं।

(च) और (छ) पेट्रोलियम नियम, 2002 में, 200 लीटर से अनधिक क्षमता वाले अनुमोदित कंटेनर में हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) के भरण का प्रावधान है, बशर्ते कि ऐसे किसी भी वाहन को जिसका ईंजन चालू हो, कंटेनर तथा वितरण पंप के 4.5 मीटर के भीतर जाने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार ने ओएमसीज को ओएमसीज के संस्थापनों से सीधे थोक आपूर्तियां ले रहे सभी उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री बाजार निर्धारित मूल्यों पर करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

इसके अलावा, ओएमसीज ने अपने क्षेत्र अधिकारियों को निम्नवत सलाह दी है:

(i) अपने उपभोक्ता पंपों को आरओज में परिवर्तित करने के लिए संपर्क करने वाले थोक उपभोक्ताओं पर विचार न करें।

(ii) आरओज पर ईंधन लेने के लिए आने वाले एसटीयूज के वाहनों को अन्य वाहनों के समान माना जाए।

(iii) एसटीयूज और गैर फ्लीट उपभोक्ताओं को फ्लीट कार्ड जारी नहीं करें।

(iv) आउटलेट पर उत्पाद लाने वाली लारी को विपथित नहीं किया जाना चाहिए अर्थात आरओज पर सभी बिक्रियां केवल नोजल के माध्यम से की जाएं।

[अनुवाद]

एल.पी.जी./तेल का परिवहन

3419. श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:
श्री एस.आर. जेयदुरई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सी.) ने एल.पी.जी./तेल के परिवहन का कार्य निजी ट्रांसपोर्टरों का आउटसोर्स कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी भी प्रकार की दु:खद घटना के लिए जिम्मेदारी सहित अन्य निबंधन एवं शर्तें ट्रांसपोर्टरों पर लागू की जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अपनी आवश्यकताओं तथा ओएमसीज के पास इसकी सीमित उपलब्धता के अनुसरण में एलपीजी/तेल के परिवहन का कार्य निजी ट्रांसपोर्टरों को आउटसोर्स कर दिया है।

(ग) और (घ) परिवहन अनुशासन दिशा-निर्देश (टीडीजी) लागू है, जिसमें दुर्घटनाओं सहित विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में ट्रांसपोर्टरों के विरूद्ध की जानेवाली कार्रवाई के तौर-तरीके निधर्रित किए गए हैं।

[हिन्दी]

उत्तराखंड में सीजीएचएस चिकित्सकों का दल

3420. श्री गोरखनाथ पाण्डेय:
श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तराखंड में हाल ही विध्वंसक प्राकृतिक आपदा के बाद केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के दल में कुल कितने चिकित्सकों को वहां भेजा गया; और

(ख) इन चिकित्सकों को दिये गये भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के 129 डॉक्टरों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए रोटेशन आधार पर ड्यूटी की (दिनांक 29.08.2013 के अनुसार)।

(ख) उत्तराखंड में तैनात सीजीएचएस डॉक्टरों को सेवा नियमों के अनुसार स्वीकार्य वित्तीय लाभों के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ नहीं दिए गए।

[अनुवाद]

रोजगार योजना संबंधी बैंक ब्याज दर

3421. श्री पी.सी. गद्दीगौदर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न रोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों द्वारा ली गयी ब्याज दर क्या है;

(ख) क्या ये दरें शहरी क्षेत्रों में आवास ऋण ब्याज दर शुल्क से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत गरीब लाभार्थियों के लिए

ब्याज दर में कमी करने हेतु विभिन्न हलकों से कोई सुझाव मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज दर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निधारित लागू ब्याज दर के समतुल्य होगी तथा रुपए में दिए गए घरेलू ऋणों की सभी श्रेणियों की लागत केवल बैंकों की आधार दरों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) और (ग) आवास ऋणों पर प्रभारित ब्याज दर तुलनीय नहीं है क्योंकि ग्रामीण रोजगार योजना ऋणों में ब्याज दर आरंभ किए जानेवाले कार्यकलाप पर आधारित है जबकि आवास ऋण, ऋण की अवधि और मात्रा पर आधारित है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा के अनुसार महिला स्व-सहायता समूहों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर प्राप्त करने के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। अपना ऋण समय पर चुकाने वाले महिला स्व-सहायता समूह 3 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज सहायता प्राप्त करेंगे जिससे प्रभावी ब्याज दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप डीलरों को कमीशन

3422. श्री पूर्णमासी राम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पेट्रोल पंप डीलरों को भुगतान की जा रही कमीशन की दर क्या है;

(ख) क्या पेट्रोल, गैस, डीजल एवं कैरोसीन तेल के डीलरों को सरकारी क्षेत्र की विभिन्न तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा विभिन्न दरों पर कमीशन का भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के डीलरों से उन्हें भुगतान किए जा रहे कमीशन की दर बढ़ाने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य **मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी):** (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा भुगतान किए जा रहे डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की वर्तमान दरें नीचे दी गई हैं:

	पेट्रोल	डीलज	पीडीएस मिट्टी तेल		राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी	
यूनिट	रु./किली.	रु./किली.	रु./किली. (XV डीलरों को)	रु./किली. (XV डीलरों से पृथक	रु./14.2 किग्रा. सिलिंडर	रु./5 किग्रा. सिलिंडर
दर	1974.00*	1089.00	438.24	377.73	37.25	18.63
संशोधन की तारीख	26.10.2012	26.10.2012	28.12.2012		05.10.2012	

* इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. की मूल्य संरचना के अनुसार

पेट्रोल पर डीलर कमीशन संबंधित ओएमसीज द्वारा निर्धारित किया जाता है। डीजल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन की उक्त दरें ओएमसीज के सभी डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए एक समान हैं। तथापि, जहां तक पीडीएस मिट्टी तेल का संबंध है, कमीशन की उक्त दरें शहरी/अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी तेल के खुदरा (उपभोक्ता) बिक्री मूल्य को निर्धारित करने के लिए राज्यों/जिला/स्थानीय प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश प्रदान करती हैं।

(घ) से (च) डीलर संघ डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन के संबंध में विभिन्न मांगों से संबंधित अपने अभ्यावेदन समय-समय पर प्रस्तुत करते है। सामान्य तौर पर, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर डीलर्स कमीशन वर्ष में एक बार संशोधित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप के आबंटन में आरक्षण

3423. श्री पन्ना लाल पुनिया:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के पास कंपनी के स्वामित्व, कंपनी द्वारा संचालित विक्रय केन्द्रों के आबंटन के लिए अनुसूचित जातियों (एससीज), अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसीज) के लिए कोई आरक्षण नीति हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप/वितरणाधिकार के आबंटन में आरक्षण कब से लागू किया गया है;

(ग) जुलाई, 2012 के पूर्व पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप में आरक्षण कोटा किन वर्गों के लिए तथा कितना था;

(घ) क्या वर्ष 2012 से डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ओबीसीज के लिए आरक्षण लागू किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ओबीसीज हेतु आरक्षण कोटा किन वर्गों को एवं किस अनुपात में दिया गया है; और

(च) पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रेताओं/वितरणकर्ताओं के चयन में आवेदनों के ड्रॉ के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जुलाई, 2012 में दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा से पहले आरओ और एलपीजी के लिए आरक्षण की प्रतिशतता निम्नवत् थी:

आरओ डीलरशिप

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी)	25%
रक्षा श्रेणी (डीसी)	8%
अर्ध सैनिक/पुलिस/सरकारी कर्मचारी (पीएमपी)	8%
शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच)	5%
स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ)	2%
उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी)	2%
सामान्य (ओपी)	50%

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवी)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25%
सरकारी कर्मचारी (जीपी) श्रेणी (सरकारी एवं पीएसयू कर्मचारियों सहित)	18%
शारीरिक रूप से विकलांगों (पीएच) एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों (ओएसडी) समेत संयुक्त श्रेणी (ओएसपी)	7%
सामान्य (ओपी)	50%

(घ) और (ङ) जी हां। जुलाई, 2012 में दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा करने के बाद आरओ डीलरशिपों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आरक्षण की प्रतिशतता निम्नानुसार है:

	एस.सी/एसटी	ओबीसी	सामान्य	कुल
संयुक्त श्रेणी-1 (रक्षा + सरकारी + पीएसयू)	2	2	4	8
संयुक्त श्रेणी-2 (पीएच + ओएसपी + एफएफ)	1	1	2	4
सामान्य	19.5	24	44.5	88
योग	22.5	27	50.5	100

(च) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन में आवेदनों के ड्रॉ के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. ड्रा के लिए अर्हताप्राप्त सभी पात्र अभ्यार्थियों को ड्रा विधि और स्थान के बारे में सूचित किया जाता है।

ख. ड्रा की तिथि और स्थान का विज्ञापन दिया जाता है।

ग. आवेदनों का ड्रा कोरम सहित आमंत्रित अतिथि द्वारा निकाला जाता है और सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जाती है। (कोरम में 50% अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी, तेल कंपनी के 2 अधिकारी, सांसद, विधायक, स्थानीय, जिला परिषद, पंचायत समिति अध्यक्ष, सरपंच जिला मजिस्ट्रेट/उप मंडल मजिस्ट्रेट/जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी/जिला ग्रामीण विकास प्राधिकारी और केन्द्र/राज्य सरकार से अन्य राजपत्रित अधिकारियों में से एक अतिथि शामिल होता है। यदि कोरम पूरा न हो तो ड्रा नहीं निकाला जाता है। तत्पश्चात् ड्रा के लिए नई तिथि तय की जाती है।)

घ. ड्रा की कार्यवाहियां तैयार करना और कंपनी की वेबसाइट पर डालने के साथ-साथ तत्काल स्थल के सूचना पट्ट और तेल कंपनी के कार्यालय में प्रदर्शित करना।

कजाखिस्तान में ओ.एन.जी.सी. निवेश

3424. श्री बलीराम जाधव: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कजाखिस्तान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओ.एन.जी.सी.) द्वारा हिस्सेदारी प्राप्त करने के प्रयास में कजाखिस्तान सरकार द्वारा अड़ंगा लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कजाखिस्तान के सबसे बड़े तेल क्षेत्र में ओ.एन.जी.सी. की हिस्सेदारी को रोकने का इससे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) ओवीएल ने उत्तरी केस्पियन सागर उत्पादन हिस्सेदारी करार (एनसीएस पीएसए) में कोनोको फिलिप्स के 8.4% हित को अर्जित करने के लिए अवसर का पता लगाया गया था जिसमें केस्पियन सागर, कजाखिस्तान में कशगन क्षेत्र शामिल है। यद्यपि ओवीएल की बोली को सह-उद्यमों द्वारा प्री-एम्प्ट नहीं किया था तथापि कजाखिस्तान सरकार ने अपने प्राथमिकता अधिकार का प्रयोग किया था और एनसीएस पीएसए में कोनोको फिलिप्स के 8.4% पण को अर्जित करने के लिए ओवीएल द्वारा बोली को प्री-एम्प्ट कर दिया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण

3425. श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के संबंध में इस मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय में मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की लागत के अनुसार उनके मूल्य निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) प्रचलित मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) रिफाइनरियों को डीजल की खरीद पर व्यापार समता मूल्य (टीपीपी) तथा रिफाइनरियों से पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी की खरीद के लिए आयात समता मूल्य (आईपीपी) का भुगतान करती हैं। आईपीपी/टीपीपी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय तेल के मूल्यों में होने वाली वृद्धि से और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के उद्देश्य से खुदरा में डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को सरकार द्वारा लगातार आवश्यकतानुसार कम ज्यादा किया जाता है और इनके मूल्यों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार संशोधित नहीं किया गया है। इसके परिणामत: ओएमसीज ने वर्ष 2012-13 के दौरान 1,61,029 करोड़ रुपए और अप्रैल-जन, 2013 के दौरान 25,579 करोड़ रुपए की अल्प वसूली झेली है।

वर्तमान रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी) के आधार पर, ओएमसीजी डीजल पर (खुदरा उपभोक्ताओं को) 10.22 रुपए/लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.54 रुपए/लीटर और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के सिलिंडर पर 412.00 रुपए की अल्प वसूली वहन कर रही हैं (डीजल के लिए दिनांक 16.08.2013 से और पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के लिए दिनांक 01.08.2013 से लागू आरजीपी के अनुसार)। उपर्युक्त तीनों विनियमित उत्पादों को छोड़कर, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तेल विपणन कंपनियों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तरीके पर सलाह देने के लिए अब डॉ. किरीट एस. पारीख की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

पर्यटन अवसंरचना के विकास में निवेश

3426. श्री शिव कुमार उदासी:
श्री वैजयंत पांडा:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र एवं सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या, मंजूर राशि तथा उपयोग राशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या है; और

(ग) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु वृहद् राजस्व सृजक (एलाआरजी) परियोजनाएं हेतु सहायता की एक स्कीम है ताकि निजी सेक्टर, कॉरपोरेट और संस्थागत संसाधनों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी-प्रबंधकीय दक्षता को लाया जा सके। इस स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाएं पर्यटक आकर्षण वाली या पर्यटकों द्वारा उपयोग की जाने वाली होनी चाहिए ताकि आगन्तुकों से फीस या उपयोग शुल्क की उगाही के द्वारा राजस्व सृजन किया जा सके।

इस स्कीम के तहत कवर की गई कुछ महत्वपूर्ण मदें हैं : पर्यटक ट्रेन, क्रूज वेसल्स, क्रूज टर्मिनल, समागम केन्द्र, गोल्फ कोर्स, स्वास्थ्य एवं निरोगता सुविधाएं और पर्यटक गंतव्यों तक अंतिम छोर तक की सम्पर्कता आदि।

इस स्कीम के तहत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के अधिकतम 25% या प्रमोटरों के इक्विटी अंशदान के 50%, जो भी कम हो, की शर्त पर 50 करोड़ रुपए की सीमा तक होगी। अभी तक इस स्कीम में स्वीकृत परियोजनाएं मुख्य रूप से लक्जरी पर्यटक ट्रेनें, रोप-वे, गोल्फ कोर्सों का विकास आदि हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत एलआरजी परियोजनाओं की संख्या एवं राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया अभियानों, पर्यटक साहित्य और प्रचार सहायक सामग्रियों एवं भारत और विदेश स्थित अपने भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से भी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सम्पूर्ण गंतव्य के रूप में देश में पर्यटन उद्योग का सवंर्धन कर रहा है।

विवरण

11वीं योजना के दौरान स्वीकृत एलआरजी परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख रुपए में)	जारी राशि (लाख रुपए में)
1.	दिल्ली	2009-10	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के द्वारा पैन इंडिया लक्जरी पर्यटक ट्रेन को शुरू करने हेतु सीएफए	1237.00	1229.95
	कुल			1237.00	1229.95
2.	राजस्थान	2008-09	एलआरजी स्कीम के तहत नई बीजी-II पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन	750.00	750.00
	कुल			750.00	750.00
3.	तमिलनाडु	2008-09	तमिलनाडु में एलआरजी स्कीम के तहत कन्याकुमारी हेतु फेरी की खरीद	52.70	52.70
	कुल			52.70	52.70
	कुल योग			2039.70	2032.65

बाल सुधार गृह

3427. श्री रूद्रमाधव रावः क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार उन किशोर अपराधियों के लिए अलग गृह निर्माण करने का है जिन्होंने विचारण के दौरान वयस्कता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे अधिनियम) की धारा 12(1) के अनुसार किसी जमानती अथवा गैर जमानती अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति विशेष रूप से कोई किशोर, गिरफ्तार किया जाता है, हवालात में रखा जाता है, अथवा अपने आपको प्रस्तुत करता है अथवा किशोर न्याय बोर्ड (जे.जे. बोर्ड) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे व्यक्ति को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित प्रावधानों के बावजूद, जमानत पर अथवा बिना जमानती के रिहा कर दिया जाएगा लेकिन ऐसा विश्वास होने पर कि उसे इस प्रकार रिहा करने पर वह किसी ज्ञात आपराधिक अथवा नैतिक, शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक खतरे में आलिप्त हो सकता है अथवा उसकी रिहाई से न्याय की उद्देश्य की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। उसे इस तरह रिहा नहीं किया जाएगा, इसके अलावा, जे.जे अधिनियम की धारा 12 (3) में यह भी प्रावधान है कि जब ऐसे व्यक्ति को जे.जे. बोर्ड द्वारा उप-धारा (1) के तहत जमानत पर रिहा नहीं किया जाता है, तो जे.जे. बोर्ड उसे कारागार में भेजने के बजाय, उसके संबंध में जांच के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, जिसका आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए, किसी अवलोकन गृह अथवा सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश जारी करेगा।

स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना

3428. श्री आर. थामराईसेलवनः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितनी सेवा कर घोषणा दर्ज की गयी, उनसे कितना राजस्व अर्जित हुआ तथा इसमें कर चूककर्ताओं संबंधी अनुपात क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि तक उसमें कितनी सफलता मिली है; और

(घ) इससे अधिकतम राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) से (ग) सेवाकर स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना (सर्विस टैक्स वालण्टरी कम्प्लायन्स इन्करेजमेंट स्कीम (वीसीईएस) को 10.5.2013 लागू किया गया है जिसका उद्देश्य स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना तथा सेवाकर के आधार का विस्तार करना है। ऐसा उनके लिये किया गया है जिन्होंने फाइल करना बंद कर दिया हैं, या फाइल नहीं करते हैं या जो गैर पंजीकृत या ऐसे अन्य सेवा प्रदाता हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत घोषणा करने के पात्र हैं, को उस समय ब्याज, दंड या अन्य प्रकार के परिणामों से माफी देकर किया जाना है, जब वे 31 दिसम्बर, 2013 तक इस बात की सही-सही घोषणा कर देते है कि अक्टूबर, 2007 से दिसम्बर, 2012 तक उन पर बकाया कर कितना है और अपने घोषित देयकर के कम से कम 50 प्रतिशत का, 31 दिसम्बर, 2013 तक भुगतान कर देते हैं। शेष कर का भुगतान 30 जून, 2014 को या इसके पहले तक करना होगा और इस पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। यदि किसी कर का भुगतान 30 जून, 2014 तक नहीं हो पाता है तो उसका भुगतान 31 दिसम्बर, 2014 तक करना होगा और साथ ही 30 जून, 2014 से जितना विलम्ब होता है उतनी अवधि का ब्याज भी अदा करना पड़ेगा। चूंकि इस योजना में, दो किश्तों में भुगतान किया जाना अभिकल्पित है तथा जिसकी पहली किश्त 31.12.2013 तक जमा करवाई जानी होगी, अत: इस स्तर पर इस योजना की सफलता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(घ) इस योजना का केन्द्र के स्तर से इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों को इस बात के लिए निदेश दे दिये गये हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में इस योजना के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे, जिसके लिए वे व्यापारिक संघ के साथ बैठकें करके, हेल्प डेस्क खोलकर और अपने नामित प्राधिकारियों को यह कह सकते हैं कि वे इस योजना के अंतर्गत स्पष्टीकरण चाहने वाले निर्धारितियों की मदद करें।

[हिन्दी]

आरबीआई दिशा-निदेशों का उल्लंघन

3429. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियां विदेशी मुद्रा की शुद्ध आवक/जावक पर भुगतान संतुलन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निदेशों का उल्लंघन कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): (क) और (ख) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

[अनुवाद]

जननी सुरक्षा योजना

3430. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी:
श्री अब्दुल रहमान:
श्री हरिभाऊ जावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत लाभ लेने के लिए अर्हता मानदंड तथा उनके अंतर्गत प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक तथा चालू वर्ष के दौरान इसमें आबंटित/जारी उपयोग की गयी राशि का ब्यौरा क्या है तथा जेएसवाई के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या क्या है तथा इस योजना के परिणामस्वरूप नवजात/मातृ मृत्युदर में कितने प्रतिशत गिरावट आयी है;

(ग) क्या देश में इस योजना के अंतर्गत किसी अनियमितता की जानकारी मिली है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव इस योजना के अंतर्गत सुविधा प्राप्त करने के लिए अर्हता मानदंड शिथिल करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संस्थागत प्रसव के लिए अधिक गर्भवती महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए जेएसवाई के दायरे को व्यापक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जेएसवाई लाभ प्राप्त करने के लिए वर्तमान पात्रता का मापदंड इस प्रकार है:-

संस्थागत प्रसव के लिए पात्रता मानदंड

कम कार्य-निष्पादन करनेवाले राज्य	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों या
(एलपीएस)- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड	मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य
	सुविधा केन्द्रों के सामान्य वार्ड में सभी
बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,	गर्भवती महिलाएं।
असम, राजस्थान, ओडिशा, जम्मू और कश्मीर	
उच्च कार्य-निष्पादन वाले राज्य (एचपीएस)	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों या
- सभी शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के सामान्य वार्ड में प्रसव करने वाली बीपीएल/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जाति की महिलाएं।
घर-घर प्रसव के लिए पात्रता मानदंड	
सभी राज्यों में (एलपीएस और एचपीएस)	गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं जो घर पर प्रसव करना पसंद करती हैं।

जेएसवाई के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के लिए निर्धारित कार्य:

1. योजना के लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिला की पहचान करना और एनएसी के लिए पंजीकरण हेतु सूचित करना या सुविधाएं प्रदान करना,
2. गर्भवती महिला को आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने, जहां आवश्यक हो, में सहायता करना,
3. महिला को टीटी इंजेक्शन, आईएफए गोलियों सहित कम से कम तीन बार एनएनसी जांच प्रदान करना और/या प्राप्त करने मं मदद करना,
4. रेफरल और प्रसव के लिए किसी कार्यात्मक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था की पहचान करना,
5. संस्थागत प्रसव के लिए परामर्श देना,
6. लाभार्थी महिलाओं को पूर्व निर्धारित स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना और महिला को छुट्टी दिए जाने तक उसके साथ रहना,
7. नवजात शिशु के लिए 14 सप्ताह की आयु तक टीकाकरण की व्यवस्था करना,
8. बच्चे के जन्म या बच्चे अथवा मां की मृत्यु के बारे में एएनएम/ एमओ को सूचित करना,
9. प्रसव के बाद मां के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए प्रसव के 7 दिनों के भीतर प्रसव पश्चात देखभाल करना तथा देखभाल प्राप्त करने, जहां आवश्यक हो को सुविध ाजनक बनाना,
10. प्रसव के एक घंटे के भीतर नवजात को स्तनपान कराने और इसे 3-6 महीने तक जारी रखने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने का परामर्श देना।

(ख) जेएसवाई के तहत आवंटित और उपयोग की गई ध नराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर है।

जेएसवाई के तहत सूचित लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-II पर है।

जेएसवाई को शिशु और मातृ मृत्यु दर कम करनेवाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक के रूप में माना जाता है। शिशु और मातृ मृत्यु दर के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्रमश: संलग्न विवरण-III पर और IV पर हैं।

(ग) जेएसवाई के तहत अनियिमितता का एक उदाहरण मंत्रालय के ध्यान में आया है जिसमें राजस्थान के उदयपुर जिले के गोगरूड उपकेन्द्र के एक एएनएम ने फर्जी लाभार्थियों के नाम पर जेएसवाई लाभ के दावा किया था।

योजना के उचित क्रियान्वयन के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देश जारी किए है:

* जेएसवाई के तहत राज्य मुख्यालय से जिला और उसके बाद ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र स्तरों पर धनराशि का तेजी से निर्बाध प्रवाह और प्रसव के बाद गर्भवती महिलाओं की छुट्टी से पहले नकद सहायता का भुगतान सुनिश्चित करना।
* सभी सिकायतों का शीघ्र निवारण करने के लिए शिकायत निवारण कक्षों की स्थापना करना;
* पारदर्शिता सुनिश्चित करने और फर्जी भुगतान रोकने के लिए मासिक आधार पर स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सभी जेएसवाई लाभार्थियों के नामों का सार्वजनिक प्रदर्शन करना।
* सभी लाभार्थियों को जेएसवाई के तहत नगद सहायता का भुगतान केवल खाता में भुगतान योग्य चेक/प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण के माध्यम से करना;
* फर्जी भुगतान की जांच करने के लिए राज्य और जिला अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों का औचक प्रत्यक्ष सत्यापन;

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय निदेशालयों की क्षेत्रीय मूल्यांकन टीमों (आरईटीएस) के माध्यम से लाभार्थियों का अवधिक सत्यापन और योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

मंत्रालय ने स्वतंत्र निगरानी को सुलभ बनाने और वित्तीय अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 से सभी राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की वार्षिक लेनदेन लेखापरीक्षा का कराने का भी फैसला किया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने जेएसवाई का लाभ उठाने के लिए पात्रता मापदंडों को सरल बना दिया है और स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र में जन्म देने वाली और गर्भवती महिलाओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए इस योजना के दायरा में इजाफा किया है। संस्थागत प्रसव के लिए अधिक कार्य-निष्पादन करने वाले राज्यों में मां की उम्र अर्थात 19 साल या इससे अधिक ऊपर और दो बच्चों तक की सीमा की शर्तो को हटा दिया गया है। इसके अलावा, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में घर पर प्रसव करने की इच्छा रखने वाली बीपीएल गर्भवती महिलाओं के लिए मां की उम्र और बच्चों की संख्या संबंधी इन शर्तो हटा दिया गया है।

विवरण I

जननी सुरक्षा योजना

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012.-3		2013-14*	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अधिक ध्यान देने वाले राज्य								
1.	बिहार	250	241.85	250.9	244.91	244.29	299.97	354.35	45.77
2.	छत्तीसगढ़	74.7	65.54	68.85	54.23	61.32	46.44	70.88	9.31
3.	हिमाचल प्रदेश	2.18	1.31	1.9	1.19	2.33	1.14	2.11	0.81
4.	जम्मू और कश्मीर	26.3	15.46	21.93	25.40	20.57	22.4	22.40	4.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	झारखंड	70.2	56.55	69.7	56.71	89.25	59.33	89.71	9.57
6..	मध्य प्रदेश	201	202.49	188.1	181.40	191.41	176.57	210.25	36.70
7.	ओडिशा	121	100.73	108.3	109.94	110.24	99.81	120.06	17.39
8.	राजस्थान	143	180.04	184.1	158.79	181.41	179.69	217.11	31.00
9.	उत्तर प्रदेश	399	450.18	475.3	430.85	521.9	428.01	471.24	66.39
10.	उत्तराखंड	20.3	14.04	15.12	13.86	13.51	14.77	15.39	2.64
	पूर्वोत्तर राज्य								
11.	अरुणाचल प्रदेश	1.64	0.99	1.41	0.99	1.42	1.12	2.18	0.09
12.	असम	102	77.96	93.39	85.21	81.07	79.59	92.45	13.03
13.	मणिपुर	1.32	1.22	2.2	1.32	1.68	1.58	2.17	0.19
14.	मेघालय	2.28	1.34	1.28	1.19	2.14	1.48	2.63	0.06
15.	मिजोरम	1.66	1.29	1.78	1.26	1.39	1.17	1.39	0.22
16.	नागालैंड	3.66	1	2.73	1.88	1.82	1.44	2.06	0.19
17.	सिक्किम	0.53	0.41	0.59	0.44	0.44	0.29	0.51	0.01
18.	त्रिपुरा	3.17	2.39	3.36	2.77	2.82	1.85	3.13	0.22
	अधिक ध्यान नहीं देने वाले राज्य								
19.	आंध्र प्रदेश	50.4	17.45	32.88	23.44	31.79	28.5	45.47	5.53
20.	गोवा	0.1	0.09	0.1	0.14	0.12	0.1	0.12	0.02
21.	गुजरात	22.4	16.65	21	19.93	25.81	27.33	33.83	5.67
22.	हरियाणा	6.99	4.29	6.6	5.19	6.3	4.14	5.92	0.52
23.	कर्नाटक	46	33.48	38.54	43.00	42.45	32.94	66.20	5.54
24.	केरल	9.66	9.2	13.55	8.97	12.13	8.84	16.08	2.49
25.	महाराष्ट्र	22.6	31.82	35.28	35.96	30.23	32.01	31.23	4.77
26.	पंजाब	6.12	5.61	6.46	9.27	8.07	5.52	10.43	0.89
27.	तमिलनाडु	35.3	26.71	34.52	26.93	35.72	26.92	36.02	7.26
28.	पश्चिम बंगाल	43.3	56.64	58.37	59.14	60.16	55.8	51.70	10.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	छोटे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र								
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.12	0.02	0.06	0.05	0.11	0.05	0.06	0.01
30.	चंडीगढ़	0.08	0.01	0.08	0.05	0.08	0.03	0.05	
31.	दादरा और नगर हवेली	0.14	0.08	0.15	0.08	0.13	0.05	0.14	0.00
32.	दमन और दीव	0	0	0	0.00	0.06	0	0.04	0.00
33.	दिल्ली	3.18	1.18	2.18	1.27	1.85	1.35	2.24	0.12
34.	लक्षद्वीप	0.05	0.06	0.07	0.08	0.06	0.05	0.08	
35.	पुदुचेरी	0.33	0.31	0.34	0.35	0.35	0.25	0.35	0.00
	योग	1670	1618	1741	1606.18	1784.5	1640.5	1979.98	281.74

* अप्रैल से जून 2013 की अवधि के लिए

विवरण II

जेएसवाई लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14*
1	2	3	4	5	6
क. अधिक ध्यान देने वाले राज्य					
1.	बिहार	1399453	1432439	1829916	282233
2.	छत्तीसगढ़	303076	334098	277653	57462
3.	झारखंड	386354	559507	282169	51338
4.	जम्मू और कश्मीर	112210	132645	127041	29030
5.	मध्य प्रदेश	1155915	1085729	979822	181539
6.	ओडिशा	533372	634468	547648	127054
7.	राजस्थान	986508	1008490	1072623	212392
8.	उत्तर प्रदेश	2341353	2327830	2186401	406717
9.	उत्तराखंड	79925	87937	89506	18945
10.	हिमाचल प्रदेश	21806	21811	13626	2205
	उप-योग	7319972	7624954	7406405	1368915

1	2	3	4	5	6
ख. अन्य राज्य					
11.	आंध्र प्रदेश	254890	261860	341041	66939
12.	गोवा	1352	1673	1387	329
13.	गुजरात	343600	342211	308880	54936
14.	हरियाणा	63171	66084	61902	2191
15.	कर्नाटक	445997	454544	407611	54175
16.	केरल	103605	105205	116816	32716
17.	महाराष्ट्र	354108	302040	364039	7062
18.	पंजाब	155242	109587	79511	14250
19.	तमिलनाडु	359734	340454	358224	97455
20	पश्चिम बंगाल	781168	787604	659996	116978
	उप–योग	2862867	2771262	2699407	447031
ग. संघ राज्यक्षेत्र					
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	132	386	298	65
22.	चंडीगढ़	213	536	449	142
23.	दादरा और नगर हवेली	1273	1104	786	71
24.	दमन और दीव	लागू नहीं	लागू नहीं	0	36
25.	दिल्ली	19441	20145	21722	1870
26.	लक्षद्वीप	866	643	494	508
27.	पुदुचेरी	4680	5236	3728	49
	उप–योग	26605	28050	27477	2741
घ. पूर्वोत्तर राज्य					
28.	अरुणाचल प्रदेश	9915	12135	12200	2456
29.	असम	389906	412559	421359	98444
30.	मणिपुर	19903	17173	18145	1949
31.	मेघालय	16750	18905	21082	4445
32.	मिजोरम	13953	12326	12057	2263

1	2	3	4	5	6
33	नागालैंड	13291	15863	17609	2447
34	सिक्किम	3531	3285	2668	147
35	त्रिपुरा	20202	20871	18682	26815
	उप-योग	487451	513117	523802	138966
	सकल योग	10696895	10937383	10657091	1957653

*अप्रैल से जून 2013 की अवधि के लिए

विवरण III

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शिशु मृत्यु दर में गिरावट

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिशु मृत्यु दर, एसआरएस				शिशु मृत्यु दर में % गिरावट		
	2008	2009	2010	2011	2009ध 2008	2010ध 2009	2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
भारत	53	50	47	44	5.7	6.0	6.4
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	31	27	25	23	12.9	7.4	8.0
आंध्र प्रदेश	52	49	46	43	5.8	6.1	6.5
अरुणाचल प्रदेश	32	32	31	32	0.0	3.1	.3.2
असम	64	61	58	55	4.7	4.9	5.2
बिहार	56	52	48	44	7.1	7.7	8.3
चंडीगढ़	28	25	22	20	10.7	12.0	9.1
छत्तीसगढ़	57	54	51	48	5.3	5.6	5.9
दादरा और नागर हवेली	34	37	38	35	.8.8	.2.7	7.9
दमन और दीव	31	24	23	22	22.6	4.2	4.3
दिल्ली	35	33	30	28	5.7	9.1	6.7
गोवा	10	11	10	11	.10.0	9.1	.10.0
गुजरात	50	48	44	41	4.0	8.3	6.8

1	2	3	4	5	6	7	8
हरियाणा	54	51	48	44	5.6	5.9	8.3
हिमाचल प्रदेश	44	45	40	38	.2.3	11.1	5.0
जम्मू और कश्मीर	49	45	43	41	8.2	4.4	4.7
झारखंड	46	44	42	39	4.3	4.5	7.1
कर्नाटक	45	41	38	35	8.9	7.3	7.9
केरल	12	12	13	12	0.0	.8.3	7.7
लक्षद्वीप	31	25	25	24	19.4	0.0	4.0
मध्य प्रदेश	70	67	62	59	4.3	7.5	4.8
महाराष्ट्र	33	31	28	25	6.1	9.7	10.7
मणिपुर	14	16	14	11	.14.3	12.5	21.4
मेघालय	58	59	55	52	.1.7	6.8	5.5
मिजोरम	37	36	37	34	2.7	.2.8	8.1
नागालैंड	26	26	23	21	0.0	11.5	8.7
ओडिशा	69	65	61	57	5.8	6.2	6.6
पुदुचेरी	25	22	22	19	12.0	0.0	13.6
पंजाब	41	38	34	30	7.3	10.5	11.8
राजस्थान	63	59	55	52	6.3	6.8	5.5
सिक्किम	33	34	30	26	.3.0	11.8	13.3
तमिलनाडु	31	28	24	22	9.7	14.3	8.3
त्रिपुरा	34	31	27	29	8.8	12.9	.7.4
उत्तर प्रदेश	67	63	61	57	6.0	3.2	6.6
उत्तराखंड	44	41	38	36	6.8	7.3	5.3
पश्चिम बंगाल	35	33	31	32	5.7	6.1	.3.2

(स्रोत: नमूना पंजीकरण प्रणाली-एसआरएस)

विवरण IV

भारत और प्रमुख राज्यों में मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 100,000 जीवित जन्म पर)

(स्रोत: भारत के महापंजीयक नमूना पंजीकरण प्रणाली)

राज्य	2001-03	2004-06	2007-09
भारत	301	254	212
आंध्र प्रदेश	195	154	134
असम	490	480	390
बिहार/झारखंड	371	312	261
गुजरात	172	160	148
हरियाणा	162	186	153
कर्नाटक	228	213	178
केरल	110	95	81
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	379	335	269
महाराष्ट्र	149	130	104
ओडिशा	358	303	258
पंजाब	178	192	172
राजस्थान	445	388	318
तमिलनाडु	134	111	97
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड	517	440	359
पश्चिम बंगाल	194	141	145

पीएनजी नेटवर्क

3431. श्री अद्गुरू एच. विश्वनाथ:
श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नरेनभाई काछादिया:
श्री लालजी टन्डन:
श्री निखिल कुमार चौधरी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली (एन.सी.टी.) सहित देश के कतिपय नए शहरों/क्षेत्रों के लिए पाइपकृत प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) के आपूर्ति नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई क्षेत्रों विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाइपलाइन के माध्यम से गैस प्रदान करने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क का हिस्सा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा प्राधिकृत कंपनी मै. इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पहले से ही सीजीडी नेटवर्क का विकास कर रही है। पीएनजीआरबी ने बोर्ड को प्रस्तुत की गई रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) और स्वत: सफूर्त आधार पर विभिन्न राज्यों में कई भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज) में सीजीडी नेटवर्क के विकास की एक रोलआउट योजना परिकल्पित की है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन संबद्धता/गैस उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, पीएनजीआरबी सीजीडी नेटवर्कों के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान करने के लिए इन जीएज को चरणबद्ध तरीके से बोली दौरों में शामिल करता है। प्राधिकृत कंपनियां संबंधित जीएज के भीतर पीएनजी की आपूर्ति करेगी।

(ग) और (घ) पीएनजीआरबी घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या सहित विभिन्न माइलस्टोन्स के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में प्राधिकृत कंपनियों के निष्पादन की निगरानी करता है। आईजीएल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है घरेलू पीएनजी कनेक्शनों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य को नहीं प्राप्त नहीं कर पाने वाली कंपनियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) पीएनजीआरबी लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाली कंपनियों के विरुद्ध पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर अथवा स्थानीय प्राकृतिकक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण करने, प्रचालित करने और इसका विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकार देना) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करता है।

विवरण

घरेलू पीएनजी कनेक्शनों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाली राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार कंपनियां

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भौगोलिक क्षेत्र का नाम	कंपनी
1.	हरियाणा	सोनीपत	गेल गैस लिमिटेड
2.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	गेल गैस लिमिटेड
		मथुरा	मै. डीएसएम इन्फ्राटेक प्रा. लि. और मै. सौम्या माइनिंग प्रा. लि. का जेवी
		फिरोजाबाद (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र)	गेल गैस लिमिटेड
		आगरा	ग्रीन गैस लिमिटेड
		कानपुर	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
		बरेली	सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
3.	आंध्र प्रदेश	काकीनाड़ा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
		हैदराबाद	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
		विजयवाड़ा	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
4.	मध्य प्रदेश	देवास	गेल गैस लिमिटेड
		उज्जैन सहित इंदौर	अवंतिका गैस लिमिटेड
		ग्वालियर	अवंतिका गैस लिमिटेड
5.	राजस्थान	कोटा	गेल गैस लिमिटेड
6.	महाराष्ट्र	पिम्परी चीचवाड़ सहित और हिज्जेवाड़ी, चकन और तेलेगांव के आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ पूना शहर	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
		मीरा भयन्दर, नवी मुंबई, थाणे शहर, अम्बरनाथ, भिवाडी, कल्याण, धौम्बीविली, बदलापुर, उल्लासनगर, पनवेल, खादघर और तलोजा सहित थाणे शहर और आस-पास के क्षेत्र	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
7.	गुजरात	गांधीनगर, मेहसाना, साबरकंठा	साबरमती गैस लिमिटेड

अनुसूचित जनजाति की सूची में केरल की जातियों को शामिल किया जाना

3432. श्री पी. करूणाकरनः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) की सूची में 'मराधी और वेलन समुदाय' को समाविष्ट करने का कोई प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अ.ज.जा. की सूची में इन जातियों को कब तक समाविष्ट करने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की सूची में 'मराधी और वेलन समुदाय' के समावेश के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'मराधी' समुदाय के समावेश के लिए विधेयक लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पंचायत संसाधन केन्द्र

3433. श्री जगदानंद सिंहः क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां पंचायत संसाधन केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है; और

(घ) प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी निधि की आवश्यकता है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) पंचायती राज मंत्रालय का प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सवाल पैदा नहीं होता है।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय राज्यों को राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) के अंतर्गत राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र (एसपीआरसीज), जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसीज) तथा प्रखंड सतर संसाधन केन्द्रों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना

3434. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में केन्द्रीय होटल प्रबंधन, खान-पान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान और ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु स्थानों के चयन के लिए निर्धारित मानदंड क्या है;

(घ) क्या उक्त संस्थान की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अब तक अंतिम रूप दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धन राशि खर्च होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उक्त आईएचएम की स्थापना जगदीशपुर (जिला सुल्तानपुर), उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या आधार है और यह प्रमुख पर्यटक गंतव्यों से परिपूर्ण है। तथापि, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केवल एक आईएचएम है जो लखनऊ में स्थित है। देश में इस प्रकार की सुविधाओं की स्थापना करते समय सभी क्षेत्रों का समुचित विकास सुनिश्चित करने के सरकार के आदेश को ध्यान में रखते हुए जगदीशपुर, (जिला

सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश) में नए आईएचएम को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा यह संस्थान सामान्य रूप से जगदीशपुर के लिए और विशेषत: उत्तर प्रदेश राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और परियोजना का ब्यौरा निम्नवत है:-

I. यह संस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अलाभकारी, केन्द्रीय स्वायत्तशासी सोसाइटी होगा और इस संस्थान का वित्तपोषण 'होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम)/भोजन कला संस्थान (एफसीआई)/राष्ट्रीय होटल प्रबंध और केटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद (एनसीएचएमसीटी)/भारतीय पर्यटन एवं यात्रा संस्थान (आईआईटीटीएम) आदि को सहायता योजना' के अंतर्गत होगा।

II. इस प्रस्ताव में वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (योजना) के दौरान किए जाने वाले 47.60 करोड़ रुपए के अनुमानित अनावर्ती व्यय और 0.26 करोड़ रुपए (गैर-योजना) का आवर्ती व्यय निहित है।

III. संस्थान की वार्षिक प्रवेश क्षमता आतिथ्य और होटल प्रशासन में बीएससी डिग्री प्रोग्राम के लिए 120 विद्यार्थियों (3 वर्षों में कुल 360) की और डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में 160 विद्यार्थियों की होगी। इसके अलावा, 300 विद्यार्थी प्रतिवर्ष लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण लेंगे।

जिलों को प्रत्यक्ष रूप से निधि भेजने पर रोक

3435. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सरकारी योजनाओं के तहत जिलों को सीधे निधि भेजने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों की दक्षता में सुधार हेतु उनकी पुनर्संरचना की कवायद के भाग के रूप में सरकार ने, संबंधित राज्यों की समेकित निधि के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है और वहां से यह निधि संबंधित परियोजना/स्कीम क्रियान्वयन एजेंसियों तक पहुंचेगी। सरकार के निर्णय के अनुसार, अंतरण की यह विधि वित्त वर्ष 2014-15 से चरणबद्ध रूप में लागू की जा सकती है।

सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि की आवश्यकता

3436. श्री अजय कुमार: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए विस्तृत भूमि आवश्यकता एक अवरोधी कारक रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए झारखंड और इसके आस-पास के राज्यों में परित्यक्त खानों द्वारा छोड़े गए विशाल अवक्रमित क्षेत्रों का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए भौगोलिक अवस्थिति तथा उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करते हुए लगभग 6-10 वर्ग मीटर प्रति किलोवाट (छोटे, किलोवाट स्तर के संयंत्रों के लिए) तथा लगभग 2-3 हेक्टेयर/मेगावाट (बड़े, मेगावाट स्तर के संयंत्रों के लिए) की मुक्त छाया रहित भूमि/स्थान की आवश्यकता होती है। लघु क्षमता/एसपीवी रूफटॉप संयंत्रों के मामले में अथवा वैसे क्षेत्रों, जहां पर्याप्त मात्रा में बंजर/परती/अवक्रमित भूमि उपलब्ध है, में स्थान की उपलब्धता कोई समस्या नहीं हो सकती है परंतु यह ऐसे क्षेत्रों में वृहत्त क्षमता के संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक अवरोधी कारक हो सकती है जहां बंजर भूमि के बड़े क्षेत्रों की उपलब्धता सीमित है।

(ख) मंत्रालय को झारखंड सरकार अथवा इसके आस-पास के राज्यों से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

यौन कर्मियों के बच्चे

3437. श्री वरूण गांधी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में यौन कर्मियों के बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना की है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) सरकार ने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 अधि नियमित किया है जिसमें सेक्स वर्करों के बच्चों सहित 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। अधिनियम 6-14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को समीप के ही किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।

सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के (एसएसए) सार्वभौमिक पहुंच और अवधारण, प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक वर्ग के अंतरों को समाप्त करने तथा शिक्षण की गुणवत्ता को सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों का प्रावधान करता है। आरटीई अधिनियम लागू करने के साथ ही एसएसए के दृष्टिकोण कार्यनीतियों और मानकों में परिवर्तन किए गए हैं। समानता नए दृष्टिकोण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है जिसका अर्थ न केवल समान अवसर प्रदान करना है, बल्कि उन परिस्थितियों का निर्माण करना भी है जिसमें समाज के वंचित वर्गों के बच्चे जिसमें सेक्स वर्करों के बच्चे भी शामिल हैं, अवसर का लाभ लाभ उठा सकें।

बाल सुधार गृहों में उत्पीड़न

3438. श्री के. सुधाकरण:
श्री नित्यानद प्रधान:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल सुधार गृहों में बच्चों के यौन शोषण, शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करवाने से जुड़े मामलों को नोट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसे सूचित किए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल सुधार गृहों की आवधिक जांच और समीक्षा करती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बाल सुधार गृहों में बच्चों की सुरक्षा और उनके उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, किशोर गृहों में बाल दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) से (ङ) सरकार ने किशोर गृहों में बालकों की सुरक्षा तथा उनका उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी गृहों में बच्चों को सर्वोत्तम देखरेख मिले तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा न हो, किशारे न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत सभी बाल देखरेख संस्थाओं को अभिनिध र्रित एवं पंजीकृत करने और कार्यशील निरीक्षण एवं अन्य समितियों जहां उपलब्ध नहीं हैं, का गठन करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से दृढ़ता से कहती रहती है।

(ii) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों हेतु समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जीन के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे बच्चों के पुनर्वास एवं पुन:समेकन हेतु पर्यवेक्षण गृहों एवं विशेष गृहों सहित विभिन्न प्रकार के गृहों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) मंत्रालय ने 'लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2011' अधिनियमित किया है जो 14 नवम्बर, 2012 से लागू हो गया है।

[हिन्दी]

बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रमों के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र

3439. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का केरल सहित देश में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अथवा अन्य किसी कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों (ए.डब्ल्यू.सी.) के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) जिला योजनाओं पर आधारित 27855 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण अल्पसंख्यकों के घनत्व वाले जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास योजना (एमएसडीपी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 30.09.2012 को अनुमोदित कर दिया गया है। केरल में दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार एमएसडीपी के अंतर्गत किसी आंगनवाड़ी भवन के निर्माण को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत, सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के 2 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) के निर्माण के प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया है। चालू वर्ष के दौरान 20,000 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसके लिए वित्त पोषण पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर केन्द्र और राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में प्रति इकाई 4.5 लाख रुपये की दर से किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवनों की लागत दरों की राज्य सूची (एसओआर) के अनुसार होगी।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने एपीआईपी में आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की अपनी मांग दर्शानी होती है। केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत एपीआईपी 2013-14 में 2580 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण की मांग की गई है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण के लिए राज्य के संसाधनों से आवंटन तथा बीआरजीएफ, आरआईडीएफ, आईएपी 13वें वित्त आयोग, एसीए, एमएलएएलएडी के अंतर्गत संस्वीकृत निधियों के प्रयोग का भी प्रावधान है।

हाल में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा के अंतर्गत अनुमत कार्यकलापों के लिए नए कार्यों की सूची में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को शामिल किया है। इस संबंध में, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पत्र केरल सहित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सा दंत्य कालेजों में प्राध्यापक चयन में आरक्षण

3440. श्री कमलेश पासवान:
श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चिकित्सा, दंत्य और नर्सिंग कालेजों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के प्राध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति में सीटों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नई दिल्ली के मौलाना आजाद दंत्य विज्ञान संस्थान सहित देश में कुछ चिकित्सा, दंत्य और नर्सिंग कालेजों में प्राध्यापकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में 200-सूत्री आरक्षण-रोस्टर और कतिपय अन्य प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का विचार किया है;

(घ) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा, दंत्य और नर्सिंग कालेजों में प्राध्यापकों के चयन में अजा/अजजा/अपि वर्गों के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का देश में चिकित्सा, दंत्य और नर्सिंग कालेजों में विशेषज्ञ और अति-विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों के प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण की पुनरीक्षा करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गैर-सरकारी संगठन

3441. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती रमा देवी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के नाम क्या हैं जो महिला और बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तथा

मंत्रालय से निधियां/अनुदान ले रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुछ एनजीओ के कथित अनियमितताओं में लिप्त होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शिकायतों की प्रकृति क्या है;

(घ) अनियमितताओं में लिप्त उन एनजीओ के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का एनजीओ-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एनजीओ में अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) सरकार महिला और बाल विकास के लिए स्कीमों जैसे कि स्वाधार गृह, उज्ज्वला-महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप) आदि के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को निधियां/अनुदान उपलब्ध कराती है। विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के नाम संबंधित वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं जो संसद भवन के पुस्तकालय और मंत्रालय की वेबसाइट www. wcd. nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) ज्यादातर शिकायतें विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश/मानकों का अनुपालन न करने से संबंधित हैं।

(घ) अनियिमितताओं में संलिप्त गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया जाता है और वे मंत्रालय से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होते हैं। पिछले वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए गैर सरकारी संगठनों का राज्य-वार/स्कीम-वार ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ङ) गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही सभी स्कीमों में मूल्यांकन और मॉनीटरन का अंत निर्मित तंत्र होता है। गैर सरकारी संगठनों के कार्य निष्पादन की आवधिक रिपोर्टों, पुनरीक्षा बैठकों और अधिकारियों द्वारा दौरों के माध्यम से पुनरीक्षा की जाती है।

महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय

3442. श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री पूर्णमासी राम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संघों/संगठनों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने और सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने और सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तीव्र वृद्धि के कारण केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समक्ष आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में तेजी से निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कुछ संघ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय किए जाने और 7वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते रहे हैं।

छठें केन्द्रीय वेतन आयोग ने किसी भी स्तर पर महंगाई भत्ते का मूल वेतन में विलय न किए जाने की सिफारिश की थी। सरकार ने दिनांक 29.08.2008 के अपने संकल्प के तहत यह सिफारिश स्वीकार की थी। पिछले वेतन आयोग अर्थात् छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 01.02.2006 से लागू की गई थीं। अगले वेतन आयोग के गठन पर सामान्यत: दो क्रमिक वेतन आयोगों के बीच 10 वर्ष के अंतराल के बाद विचार किया जाता है। अत: विलंब का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार 01 जनवरी और 01 जुलाई से संशोधन किया जाता है और इसकी गणना औद्योगिक कामगारों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

शिशु आहार और पोषण बोतल

3443. श्री निखिल कुमार चौधरी:
श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिशु आहार और बच्चों की पोषण बोतलों के उत्पादन हेतु निर्धारित मानदंडों का सभी विनिर्माताओं द्वारा अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शिशु-दुग्ध और आहार के उत्पादन में अनियमितताओं के सूचित मामलों की संख्या कितनी है और आहार और बोतल के दूध की निम्नतर गुणवत्ता के परिणामस्वरूप शिशुओं की मृत्यु होने का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी विनिर्माता शिशु-दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु-खाद्य (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 का अनुपालन कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो शिशु आहार में मिलावट के बारे में सरकार को अब तक प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शिशु आहार और दूध की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थ मानक तथा खाद्य संयोजी) विनियम, 2011 के विनियम 2. 1.9 में शिशु दुग्ध कल्प सहित शिशु पोषण खाद्य के लिए मानक निर्धारित हैं। विनिर्माताओं से ऊपर उल्लिखित विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है। दूध पिलाने की बोतलें भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (वर्ष 1986 का 63) की धारा 14 के आईएस 14625 प्लास्टिक फीडिंग बोतल के अंतर्गत आती हैं।

(ग) और (घ) शिशु दुग्ध कल्प, फीडिंग बोतल तथा शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992, संशोधन अधिनियम, 2003 इस मंत्रालय के विचाराधीन है। अभी तक उपर्युक्त अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(ङ) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 दिनांक 5.08.2011 से पूरे देश में लागू है। यह अधिनियम देश में खाद्यों के संबंध में सुरक्षा कानूनों को लागू करने के लिए बनाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम/विनियम राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा खाद्यों के सैम्पल नियमित रूप से एकत्र किए जाते हैं और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप न पाए जाने वाले सैम्पलों के मामलों में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना अपेक्षित होता है।

[अनुवाद]

कंडोम की आपूर्ति

3444. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री ए. गणेशमूर्ति:
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से सामाजिक क्षेत्र दायित्व के अंतर्गत देशभर के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क आपूर्ति हेतु कंडोम खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कंपनियों से कंडोम खरीदने के लिए कोई सीमा निर्धारित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस पर व्यय का राज्य/संघ राज्य और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में जनसंख्या नियंत्रण और साथ ही एचआईवी/एड्स सहित विभिन्न यौन संक्रमित रोगों के निवारण हेतु कंडोम की नियमित आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी हां, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नि:शुल्क आपूर्ति के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफकेयर लि., जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं, से कंडोम प्राप्त कर रहा है।

एचएलएल लाइफकेयर लि. से, उनकी अधिष्ठापित क्षमता के 75% तक या पिछले दो वर्षों में की गई आपूर्ति के औसत के बराबर, जो भी कम हो, कंडोम का प्रापण किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और मौजूदा वर्ष के दौरान उसमें हुए व्यय सहित प्रापण का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा एड्स नियंत्रण विभाग के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार स्थिति क्रमश: विवरण II (क) और II (ख) पर अलग-अलग संलग्न हैं।

(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर कंडोम की नि:शुल्क आपूर्ति के अतिरिक्त, यह मंत्रालय जनसंख्या नियंत्रण और एचआईवी/एड्स सहित विविध यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम के लिए विविध सामाजिक विपणन संगठनों के माध्यम से भी अत्यधिक सब्सिडी वाली दरों पर कंडोम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को उनके दरवाजे पर कंडोम सहित गर्भ निरोधकों की आपूर्ति के लिए आशा की सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए हाल ही में एक नई पहल आरंभ की गई है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के लिए एचएलएल लाइफकेयर लि. से कंडोम का प्रापण और व्यय

वर्ष	निशुल्क आपूर्ति स्कीम के तहत प्राप्त की गई मात्रा			व्यय करोड़ रु. में		
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	एड्स नियंत्रण विभाग	कुल	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	एड्स नियंत्रण विभाग	कुल
2010-11	190.092	145.904	335.996	29.100	22.340	51.440
2011-12	232.300	205.000	437.300	41.990	37.060	79.050
2012-13	284.902	258.223	543.125	51.500	46.680	98.180
2013-14 26.08.13 तक	394.000	353.000	747.000	71.220	63.810	135.030

विवरण II (क)

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफ-केयर लि. से कंडोम का राज्यवार प्रापण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2011-12 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2012-13 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2013-14 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1.000	0.153	2.140	0.387	16.650	3.010	2.297	0.415
2.	बिहार	2.000	0.306	13.897	2.512	5.999	1.084	9.409	1.701
3.	छत्तीसगढ़	2.000	0.306	4.695	0.849	0.000	0.000	2.568	0.464
4.	गोवा	0.300	0.046	0.470	0.085	2.868	0.519	0.691	0.125
5.	गुजरात	10.000	1.531	8.671	1.567	5.768	1.043	17.300	3.127
6.	हरियाणा	5.000	0.766	6.398	1.157	0.466	0.084	16.243	2.936
7.	हिमाचल प्रदेश	2.029	0.311	2.227	0.403	5.477	0.990	4.570	0.826
8.	जम्मू और कश्मीर	3.233	0.495	4.326	0.782	5.946	1.075	6.685	1.208
9.	झारखंड	3.000	0.459	4.114	0.744	3.497	0.632	5.742	1.038
10.	कर्नाटक	3.000	0.459	4.580	0.828	9.265	1.675	6.264	1.132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	केरल	3.000	0.459	8.420	1.522	15.396	2.783	7.872	1.423
12.	मध्य प्रदेश	10.000	1.531	15.428	2.789	6.000	1.085	21.648	3.913
13.	महाराष्ट्र	3.996	0.612	10.000	1.808	2.316	0.419	33.050	5.974
14.	ओडिशा	3.000	0.459	6.767	1.223	7.000	1.265	4.576	0.827
15.	पंजाब	5.000	0.766	8.000	1.446	29.605	5.352	31.244	5.648
16.	राजस्थान	10.000	1.531	17.524	3.168	7.758	1.402	36.921	6.674
17.	तमिलनाडु	6.000	0.919	7.360	1.330	106.043	19.169	7.280	1.316
18.	उत्तर प्रदेश	40.807	6.248	68.657	12.411	5.076	0.918	87.191	15.762
19.	उत्तराखंड	3.000	0.459	4.701	0.850	10.805	1.953	6.742	1.219
20.	पश्चिम बंगाल	10.000	1.531	17.530	3.169		0.000	20.175	3.647
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.012	0.002	0.013	0.002	0.064	0.012	0.243	0.044
22.	असम	2.371	0.363	3.850	0.696	4.974	0.899	3.958	0.716
23.	मणिपुर	0.030	0.005	0.050	0.009	0.230	0.042	0.766	0.138
24.	मेघालय	0.202	0.031	0.348	0.063	0.505	0.091	0.341	0.062
25.	मिजोरम	0.041	0.006	0.050	0.009	0.000	0.000	0.061	0.011
26.	नागालैंड	0.153	0.023	0.180	0.033	0.202	0.037	0.499	0.090
27.	सिक्किम	0.080	0.012	0.100	0.018	0.106	0.019	0.136	0.025
28.	त्रिपुरा	0.276	0.042	0.408	0.074	0.530	0.096	0.385	0.070
29.	दिल्ली	5.000	0.766	8.000	1.446		0.000	22.861	4.133
30.	पुदुचेरी	0.235	0.036	0.280	0.051	0.000	0.000	0.315	0.057
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.068	0.010	0.080	0.014	0.000	0.000	0.162	0.029
32.	चंडीगढ़	1.043	0.160	1.250	0.226	0.000	0.000	2.068	0.374
33.	दादरा और नगर हवेली	0.073	0.011	0.090	0.016	0.000	0.000	0.086	0.016
34.	दमन और दीव	0.040	0.006	0.050	0.009	1.374	0.248	0.093	0.017
35.	लक्षद्वीप	0.008	0.001	0.010	0.002	0.000	0.000	0.017	0.003
	बफर स्टाक	54.096	8.282	1.636	0.296	30.980	5.600	33.527	6.061
	कुल योग	190.093	29.103	232.300	41.993	284.902	51.502	393.984	71.221

विवरण II (ख)

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफ-केयर लि. से कंडोम का राज्यवार प्रापण और व्यय

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010-11 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2011-12 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2012-13 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में	2013-14 मिलियन नगों में	व्यय करोड़ रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	17.719	2.713	37.870	6.846	78.056	14.110	85.000	15.365
2.	बिहार	7.000	1.072	3.400	0.615	4.000	0.723	4.000	0.723
3.	छत्तीसगढ़	2.500	0.383	2.460	0.445	5.000	0.904	5.000	0.904
4.	गोवा	1.034	0.158	1.010	0.183	1.000	0.181	0.858	0.155
5.	गुजरात	4.576	0.701	10.380	1.876	11.000	1.988	15.000	2.712
6.	हरियाणा	2.400	0.367	5.340	0.965	7.000	1.265	5.000	0.904
7.	हिमाचल प्रदेश	2.000	0.306	1.760	0.318	2.000	0.362	6.000	1.085
8.	जम्मू और कश्मीर	0.133	0.020	0.100	0.018	0.450	0.081	0.342	0.062
9.	झारखंड	2.000	0.306	1.500	0.271	2.000	0.362	2.000	0.362
10.	कर्नाटक	10.000	1.531	18.510	3.346	28.000	5.062	34.008	6.148
11.	केरल	1.392	0.213	6.270	1.133	3.455	0.625	9.500	1.717
12.	मध्य प्रदेश	7.000	1.072	10.100	1.826	5.000	0.904	10.000	1.808
13.	महाराष्ट्र	20.000	3.062	29.740	5.376	17.220	3.113	32.000	5.785
14.	ओडिशा	2.740	0.420	3.600	0.651	5.000	0.904	3.000	0.542
15.	पंजाब	4.000	0.612	3.940	0.712	4.000	0.723	11.813	2.135
16.	राजस्थान	4.000	0.612	5.960	1.077	5.000	0.904	11.000	1.988
17.	तमिलनाडु	24.923	3.816	19.330	3.494	33.000	5.965	35.000	6.327
18.	उत्तर प्रदेश	6.000	0.919	12.660	2.289	10.000	1.808	16.000	2.892
19.	उत्तराखंड	1.000	0.153	1.000	0.181	4.000	0.723	2.450	0.443
20.	पश्चिम बंगाल	3.136	0.480	3.660	0.662	3.000	0.542	4.856	0.878
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.413	0.063	0.500	0.090	0.982	0.177	1.518	0.274
22.	असम	1.409	0.216	2.190	0.396	4.713	0.852	6.000	1.085
23.	मणिपुर	1.294	0.198	1.410	0.255	3.382	0.611	4.384	0.792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	मेघालय	0.416	0.064	0.500	0.090	0.722	0.131	0.660	0.119
.25.	मिजोरम	1.020	0.156	1.000	0.181	1.589	0.287	1.560	0.282
.26.	नागालैंड	1.992	0.305	0.960	0.174	1.881	0.340	2.935	0.531
27.	सिक्किम	0.000	0.000	0.460	0.083	0.404	0.073	0.420	0.076
28.	त्रिपुरा	2.144	0.328	1.000	0.181	2.212	0.400	3.204	0.579
29.	दिल्ली	6.774	1.037	8.500	1.537	6.947	1.256	15.000	2.712
30.	पुदुचेरी	0.416	0.064	0.570	0.103	1.411	0.255	1.500	0.271
31.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.016	0.002	0.040	0.007	0.050	0.009	0.100	0.018
32.	चंडीगढ़	0.722	0.111	1.500	0.271	1.850	0.334	2.824	0.510
33.	दादरा और नगर हवेली	0.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.072	0.273	0.049
34.	दमन और दीव	0.060	0.009	0.000	0.000	0.500	0.090	0.300	0.054
35.	लक्षद्वीप	0.035	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
36.	अहमदाबाद एमसी	0.640	0.098	1.380	0.249	1.000	0.181	1.500	0.271
37.	मुंबई (एमसी)	5.000	0.766	6.400	1.157	2.000	0.362	17.003	3.074
38.	बफर स्टाक		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
	कुल योग	145.904	22.338	205.000	37.058	258.223	46.679	352.008	63.632

[हिन्दी]

महिलाओं को डायन करार देना

3445. श्री अर्जुनराम मेघवाल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने देश के कुछ भागों में महिलाओं को डायन करार देने की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महिलाओं को इस प्रकार के उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार/एनसीडब्ल्यू द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) शिकायतें प्राप्त करता है जिन्हें डायन प्रथा/डायन हत्या की श्रेणी सहित विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत किया जाता है पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष में डायन प्रथा/डायन हत्या की श्रेणी में राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज शिकायतों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) डायन प्रथा/डायन हत्या के संकट को कम करने के लिए तथा समस्या के विषय में जागरूकता पैदा करने तथा असहाय महिलाओं के पुनर्वास हेतु उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है। हाल ही में, इस मुद्दे पर रायपुर, गुवाहाटी और अजमेर में परामर्श सम्मेलन आयोजित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग संवेदनशील क्षेत्रों में समस्या के बारे में तथा सामान्य जनता में इसके दुष्प्रभावों के बारे में आम लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का भी प्रायोजित कर रहा है।

विवरण

गत दो वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग में ''डायन प्रथा/डायन हत्या'' की शिकायतों के राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल पंजीकृत मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2011	2012	2013 (31 जुलाई, 2013)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	–	–	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
4.	असम	–	–	–	–
5.	बिहार	1	1	1	3
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–
8.	दादरा और नगर हवेली	–	–	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–
10.	दिल्ली	1	–	–	1
11.	गोवा	–	–	–	–
12.	गुजरात	–	–	–	–
13.	हरियाणा	–	–	–	–
14.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–
16.	झारखंड	–	–	–	–
17.	कर्नाटक	–	–	–	–
18.	केरल	–	–	–	–
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	1	–	1	2

1	2	3	4	5	6
21.	महाराष्ट्र	–	–	–	–
22.	मणिपुर	–	–	–	–
23.	मेघालय	–	–	–	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–
25.	नागालैंड	–	–	–	–
26.	ओडिशा	–	–	–	–
27.	पुदुचेरी	–	–	–	–
28.	पंजाब	–	–	–	–
29.	राजस्थान	9	4	1	14
30.	सिक्किम	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	–	–	–	–
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	–	–	–	–
34.	उत्तराखंड	–	–	–	–
35.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–
	कुल	12	5	3	20

मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण

3446. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री पी.सी. मोहन:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:
श्री गोपीनाथ मुंडे:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण किया गया;

(ख) उपर्युक्त निरीक्षण के दौरान राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने मेडिकल कॉलेजों में आवश्यक सुविधाओं/अवसंरचना की कमी पाई गई और यह किस प्रकार की है तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या एमसीआई ने हाल में भारत सरकार को सिफारिश की है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कतिपय निजी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है; और

(ङ) देश में मेडिकल कॉलेजों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए एमसीआई/सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए शिक्षण संकाय, नैदानिक सामग्री व अन्य बुनियादी ढांचे के संदर्भ में अपेक्षित सुविधाओं/बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण निरीक्षित चिकित्सा महाविद्यालयों व अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद और सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ की सूचित की गई अनियमितताओं के लिए मान्यता वापिस लेने के लिए संस्तुति की है। इस मामले को पुनः जांच करने के लिए शासी बोर्ड को वापिस भेजा गया है।

(ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 के उपबंधों और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित किया जाता है। मान्यता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद विनियम, 1999 में यथा निर्धारित की गई न्यूनतम मानक अपेक्षा के अनुसार महाविद्यालय में परीक्षा के मानको और उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों का निरीक्षण करती है।

विवरण

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान नए चिकित्सा महाविद्यालयों को खोलने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निरीक्षणों व अस्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वर्ष					
		2011-12		2012-13		2013-14	
		निरीक्षित	अस्वीकृत	निरीक्षित	अस्वीकृत	निरीक्षित	अस्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4	3	4	1	4	1
2.	असम	0	0	1	0	0	0
3.	बिहार	2	1	4	3	2	0
4.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	1	3	1
6.	दिल्ली	0	0	1	0	1	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	5	2	3	0	0	0
9.	हरियाणा	1	0	1	0	1	0
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0
11.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
12.	झारखंड	2	2	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	2	0	2	0	3	0

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	केरल	1	1	1	1	2	0
15.	मध्य प्रदेश	1	0	0	0	0	0
16.	महाराष्ट्र	3	3	4	2	1	0
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	ओडिशा	1	1	2	1	1	0
19.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
20.	पंजाब	2	0	0	0	0	0
21.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0
22.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	8	5	3	1	4	1
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
25.	उत्तर प्रदेश	6	2	3	1	6	3
26.	उत्तराखंड	0	0		0	0	0
27.	पश्चिम बंगाल	5	2	3	2	2	0
	कुल	43	22	33	13	31	6

एनपीए

3447. श्री गोरख प्रसाद जायसवालः
श्री गुरूदास दासगुप्तः
श्री के. सुगुमारः
डॉ. पी. वेणुगोपालः
श्री. पी.सी. गद्दीगौदरः
डॉ. संजय सिंहः
श्री आर. थामराईसेलवनः
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारीः
श्री एन.एस.वी. चित्तनः
श्री बद्रीराम जाखड़ः
श्री हमदुल्लाह सईदः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा प्रदत्त ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के 26 बैंकों में से 17 बैंकों ने वर्ष 2012-13 की जनवरी-मार्च की तिमाही के दौरान 10,777 करोड़ रुपए के ऋणों को बट्टे खाते में डाला है जबकि इसी अवधि के दौरान केवल 4,172 करोड़ रुपए की ऋण वसूली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परिपत्र डीबीओडी सं. बीपीबीसी 81/21.01.040/95 दिनांक 28 जुलाई, 1995 और आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों के संबंध में विवेकपूर्ण मानदण्ड संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र डीबीओडी सं. बीसी 1/21.04.048/2013-14, दिनांक 1 जुलाई, 2013 के पैरा 8 में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डालने के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित हैं।

(ख और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2012-13 के जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान बट्टे खाते में डाले गए तथा की गई वसूली का सरकारी क्षेत्र बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) बैंक बट्टे खाते में डालने का सहारा वसूली के अन्य सभी संभव उपायों का प्रयोग करने के पश्चात् या आस्ति कवरेज पर्याप्त न होने की स्थिति में लेते हैं। तथापि, बैंकों के लिए ऋणों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा अपने बोर्ड अनुमोदित नीति का पालन करना अपेक्षित है। बैंकों को या दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण प्रावधान करना चाहिए या ऐसे अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना चाहिए तथा यथा प्रयोज्य ऐसे कर लाभों का दावा करना चाहिए।

विवरण

पीएसबी: मार्च, 2013 को समाप्त तिमाही के दौरान वसूली गई तथा बट्टे खाते डाली गई कुल राशि

(करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	बैंक का नाम	मार्च, 13 तिमाही	
		बट्टे खाते डाली गई कुल राशि	एनपीएस की कुल वसूली
1	2	3	4
राष्ट्रीयकृत बैंक	इलाहाबाद बैंक	520	811
	आंध्रा बैंक	127	350
	बैंक ऑफ बड़ौदा	1035	225
	बैंक ऑफ इंडिया	1285	228
	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	159	51
	केनरा बैंक	396	513
	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	36	0
	कार्पोरेशन बैंक	95	648
	देना बैंक	123	80
	आईडीबीआई बैंक लि.	0	746
	इंडियन बैंक	172	107
	इण्डियन ओवरसीज बैंक	1076	221
	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	298	211
	पंजाब एंड सिंध बैंक	27	193
	पंजाब नेशनल बैंक	27	1410
	सिंडिकेट बैंक	340	755
	यूको बैंक	447	672
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	504	378
	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	786	130
	विजया बैंक	317	2143

1	2	3	4
एसबीआई समूह	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	463	246
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	343	398
	भारतीय स्टेट बैंक	5595	5178
	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	172	140
	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	28	75
	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	176	553
	योग पीएसबी	14549	16464

स्रोत: आरबीआई (अद्यतन नवीनतम ओएसएमओएस आंकड़ा आधार, बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े)

[अनुवाद]

विदेशी चिकित्सा स्नातकों के लिए जांच परीक्षा

3448. श्री संजय निरूपम: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेश में चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रति वर्ष भारत से बाहर जाने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा आयोजित जांच परीक्षा में बैठने वाले छात्रों और इनमें से सफल छात्रों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उक्त जांच परीक्षा में सफल घोषित हुए अभ्यर्थियों का उत्पीड़न करने और उन्हें पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने में देरी के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी करने की अवधि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) द्वारा संचालित किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट में बैठे और उत्तीर्ण छात्रों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	बैठे	उत्तीर्ण
2010-11	11926	2707
2011-12	13630	3537
2012-13	13953	3664
2013-14	सितंबर 2013 सत्र की परीक्षा को 29.09.2013 को आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है।	

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) किसी विदेशी चिकित्सा संस्था में स्नातक पूर्व चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र विनियम और स्क्रीनिंग परीक्षा विनियम, 2002 के अनुसार भारतीय अभ्यर्थी/ओसीआई को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करती है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षाओं में बैठने के लिए उनको समर्थ बनाने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जारी करती है।

सीजीएचएस के अंतर्गत यूनानी दवाइयों हेतु निधियां

3449. श्री अब्दुल रहमान: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत यूनानी दवाइयों की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानक या प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दवाइयों हेतु विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं ने चयन हेतु क्या मापदण्ड अपनाये हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीजीएचएस यूनानी हेतु निधियों का आवंटन और किया गया व्यय कितना है; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से यूनानी दवाइयों की खरीद हेतु आवंटित निधियां किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) सीजीएचएस के अंतर्गत अपनाई गई अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तरह यूनानी प्रभाग भी दवाइयों के प्रापण की एक नियत एवं पारदर्शी प्रणाली है।

(ख) यूनानी दवाइयों का प्रापण तीन स्रोतों से किया जाता है:

1. **आईएमपीसीएल:** 94 यूनानी दवाइयों की बड़ी मात्रा में खरीद के लिए आईएमपीसीएल सार्वजनिक क्षेत्र का एक ऐसा उपक्रम है जो मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नियत दरों पर दवाइयों की आपूर्ति करता है। मैसर्स आईएमपीसीएल से दवाइयों के प्रापण हेतु निविदा प्रणाली की कोई अपेक्षा नहीं है।
2. **निजी विनिर्माताओं से:** जेनेरिक और ब्रांडयुक्त दोनों मदों के लिए खुली निविदा प्रक्रिया के जरिए।
3. **अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (एएलसी):** जो दवाइयां औषधालय अथवा भंडारगृह में उपलब्ध नहीं होती हैं, उनका प्रापण अधिकृत स्थानीय केमिस्ट से किया जाता है। स्थानीय क्रय प्रणाली दैनिक आवश्यकता के लिए एक स्टॉप गैप पद्धति है। अधिकृत स्थानीय केमिस्ट विधिवत कोडल प्रावधानों का अनुसरण करके नियुक्त किया जाता है।

जीएमपी प्रमाणित फर्मों से दवाइयों का प्रापण सामान्यत: निविदा प्रक्रिया के जरिए और स्थानीय कैमिस्ट से किया जाता है

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान सीजीएचएस यूनानी के आवंटन का ब्यौरा और दिल्ली एनसीआर में हुए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	निधियों का आबंटन (लाख रुपए)	वास्तविक व्यय (लाख रुपए में)
1.	2013-14	75.00	9.09 (आज तक)
2.	2012-13	60.00	56.75
3.	2011-12	75.00	72.00
4.	2010-11	45.00	55.00

(घ) दिल्ली एनसीआर में विभिन्न उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं से यूनानी दवाइयां खरीदने पर व्यय हुए आबंटन का ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	आईएमपीसीएल (लाख रुपए)	अधिकृत स्थानीय केमिस्ट (मैसर्स स्वास्थ्य परिचर्या) (रुपए लाख में)
1.	2013-14	-	9.09 (आज तक)
2.	2012-13	29.77	26.98
3.	2011-12	40.00	32.00
4.	2010-11	40.00	15.00

[हिन्दी]

डायलिसिस क्लीनिकों की स्थापना

3450. श्री बद्रीराम जाखड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत डायलिसिस क्लीनिकों की स्थापना हेतु अपोलो अस्पताल समूह ने सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवारत/सेवानिवृत्त सीजीएचएस लाभार्थियों को संपूर्ण देश में नकद रहित आधार पर आपोलो अस्पतालों में इन सुविधाओं के प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) अलायंस मेडिकोर्प (इंडिया) लिमिटेड अपोलो हैल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है और जो अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप से संबंधित है, ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को डायलिसिस की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र, सादिक नगर, नई दिल्ली में एक स्टेंडअलोन डायलिसिस यूनिट स्थापित किया है। यह यूनिट सितम्बर, 2010 से सफलतापूर्वक चल रहा है।

(ग) और (घ) करार के अनुसार सादिक नगर, नई दिल्ली में केवल उपर्युक्त यूनिट में ही डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदया: सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदया *पीठासीन* हुई)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: माननीय प्रधान मंत्री।

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू (श्रीपेरूम्बुटूर): महोदया, 40 से अधिक मछुआरों को जेल भेज दिया गया है। *...(व्यवधान)* भारत सरकार का रवैया ढुलमुल है*...(व्यवधान)* हम माननीय प्रधान मंत्री से मांग करते हैं कि मामले में हस्तक्षेप करें और श्रीलंका की जेलों से सभी मछुआरों को मुक्त करायें।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों कृपया इन दश्तहारों को बंद कर लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास माननीय प्रधान मंत्री का वक्तव्य है। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: कल आपने वक्तव्य की मांग की थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यों, आपको बैठना पड़ेगा। कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब माननीय प्रधानमंत्री बोलेंगे।

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव सरकार के लिए चिंता का विषय है। मई के अंतिम सप्ताह से डालर के मुकाबले इसमें भारी गिरावट आई है। यह चिंता का विषय है और यह चिंता वाजिब है कि इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा।

महोदया, देश के बाहर घटी कुछ अप्रत्याशित घटनाओं से बाजार पर विपरीत प्रतिक्रिया हुई है जिसके कारण रुपये की कीमत में तेजी से और अप्रत्याशित गिरावट आई। 22 मई, 2013 को यू.एस. फेडरल रिजर्व यह संकेत दिया था कि वह जल्द ही मात्रात्मक मूल्य में धीरे-धीरे कमी लाएगा क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इससे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप न केवल रुपये में, बल्कि ब्राजील की रियाल, तुर्की की लीरा, इंडोनेशिया के रुपिया, दक्षिण अफ्रीका के रैंड और अन्य मुद्राओं में भी तेजी से गिरावट आ रही है।

जहां वैश्विक कारणों जैसे कि सीरिया में तनाव और यू.एस. फेडरल रिजर्व द्वारा मात्रात्मक मूल्य में धीरे-धीरे कमी लाने की नीति अपनाए जाने से उभरती बाजार मुद्राओं में सामान्य गिरावट

आई है, वहीं हमारे चालू खाते में भारी घाटे और कुछ अन्य घरेलू कारणों से विशेष रूप से रुपया प्रभावित हुआ है। हम चालू खाता घाटे को कम करना चाहते हैं तथा अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं।

वर्ष 2010-11 और इससे पूर्व के वर्षों में हमारा चालू खाता घाटा काफी सामान्य था और 2008-09 के संकट वाले वर्ष में भी इसका वित्त पोषण करना मुश्किल नहीं था। तभी से इसमें गिरावट आने लगी है, जिसके मुख्य कारण भारी मात्रा में सोने का आयात, कच्चे तेल के आयात और हाल ही में कोयले की ऊंची कीमतें रही हैं। निर्यात के क्षेत्र में, हमारे प्रमुख बाजारों में कमजोर मांग के कारण हमारा निर्यात का बढ़ना रुक गया है। लौह अयस्क के निर्यात में आई गिरावट के कारण भी निर्यात और अधिक प्रभावित हुआ है। इन सभी कारणों से हमारा चालू खाता घाटा निरंतर बढ़ा है।

महोदया, स्पष्ट है कि हमें सोने के प्रति अपना मोह कम करना होगा, पेट्रोलियम उत्पादों का मितव्ययतापूर्ण इस्तेमाल करना होगा और अपने निर्यातों को बढ़ाने के उपाय करने होंगे।

हमने चालू खाता घाटे को कम करने के उपाय किये हैं। वित्त मंत्री ने संकेत दिया है कि इस वर्ष चालू खाता घाटा 70 बिलियन डालर से नीचे रहेगा तथा हम इसे और कम करने का हर संभव उपाय करेंगे। इनके नतीजे जून और जुलाई में व्यापार घाटे में आई कमी के रूप में दिखाई भी देने लगे हैं। सरकार को यकीन है कि हम अपने चालू खाता घाटे को 70 बिलियन डालर से कम कर लेंगे। हमारा मध्यमकालिक उद्देश्य चालू खाता घाटे को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 फीसद तक कम करना है। हमारा अल्पकालिक उद्देश्य चालू खाता घाटे का व्यवस्थित तरीके से वित्त पोषण करना है। हम विदेशी पूंजी प्रवाह के अनुकूल वृहद् आर्थिक ढांचा बनाए रखने का हर प्रयास करेंगे, ताकि चालू खाता घाटे का व्यवस्थित तरीके से वित्त पोषण किया जा सके।

अध्यक्ष महोदयाः रुपये के अवमूल्यन के प्रभावों पर फिर से चर्चा करते हुए हमें यह समझना होगा कि इस अवमूल्यन का एक हिस्सा केवल समायोजन था। भारत में मुद्रास्फीति विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक रही है। इसलिए, यह स्वाभाविक है कि इस अंतर के कारण विनिमय दर में सुधार करना होगा। कुछ हद तक अवमूल्यन अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि इससे हमारी निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्द्धी क्षमता को बढ़ाने तथा आयात को कम करने में मदद मिलेगी।

ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें विनिमय दर में गिरावट के कारण निर्यात बाजारों में फिर से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ रही है। मैं आशा करता हूं कि अगले कुछ महीनों में इसका प्रभाव निर्यात तथा निर्यात क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति - दोनों में और अधिक मजबूती से दिखाई देगा। इससे कुछ हद तक चालू खाता घाटे में सुधार होगा।

फिर भी, विदेशी विनिमय बाजारों में अचानक तेजी आने का इतिहास रहा है। दुर्भाग्य से यह न केवल रुपये के साथ हो रहा है, बल्कि अन्य मुद्राओं के साथ भी हो रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार ने रुपये को स्थिर करने के कई उपाय किये हैं। कुछ उपायों से कुछ हलकों में यह संदेह पैदा हुआ है कि यह पूंजी नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई है। मैं, इस सभा तथा विश्व को यह भरोसा दिलाता हूं कि सरकार इस तरह के कोई उपाय करने पर विचार नहीं कर रही है। विगत दो दशकों में भारत एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हुआ है और इसका उसने लाभ उठाया है। पूंजी और मुद्रा बाजार में कुछ उथल-पुथल के कारण इन नीतियों को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। विनिमय दर में अचानक गिरावट निश्चित रूप से एक आघात है, लेकिन हम इसका मुकाबला अन्य उपायों के माध्यम से करेंगे, न कि पूंजी नियंत्रण अथवा सुधारों की प्रक्रिया को पलटकर। वित्त मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है और मैं इस अवसर पर हमारी स्थिति की पुनः पुष्टि करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदयाः आखिर, रुपये का मूल्य हमारी अर्थव्यवस्था के मौलिक आधारों द्वारा निर्धारित होता है। हालांकि हमने उन मौलिक आधारों को मजबूत करने के लिए कई कार्रवाइयां की हैं, फिर भी हम इसे और अधिक मजबूत करना चाहते हैं।

हाल की तिमाही में विकास दर घटी है। मैं आशा करता हूं कि वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही में विकास दर अपेक्षाकृत सामान्य रहेगी। लेकिन, मेरा यकीन है कि जैसे-जैसे अच्छे मानसून के नतीजे सामने आएंगे, वैसे-वैसे विकास दर भी बढ़ेगी।

इस आशावादिता के कई कारण हैं। रुकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने के निवेश संबंधी मंत्रिमण्डल समिति के निर्णयों के नतीजे वर्ष की दूसरी छमाही में सामने आने लगेंगे। विगत छह महीनों में किए गए विकास अनुकूल उपायों जैसे कि एफडीआई मानदंडों को उदार बनाना, उद्योगों से जुड़े कुछ कर संबंधी मुद्दों का निराकरण और ईंधन सब्सिडी में सुधार के पूरे नतीजे साल भर में सामने आएंगे, जिससे विकास दर बढ़ेगी, खासतौर से विनिर्माण के क्षेत्र में। निर्यात के क्षेत्र में भी कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है क्योंकि दुनिया के दूसरे देश अपनी विकास दर में सुधार ला रहे हैं। इसलिए, मेरा विश्वास है कि यदि विकट अप्रत्याशित घटनाएं न घटें तो वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास दर बढ़ने लगेगी।

महोदया, वित्तीय घाटे के आकार के बारे में कुछ चिंताएं हैं। सरकार इस वर्ष वित्तीय घाटे को 4.8 फीसदी तक सीमित रखने के लिए सभी उपाय करेगी। इस वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम सावधानी से खर्च करें, विशेषकर उन सब्सिडियों पर, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाती हैं और हम इस दिशा में प्रभावी उपाय करेंगे।

महोदया, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा आंकी गई मुद्रास्फीति अभी भी काफी अधिक है। रुपये के अवमूल्यन और पेट्रोलियम उत्पादों के डालर मूल्यों में बढ़ोतरी से नि:संदेह कीमतें आगे भी बढ़ने की संभावना है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक महंगाई कम करने पर सतत ध्यान देता रहेगा। अनुकूल मानसून और अच्छी फसल होने के पूर्वानुमान से अनाज के मूल्यों में कमी आएगी तथा महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, अपनाई जा रही वृहद-स्थिरीकरण की प्रक्रिया जारी है जिससे रुपये की कीमत बढ़ेगी। मैं आशा करता हूं कि जैसे-जैसे हमारे प्रयासों के नतीजे सामने आएंगे, वैसे-वैसे मुद्रा बाजार में सुधार आएगा।

अध्यक्ष महोदया, यद्यपि हम आवश्यक प्रयास कर रहे है, फिर भी यह स्वीकार करना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार मजबूत बने रहेंगे। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में भारत का समग्र सार्वजनिक ऋण वर्ष 2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद के 73.2 फीसदी से घटकर 2012-13 में 66 फीसदी हो गया है। इसी तरह, भारत का विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के केवल 21.2 फीसद है। हालांकि अल्पकालिक ऋण बढ़ा है, लेकिन यह सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 फीसदी पर स्थिर है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 278 बिलियन अमेरिकी डालर है और यह भारत की बाह्य वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

महोदया, कई विदेशी विश्लेषक मुद्रा संकट के कारण बैंकिंग समस्याओं के बारे में चिंतित हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में डूबंत ऋण में कुछ बढ़ोतरी हुई है। सवाल यह है कि क्या तरलता की समस्या है अथवा कर्जदारों के दिवालियेपन की समस्या है।

मेरा यह मानना है कि तरलता की समस्या है। कई परियोजनाएं अव्यवहार्य नहीं हैं, बल्कि वे केवल विलंबित हैं। जबकि इसके विपरीत, दूसरे देशों में काफी संख्या में परियोजनाएं बनाए जाने के कारण बैंकिंग क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे-जैसे ये परियोजनाएं सुचारु होंगी, वैसे-वैसे वे राजस्व सृजित करेंगी तथा ऋणों का भुगतान करेंगी। हमारे बैंकों के पास आधारभूत मानदंडों से अधिक पूंजी है और गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के निष्पादन कारी होने तक उन्हें वित्तपोषित करने की क्षमता है।

अध्यक्ष महोदया, विगत में आसान सुधार किए जा चुके हैं। अब हमें सुधार के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इन सुधारों में सब्सिडी में कमी, बीमा और पेंशन संबंधी सुधार, अफसरशाही लाल फीताशाही को दूर करना और माल एवं सेवा कर लागू करना शामिल हैं। ये आसान सुधार नहीं हैं, इनके लिए राजनैतिक सहमति की आवश्यकता है।

मैं, यहां सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे समय की मांग पर ध्यान दें। कई आवश्यक कानून राजनैतिक सहमति न होने के कारण लंबित हैं। माल तथा सेवा कर जैसे सुधार, जिसे सभी लोग विकास दर फिर से हासिल करने हेतु आवश्यक मानते हैं, के लिये राज्यों की सहमति की आवश्यकता है। हमें ऐसे मुद्दों पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। मैं राजनैतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे इस दिशा में कार्य करने और अर्थव्यवस्था को स्थायी विकास की राह पर वापस लाने के सरकार के प्रयासों में मदद करें।

महोदया, हमारी अर्थव्यवस्था को अल्पकालिक आघात लग सकते हैं और हमें उनका मुकाबला करना होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की यही सच्चाई है, जिसका लाभ हम सभी ने उठाया है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे मूलभूत आधार सुदृढ़ रहें, ताकि भारत आगामी कई वर्षों तक एक बेहतर विकास दर को बरकरार रख सके। हम इसे सुनिश्चित करेंगे। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, परंतु उनका मुकाबला करने की हममें क्षमता है। यही वह वक्त है जब देश को यह दिखाना होता है कि वह सही मायनों में कितना सक्षम है।

अपराह्न 12.18 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे–श्री गुलाम नबी आजाद।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) चितरंजन नेशनल केंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चितरंजन नेशनल केंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चितरंजन नेशनल केंसर इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9640/15/13]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/150/15/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर निषेध और प्रतिबंध) (संशोधन) विनियम, 2013 जो 8 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 4/15015/30/2011 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) संशोधन विनियम, 2013 जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.पी. 15014/4/2011-पीएफए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) संशोधन विनियम, 2013 जो 27 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.पी. 15014/1/2011-पीएफए/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9641/15/13]

(4) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2350(अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का.आ. 2351 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(तीन) का.आ. 2352 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(चार) का.आ. 2353 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(पांच) का.आ. 2354 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(छह) का.आ. 2355 (अ) जो 2 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के अध्यक्ष के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9642/15/13]

(5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अधिनियम, 1956 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 549 (अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एम्स (अधिनियम, 2012 के उपबंधों के अंतर्गत रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 2011 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 2012 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 2013 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 2014 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना का गठन किया गया है।

(छह) का.आ. 2015 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का गठन किया गया है।

(सात) का.आ. 2016 (अ) जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित सदस्यों सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश का गठन गया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9643/15/13]

(6) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 की धारा 27घ की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 550(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो छह नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के निदेशकों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9644/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12:18$^{1/2}$ बजे

इस समय श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): महोदया, मैं श्री कपिल सिब्बल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(एक) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त (1)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[सभा पटल पर रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9645/15/13]

(तीन) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) उपर्युक्त (3)में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[सभा पटल पर रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9646/15/13]

(पांच) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(छह) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[सभा पटल पर रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9647/15/13]

(सात) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(आठ) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9648/15/13]

(नौ) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दस) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9649/15/13]

(ग्यारह) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2013 जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9650/15/13]

...(व्यवधान)

संस्कृति मंत्री (श्रीमती चन्द्रेश कुमारी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9651/15/13]

(3) प्राचीन संस्मारक तथा पुरात्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और कारबार का संचालन) नियम, 2011 जो 24 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्राचीन संस्मारक तथा पुरतत्वीय स्थल और अवशेष (विरासत उप-विधि और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्यों की विरचना) नियम, 2011 जो 24 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 636(अ)में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9652/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12:19 बजे

इस समय श्रीमती सुषमा स्वराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12:19¼ बजे

इस समय श्री बसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

...(व्यवधान)

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9653/15/13]

...(व्यवधान)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. एच. मुनियप्पा): महोदया, मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***दखिए*** संख्या एल.टी. 9654/15/13]

...(व्यवधान)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायण सामी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9655/15/13]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2013 जो 18 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। ***देखिए*** संख्या 9656/15/13]

...(व्यवधान)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ:-

(एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9657/15/13]

...(व्यवधान)

(दो) भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन

[ग्रंथालय में रखी गयी। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9658/15/13]

...(व्यवधान)

स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदया, मैं श्रीमती संतोष चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9659/15/13]

(3) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ योग, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9660/15/13]

(5) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन अधिनियम, 3013 जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 18-12/2013 सिद्ध (पाठ्य विवरण-यूजी) में प्रकाशित हुए थे, तथा जिसका शुद्धिपत्र 7 अगस्त, 2013 के अधिसूचना संख्या 18-12/2013 सिद्ध (पाठ्य विवरण-यूजी) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9661/15/13]

...(व्यवधान)

उत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) महोदया, मैं श्री जितिन प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9662/15/13]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन अथॉरिटी मणिपुर, इम्फाल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9663/15/13]

(5) (एक) झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी, रांची के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेती संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी, राँची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाल विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9664/15/13]

(7) डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9665/15/13]

(9) (एक) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इटानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। संख्या ***देखिए*** एल.टी. 9666/15/13]

(11) (एक) राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, मुंबई में वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9667/15/13]

(13) (एक) सर्व शिक्षा अभियान, पुडुचेरी पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान पुडुचेरी, पुडुचेरी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखेन में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9668/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.20 बजे

इस समय श्री (एम. आनंन्दन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.201/4 बजे

इस समय श्री सुब्रत बक्शी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह): महोदया, मैं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (पायनियर), समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 जो 31 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 788 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी केडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2012, जो 8 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 817 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, काम्बैटेन्ट अकाउंट्स केडर समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, जो 7 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 814 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग केडर, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2012 जो 21 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (प्रकाशन और मुद्रण संवर्ग) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जो 29 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 397 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेटेरीनरी केडर, समूह 'क' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 जो 17 अप्रैल, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (एनिमल ट्रांसपोर्ट केडर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 जो 26 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सब इंस्पेक्टर (मेडिक) पैरामेडिकल केडर समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 61(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) भारत-तिब्बत सीम पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम 2012 जो मार्च, 2012 जो 21 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 327(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(10) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेट (राजभाषा) एंड असिस्टेंट कमांडेट (राजभाषा) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(11) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेट (ऑफिस) एंड डिप्टी कमांडेट (प्रधान निजी सविच)समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011 जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 63(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, डिप्टी कमांडेंट (एजुकेशन एण्ड स्ट्रेस काउंसलर) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2011, जो 3 फरवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 60(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(13) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एजुकेशन एण्ड स्ट्रेस काउंसलर केडर, समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 जो 7 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 618(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(14) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी केडर (समूह 'क' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 9 जुलाई 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(15) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वाटर विंग (समूह 'क' समूह 'ख' और समूह 'ग' तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2012 जो 25 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 790(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(16) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दूरसंचार संवर्ग (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 265(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(17) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट केडर (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2013,जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 266(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(18) भारत-तिब्बत पुलिस बल, पायनियर केडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013,जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 267(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(19) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, टेलर, कोबलर एण्ड गार्डनर केडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 23 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 268(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(20) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जनरल ड्यूटी केडर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(21) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटार्नी जनरल, एडिशनल जज अटार्नी जनरल, डिप्टी जज अटार्नी समूह 'क' पद भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) नियम, 2013,जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(22) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, (समूह 'ख' पद) हिन्दी अनुवादक भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का सा.का.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(23) भारत-तिब्बत पुलिस बल, कांस्टेबल (वाटर केरियर) और कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी) समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(24) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंस्पेक्टर (लाइब्रेरियन) समूह 'ख' पद, भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 221(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(25) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा मेडिकल केडर इंस्पेक्टर (फार्मासिस्ट) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(26) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेंट कमांडेट (ऑफिस) एण्ड असिस्टेंट कमांडेट, स्टाफ ऑफिसर (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 223(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(27) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, काम्बैटेंट मिनिस्टेरियल केडर एण्ड काम्बैटेंट स्टेनोग्राफर केडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 224(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(28) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मेडिकल केडर (समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(29) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा मेडिकल केडर (समूह 'क', 'ख', और 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(30) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट केडर (अराजपत्रित) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 227(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(31) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, वेटेरीनरी केडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 228(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(32) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, आर्मरर केडर (समूह 'ख' और समूह 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(33) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायोनियर संवर्ग, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 230(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(34) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, दर्जी, मोची और माली संवर्ग, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 231(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(35) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, कान्सटेबल (कुक), कान्सटेबल (धोबी), कान्सटेबल (नाई), समूह 'ग' पद भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(36) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंजीनियरिंग संवर्ग (समूह 'क' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2013, जो 11 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(37) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (आशुलिपिक) और हेड कान्सटेबल (मिनिस्टरीयल) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013, जो 14 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(38) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल, संवर्ग (समूह 'क', 'ख' और 'ग' पद) भर्ती संशोधन नियम, 2011, जो 1 सितंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 657(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(39) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, सब-इंस्पेक्टर (मेडिक) पैरामेडिकल संवर्ग, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2013, जो 21 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 391(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(40) भारत-तब्बत सीमा पुलिस बल, पैरामेडिकल संवर्ग (समूह 'ग' योधक पद) भर्ती नियम, 2013, जो 15 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(41) सा.का.नि. 354(अ) जो 11 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 28 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1019(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(42) सा.का.नि. 663(अ) जो 3 सितंबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 21 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 484(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(43) सा.का.नि. 569(अ) जो 17 जुलाई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 11 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 354(अ) (केवल अंग्रेजी में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(44) सा.का.नि. 445(अ) जो 28 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 8 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 217(अ) (केवल हिन्दी में) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

...(व्यवधान)

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9669/15/13]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9670/15/13]

(3) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच वर्ष 2013-2014 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9671/15/13]

(4) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9672/15/15]

(6) (एक) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मालवीय नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जयपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9673/15/13]

(8) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, पटना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9674/15/13]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शानेवाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9675/15/13]

(12) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रांची के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9676/15/13]

(14) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अगरतला, त्रिपुरा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अगरतला, त्रिपुरा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9677/15/13]

(16) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, जमशेदपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9678/15/13]

(18) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9679/15/13]

(20) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कशीपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, काशीपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9680/15/13]

(22) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9681/15/13]

(24) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कालिकट के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, कालिकट के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9682/15/13]

(26) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिकायत निपटान) विनियम, 2012, जो 23 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या 14/4/2012 (सीपीपी II) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9683/15/13]

...(व्यवधान)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. क्रुपारानी किल्ली): महोदया, मैं श्री मिलिंद देवरा की ओर से भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कामर्शियल रेडियो ऑपरेटर्स ऑफ प्रोफेसेंसी एंड लाइसेंस टू ऑपरेट ग्लोबल मेरिटाइल डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम) संशोधन नियम, 2013, जो, मई, 2013 के भारत के राजपत्र की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9684/15/13]

...(व्यवधान)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदया, मैं श्री राजीव शुक्ला की ओर से, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 12वीं पचवर्षीय योजना 2012-2017 खंड I (फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड ससटेनेबल ग्रोथ)

(2) 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 खंड II (इकनॉमिक सेक्टर)

(3) 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 खंड III (सोशल सेक्टर)

[ग्रंथालय में रखे गये। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9685/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय, श्री एस.पी.वाई. रेड्डी आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सर्वे सत्यनारायण): मैं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) का.आ. 2226 (अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वायालर-वडकान्चेरी खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(2) का.आ. 1354(अ) जो 24 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5क (चंडीकले-पाराद्वीप खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(3) का.आ. 1988(अ) जो 3 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (कटक-अंगुल खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(4) का.आ. 625(अ) जो 12 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 (अबु रोड-पालनपुर/खेमना खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(5) का.आ. 1848(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग

संख्या 42 पदनक्कड़ में रेल उपरि पुल के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(6) का.आ. 1462(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (वडाक्कन्चेरी-थिरूसुर बोर्ड खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(7) का.आ. 1847(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71क (रोहतक-पानीपत खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(8) का.आ. 1017(अ) जो 22 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश बोर्डर खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(9) का.आ. 1355(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45ख (त्रिची बाईपास-तोवरनकुरिची-मदुरई खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित, यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(10) का.आ. 1845(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 (महाराष्ट्र/कर्नाटक बोर्डर-संगरेड्डी खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों पर प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(11) का.आ. 1846(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(12) का.आ. 1849(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 (पठानकोट-अमृतसर खंड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(13) का.आ. 1081(अ) जो 30 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(14) का.आ. 1356(अ) जो 24 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 09 (विजयवाड़ा-मछलीपत्तनम खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(15) का.आ. 1131(अ) जो 2 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(16) का.आ. 2225(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(17) का.आ. 838(अ) जो 26 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 02 (इलाहाबाद-मंगावन खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(18) का.आ. 1200(अ) जो 10 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1138(अ) को निरस्त किया गया है।

(19) का.आ. 1844(अ) जो 25 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (अयोध्या-गोरखपुर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(20) का.आ. 1987(अ) जो 03 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 25, 56क और 56ख (कानपुर-अयोध्या खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(21) का.आ. 1989(अ) जो 03 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 (मुजफ्फरपुर-बरौनी खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(22) का.आ. 2168(अ) जो 16 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 59 (इन्दौर-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(23) का.आ. 2222(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (रायपुर-बिलासपुर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(24) का.आ. 2223(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 और 06 के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(25) का.आ. 2224(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 (मोकमा-मुंगेर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(26) का.आ. 2228(अ) जो 22 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 (मेरठ-बुलंदशहर खण्ड) के संबंध में, उसमें उल्लिखित यांत्रिक वाहनों से प्रयोक्ता शुल्क के उद्ग्रहण/संग्रहण के बारे में है।

(27) का.आ. 3035(अ) जो 28 दिसंबर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (झालवाड़-बिओरा खण्ड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि का अर्जन किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9686/15/13]

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत प्रधान आयुक्त की भर्ती विनियम (अनुश्रवण और समन्वय) दिल्ली विकास प्राधिकरण, 2013 (नया सृजित पद), जो 14 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9687/15/13]

(2) मेट्रो रेल (संकर्म का निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उपधारा (1) और (6) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 2305(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की-गई अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों के अलावा 30 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1250(अ) को निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9688/15/13]

...(व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी बलराम नायक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9689/15/13]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जेसुदासु सीलम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9690/15/13]

(2) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उपधारा (4) के अंतर्गत तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9691/15/13]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) बैंक ऑफ इंडिया के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण और क्रियालापों के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) आंध्रा बैंक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण और क्रियाकलापों के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9692/15/13]

(4) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9693/15/13]

(5) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2327(अ) जो 31 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 2329(अ) जो 1 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 2467(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 2468(अ) जो 14 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी. शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9694/15/13]

(6) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 2 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (चौथा संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 30 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1393(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पांचवां संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 31 मई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 11 जून, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1513(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (10वां संशोधन) नियम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 15 जुलाई, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2166(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1464(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) पण्य संव्यवहार कर नियम, 2013 जो 19 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1789(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2013 जो 26 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1856(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2013 जो 4 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2017(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 2311(अ) जो 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो आयकर अधि नियम, 1961 की धारा 193ठघ (2) (एक) में निर्दिष्ट किसी भारतीय कंपनी के रुपए मूल्यवग्र बाण्डों के संबंध में ब्याज दर की सीमा के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन)नियम, 2013 जो 1 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2331(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (तरहवां संशोधन) नियम, 2013 जो 5 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2364(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 1491(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 2493(अ) जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी को विदेशी कंपनी के रूप में तथा पेट्रौलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ ईरान के बीच 20 जनवरी, 2013 को हुए समझौते ज्ञापन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 के खण्ड (48) के प्रयोजनों के लिए करार के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[गंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9695/15/13]

(7) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शाध्य ऋण की वसूली अधि नियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163(अ) जो 8 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कार्यभार को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए ऋण वसूली अपील अधि कारियों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका शुद्धिपत्र जो 12 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 239(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 9696/15/13]

(8) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2074(अ) जो 8 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उत्तर मालाबार ग्रामीण बैंक और दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक के केरल ग्रामीण बैंक के रूप में विलयन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 9697/15/13]

(9) धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन-शोधन निवारण (अनंतिम कुर्की आदेश का निर्गम) नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई कुर्क अथवा फ्रोजन संपत्तियों का कब्जा लेना), नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 558(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन-शोधन निवारण (प्रारूप, तलाशी और जब्ती अथवा फ्रीजिंग तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को कारण और सामग्री अग्रेषित करने की रीति, अभिलेखों का परिबंधन और अभिरक्षा तथा प्रतिरक्षण अवधि)नियम, 2013 जो 19 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 559(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9698/15/134]

(10) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 538(अ) जो 8 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित राल अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों से बॉन्डेड 2 मिमी. से अधिक और 6 मिमी. से कम की मोटाई वाले काष्ठ अथवा लिग्नस फाइबर बोर्डों, सिवाए सीमा-शुल्क टैरिफ के अध्याय 44 के अंतर्गत वर्गीकृत इंसुलेशन बोर्डों, लेमिनेटेड फाइबर बोर्डों, मोल्डेड डोर स्किनों और उन बोर्डों जो राल अथवा अन्य कार्बनिक पदार्थों द्वारा बॉन्डेड नहीं हैं, को छोड़कर, पर उसमें निर्दिष्ट दरों पर अंतिम प्रतिपादट शुल्क अधिरोपित करना है, कि, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9699/15/13]

(11) वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 115 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1768(अ) जो 6 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2013 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया गया है जिस दिन वित्त अधिनियम, 2013 का अध्याय 7 प्रवृत्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। ***देखिए*** संख्या एल.टी. 9700/15/13]

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.22 बजे

इस समय, श्री एम. आनंदन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अपराह्न 12.221/4 बजे

राज्य सभा में संदेश

[अनुवाद]

महासचिवः महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

'मुझे आपको यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरुवार, 29 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में दूरसंचार लाइसेंसों और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति में नैमित्तिक रिक्तियों को भरने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि, राज्य सभा श्री तिरुची शिवा की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति और डा. ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन की संयुक्त संसदीय समिति से त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्त पदों पर दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा के दो सदस्यों को नियुक्त करे और उनके नाम लोक सभा को सूचित करे तथा यह प्रस्ताव करती है कि रिक्तियों को करने के लिए श्री पी. भट्टाचार्य और डॉ. अशोक एस. गांगुली को नियुक्त किया जाए।"

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.22$^{1/2}$ बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.23 बजे

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 30वीं से 36वीं बैठक के कार्यवाही-सारांश

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुंडा (खूंटी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं 13वें और 14वें सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति की 30वीं से 36वीं बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.231/4 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

अपराह्न 12.23$^{1/2}$ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

50वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं ''देश में एबायोटिक स्ट्रेस रेसिस्टेंट फसल किस्मों का विकास और उत्पादन प्रौद्योगिकियों का प्रसार, अनुसंधान और विकास तथा विस्तार प्रयासों की समीक्षा'' के बारे में कृषि संबंधी समिति (2010-11) के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.23$^{3/4}$ बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

30वां और 31वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड (मुबई दक्षिण मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2012-13) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) विधेयक, 2012' संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

(2) अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति (2012-13) के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.24 बजे

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति

46वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा वर्मा (हरदोई): मैं 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सतर्कता और मानीटरिंग समितियों का कार्याकरण' विषय पर ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.24$^{1/4}$ बजे

अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी.के. हान्डिक (जोरहाट): महोदया, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपायों की समीक्षा और एनसीबीसी की संवैधानिक दर्जा दिए जाने" विषय पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति (2013-14) का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.24$^{1/2}$ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

112वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी): मैं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2013-14) के बारे में समिति के 107वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 112वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.24$^{3/4}$ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

72वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): मैं भारत में पीएटीएच द्वारा "ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी) वैक्सीन के प्रयोग द्वारा अध्ययन में कथित अनियमितताएं" के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 72वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.25 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

62वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं ''सरकारी नौकरी तथा सरकारी उपक्रमों में सेवा शर्तों, शोषण से संरक्षण, प्रोत्साहन और अन्य संबंधित मुद्दों के संबंध में महिलाओं की स्थिति'' के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का 62वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.25$^{1/2}$ बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2012-13) के बारे में समिति के 176वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिंरजीवी): मैं पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2012-13) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अपने 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर 184वें प्रतिवेदन में निहित अतिरिक्त सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के उस निदेश के अनुपालन में यह वक्तव्य सभा-पटल पर रख रहा हूं जो निम्नानुसार है:

1. "संबंधित मंत्री अपने मंत्रालय के संबंध में लोक सभा के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में छः महीने में एक बार सभा में वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे।"

2. पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2012-13) पर अपने 176वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर 184वें प्रतिवेदन पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 5 नवम्बर, 2012 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और उसे अंगीकार किया। प्रतिवेदन 4 दिसंबर, 2012 को लोक सभा के पटल पर रखा गया।

3. अध्यक्ष महोदया, 176वें प्रतिवेदन की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला विवरण दिनांक 22.03.2013 को लोक सभा के पटल

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 9701/15/13।

पर रखा गया। स्थायी समिति ने 184वें प्रतिवेदन में 176वें प्रतिवेदन की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर 73 अतिरिक्त सिफारिशें/टिप्पणियां की हैं।

4. मैं 184वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट प्रत्येक अतिरिक्त सिफारिश/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखता हूं।

———

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.27 बजे

'तेल एवं प्राकृतिक गैस संसाधनों के स्वामित्व' के बारे में दिनांक 10-03-2011 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2423 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): महोदया, आपकी अनुमति से मैं शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के तहत उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) के अनुच्छेद 27.1 के अनुसार, भारत सरकार, कच्चे तेल, संघनित्र या गैस के उस भाग को छोड़कर जिसका स्वामित्व इस संविदा के प्रावधानों के अनुसार संविदाकार या किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर दिया गया है, संविदागत क्षेत्र के नीचे के भाग में पेट्रोलियम की एकमात्र स्वामिनी होगी और इस संविदा के प्रावधानों के अनुसरण में उत्पादित पेट्रोलियम की एकमात्र स्वामिनी रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड-रिलायंस नेचुरल रेसोर्सेज लिमिटेड (आरआईएल-आरएनआरएल) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी दोहराया है कि अनुच्छेद 297 के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस भारत के संघ में निहित हैं। तथापि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371ए के अनुसार, नागालैंड राज्य विधानसभा ने 26 जुलाई, 2010 को यह संकल्प पारित किया था कि खनिज तेल सहित "भूमि और इसके संसाधनों का स्वामित्व और अन्तरण" के संबंध में संसद का कोई भी ऐसा अधिनियम नागालैंड राज्य पर लागू नहीं होगा जो नागालैंड राज्य के भीतर लागू और पालन कराने के लिए उपयुक्त नियम बनाएगा।

इस मामले पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया गया है। गृह मंत्रालय की राज्य है कि अनुच्छेद 371-ए(ए) खनिज तेल के विनियमन और विकास के लिए नागालैंड की विधानसभा को वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं करता। भारतीय संविधान की सूची-I की प्रविष्टि 53 सहित सातवीं अनुसूची की सूची-I के तहत सम्मिलित विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। इस प्रकार, नागालैंड सरकार द्वारा अधिसूचित नागालैंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम, 2012 और नागालैंड विधान सभा द्वारा जुलाई, 2010 में पारित संकल्प में वैधानिक वैधता का अभाव है।

———

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.28 बजे

[अनुवाद]

सभा का कार्य

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार): महोदया, आपकी अनुमति से मैं, यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 2 सितंबर, 2013 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा:-

1. आज की कार्यसूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार करना।
2. प्रतिभूति विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 के निरनुमोदन की मांग करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा करना और प्रतिभूति विधि (संशोधन) विधेयक, 2013 पर विचार करना और उसे पारित करना।
3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:
   (क) परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011;
   (ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013; और
   (ग) नागर विमानन प्राधिकरण विधेयक, 2013।
4. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:

*सभा-पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 9702/15/13।

(क) नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2013;

(ख) राष्ट्रीय जलमार्ग (बराक नदी का लखीपुर बंगा खंड) विधेयक, 2013;

(ग) जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013;

(घ) संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013;

(ङ) लोक प्रतिनिधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013; और

(च) विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 2013।

5. लोक सभा द्वारा यथापारित और राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा यथा सूचित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2010 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करना।

6. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और उन्हें पारित करना:–

(क) संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013;

(ख) न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2013; और

(ग) लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन और विधिमान्यकारण) विधेयक, 2013।

अध्यक्ष महोदय: सदस्यों द्वारा निवेदन। सदस्य इन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

***श्री भूपेन्द्र सिंह** (सागर): अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करें:

1. मध्य प्रदेश में उर्वरकों की आपूर्ति हेतु घोषित 66 रेक प्वाइंट/हाफ रेक प्वाइंट में से केवल 32 रेक प्वाइंट आपरेट हो रहे हैं। अत: शेष 34 रेक प्वाइंट पर उर्वरकों की आपूर्ति हेतु उचित कदम उठाएं।

2. देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायकों को स्थायी कर्मचारी बनाए जाने तथा उनके मानदेय में वृद्धि किए जाने हेतु उचित कदम उठाएं।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (कौशाम्बी): अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कष्ट करे:

1. संविधान की आठवीं अनुसूची में 'भोजपुरी भाषा' को शामिल करने वाला बिल तत्काल पास (संसद में) कराएं।

2. संपूर्ण देश में राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी वर्ग के लोगों के जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में एकरूपता एवं सरलीकरण होने चाहिए।

[अनुवाद]

***शेख सैदुल हक** (बर्धमान-दुर्गापुर): मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए:

(क) महिला आरक्षण विधेयक राज्य सभा में पारित कर दिया गया है परन्तु यह लोक सभा में चर्चा के लिए नहीं रखा गया। इसलिए, सभा में चर्चा की आवश्यकता है।

(ख) सम्पूर्ण देश में मानवाधिकार हनन की घटनाएं घट रही है जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है जहां लोकतांत्रिक अधिकार दांव पर लगे हुए है। इसलिए, इस सभा में चर्चा की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

***श्री पशुपति नाथ सिंह** (धनबाद): निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने का कष्ट करें:

1. कि यह सभा आग्रह करती है कि भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय (आईएसएम), धनबाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में परिवर्तन करने का कष्ट करें। यह मामला मेरे द्वारा संसद के पूर्व सत्र में भी उठाया गया है। परंतु कोई ठोस कार्रवाई अब तक इस पर सरकार द्वारा नहीं की गई है। अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही भारतीय खनिज विद्यापीठ विश्वविद्यालय को आईआईटी का दर्जा दिया जाए।

2. कि यह सभा आग्रह करती है कि सिन्दरी में स्टील कारखाना खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसे कैबिनेट से सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। अत: माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि शीघ्र ही सिन्दरी में स्टील कारखाना खोला जाए जिससे रोजगार का सृजन व जनहित को इसका लाभ मिल सके।

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर): मैं आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूँ:

1. प्राय: देखने में आता है कि अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों में भगदड़ मच जाने के कारण सैंकड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसमें अधिकतर महिलाओं एवं बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। अत: अत्यधिक भीड़ वाले कार्यक्रमों में भीड़ की संख्या सीमित करने एवं ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति देने के संबंध में राष्ट्रीय नीति बनाये जाने के विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

2. न्यायिक सुधारों के विषय में एक सुधार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का सुझाव भी विधि आयोग द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का सुझाव भी विधि आयोग द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर भी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन आज तक नहीं हुआ है। न्यायिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को कम करने एवं सभी समुदायों के लोगों का न्यायिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए यह सुधार का सुझाव आज की आवश्यकता है। अत: इस विषय को चर्चा में सम्मिलित किया जाए:

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर): अगले सप्ताह के कार्य सूची में निम्न विषय शामिल किये जाए,

1. पूर्व सांसदों को दवा, पेंशन, संसद में आने जाने हेतु वाहन व ठहराव हेतु रियायती गेस्ट हाउस उपलब्ध कराने हेतु उपाय के संबंध में।

2. मिड-डे मिल योजना में रसोइयों को मान देय-वेतन तथा कार्य से निकाल देने से रोक लगाने के संबंध में उपाय के संबंध में।

***श्री दिनेश चन्द्र यादव** (खगड़िया): लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाए:

1. बिहार राज्य खगड़िया जिला अंतर्गत सोनमनखी से बलवाहाट गनएच (जिला-सहरसा) बाया कविरा घाप खोचरदेवा, सड़क काफी महत्वपूर्ण है इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

2. बिहार राज्य के सहरसा जिला में 20 किलोवाट क्षमता के दूरदर्शन केन्द्र बहुत दिनों से बन कर तैयार है। उसका उद्घाटन कर उसे शीघ्र चालू किया जाए।

———

*भाषण सभा-पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.28½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 33वें से 36वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:

''कि यह सभा सदन में 20 मार्च, 2 मई, 7 और 14 अगस्त, 2013 को क्रमश: प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 33वें, 34वें , 35वें और 36वें प्रतिवेदनों से सहमत है।''

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा सदन में 20 मार्च, 2 मई, 7 और 14 अगस्त, 2013 को क्रमश: प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 33वें, 34वें, 35वें और 36वें प्रतिवेदनों से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: शरद यादव जी, आप बोलिए

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं एक विशेष परिस्थिति में खड़ा हुआ हूँ। *...(व्यवधान)* कल मेरे घर पर जो घटना हुई है *...(व्यवधान)* उसके बाबत मुझे कुछ नहीं कहना है *...(व्यवधान)।* में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस देश का कानून सबके लिए बराबर है या नहीं। *....(व्यवधान)* हमने यहां कानून पास किया और कानून पास करने के बाद आज यह हालत है एक आदमी *...(व्यवधान)* जो आसाराम है, वह देश भर में भ्रमण कर रहा है। *...(व्यवधान)* कई तरह की बातें बोल रहा है। *...(व्यवधान)* पीड़िता के जो मां-बाप हैं, आप यह बताइये कि कोई मां-बाप अपनी बेटी के लिए, *...(व्यवधान)* इस देश में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कोई मां या बाप अपनी बेटी के लिए बलात्कार का या उसके साथ छेड़खानी का कोई केस दर्ज करा सकता है। *...(व्यवधान)* मुझे यहां से, अखबारों से और चारों तरफ से पता लगा है कि ये जो आसाराम है, यह छुट्टा घूम

रहा है।...*(व्यवधान)* यह चारों तरफ हिन्दुस्तान का भ्रमण कर रहा है और जो इसके मन में आ रहा है, वह बोल रहा है। ...*(व्यवधान)* उसका बेटा उस बच्चे के लिए कह रहा है कि यह मेंटल केस है। ...*(व्यवधान)* आप बताइये उसने इतना बड़ा साहस किया ...*(व्यवधान)* और थाने में जाकर उसके मां-बाप ने बड़ा साहस दिखाया है ...*(व्यवधान)* ऐसा साहस कोई बहुत संकट में ही कोई बाप करता हैं। ...*(व्यवधान)* इसके बावजूद भी यह जो निकम्मी सरकार है, ये जो दोनों सरकारें हैं ...*(व्यवधान)* होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बैठकर एक घंटा क्या करते हैं, ...*(व्यवधान)* क्या दुनिया में कहीं किसी देश से लड़ाई होने वाली है? ...*(व्यवधान)* यह आदमी यहां से वापस कैसे जयपुर ...*(व्यवधान)* निकल गया, कैसे यह उदयपुर से बाहर चला गया? ...*(व्यवधान)* यह कैसे पूरे देश भर में घूम रहा है? ...*(व्यवधान)* कैसे यह आदमी पूरे देश में नौटंकी करते हुए घूम रहा है? ...*(व्यवधान)* यह आदम लैंड माफिया है। ...*(व्यवधान)* इसने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है ....*(व्यवधान)* इस पर पहले से भी केस चल रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं मुलायम सिंह जी से कहना चाहता हूं कि आपके यहां ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आपको श्री शरद यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

सभा अपराह्न 12.45 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.32 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.45 बजे

लोक सभा अपराह्न 12.45 बजे पर पुनः समवेत हुई।

(डॉ. एम. तम्बिदुरई *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.451/4 बजे

इस समय, श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.451/2 बजे

इस समय श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदयः सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.46 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोकसभा अपराह्न 2.01 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री जगदम्बिका पाल *पीठासीन हुए*)

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.01$^{1/4}$ बजे

इस समय श्री सी. शिवासामी, श्री के. नारायण राव, श्री एस. पी. वाई. रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः अब मैं श्री तम्बिदुरई को बुलाता हूँ।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.02 बजे

इस समय श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करूर): महोदय, 26 अगस्त, 2013 को श्रीलंका की नौसेना ने तमिलनाडु के (रामानाथपुरम) जिले में पम्बन क्षेत्र के 35 निर्धन निर्दोष मछुआरों का अपहरण कर लिया था। उन्हें पकड़कर श्रीलंका ले जाया गया...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई: न केवल इतना ही बल्कि ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। इससे पहले 30 और 31 जुलाई, 2013 को दो अलग-अलग घटनाओं में श्रीलंका के नौसेना प्राधिकारियों ने तमिलनाडु के 36 मछुआरों का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। निश्चित रूप से आपको बोलने का अवसर मिलेगा। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई: श्रीलंका की जेलों में लगभग 112 तमिल मछुआरे बंद हैं। श्रीलंका की नौसेना उनका उत्पीड़न कर रही है ...*(व्यवधान)* इस संबंध में तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने श्रीलंका की जेलों में बंद तमिलनाडु के मछुआरों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध करते हुए माननीय प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं...*(व्यवधान)*

इतने पत्रों के बावजूद सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। अत: मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि...*(व्यवधान)*

माननीय गृह मंत्री जी सभा में मौजूद हैं। गृह मंत्री जी, कृपया हमारी भावनाओं को माननीय प्रधान मंत्री जी तक पहुंचा दें...*(व्यवधान)* प्रधान मंत्री को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और सभी मछुआरों को शीघ्र मुक्त कराया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

मेरा मानना है कि कच्चातीव् द्वीप को वापस लेना इस समस्या का एकमात्र समाधान है...*(व्यवधान)* यह द्वीप श्रीलंका को सौंपा जाना एक गलत निर्णय था। संसद ने इस कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया बैठ जाइए। वह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. एम तम्बिदुरई: हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की हुई है। मुझे आशा है कि केन्द्र सरकार इस संबंध में कार्यवाही करेगी और द्वीप को पुन: भारतीय क्षेत्र में शामिल करेगी। मछुआरों की समस्या का एकमात्र यही समाधान है। श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों का काफी उत्पीड़न कर रही है। केन्द्र सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करनी होगी। चूंकि सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है इसलिए तमिलनाडु में तनाव व्याप्त है। हमारे सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है...*(व्यवधान)* पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए अन्य मछुआरों को छोड़ दिया गया है। तमिलनाडु के मछुआरों के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई: यह एक गंभीर मुद्दा है केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। अन्यथा, काफी असंतोष व्याप्त होगा। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी को अनेक पत्र लिखे हैं...*(व्यवधान)* इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इसलिए मैं, इस गंभीर मुद्दे के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए जाने का आरोप लगा रहा हूँ...*(व्यवधान)* सरकार तमिलनाडु के मछुआरों को शीघ्र मुक्त कराए। मैं एक बार फिर प्रधान मंत्री जी से इस संबंध में कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य प्रहर में बोलने का समय दिया। ...*(व्यवधान)* मैं आपका आभारी हूं। ...*(व्यवधान)* पूरे देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तमाम अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं जिनके माता-पिता तीस-चालीस सालों से और उस से भी ज्यादा समय से रहने वाले लोग महाराष्ट्र में कोयले खदानों एवं अन्य स्थानों में काम करते हैं। ...*(व्यवधान)* वे बहुत ही गरीब हैं और मजदूर हैं, मध्यमवर्गीय हैं। ...*(व्यवधान)* उन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश हेतु या नौकरी में कहीं भी आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण-पत्र और निवास प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है। ....*(व्यवधान)* महाराष्ट्र, मुंबई में और अन्य प्रदेशों के

कुछ क्षेत्रों में उन से पिछले पचास वर्ष के निवास प्रमाण-पत्र मांगे जाते हैं। जबकि वे परिवार वहां तीस-चालीस सालों से और पचास साल से कम समय से रह रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसे बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र तत्काल बनाए जाएं ताकि वे स्कूलों में प्रवेश ले सकें और नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता मिले ताकि वे आगे पढ़ सकें और नौकरियों में जाकर अपने परिवार का जीवन-यापन कर सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.07 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे समवेत हुई।

(श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय: अब हम नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। श्रीमती सुषमा स्वराज बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 03.0$^{1/4}$ बजे

इस समय श्री एस.पी.वाई. रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.0$^{1/2}$ बजे

इस समय श्री के. नारायण राव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.01 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा के पश्चात् भारत सरकार द्वारा राहत और पुनर्निमाण हेतु किए गए उपाय

अपराह्न 03.02 बजे

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति महोदय, हमने सोचा था कि संसद का मानसून सत्र उत्तराखंड की आपदा पर चर्चा करते शुरू होगा। ...*(व्यवधान)* क्योंकि सत्र के अंतराल में ये सबसे बड़ी विपत्ति देश पर आई थी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: चाहिए तो यह था कि संसद सबसे पहले इसका संज्ञान लेती और इस पर हम चर्चा शुरू करते, संवेदना का तकाजा तो यही था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ...*(व्यवधान)* 5 अगस्त को संसद का सत्र शुरू हुआ। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: आज 30 अगस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी यह चर्चा मैं कर पाऊंगी, जिस तरह का दृश्य सदन में उपस्थित हो रहा। ...*(व्यवधान)* जब तक सदन व्यवस्थित रूप से नहीं चलेगा, तब तक इतने संवेदनशील मामले को मैं कैसे रखूं? इसलिए आप हाउस को व्यवस्थित करिए तो मैं बोलूंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभापति सोमवार, 2 सितम्बर, 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 सितम्बर 2013/11 भाद्रपद 1935 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री शिवराम गौडा श्री कौशलेन्द्र कुमार	281
2.	श्री गुरुदास दासगुप्त	282
3.	श्री के. नारायण राव श्री उदय सिंह	283
4.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	284
5.	श्री मानिक टैगोर	285
6.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	286
7.	श्री अर्जुन राय श्री अनंत कुमार हेगड़े	287
8.	डॉ. संजीव गणेश नाईक श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	288
9.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन श्री प्रहलाद जोशी	289
10.	श्री आर. ध्रुवनारायण	290
11.	डॉ. बलीराम	291
12.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी श्री धर्मेन्द्र यादव	292
13.	श्रीमती प्रतिभा सिंह	293
14.	श्रीमती मेनका संजय गांधी	294
15.	राजकुमारी रत्ना सिंह श्री एस.एस. रामासुब्बू	295
16.	श्री सुदर्शन भगत	296
17.	श्री अशोक तंवर	297
18.	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	298
19.	श्री नामा नागेश्वर राव श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	299
20.	श्री हरिन पाठक श्री हंसराज गं. अहीर	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साईं प्रताप	3266
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	3265, 3377
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3352, 3401
4.	श्री आधि शंकर	3259, 3283, 3371
5.	श्री आनंदराव अडसुल	3352, 3401
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	3329, 3405
7.	श्री हंसराज गं. अहीर	3418
8.	श्री सुल्तान अहमद	3272
9.	श्री बदरूद्दीन अजमल	3225, 3380
10.	डॉ. रतन सिंह अजनाला	3305
11.	श्री एम. आनंदन	3283, 3390
12.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3319, 3425
13.	श्री घनश्याम अनुरागी	3322, 3416
14.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	3309
15.	श्री गजानन ध. बाबर	3352, 3401
16.	श्रीमती सुस्मिता बाउरी	3443
17.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3343
18.	श्री सुदर्शन भगत	3404
19.	श्री ताराचन्द भगोरा	3284, 3429
20.	श्री संजय भोई	3354, 3415
21.	श्री समीर भुजबल	3314
22.	श्री हेमानंद बिसवाल	3333
23.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	3446
24.	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	3274

1	2	3
25.	श्री सी. शिवासामी	3238, 3358
26.	श्री सी.एम. चांग	3228
27.	श्री हरीश चौधरी	3280, 3346
28.	श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	3309, 3342
29.	श्रीमती राजकुमारी चौहान	3416
30.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3256, 3384, 3387
31.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3301, 3316, 3447
32.	श्री भूदेव चौधरी	3325
33.	श्री निखिल कुमार चौधरी	3342, 3349, 3431, 3443
34.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3233, 3249, 3409
35.	श्री खगेन दास	3276
36.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3288, 3395, 3447
37.	श्री रमेन डेका	3274
38.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3235, 3367
39.	श्रीमती अश्वमेघ देवी	3281, 3325
40.	श्रीमती रमा देवी	3239, 3294, 3402, 3441
41.	श्री संजय धोत्रे	3296, 3331
42.	श्री आर. ध्रुवनारायण	3370
43.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	3345, 3431
44.	श्री चार्ल्स डिएस	3348
45.	श्री निशिकांत दुबे	3338
46.	श्रीमती प्रिया दत्त	3261, 3373
47.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3248, 3273, 3421, 3447
48.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3301, 3316, 3354, 3355, 3444

1	2	3
49.	श्री वरुण गांधी	3299, 3437
50.	श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी	3293
51.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3355, 3444
52.	श्री राजेन गोहैन	3302
53.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3242, 3336, 3419
54.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3317
55.	श्री महेश्वर हजारी	3247, 3446
56.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3399
57.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3446
58.	श्री बलीराम जाधव	3269, 3424
59.	डॉ. संजय जायसवाल	3322, 3330
60.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3278, 3346, 3446, 3447
61.	श्री बद्रीराम जाखड़	3359, 3439, 3447, 3450
62.	श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	3353
63.	श्री हरिभाई जावले	3267, 3363, 3379, 3430
64.	श्रीमती जयाप्रदा	3407
65.	श्री नवीन जिन्दल	3223
66.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	3313, 3319
67.	श्री प्रहलाद जोशी	3400
68.	श्री सुरेश कलमाडी	3275, 3391
69.	श्री पी. करुणाकरन	3286, 3333, 3432
70.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3263, 3376
71.	श्री वीरेन्द्र कश्यप	3221, 3356, 3382

1	2	3
72.	श्री नलिन कुमार कटील	3298
73.	श्री चंद्रकांत खैरे	3335
74.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	3296, 3303, 3411
75.	श्री विश्व मोहन कुमार	3237, 3255
76.	श्री अजय कुमार	3295, 3436
77.	श्री पी. कुमार	3307, 3326, 3397, 3409
78.	श्री यशवंत लागुरी	3335, 3403
79.	श्री ण्म. कृष्णास्वामी	3240, 3435, 3440
80.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3260, 3339, 3372
81.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3318
82.	श्री भर्तृहरि महताब	3296, 3331, 3374
83.	श्री प्रदीप माझी	3290, 3337, 3347, 3434
84.	श्री जोस के. मणि	3232
85.	श्री दत्ता मेघे	3308, 3410
86.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3305, 3356, 3445
87.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3314, 3315
88.	श्री महाबल मिश्रा	3268, 3388
89.	श्री पी.सी. मोहन	3446
90.	श्री गोपीनाथ मुंडे	3245, 3446
91.	श्री विलास मुत्तेमवार	3312, 3446
92.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3300
93.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3351, 3398
94.	श्री नामा नागेश्वर राव	3406
95.	श्री जफर अली नकवी	3285, 3383
96.	नरेनभाई काछाड़िया	3227, 3385, 3431
97.	श्री संजय निरूपम	3321, 3448
98.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	3273, 3393
99.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	3262, 3375
100.	श्री वैजयंत पांडा	3291, 3426
101.	श्री प्रबोध पांडा	3288, 3386
102.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	3396
103.	श्री गोरखनाथ पा.डेय	3420
104.	श्री जयराम पांगी	3234
105.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3316, 3354, 3355, 3415, 3444
106.	श्री कमलेश पासवान	3440
107.	श्री देवराज सिंह पटेल	3305
108.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	3310, 3400
109.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3254, 3290, 3337, 3434
110.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3245, 3404
111.	श्री दानवे रावसाहेब पाटील	3320
112.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3301, 3316, 3354, 3355, 3415
113.	श्रीमती कमला देवी पटले	3251, 3333
114.	श्री नित्यानंद प्रधान	3243, 3361, 3438
115.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	3304
116.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3241, 3305, 3405, 3423
117.	श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ	3270

1	2	3
118.	श्री एम.के. राघवन	3311, 3412
119.	श्री अब्दुल रहमान	3296, 3430, 3449
120.	श्री पूर्णमासी राम	3273, 3332, 3393, 3422, 3442
121.	श्री जगदीश सिंह राणा	3350
122.	श्री निलेश नारायण राणे	3230, 3362
123.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3340, 3401
124.	श्री रमेश राठौड़	3276
125.	श्री रामसिंह राठवा	3252, 3392
126.	श्री अशोक कुमार रावत	3271
127.	श्री अुर्जन राय	3397
128.	श्री विष्णु पद राय	3327
129.	श्री रूद्रमाधव राय	3336, 3427
130.	श्री एस. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3364, 3405
131.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3322
132.	प्रो. सौगत राय	3290
133.	श्री एस. अलगिरी	3278, 3334, 3353
134.	श्री एस. सेम्मलई	3290, 3323, 3303
135.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3229, 3314, 3322, 3364
136.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3419
137.	श्री एस.,स. रामासुब्बू	3336, 3369
138.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3324
139.	श्री तूफानी सरोज	3306
140.	श्री हमदुल्लाह सईद	3224, 3366, 3447
141.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3387

1	2	3
142.	श्री नीरज शेखर	3305, 3407
143.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3258, 3317, 3382
144.	श्री राजू शेट्टी	3236, 3360
145.	श्री एटो एटोनी	3257, 3384, 3417
146.	श्री जी.एस. सिद्देश्वर	3244
147.	श्री भूपेन्द्र सिंह	3328
148.	श्री जगदानंद सिंह	3341, 3433
149.	श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	3305
150.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	3384
151.	श्री राधा मोहन सिंह	3279
152.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	3292
153.	श्री रतन सिंह	3402
154.	श्री रवनीत सिंह	3246, 3363
155.	श्री सुशील कुमार सिंह	3442
156.	श्री उदय सिंह	3237, 3384
157.	श्री यशवीर सिंह	3305, 3407, 3423
158.	श्री प्रभुनाथ सिंह	3329, 3442
159.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3425
160.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3353, 3403
161.	श्री उदय प्रताप सिंह	3305
162.	श्री विजय बहादुर सिंह	3287
163.	डॉ. संजय सिंह	3278, 3447
164.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3317, 3365
165.	श्री के. सुधाकरण	3277, 3438
166.	श्री ई.जी. सुगावनम	3253, 3368

1	2	3
167.	श्री के. सुगुमार	3250, 3413, 3447
168.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3317, 3351
169.	श्री मानिक टैगोर	3305, 3394
170.	श्री लालजी टंडन	3431
171.	श्री अशोक तंवर	3378
172.	श्री जगदीश ठाकोर	3383
173.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3249, 3348
174.	श्री आर. थामराईसेलवन	3264, 3397, 3428, 3447
175.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3339, 3430, 3447
176.	श्री लक्ष्मण टुडु	3222, 3294, 3357
177.	श्री शिवकुमार उदासी	3297, 3426
178.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3247, 3446
179.	श्री हर्ष वर्धन	3247
180.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3278, 3280, 3334, 3441
181.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3326, 3447
182.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3282, 3389
183.	श्री अदगुरू एच. विश्वनाथ	3431
184.	श्री पी. विश्वनाथन	3231
185.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3226, 3306, 3381
186.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	3420
187.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3239
188.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3352, 3401
189.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3313, 3397
190.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3344
191.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3306, 3408
192.	श्री मधुसूदन यादव	3289
193.	श्री मधु गौड यास्खी	3347.

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

वित्त	:	282, 287, 291
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	281, 283, 286, 289, 290, 295, 296, 299, 300
खान	:	285
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	284
पंचायती राज	:	297
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	292, 293
पर्यटन	:	294, 298
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	288ण

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालयवार अनुक्रमणिका

वित्त	:	3221, 3230, 3231, 3232, 3233, 3241, 3245, 3247, 3248, 3250, 3259, 3261, 3262, 3266, 3267, 3273, 3279, 3281, 3286, 3288, 3297, 3298, 3299, 3307, 3308, 3313, 3315, 3316, 3317, 3319, 3326, 3327, 3330, 3334, 3339, 3345, 3350, 3353, 3354, 3356, 3360, 3361, 3362, 3369, 3371, 3374, 3376, 3380, 3387, 3395, 3397, 3399, 3400, 3401, 3405, 3407, 3409, 3410, 3411, 3413, 3414, 3415, 3421, 3428, 3429, 3435, 3442, 3447
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	3223, 3254, 3260, 3268, 3275, 3291, 3301, 3305, 3306, 3312, 3336, 3347, 3359, 3386, 3389, 3390, 3394, 3396, 3404, 3416, 3420, 3430, 3440, 3444, 3446, 3448, 3449, 3450
खान	:	3222, 3227, 3234, 3242, 3257, 3285, 3295, 3335, 3337, 3357, 3378, 3385, 3402
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	3236, 3318, 3323, 3328, 3363, 3379, 3403, 3436
पंचायती राज	:	3244, 3253, 3287, 3292, 3309, 3333, 3342, 3343, 3364, 3367, 3381, 3433
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	3224, 3228, 3229, 3235, 3237, 3238, 3240, 3243, 3255, 3258, 3264, 3269, 3270, 3271, 3276, 3278, 3280, 3283, 3284, 3289, 3290, 3293, 3294, 3296, 3303, 3304, 3310, 3314, 3320, 3324, 3332, 3338, 3340, 3355, 3358, 3365, 3368, 3370, 3375, 3377, 3383, 3388, 3406, 3408, 3412, 3417, 3418, 3419, 3422, 3423, 3424, 3425, 3431
पर्यटन	:	3246, 3277, 3321, 3329, 3341, 3348, 3366, 3384, 3426, 3434
जनजातीय कार्य	:	3225, 3226, 3252, 3256, 3272, 3274, 3282, 3311, 3392, 3393, 3432
महिला और बाल विकास	:	3239, 3249, 3251, 3293, 3265, 3300, 3302, 3322, 3325, 3331, 3344, 3346, 3349, 3351, 3352, 3372, 3373, 3382, 3391, 3398, 3427, 3437, 3438, 3439, 3441, 3443, 3445.

———